दशम माला, खंड 16, अंक 2

बुधवार, 25 नवम्बर, 1992
4 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

AMENT LIBRA
64
9-2-94

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 2, बुधवार, 25 नवम्बर, 1992/4 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 22 और 24 से 28	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 23 और 29 से 40	27—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 258, 260 से 283, 285 से 291, 293 से 296, 298 से 323, 325 से 330, 332 से 359, 361 से 363 और 365 से 460	37—247
सरकार की नई आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों के विरोध में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए औद्योगिक और खेतिहर मजदूरों द्वारा बोट क्लब पर प्रदर्शन किए जाने के बारे में	248—64
विशेषाधिकार का प्रश्न	
23 नवम्बर, 1992 को अहमदाबाद में श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित आक्रमण	265—69
सभा पटल पर रखे गए पत्र	269—73
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	273—74
प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	
प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव — स्वीकृत	274

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य-मंत्रणा समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	275
नियम 377 के अधीन मामले	275—79
(एक) उड़ीसा में सिमिलिपाल वन्य जीवन अभयारण्य के भीतर खनन कार्यों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	275
(दो) सिवनी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने तथा बीना होते हुए जबलपुर से नई दिल्ली तक सुग्रफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
कुमारी विमला शर्मा	276
(तीन) बम्बई हाई से उत्तर भारत को गैस भेजने के बारे में महाराष्ट्र राज्य के प्रस्तावों पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंतराव देशमुख	276
(चार) विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए आगरा तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन का विस्तार करने तथा आगरा में नए उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री भगवान शंकर रावत	277
(पांच) उत्तर प्रदेश के आंवला, शाहजहांपुर और बदायूंपुर में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजवीर सिंह	277
(छः) बिहार के सहरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	278
(सात) पश्चिम बंगाल के डिवीजनल जिला कस्बे, जलपाईगुड़ी में रसोई गैस की और अधिक एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	278
(आठ) नरमा कपास के खरीद मूल्य में वृद्धि घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	278—79

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	279—335
उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	279
श्री नाथू राम मिर्धा	285
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	291
श्री जार्ज फर्नान्डीज	296
श्री सुधीर सावन्त	302
श्री अमल दत्त	309
श्री सी० श्रीनिवासन	317
श्री मदन लाल खुराना	318
श्री दिग्विजय सिंह	323
श्री सूर्य नारायण यादव	329
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	331

लोक सभा

बुधवार, 25 नवम्बर, 1992/4 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ

+
*21. श्री राम सागर :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस समय यह मामला किस स्थिति में है;

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना हेतु कानून बनाने के सम्बन्ध में उक्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी/सर्किट न्यायपीठें गठित करने के लिए जसवन्त सिंह आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करके विचार और समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गयी थीं। अब तक राज्य सरकार से कोई विनिर्दिष्ट, पूरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मामला राज्य सरकार के समक्ष लम्बित है।

(घ) मध्य प्रदेश और मद्रास न्यायपीठें स्थापित करने के लिए जसवन्तसिंह आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें भी सम्बन्धित राज्य सरकारों को, सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, विचार और समीक्षा के लिए भेज दी गई थीं। इन राज्य सरकारों से, अब तक, कोई विनिर्दिष्ट, पूरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम सागर : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य के विशाल क्षेत्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूरी, जलवायु और भाषा में भिन्नता को देखते हुए जसवन्तसिंह आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खंडपीठ स्थापित करने की मांग को उचित ठहराया था। सरकार के सामने खंडपीठ स्थापित करने से जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह उन्हें कब तक दूर कर लेगी और यह खंडपीठ की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कब तक हो जाएगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, खंडपीठ की स्थापना के विषय में जैसा मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित राज्य सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट की राय जानने के बाद, जैसा भी वह अपना निर्णय करेंगे, उसके बाद भारत सरकार इस पर गौर कर पायेगी।

श्री राम सागर : माननीय अध्यक्ष जी, न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह आयोग ने क्या अध्ययन करते समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस से कनसल्ट किया था ? यदि हां, तो खंडपीठ की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान दिए गए, वहां खंडपीठ स्थापित करने में कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : कठिनाई इसमें 2-3 प्रकार की हैं—पहली तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले वह जगह तय करे जहां खंडपीठ बननी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सवाल पर काफी मतभेद वहां के वकीलों और जजों में जब तक वहां की राज्य सरकार पूरी तरह से तसल्ली न कर ले कि इसे किस जगह पर बनाने में जनता का हित है, तब तक आगे कुछ नहीं किया जा सकता है और तभी इस पर निर्णय हो पाएगा। जहां वैस्टन यू०पी० के लोग इसे चाहते हैं, वहां दूसरी ओर इलाहाबाद साइड के लोग इसको अपोज कर रहे हैं। बार में भी डिवीजन है इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि उचित है कि यदि राज्य सरकार और राज्य की हाई कोर्ट इस पर पूरी तरह से डिसकशन करके कोई निर्णय ले, तभी आगे इसको हम कार्यान्वित कर पायेंगे।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के उत्तर से यह बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इलाहाबाद के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान ढूंढना है। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और बहुत से वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े रहते हैं, न्यायाधीशों की कमी के कारण और उनके ऊपर काम का बोझ अधिक होने के कारण 1967 में यह समस्या बार एसोसिएशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठी। 1977 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह प्रश्न आया और 1981 में माननीय मोहसिना जी किदवई ने संसद में भी इस प्रश्न को उठाया था। इस सब को देखते हुए, इसकी गम्भीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह के द्वारा एक आयोग की रिपोर्ट 1985 में केन्द्रीय सरकार को दी गई। आज सात साल हो गए हैं, इसी से इसके प्रति सरकार का रुख दिखता है, उसमें मेरे दो प्रश्न हैं। एक—क्या न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह आयोग की जो रिकमैंडेशंस हैं, उनसे केन्द्रीय सरकार सहमत है ? यदि सहमत है, तो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो पत्र भेजा है, उसका कोई स्मरण पत्र भेजा ? दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की सैद्धांतिक सहमति क्या पश्चिमी क्षेत्र के लिए आगरा में खंडपीठ स्थापित करने के लिए है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, जसवन्त सिंह आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें यह सुझाव था कि आगरा में बैंच बननी चाहिए। मांग उत्तर प्रदेश में मेरठ की थी और जसवन्त सिंह

आयोग ने चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले आगरा में हाई कोर्ट थी और जो बाद में इलाहाबाद में शिफ्ट हुई, इस लिहाज से आगरा की जगह का सुझाव दिया। यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं बताना चाहता हूं कि उस बात को वैस्टर्न यू० पी० में मेरठ और आसपास के जिले के वकील और लोग नहीं मान रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से समय-समय पर जो हमारे लैटर्स एक्सचेंज होते रहे हैं, विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है, उनकी कठिनाई भी यही है कि पूरे वैस्टर्न यू० पी० में भी इस पर एकमत नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने अर्ज किया कि हर प्रांत में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ खंडपीठ है और इलाहाबाद में है, वहां दो जगह पहले ही हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, तीसरी जगह करने के लिए राज्य सरकार को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एथोरिटी है, जब तक पूरी तरह से वह सुझाव नहीं आ जाता तो इसमें आगे कदम नहीं उठाया जा सकता, यहां भारत सरकार की मजबूरी है, बाकी इसमें वैस्टर्न यू० पी० की कोई अवहेलना करने की बात नहीं है।

पानीपत के उर्वरक संयंत्र में गैस रिसाव

+

*22. श्री राम विलास पासवान :
श्री तारा चंद खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पानीपत स्थित राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के संयंत्र से गैस के रिसाव से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के बारे में यदि सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 26-8-1992 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पानीपत संयंत्र में अमोनिया गैस के रिसाव के कारण दस व्यक्तियों की मृत्यु उस समय हुई जब अमोनिया फीड पम्पों में से एक का सेफ्टी वाल्व बदलने के लिए मरम्मत कार्य किया जा रहा था। मृत व्यक्तियों में से, एन० एफ० एल० के एक प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थी सहित चार नियमित कर्मचारी थे, दो प्रशिक्षु थे तथा चार व्यक्ति ठेकेदार के कर्मचारी थे। इसके अतिरिक्त, ग्यारह अन्य व्यक्तियों को भी चोटें लगीं जो उपचार के पश्चात ठीक हो गए हैं।

(ग) और (घ) दुर्घटना के कारणों की जांच करने, उत्तरदायित्व, यदि कोई हो, निर्धारित करने,

एकक में लागू सुरक्षा प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए एन०एफ० एल० द्वारा एक बाहरी विशेषज्ञ, की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। अपनी रिपोर्ट में जांच समिति ने यह पाया है कि दुर्घटना अमोनिया पम्प के सक्शन वाल्व के एक कम्पोनेंट की खराबी के कारण हुई। चूंकि प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कार्मिक तथा उस अधिकारी की थी जिसने कार्य प्राधिकृत करने का सुरक्षा परमिट जारी किया था दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी अत: जांच समिति का विचार है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना संभव नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए समिति ने अनेक अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक उपायों का सुझाव दिया है।

जांच समिति की रिपोर्ट को एन० एफ० एल० के बोर्ड ने 30-10-1992 को स्वीकार कर लिया है और सुझाए गए अनेक उपायों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक पहला तो इन्होंने कहा है कि रेस्पोंसिबिलिटी किसी के ऊपर फिक्स नहीं की गई, यही हमेशा होता रहा है कि जहां-जहां भी घटनाएं घटती हैं, 11 लोग मरे लेकिन कोई आफिसर उसके लिए रेस्पोंसिबल नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या थे, इन्क्वायरी के? दूसरा मुआवजे का सवाल है कि मुआवजा कितने लोगों को दिया गया? जो एम्पलाइज थे, उनको कितना मुआवजा दिया गया और जो आपने कहा है कि कान्ट्रेक्ट लेबरर्स थे, उन कान्ट्रेक्ट लेबरर्स को कितना मुआवजा दिया गया?

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन : इस वर्ष 26 अगस्त को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 10 व्यक्ति मारे गये और 11 व्यक्ति घायल हुए। मरने वालों में चार नियमित कर्मचारी, चार ठेका मजदूर और दो प्रशिक्षणार्थी थे। हमने तुरन्त जांच आरम्भ करवा दी थी। जांच समिति की सभापति डा० पॉल पोथेन थे जोकि उर्वरक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अन्य विशेषज्ञों ने भी जांच कार्य में भाग लिया।

विशेषज्ञ जांच समिति का कार्य इस दुर्घटना के कारणों को पता लगाना; इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाना; तथा क्या फैक्टरी में सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया गया; इसका पता लगाना तथा इन ऐसी घटनाओं की पुनर्वृत्ति रोकने के उपाय सुझाना था। विशेषज्ञ समिति को इन्हीं विषयों पर अपनी रिपोर्ट देनी थी।

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय उर्वरक बोर्ड को पिछले महीने की 30 तारीख को भेज दी थी तथा लगभग एक सप्ताह पूर्व बोर्ड ने यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। सरकार इस पर विस्तार से विचार कर रही है।

माननीय सदस्य ने उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। जो व्यक्ति चल रहे मरम्मत कार्य प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार था; वह भी घटना स्थल पर ही मारा गया। क्योंकि जो व्यक्ति चल रहे मरम्मत कार्य के लिए जिम्मेदार था; वह भी घटना स्थल पर ही मारा गया; इसलिए

हम उत्तरदायित्व निर्धारण नही कर पाये। परन्तु सरकार ने फिर से राष्ट्रीय उर्वरक बोर्ड को इसकी जांच के लिए कहने का निर्णय लिया है तथा अगर आवश्यक हो तो वहां पर तैनात उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए एक ओर विशेषज्ञ समिति भेजी जाए। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री राम विलास पासवान : क्षतिपूर्ति के बारे में क्या विचार है ?

[हिन्दी]

मैं यह जानना चाहता हूं कि एम्पलायीज को कितना कम्पनसेशन दिया गया और जो कांट्रेक्ट लेबर थे, उनको कितना दिया गया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, मैं इसके बारे में पहले ही पूछ चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों में आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, मैंने यह पहले भी पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न में केवल एक बात पूछी जाए।

श्री राम विलास पासवान : (क) और (ख) में मैंने एक ही बात पूछी थी।

डा चिन्ता मोहन : कुल 22 लाख रुपए का मुआवजा और 3 लाख 60 हजार रुपए की अनुगृह राशि दी गयी थी, मैंने मौके का दौरा किया और उस अस्पताल भी गया जहां वे भर्ती थे। तत्काल चोट की गम्भीरता के आधार पर 10,000 रुपए तथा 25,000 रुपए की अनुगृह राशि दी गई।

श्री राम विलास पासवान : कांट्रेक्ट लेबर।

डा० चिन्ता मोहन : प्रत्येक कांट्रेक्ट लेबर को एक लाख रुपए दिया गया। यदि आप इसका कुल योग जानना चाहते हैं तो मैं उसे सभापटल पर रख दूंगा। और यदि आप यह चाहते हैं कि मैं यह आंकड़े पढ़ कर सुनाऊं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। चार कांट्रेक्ट लेबर में प्रत्येक को 1.08 लाख से लेकर 1.13 लाख रुपए तक दिए गए थे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, इन्होंने अपने जवाब में कहा है जो लांग-टर्म और शार्ट-टर्म सजेशंस इन्होंने दिए हैं तो वह लांग-टर्म और शार्ट-टर्म सजेशंस क्या-क्या हैं और अभी तक उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है ? आपने कांट्राडिक्टरी कहा है एक तरफ आपने कहा है :

[अनुवाद]

"एन० एफ० एल० के बोर्ड नें जांच समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि वह जो रिपोर्ट एक्सेप्ट किया है वह अभी तक फाइनल नहीं है। आपने वह भी कहा :

[अनुवाद]

"सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है।"

यह आपका कहना है।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन : जो वक्तव्य मैंने पहले दिया था, मैंने कभी उसका खंडन नहीं किया। इन्होंने बहुत सी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जो कि मैं सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। सभा के लाभ के लिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि एक नियन्त्रण व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र को बन्द किया जा सके। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में इसका सुझाव दिया है एक अल्पकालीन उपाय के रूप में उन्होंने कहा है कि कारखाने के सभी कारीगरों को मरम्मत कार्य करते समय नकाब शिरस्क और जुगत आदि का उपयोग करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा नहीं किया गया था और यह एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इकाई है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट कमेटी ने इन्क्वायरी कमेटी ने दिया है उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अभी भोपाल गैस को लोग देश में भुला भी नहीं पाए और फिर इस प्रकार से पानीपत में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और ऐसे समय में हुई जब वहां रिपेयर और मैनटेनस वर्क चल रहा था। ऐसे समय में सारे इन्जीनियर्स वहां होने चाहिए थे, क्योंकि वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर और टैक्नीकल डायरेक्टर दिल्ली बेसड है और दिल्ली बेसड होने के कारण वे अगले दिन वहां पर पहुंचे तो यह असावधानी क्यों बरती गई? वह पाइप लाईन किस कम्पनी ने डाली है, यह हमें बताने की कृपा करें और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। यह मैं जानना चाहता हूं और फाईंडिंग्स क्या है?

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन : समिति की सिफारिशें हैं कि एमोनिया पम्प का योक बुश बदल देना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि एमरजेंसी स्टाप स्विच को हमेशा कन्ट्रोल रूम में रखना चाहिए ताकि

भविष्य में ऐसी स्थिति में प्लांट को बन्द किया जा सके। उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से गैजिट हेलमेट और मास्क प्लांट प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के उपयोग के लिए लाए गए थे। दुर्भाग्यवश, उस कार्य को करने वाले ठेका मजदूरों ने सुरक्षा पुस्तिका में सुझाए गए उपायों के बावजूद भी इन चीजों का उपयोग करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। दुर्भाग्यवश यह हादसा हो गया। ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ था। यह कारखाना 17 साल पहले शुरू हुआ था कारखाने में आरम्भ से ही ठीक-ठाक ढंग से कार्य हो रहा था। कारखाने को जापान की कम्पनी ने प्रौद्योगिकी दी थी। किसी माननीय सदस्य ने इसके लिए मांग की थी और इसका डिजाइन इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। यह कारखाना बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। इसमें लगभग पांच लाख टन यूरिया का प्रति वर्ष उत्पादन किया जा रहा था। कुछ समय पहले इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी मिला था और सरकार इकाइयों को ठीक ढंग से सलाह दे रही है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सचेतात्मक उपाय अपनाये जाएं।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या पानीपत की एन० एफ० एल० शाखा में तैनात सुरक्षा अधिकारी के पास सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त योग्यता है अथवा नहीं है ? क्या वह सुरक्षा कार्यों में प्रशिक्षित था अथवा नहीं ?

डा० चिन्ता मोहन : बहुत से इंजीनियर्स सुरक्षा उपकरण की देख रेख करते थे और जिस व्यक्ति की उस मौके पर मृत्यु हुई, वह एक सहायक इंजीनियर था। वह एक सुप्रशिक्षित इंजीनियर था।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने पूछा है कि क्या पानीपत में तैनात सुरक्षा अधिकारी के पास अपेक्षित योग्यता थी अथवा नहीं ? क्या उसके पास वहां पर सुरक्षा अधिकारी तैनात होने के लिए अपेक्षित योग्यता थी ?

डा० चिन्ता मोहन : जी हां, उनके पास थी।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक मुझे पता चला है, वहां पर तैनात सुरक्षा अधिकारी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

डा० चिन्ता मोहन : यह एक बिल्कुल तकनीकी किस्म का प्रश्न है। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह कहा है कि जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके पास सभी तकनीकी योग्यताएं थीं।

भारत-पाक सम्बन्ध

+

*24. **श्री चित्त बसु** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों और विघटनकारियों को सहायता दिए जाने का मामला पाकिस्तान के साथ राजनयिक और अन्य स्तरों पर उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को शिमला समझौते को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय बातचीत के लिए आमन्त्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों में और सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह जम्मू व कश्मीर और पंजाब राज्यों में भारत के खिलाफ आतंकवाद एवं विघटनकारी गतिविधियों को समर्थन देना बन्द कर दे।

(ख) पाकिस्तान बराबर यह दावा करता रहा है कि वह भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन नहीं देता है। तथापि वास्तव में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को अब भी समर्थन दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) हमने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मसलों पर शिमला समझौते के अनुरूप द्विपक्षीय रूप से तथा शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करना तथा उनको हल करना चाहते हैं। तथापि सार्थक बातचीत तभी सम्भव है जब आपसी विश्वास एवं निष्ठा तथा उपयोगी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बने। इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वह जम्मू व कश्मीर और पंजाब में विघटनकारी तथा आतंकवादी गतिविधियों को अपना समर्थन देना बन्द कर दे।

(ङ) हमारी यह नीति है कि तनाव पर काबू रखने और सामान्य वातावरण बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ संचार माध्यमों को बराबर खुला रखा जाए। प्रधान मन्त्री, मन्त्री तथा अधिकारी स्तर पर बैठकें होती रही हैं। कुछ प्रगति हुई है जिसमें विश्वासोत्पादक उपायों तथा अनसुलझे मसलों पर सहमति भी शामिल है।

श्री चित्त बसु : महोदय, गत अक्तूबर माह में पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली ने एक संकल्प पारित किया जिसमें उन्होंने जैसा कि उनका मत है कश्मीर में भारतीय अत्याचार की निंदा की और उसे मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। पाकिस्तान सरकार के विदेश राज्य मन्त्री ने वहां की एसेंबली में संकल्प प्रस्तुत करते हुए पाकिस्तान सरकार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का

समर्थन करने की बात को दोहराया। पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली ने पहले भी एक संकल्प पारित किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये। यह तो एक भाषण बनता जा रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप विषय पर आइए।

श्री चित्त बसु : आप देखेंगे कि मैं एक सैकिंड से अधिक समय नहीं लूंगा। (व्यवधान) मैं दोबारा यही कहूंगा कि पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें हमारी निंदा करते हुए उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को भारत में अपवित्र किया गया है और उसे तोड़ा गया है। सभी बातें, ये सभी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उल्लंघन है। क्या पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली द्वारा पारित किए गए इन दो सकल्पों से भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। अगर सम्बन्धों में काफी तनाव पैदा हुआ है तो जैसा कि मन्त्री जी द्वारा पढ़े गए वक्तव्य में कहा गया है, सरकार इन सम्बन्धों में किस तरह से सुधार लायेगी ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, हमने सार्वजनिक रूप से यह कहलवाया है कि हम संसदीय संस्था द्वारा पारित किए गए ऐसे संकल्प की निंदा करते हैं। जैसाकि सदस्यो ने ठीक ही कहा है, यह ससंसदीय प्रतिमानों का घोर उल्लघन है, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां हमने इसकी निंदा की है, वहां हमने यह बात अपने बहुत से मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज में अपना महत्व रखने वाले देशों की जानकारी में भी ला दी है पाकिस्तानी अधिकारियों के इस तरह के तथा अन्य कार्य दोनों देशों के बीच समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करने तथा परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयासों के विरुद्ध हैं।

इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम बातचीत जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं। हम इस सम्बन्ध को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए वचनबद्ध हैं।

आप अपने पड़ोसियों को चुन नहीं सकते। विभिन्न प्रकार के पड़ोसी होते हैं। आप अपने भाईयों अथवा परिवारों को एक तरफ नहीं कर सकते। इस वजह से बातचीत करनी चाहिए, सम्बन्धों में सुधार लाना चाहिए। इस दिशा में सब कुछ करना चाहिए और इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए और उनके मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए जिनके बारे में कोई समझौता सम्भव नहीं हो सकता, जैसे कि देश की सुरक्षा और राष्ट्र की अखण्डता नामक बातें हैं।

श्री चित्त बसु : पाकिस्तान सत्ता पार्टी आज भीषण बोल, समस्या का सामना कर रही है, विशेष कर पाकिस्तान की जनता द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण, जोकि आज भी जारी है, वहां पर समस्या की स्थिति बनी हुई है। क्या सरकार पाकिस्तान में वहां की घरेलू समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार के ताजा आक्रमक और उन्मादी रवैये का अनुमान लगा रही है ? यदि ऐसी बात है तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इसी बात को नहीं दोहराना चाहता जोकि हमने पाकिस्तान अधिकारियों को उनके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए कही है। और अध्यक्ष महोदय आप मुझे आशंका भी मनघड़त प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदरणीय प्रधान मन्त्री जी से है। वे, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री महोदय से मुलाकात करते रहते हैं। पाकिस्तान की आन्तरिक स्थिति का भी उन्हें पूरा ज्ञान है। उनका अपना आंकलन क्या है। क्या पाकिस्तान सचमुच में संबंध सुधारना चाहता है और अगर सुधारना चाहता है तो ऐसा क्यों होता है कि हरेक मुलाकात के बाद पाकिस्तान मे ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे सम्बन्ध और सुधरने की बजाए बिगड़ जाते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि हमारी मुलाकात सम्बन्ध बिगाड़ने के लिए है। मैं यह भी नहीं समझता कि लाजिमन ऐसा होता है, यह ठीक है कि प्रत्येक देश में ऐसी शक्तियां कुछ तो शांति चाहती हैं और कुछ नहीं भी चाहती हैं और शांति प्रिय शक्तियां कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। दूसरी जो शक्तियां हैं वे इसमें विघ्न डालने की कोशिश करती हैं, यह लगातार चलता रहता है।

······(**व्यवधान**) और कोई मध्यांतर नहीं है। ···(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : आज आपका जवाब बहुत अच्छा है। ···(**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह अनिवार्य है और हम जानते हैं कि प्रत्येक देश में पाकिस्तान क्या सभी देशों में सबकी एक राय नहीं होती है, सबका एक मकसद नहीं होता है···(**व्यवधान**) अब सरकार की बात मैं कह रहा हूं। सरकार में भी अलग-अलग मकासिद हो सकते हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह भी हमें पता नहीं था कि श्री अर्जुन सिंह और आप में मतभेद हैं।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद और बधाई देने पर विचार किया है कि उन्होंने श्री अमनुल्लाह खान और उसके साथियों को नियन्त्रण रेखा पार करने से रोका हो और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस अवसर पर जो कि अन्तिम अवसर था और इसके साथ-साथ उससे पहले के अवसर पर इन दोनों अवसरों पर हमने यह मामला कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय तरीके से उठाया था और स्थिति की गम्भीरता के बारे में बताया था और यह भी बताया कि हम अपनी सीमाओं को दूसरे देशों से बचाने में कैसी दृढ़ता दिखा सकते हैं। इस कूटनीतिज्ञ परिवर्तन की वजह से, एक बहुत बुरी स्थिति टाली जा सकी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है :

[अनुवाद]

"विश्वास पैदा किए जाने वाले उपायों पर कुछ प्रगति हुई है और समझौते भी हुए हैं।"

[हिन्दी]

तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में तानाशाह सरकार थी और अब मौजूदा प्रजातन्त्र सरकार है, इन दोनों के दरम्यान कोई अन्तर है कि हिन्दुस्तान में जिस तरीके से घुसपैठिए भेज रहे हैं? दूसरी बात यह कि जब दोनों प्रजातन्त्रीय प्रधान मन्त्री मिलते हैं तो इन दोनों में क्या अन्तर है? मेहरबानी करके मन्त्री महोदय बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्रधानमन्त्री देंगे? वे आपको देख रहे हैं और मन्त्री महोदय उनको देख रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपकी तरफ देख रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप उनसे पूछेंगे। जरा दोहराइए।

अध्यक्ष महोदय : रिपीट इट, प्लीज।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि प्रधानमन्त्री जी क्या इन दोनों चीज में कोई अन्तर देख रहे हैं पहले एक तानाशाह सरकार थी, पाकिस्तान में उसके बाद दो प्रधानमन्त्री प्रजातांत्रिक ढंग से चुनकर आए हैं तो हिन्दुस्तान में जिस तरीके से घुसपैठिए भेजकर कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें कोई अन्तर देख रहे हैं? दूसरी बात कि पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक ढंग से चुने दोनों प्रधानमंत्रियों श्रीमती भुट्टो और मौजूदा प्रधानमन्त्री का इस बारे में हिन्दुस्तान के प्रति कोई एटिट्यूड में, नजरिए में कोई फर्क देख रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : गड़बड़ में तो कोई अन्तर नहीं है लेकिन हर एक की अपनी-अपनी शैली होती है, अपना एटिट्यूड होता है और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज एक डैमोक्रेटिक इलेक्टड प्राइम मिनिस्टर से बात करते समय मैं अपने आपको एक अलग वेव लैंथ पर पाता हूं और मैं यह भी कहूंगा कि पर्सनल लेवल पर हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : जनाब स्पीकर साहब, बात मुलाकातों की हुई, बात गुफ्तगू की हुई, बात डायलॉग की हुई और हुकूमत हमेशा दोहराती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं और हर तरह के सुलह-समझौते के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम यहां बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान यह कर रहा है, वह कर रहा है, हमारे दाखिली मामलात में इन्टरवीन कर रहा है, हमारे यहां मिलिटेंसी को, टैररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, मदद पहुंचा रहा है तो इन्टरनेशनल कम्युनिटी के दरम्यान इन दो तरह की बातों को, मेरी समझ में क्रेडिबलिटी गैप पैदा होता है तो मैं यह जानना चाहता

वजीरे खारजा से कि इस क्रेडिबलिटी गैप को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए सिस्टेमेटिक प्लांड ढंग से दुनिया के स्तर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : मेरे विचार से अन्य कोई स्थिति हमारी स्थिति से अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकती और हमारी इस स्थिति को छोड़कर अन्य कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जो कि इस देश के लोगों को स्वीकृत हो और तभी मैंने बातचीत की आवश्यकता का जिक्र किया है और कुछ एक मूल्यों पर दृढ़ रहने की आवश्यकता का जिक्र किया है जिन पर कोई समझौता सम्भव नहीं हो सकता।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मेरे विचार में, माननीय मन्त्री ने मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैं भारत के प्रभाव का जिक्र नहीं कर रहा, मैं अन्तर्राष्ट्रीय समाज में विश्वसनीयया अभाव के बारे में जिक्र कर रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं इनके द्वारा विश्वसनीयता आभाव को दूर करने के लिए कौन से नियोजित अथवा योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : सर्वप्रथम कोई भी विश्वसनीयता अभाव नहीं है और हमारी स्थिति की विश्वसनीयता बढ़ गई है। शायद मैं स्थिति को मोटे मतौर पर उनके साथ हूं। परन्तु, मैं इस सभा का समय और किसी बात के लिए नहीं लेना चाहूंगा बल्कि यह कहना चाहूंगा कि चाहे अमरीका की कांग्रेस हो अथवा अमरीका का प्रशासन अथवा यूरोपियन समुदाय पूर्ण रूप से, ट्रोइक ाके माध्यम से या दूसरे रूप से अथवा अंग्रेजी सरकार हो अथवा अंग्रेजी संसद अथवा दूसरे महत्वपूर्ण देश ये सभी एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं जिसमें भले ही उन्हें कुछ देरी हुई है। अब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, वे आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और इसलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनों ने यह वक्तव्य जारी किया है कि अब पाकिस्तान को उग्रवादी राष्ट्र तथा उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रश्न है, अब यही स्थिति है।

यदि सदस्य इस विषय पर और कुछ जानना चाहेंगे तो मैं उनको सारी जानकारी दूंगा। मैं उनके सूचनार्थ दस्तावेज भी दूंगा क्योंकि मैं स्रोतों को प्रभावित नहीं करना चाहता। मैं उनको वह दस्तावेज भी दे दूंगा जिसमें जम्मू-कश्मीर में मई 1988 जुलाई से 1990 तथा जुलाई 1990 से जुलाई 1992 तक हुई उग्रवाद की घटनाओं में पाकिस्तान के सम्मिलित होने से सम्बन्धित वास्तविकताओं की तिथियों समेत, सभी सम्भव जानकारी होगी ताकि उनको पूरी तसल्ली हो जाए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मुझे यकीन हो गया है, इसके लिए मुझे आपके दस्तावेजों की जरूरत नहीं है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : यदि माननीय सदस्य को यकीन हो गया है तो वह दस्तावेज अन्य साथियों को दे दें ताकि वे दस्तावेज को अपने पास रख सकें।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मामलों का निपटान

*25. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपना कार्य अपेक्षित रीति से करने और मामलों को शीघ्र निपटाने के अपने निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने मामले दायर किए गए और कितने मामले अन्तिम रूप से निपटाए गए; और

(घ) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सामान्यत: अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जैसा कि नीचे दिए गए निपटान के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। न्यायाधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए तथा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	न्यायपीठ का नाम	1-1-1989 से 31-12-1989 तक		1-1-990 से 31-12-1990 तक		1-1-1991 से 31-12-1991 तक	
		दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रिंसीपल	3092	1580	3248	2065	3750	2261
2.	इलाहाबाद	1634	855	1650	1640	2237	1730
3.	अहमदाबाद	801	590	657	464	535	668
4.	बैंगलूर	1404	2266	1186	898	935	1450
5.	बम्बई	1098	602	1061	848	1131	1610
6.	कलकत्ता	1956	1406	2161	1645	1946	1990
7.	चण्डीगढ़	1589	957	1643	1028	1929	1914

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कटक	650	531	634	563	613	462
9.	गुवाहाटी	239	241	275	217	457	145
10.	हैदराबाद	1197	1179	1293	1182	1461	1187
11.	जबलपुर	1180	1195	1223	1150	1171	661
12.	जोधपुर	1146	651	796	380	979	781
13.	मद्रास	1215	973	1270	1131	1513	1413
14.	पटना	488	543	689	669	886	608
15.	एरनाकुलम	922	1417	1478	1209	2108	1392
	जोड़	18602	13986	19264	15089	21651	17572

(ख) मौजूदा रिक्तियों तथा साथ ही 31-5-1993 तक होने वाली संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष, सदस्यों के पदों को भरने के लिए उपाय किए गए हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं माननीय मन्त्रीजी की आशावादिता का समर्थन करने में बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहा हूं। कर्मचारियों की समस्याओं को तुरन्त निपटाने और उनको शीघ्र न्याय दिलाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के रूप में देश के विभिन्न भागों में चौदह न्यायपीठों के साथ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। लेकिन उत्तर से हमको यह पता चला है कि बकाया मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे समय जबकि सदस्यों और उपाध्यक्षों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे समय जबकि सरकार यह समझती है कि किसी भी अधिकारी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाये—हमने यह देखा है कि जब अधिकारियों की आयु 58 वर्ष की हो जाती है तो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नौकरी तलाशने का काम शुरू हो जाता है। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी कि छोटी आयु के लोग सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में आ सकें क्योंकि आज सेवाओं सम्बन्धी न्यायशास्त्र अपने आप में जटिल विषय बन गया है और हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके पास न्यायाधिकरण में काम करने का अधिक अनुभव रहा हो। इससे मामलों के निपटान में हो रहे विलम्ब को दूर करने में मदद भी मिलेगी।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दो सदस्य हैं— एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य। हमें उन लोगों को लेना होगा जिनके पास उचित आयु में अनुभव हो और यदि उन्हें सेवा से न्यायाधिकरण में जाना पड़ेगा तो उनको न्यायाधिकरण में जाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना पड़ेगा। वे जब न्यायाधिकरण में प्रवेश करेंगे तो सदस्य के लिए 62 वर्ष की आयु होगी और उपाध्यक्ष

के लिए 65 वर्ष होगी। इसलिए यहां पर संभवत: आयु का प्रश्न है। लेकिन यदि आप यह चाहेंगे कि वे वहां पर जाएं, तो हमें सदस्यों को वहां जाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना होगा।

माननीय सदस्य ने मामलों की बढ़ती हुई संख्या का जिक्र किया। मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है कि जिस उद्देश्य से न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। सबसे पहली बात तो यह है कि असंख्य मामले उच्च न्यायालयों से न्यायाधिकरण को, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किए गए, जब केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। हमें उन मामलों को भी निपटाना है। जहां तक इन मामलों को निपटाने का प्रश्न है हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज 40,000 मामले लम्बित पड़े हुए हैं जोकि उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की तुलना में बहुत कम हैं और यहां पर भी बहुत कम लगता है। मैं एक तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करूंगी। सितम्बर का आंकड़ा लीजिए। प्रत्येक न्यायालय के लिए प्रत्येक वर्ष 650 मामले निपटाने का प्रतिमान रखा गया है। इसके आधार पर न्यायाधिकरण को सभी न्यायपीठों के लिए 1788 मामले होना चाहिए था। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रश्न है, हमने 2173 मामले निपटा दिए हैं जोकि उन उच्च न्यायालयों के लिए प्रतिमान के रूप में रखे गये औसत से बहुत अधिक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर वर्ष 4000 मामलों का ढेर लगता है। हर वर्ष 4000 मामले बकाया रहते हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा लोग न्यायाधिकरण में जाना चाहते हैं क्योंकि यह सस्ता है और इसमें उच्च न्यायालयों के मुकाबले में जल्दी न्याय मिलता है।

श्री अन्ना जोशी : क्योंकि वे विभागीय परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां पर शुल्क केवल 50 रुपए है। सभी आवेदन पत्र, इसमें आदेश पत्र भी शामिल है, सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। इसका कोई दाम नहीं है। यह बहुत सस्ता पड़ता है। अत: न्यायाधिकरण और उन न्यायपीठों पर जोकि अब वहां पर, उन पर, बहुत दबाव बना हुआ है।

श्री पवन कुमार बंसल : यदि किसी भी समय 40,000 सरकारी कर्मचारियों को, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर या उनके कैरियर से संबंधित मुद्दे पर, निर्णय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो मैं समझता हूं कि हमें इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है। मैं इस संबंध में माननीय मन्त्रीजी से पहले तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रीजी, इस न्यायाधिकरण में कर्मचारियों के लिए जो 58 वर्ष की आयु रखी गई है, उसे घटाकर 50 वर्ष करने या इसके आसपास पर विचार करेंगे और दूसरी बात यह है कि इस समय कितने रिक्त स्थान लम्बित हैं और वे कब तक भर दिए जाएंगे।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि इस समय कोई भी रिक्त पद नहीं है। वास्तव में, जब हम सत्ता में आए थे तब हमारे सामने भी इन रिक्त स्थानों को भरने की समस्या थी। उस समय बहुत रिक्त स्थान थे। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि हमने, वास्तव में, उन स्थानों के लिए चयन किया है जो मई 1993 तक रिक्त होंगे। विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन

किया गया है और जहां तक रिक्त स्थानों को भरने का प्रश्न है, कोई भी रिक्त स्थान भरना शेष नहीं बचेगा।

प्रशासनिक सदस्यों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु घटाने के संबंध में मैं यह कहूंगी कि यह प्राधिकरण उच्च न्यायालय का एक विकल्प है और इसलिए हमें उन लोगों की आवश्यकता है जिनके पास न्यायाधिकरण में प्रवेश करने का एक स्तर पर कुछ विशेष अनुभव हो। अतः यदि हम चाहें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा अन्यों के लिए आयु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी जाये तो मैं ऐसा नहीं कर सकती।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित करने का एक उद्देश्य यह था कि जब कोई मामला निपटाया जाता है तो—यदि कोई तकनीकी प्रश्न हो—पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) नहीं दायर कर सकती। लेकिन हमारा अनुभव यह रहा है कि, सभी मामलों में, निपटारे के बाद,…

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

आप प्रश्न कर सकते हैं। हमें आपका स्पष्टीकरण अथवा अनुभव नहीं चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि मामलों को निपटाने के बाद, सामान्यतः वह पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका (एस०एल०पी०) दायर नहीं कर सकती। लेकिन हमारा यह अनुभव रहा है कि सभी मामलों में पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर कर रही हैं।

एक मामले में जहां केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सेवामुक्त किए गए एक रेलवे कर्मचारी को बहाल करने के पक्ष में फैसला दिया था, रेल मन्त्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर की। इसलिए, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित करने का उद्देश्य व्यर्थ हुआ। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित करने का उद्देश्य, मामलों को शीघ्र निपटाया जाना और सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० नहीं दायर करना था? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि मन्त्रीजी यह देखेंगे कि सरकार उन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर न करें जहां पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया गया हो?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस लम्बे चौड़े प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दीजिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : जी हां। महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार द्वारा कभी भी कोई भी निरर्थक एस०एल०पी० दायर नहीं की गई। जिन मामलों में कानूनी सवाल शामिल होते हैं। उनमें सावधानी पूर्वक विचार करने और कानूनी राय लेने के पश्चात् ही याचिका दायर की जाती है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अधिकारियों के प्रतिशोधात्मक वृत्ति पर निर्भर करता है क्योंकि ये

लोग अपील दायर करने के लिए अपना धन नहीं बल्कि सरकार का धन उपयोग करते हैं लेकिन तो कर्मचारी अपना धन खर्च करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : मैं आपको केवल वास्तविक स्थिति ही बता सकती हूं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रेल मन्त्रालय तो प्रायः सभी मामलों में एस०एल०पी० दायर कर रहा है। क्यों ? प्रधान मन्त्रीजी को जवाब देना चाहिए।

श्रीमती मारग्रेट अल्वा : सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक थोड़ी सी एस०एल०पी० को ही विचारार्थ स्वीकृत किया है। (व्यवधान) कुछ सीमित मामले ही सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं।

(व्यवधान)

भारतीय काली मिर्च

*26. श्री पाला के० एम० मैथ्यू : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के लाभ के लिए सरकार ने भारतीय काली मिर्च की कीमत बढ़ाने के लिए गत छः महीनों में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद, अमरीकी, खाड़ी देशों, यूरोपीय, एशियाई बाजारों में भारतीय काली मिर्च की स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) काली मिर्च पर लगे उपकर को समाप्त किए जाने के क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) कीमतों में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए मसाला व्यापार निगम, नेफेड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कितनी काली मिर्च खरीदी गई या खरीदी जाने वाली है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) काली मिर्च के उपजकर्ताओं की कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) काली मिर्च के निर्यात पर लगने वाला उपकर दिनांक 16 अक्तूबर, 1992 से समाप्त कर दिया गया है;

(2) नेफेड, स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एस०टी०सी०एल०) और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस०टी०सी०) जैसे सरकारी विपणन एजेंसियों को यह सलाह दी गई है कि इस मद की खरीद में शामिल हों और यथासंभव मात्रा में स्टाक खरीद लें;

(3) रुपया भुगतान क्षेत्रों (आर०पी०ए०) को होने वाले निर्यात की अनिश्चितता को देखते हुए सामान्य मुद्रा क्षेत्रों (जी०सी०ए०) में अधिकाधिक बाजार कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) मई-जून 1992 के दौरान चुनिंदा यूरोपीय देशों को एक प्रतिनिधिमंडल अध्ययन के लिए भेजा गया था;

(2) नवम्बर, 1992 के दौरान एक विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किया गया। लगभग 20 अलग-अलग देशों के 75 से अधिक सहभागियों ने इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। इस कांग्रेस के आयोजन से भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच नये संबंध बनाने और मौजूदा संबंधो को और मजबूत करने का अवसर मिला।

(3) भारत जनवरी, 1993 में दुबई में आयोजित होने वाले गल्फ फूड फेयर और रियाध में होने वाले सऊदी फूड में हिस्सा लेगा। मसाला बोर्ड इन मेलों में एक लोगो स्कीम चलाएगा।

(ग) काली मिर्च की कीमतों में कुछ सुधार हुआ है। इसके अलावा, अक्तूबर 1992 मे 750 मी० टन काली मिर्च का निर्यात हुआ जबकि अक्तूबर, 1991 में यह निर्यात 343 मी० टन हुआ था।

(घ) उपलब्ध संसाधनों और अपनी-अपनी विपणन क्षमता के आधार पर एस०टी०सी०एल०, नेफेड और एस०टी०सी० अब से लेकर मार्च, 1993 तक यथासंभव अधिक काली मिर्च की खरीद करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पाला के०एम० मैथ्यू : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उत्तर में बताया कम गया है और छिपाया ज्यादा गया है। वास्तव में, भारतीय काली मिर्च, लगभग 20 लाख परिवारों की जीविका का साधन है। इससे 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। मैं यह उल्लेख नकद फसल के महत्व को दर्शाने के लिये कर रहा हूं।

समस्या यह है कि मंत्रीजी ने मूल्य प्रतिस्पर्धा का जिक्र किया है। मूल्य प्रतिस्पर्धा तो पहले से ही है। भारत में उत्पादित काली मिर्च विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि हम काली मिर्च का व्यापकार करने वाले समुदाय पर अपने प्रभाव का पर्याप्त इस्तेमाल करें और यदि हम इसको विदेशों में बेचने के लिये और अधिक प्रयास करें तो मुझे विश्वास है कि हम इसकी कीमतें बढ़ा सकते हैं।

अत: नाफेड राज्य व्यापार निगम तथा मसाला व्यापार निगम द्वारा अत्यधिक खरीद करने के

यथार्थ और ठोस परिणाम क्या निकले हैं ? उन्होंने कितनी खरीद की है ? मसाला बोर्ड द्वारा विदेशों में शिष्टमंडल भेजने, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने, मूल्य वर्धित मदों के निर्यात को बढ़ावा देने और क्रेता-विक्रेताओं की बैठक आयोजित करने के अलावा, और क्या नतीजे हैं ?

जहां तक मुझे जानकारी है इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के इन तथाकथित प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि प्रश्न में बहुत कुछ बताने की अपेक्षा बहुत कुछ छिपाया गया है। मैं यह नहीं समझता। मैंने इन सभी बातों का, जिनका उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से उत्तर दिया है। इस प्रश्न में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अतः उत्तर में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि काली मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं और इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि मूल्य प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। लेकिन साथ ही यह मूल्य उन बातों के कारण है जोकि हमारे नियंत्रण के बाहर है। हमारी अधिकांश निर्यात भूतपूर्व सोवियत संघ को होता था। भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण तथा उस देश में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण हम उस देश को काली मिर्च का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं।

साथ ही, हम अपने बाजार को दूसरी जगह जमाने के लिये सभी प्रयास कर रहे हैं। हमने किसानों की सहायता के लिये ही निर्यात संबंधी उपकर कम कर दिया है। निर्यात उपकर दो प्रतिशत था। काली मिर्च को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये यह कमी लाई गई है।

यह भी सच है कि मसाला बोर्ड शिष्टमंडल भेज रहा है। व्यापारी और निर्यातक भी अन्य देशों में जा रहे हैं। निर्यात के लिये नये सौदे तय करने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि शिष्टमंडलों द्वारा क्या विशेष समझौते किये गये हैं तो यह बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि इन निर्यातकों अथवा इन व्यापार शिष्टमंडलों द्वारा जो सौदे किये गये हैं, उस बारे में उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। उनके पास व्यापारिक प्रस्ताव हैं वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हम इसे बता नहीं सकते हैं।

साथ ही सरकार बहुत क्रेता-विक्रेता की बैठकें आयोजित कर, प्रतिनिधि-मंडल भेजकर और राज्य व्यापार निगम, एस०टी०सी०एल० और नेफेड को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से काली मिर्च खरीदने के लिये कहकर अनेक प्रयास कर रही है। हम पहले ही निर्देश दे चुके हैं नेफेड की 600 मिलियन टन खरीदने की योजना है। वे 200 मिलियन टन पहले ही खरीद चुके हैं। एस०टी०सी०एल० का 1000 मिलियन टन खरीदने की योजना है उन्होंने इसकी कुछ ही मात्रा खरीदी है। हमने राज्य व्यापार निगम को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से काली मिर्च खरीदने के लिए निदेश दिए हैं। महोदय, जब यह एजेंसियां बाजार में जाती हैं तो उससे बाजार में तेजी आएगी और कीमत बढ़ेगी।

श्री पाला के०एम० मैथ्यू : वास्तव में समस्या यह है कि काली मिर्च की कीमत कम और अलाभ-

कारी है जिससे किसान को उत्पादन की कीमत वहन करना भी कठिन हो जाता है। अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार न्यूनतम कीमत साठ रुपए प्रति किलो, निर्धारित करेगी ताकि वह किसान के लिए लाभकारी हो। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इसके आगे निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएगी। क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के काली मिर्च बोर्ड और काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र गठित करेगी ताकि इसके रोगों की समस्या से निपटा जा सके?

अध्यक्ष महोदय : उनको एक में चार चाहिए।

प्रो०पी०जे० कुरियन : महोदय, सरकार किसान की समस्या को पूर्ण रूप से समझती है। इसीलिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं। परन्तु कीमत हमारे नियंत्रण के बाहर है। हमारी काली मिर्च का निर्यात हो रहा था। जब तक हमें निर्यातादेश नहीं मिलते और जब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नहीं बढ़तीं तब तक हम कीमतों में वृद्धि की घोषणा नहीं कर सकते।

श्री पाला के०एम० मैथ्यू : मैंने न्यूनतम मूल्य पूछा था।

प्रो०पी०जे० कुरियन : कीमत हमारे नियत्रण के बाहर है।

माननीय सदस्य के न्यूनतम मूल्य संबंधी सुझाव के बारे में मेरा यह कहना है कि अगर वे न्यूनतम मूल्य पर खरीदते हैं तो भी हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हम अपने लोगों से काली मिर्च अधिक खाने के लिए कह सकते हैं? कोई भी ज्यादा काली मिर्च नहीं खाएगा। हमें केवल निर्यात ही करना होगा। इस प्रकार यह फिर से बाजार अथवा वाणिज्यिक दृष्टिकोण का मामला है। तथापि, केरल सरकार से कहा गया है कि वह बाजार में प्रवेश के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ऐसी योजना के लिए राज्य सरकार को 50% कीमत वहन करनी चाहिए। अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।

काली मिर्च बोर्ड के बारे में मेरा यह कहना है कि पहले ही एक मसाला बोर्ड है जो सभी मसालों से संबंधित कार्यों को देखता है। काली मिर्च से संबंधित सभी समस्याओं को मसाला बोर्ड देखता है। अतः मैं नहीं समझता कि एक और बोर्ड की कोई आवश्यकता है। इससे एक ही कार्य दो बार किया जाएगा।

श्री पी० सी० थामस : उपकर के बारे में मन्त्री महोदय तथा सरकार द्वारा उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। इससे कीमत तो अवश्य बढ़ेगी परन्तु जैसाकि मन्त्रीजी ने कहा है कि लोगों को और काली मिर्च का उपयोग करने के कहना बहुत मुश्किल है। अत: मैं सुझाव देता हूं और आग्रह करता हूं कि सरकार को नए-नए काली मिर्च आधारित उद्योग शुरू करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि हम काली मिर्च का अधिक उपयोग कर सकें और इससे कोई नया उत्पादन बना सकें तथा उसका निर्यात करें ताकि काली मिर्च के लिए अच्छा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार बन सकें। क्या कृपया आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं?

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम काली मिर्च और उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन निर्यातोन्मुखी इकाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो काली मिर्च से ओलीओरेसीन्स का उत्पादन कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव से और प्रयास लाये ताकि ऐसे प्रस्तावों का समर्थन कर सकें।

अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च

*27. श्री बीर सिंह महतो : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों पर अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम पूंजी खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विकासशील और विकसित देशों में अनुसंधान और विकास कार्यों पर होने वाले प्रति व्यक्ति व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विकसित देशों की तुलना में भारत में अनुसंधान और विकास पर होने वाला प्रति व्यक्ति व्यय कम है. लेकिन कुछेक विकासशील देशों के संबंध में जो स्थिति है, यह उससे अधिक है। भारत में अनुसंधान और विकास व्यय में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है।

(ग) कुछेक विकासशील और विकसित देशों में अनुसंधान और विकास पर हुआ प्रति व्यक्ति व्यय अमेरिकी डालर में

क्रम सं०	देश	वर्ष	अनुसंधान और विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	1987	153.85
2.	आस्ट्रिया	1985	110.71
3.	ब्राजील	1985	6 41
4.	कनाडा	1987	216.06
5.	क्यूबा	1987	30.14
6.	चेकोस्लोवाकिया	1988	177.43
7.	डेनमार्क	1987	283.30

1 2	3	4
8. मिश्र	1982	1.29—
9. एफ०आर०जी०	1987	523.98
10. फ्रांस	1987	364.13
11. जी०डी०आर०	1988	383.21
12. गयाना	1982	1.03
13. हंगरी	1988	60.82
14. भारत	1990	2.76
15. इंडोनेशिया	1988	0.88
16. इस्राइल	1983	246.43
17. इटली	1987	157.64
18. जापान	1987	558.80
19. कोरिया गणराज्य	1988	75 21
20. पाकिस्तान	1987	2.91
21. पनामा	1986	0.10
22. फिलीफाइन्स	1984	0.68
23. सिंगापुर	1987	68.14
24. स्पेन	1987	45.97
25. स्वीडन	1987	577.57
26. यू० के०	1986	226.83
27. अमेरिका	1988	514.70
28. यू०एस०एस०आर०	1988	218.63
29. वेनेजुएला	1985	10.87
30. यूगोस्लाविया	1988	26.24

स्रोत : यूनेस्को सांख्यिकी वर्ष पुस्तक, 1990

श्री बीर सिंह महतो : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि लगातार बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अनुसंधान और विकास की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है। दूसरे प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुसंधान और विकास में गिरावट आई है। नए युवा प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित के लिए विभिन्न योजनाएं हैं जिन्हें पूल वैज्ञानिक योजना कहा जाता है।

हमारे पास योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत जिन वैज्ञानिकों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ पी०एच०डी० की डिग्री भी है और उनके पास दो साल का अनुभव है उनके साथ तीन से पांच साल का अनुबन्ध कर लिया जाता है ताकि उन्हें अवसर प्राप्त हो सकें। परन्तु इसके अलावा मेरे विचार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यों का पता लगाना आवश्यक है। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन क्षेत्र पर ध्यान दिया जाये क्योंकि हमारे जैसे देश के लिए जहां संसाधन सीमित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए। इस लक्ष्य के साथ सरकार पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है कि क्या अद्यतन प्रौद्योगिकी के विशेष क्षेत्रों पर कार्य करें।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रश्न है प्रतिभा पलायन वास्तव में कोई समस्या नहीं है। अगर हम मूल संसाधनों को देखें तो पाएंगे कि वास्तव में आवश्यकता इस बात को सुनिश्चित करने की है कि हमारे पास उपलब्ध वैज्ञानिक प्रतिभा का अग्रेतर विकास के लिए उपयोग हो रहा है।

श्री बीर सिंह महतो : भारतीय वैज्ञानिकों में विदेशी प्रौद्योगिकी के कारण काफी सन्तोष है उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उनके काम की उपेक्षा की जा रही है। क्या सरकार वैज्ञानिकों को यह आश्वासन देगी कि आगे किसी भी स्थिति में विदेशी प्रौद्योगिकी को आयात नहीं किया जाएगा और यदि फिर भी कहीं बहुत जरूरी हुआ तो इसे केवल उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस छोटे होते विश्व में इस प्रकार का आश्वासन देना सम्भव नहीं है। एक बात निश्चित है कि जो प्रौद्योगिकियां देश में ही उपलब्ध हैं उनका बार-बार आयात करने की अनुमति नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है वह अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है और अधिकांश आयातित प्रौद्योगिकियों से निश्चित रूप से बेहतर है। वस्तुत: नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत आज भारतीय उद्योगपति भारत के वैज्ञानिकों और अनुसंधान संगठनों को यह कह रहे हैं कि वह अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं और वह इसमें सहभागी बनना चाहते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी निहायत ही जरूरी चीज है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अभी हम लोगों को मिनिस्ट्री की तरफ से जो कागज मिला

है, इससे साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान के अन्दर रिसर्च का काम बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है और इसी वजह से हिन्दुस्तान के अन्दर टैक्नोलोजी का इम्पोर्ट आज भी उसी तरह से हो रहा, जैसे कि आजादी के बाद होता रहा। अगर आप कम्पेयर करें तो जो डवलपिंग कण्ट्रीज हैं, वहां के जो आंकड़े हैं, वहां जहां 500 डालर पर कैपिटा का इन्वेस्टमैंट है, हिन्दुस्तान के अन्दर यह 2.76 यू० एस० डालर पर कैपिटा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान को नये दौर में ले जाने के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर कैपिटा जो एक्सपेंडीचर है, उसको बढ़ाने की तरफ सोचेगा, इसलिए कि इन्होंने जो दूसरे देशों का जिक्र किया है, इवन पाकिस्तान के अन्दर, आप ही के दिए गए आंकड़े के अनुसार, हिन्दुस्तान के बनिस्बत रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर ज्यादा खर्च हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि आगे फरदर टैक्नोलोजी इम्पोर्ट न हो, बल्कि अपने ही देश के अन्दर अपने साइंटिस्ट नई तरह की चीजें ईजाद करें। उसके लिए यह जरूरी होगा कि रिसर्च एण्ड डवलपमेंट में ज्यादा पैसा देकर इसको डवलप कराने की कोशिश की जाय।

[अनुवाद]

श्री रंगर जन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रति व्यक्ति आधार पर हमारे देश में, अनुसंधान और विकास पर बहुत ही कम धनराशि खर्च की जाती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। यह कटु सच्चाई है। लेकिन यदि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर विचार किया जाए तो यह पता चलता है कि हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। वस्तुत: जापान सहित अन्य देशों में भी अनुसंधान और विकास पर खर्च किए जाने वाली धनराशि में से सरकार का हिस्सा इतना नहीं होता जितना कि भारत में है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में, अनुसंधान और विकास पर सरकारी खर्च की प्रतिशतता जहां जापान में 0.6 प्रतिशत है, वहीं भारत में यह 0.7 प्रतिशत है।

सच्चाई यह है कि अनुसंधान और विकास खर्चों का 87 प्रतिशत सरकार के द्वारा दिया जाता है। उद्योग का हिस्सा बहुत कम रहा है। जबकि विकसित देशों में अनुसंधान और विकास उद्योगों का योगदान अधिक रहा है और सरकार का कम योगदान है। हमारी आवश्यकता है कि हम प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन दें। मेरे विचार से नवीन आर्थिक स्थिति से यह परिवर्तन आ गए हैं। यह उद्योग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और मेरे विचार से सभा के साथ-साथ अनुसंधान और विकास में पूंजी निवेश में काफी वद्धोत्त‍ी होगी।

श्री चंद्रजीत यादव : मैं मन्त्री के साथ सहमत हूं कि भारतीय उद्योगपति की इसके प्रति प्रतिक्रिया कम है जबकि सम्पूर्ण विश्व में अनुसंधान और विकास में ज्यादातर योगदान उद्योगपतियों द्वारा ही होता है, चाहे वह विश्वविद्यालय में अनुसंधान और विकास हो अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो। मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा कि नई आर्थिक नीति के कारण उद्योगपति आगे आएंगे और अनुसंधान और विकास में योगदान देना शुरू करेंगे। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है, अथवा बनाएगी और विशेषकर इस उद्देश्य से एक बैठक बुलाएगी ताकि वह प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें, और उद्योगपतियों को कुछ योजनाएं दे सके, कि उनका योगदान आज से ज्यादा होगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को उठाया है। सरकार ने पहले से ही उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी हैं। साथ-साथ ही विभिन्न सरकारी अनुसंधान संगठन में विभिन्न अनुसंधान परिषदों में उद्योगों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधान की योजना बनाने के समय उन्हें शामिल किया जाता है। उनका केवल आर्थिक योगदान ही नहीं है परन्तु योजना बनाने के समय भी है। अत: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब भी इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा तो वह सदन के ध्यान में लाई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सर, अभी माननीय मन्त्री जी ने जवाब देते हुए यह बतलाया कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से आबादी अधिक होने के कारण हमारा प्रतिशत दूसरे देशों के मुकाबले में कम होता है लेकिन जी०एन०पी० का सवाल है हमारा जापान से ज्यादा है। हम इसमें सरकार से जानना चाहते हैं कि जी०एन०पी० के मामले में जापान ने जो पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर है इन दोनों को मिला करके जो जी० एंड पी० होगा, उसका परसेंटेज कितना और हिंदुस्तान में पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर मिला करके उसका कितना परसेंटेज यहां रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। कहीं सिर्फ पब्लिक सैक्टर का हिन्दुस्तान का ला करके और पब्लिक सैक्टर का जापान का ला करके तो उन्होंने यह आंकड़े नहीं दिए हैं। टोटल जापान का जो जी०एन०पी० है पब्लिक और प्राइवेट मिला करके वह कितना है और हमारे यहां कितना है। आप हमें यह साफ-साफ बताएं कि हमारे यहां उस मुकाबले में कितना खर्च हो रहा है और जापान में कितना खर्च हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आंकड़े झूठे नहीं हैं। मैंने उन्हें वास्तविक आंकड़े दिए हैं। कुल राष्ट्रीय सकल उत्पाद के मामले में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कोई डिवीजन नहीं होता है। अन्यथा, जापान में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम नहीं होती। वस्तुस्थिति तो यही है कि अनुसंधान और विकास में उद्योगों की भागीदारी ज्यादा है···।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमने टोटल एक्सपेंडीचर पूछा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर नहीं, जापान में टोटल एक्सपेंडीचर क्या है गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है और हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है आप हमें यह बताएं। यह बता कर कि हम जापान से ज्यादा कर रहे हैं। यह एक फाल्स मेसेज आप देश को देना चाहते हैं आप हमें यह बताए कि जापान में टोटल कितना है ?

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य कृपया इस बात को मानेंगे कि किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जापान में अनुसंधान और विकास में उद्योगों की

भागीदारी सरकार की अपेक्षा अधिक है। मैंने यह बताया था कि यहां सरकार की भागीदारी अधिक है। हमारे लिए जो आवश्यक है, जैसाकि श्री चन्द्रजीत यादव ने सही बतलाया है कि उद्योगों की अनुसंधान तथा विकास में अधिक भागीदारी होनी चाहिए सरकार की अधिक भागीदारी मात्र से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से मैंने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सरकार की भागीदारी को प्रतिशत के रूप में अगर लिया जाए तो हमारी स्थिति काफी अच्छी है। उद्योगों को भागीदारी में आगे आने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। श्री जेना भी समस्या से भली-भांति वाकिफ हैं।

जर्मनी में निर्यात संवर्धन अभियान

+

*28. श्री महेश कनोडिया :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी स्थित भारतीय मिशन ने उस देश में निर्यात संवर्धन अभियान हेतु 13 प्रमुख मदों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास ने उस देश में निर्यात संवर्धन के लिए 14 मदों को अभिज्ञात किया है। इन मदों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ग) हाल ही में किए गए नीतिगत परिवर्तनों और शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय निर्यातों को बढ़ाना है। इसके अलावा, सरकार मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने और व्यापार/उद्योग प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान करने जैसे अन्य निर्यात संवर्धन उपायों को भी बढ़ावा देती है।

विवरण

मदों की सूची

(1) इंजीनियरी उत्पाद

(2) कंप्यूटर साफटवेयर

(3) चमड़े के सभी उत्पाद

(4) गलीचे

(5) सूती वस्त्र तथा परिधान

(6) समुद्री उत्पाद/खाद्य सामग्री तथा कृषिजन्य उत्पाद

(7) चाय

(8) पटसन

(9) रसायन तथा भेषजीय पदार्थ

(10) ग्रेनाइट तथा सिरेमिक टाइलें

(11) हस्तशिल्प

(12) कान्स्ट्रक्शन हार्डवेयर तथा फिटिंग्स

(13) इंडस्ट्रियल गारमेंट्स तथा

(14) परामर्शी सेवाएं

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जवाहर रोजगार योजना

*23. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) 9 अक्तूबर 1992 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में जवाहर रोजगार योजना सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गयी थी। इस सम्मेलन में जो सुझाव/निष्कर्ष दिए गए उनमें कहा गया कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली निधियों का अधिकांश भाग वाटरशेड विकास और मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास हो सके और रोजगार मिल सके और रोजगार उपलब्ध कराते हुए स्थायी तथा ठोस कार्य किए जा सकें और जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अन्य योजनाओं के समन्वय में थोड़े लचीलेपन की जरूरत है ताकि ये विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों की स्थिति के अनुकूल बन सकें। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 मिलियन श्रमिक दिवस उत्पन्न करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जवाहर रोजगार योजना के विभिन्न घटक जैसे कि मिलियन कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, विद्यालय भवन

निर्माण, सड़क, सिंचाई परियोजना आदि का निर्माण भी सही ढंग से चलता रहेगा। इससे निर्धन ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण मूलभूत ढांचे और परिसम्पति की उत्पत्ति हो पाएगी।

2. सम्मेलन में सर्वसम्मत राय यह थी कि आठवीं जवाहर रोजगार योजना को पंचवर्षीय योजना में विद्यमान लक्ष्यों सहित जारी रखा जाय।

[अनुवाद]

असम के शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियां

*29. श्री प्रबीन डेका : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान असम के शहरी क्षेत्रों में खोली गयी उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इन सहकारी समितयों को चलाने के लिए बाहर से कोई वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) असम सरकार ने सूचित किया है कि 1991-92 के दौरान असम में नौ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर स्थापित किए जा चुके हैं और 1992-93 के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) असम की राज्य सरकार उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है और भारत सरकार शहरी उपभोक्ता सहकारिताओं के विकास हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से असम समेत विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों में रही कमी को पूरा करती है। यह योजना 31-3-92 तक लागू रही थी और उसके बाद अब इसे राज्यों को सौंप दिया गया है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में छोटी तथा बड़े आकार की खुदरा दुकानें, विभागीय स्टोर स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है। इस राज्य में दुकानें स्थापति करने के लिए 31-3-92 तक 136.56 लाख रु० दिया गया है।

प्रधान मन्त्री की फ्रांस यात्रा

*30. श्री पी० एम० सईद :

श्री वृशिण पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत को समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर फ्रांसीसी नेताओं के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किसी समझौते/संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या वह फ्रांस में रहने वाले अनिवासी भारतीय से भी मिले थे;

(च) क्या इन लोगों ने भारत में निवेश करने के प्रति कोई रुचि दिखाई; और

(छ) यदि हां, तो उनके द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का अनुमान है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों पक्षों ने आर्थिक, वाणिज्यिक, प्रौद्योगिक, रक्षा वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सम्बन्धों को मजबूत बनाने हेतु सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने अप्रसार संधि तथा द्विपक्षीय नाभिकीय सहयोग जैसे बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विनियम किया और भारत ने अपनी सुज्ञात स्थिति दोहराई यूरोपीय एकीकरण तथा दक्षिण एशिया आदि जैसे क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने इस बात की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक भूमिका को मजबूत बनाया जाए।

(ग) और (घ) आय तथा पूंजी पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने से सम्बद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय पक्ष से आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने तथा फ्रांसिसी पक्ष से उनके समकक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। उम्मीद है कि इस संधि से भारत में फ्रांसिसी कम्पनियों पर लगने वाले तथा फ्रांस में भारतीय कम्पनियों पर लगने वाले निगम कर की मौजूदा दरों में पर्याप्त कमी होगी।

(ङ) से (छ) प्रधान मन्त्री ने पेरिस में हमारे राजदूत द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में अनिवासी भारतीयों से मुलाकात की। सामान्य रूप से उन्होंने भारत में पूंजी निवेश में अपनी दिलचस्पी दिखाई तथापि, किसी भी व्यक्ति द्वारा पूंजी निवेश की विशिष्ट मात्रा नहीं बताई गई।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरक

*31. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का ब्यौरा क्या है, जिनका इस समय देश में उत्पादन होता है और प्रत्येक उर्वरक का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने केवल दो ग्रेडों के उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय राज्य में मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इस समय देश में उत्पादन किए जाने वाले विभिन्न प्रमुख रसायनिक उर्वरकों और इन उर्वरकों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में चालू उत्पादन (अप्रैल से अक्तूबर, 1992 तक) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(000 मी० टन)

उत्पाद का नाम	उत्पादन (अप्रैल-अक्तूबर, 1992)
1	2
यूरिया	7340.3
अमोनियम सल्फेट	303.2
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	251.9
अमोनियम क्लोराइड	69.0
डी० ए० पी०	1685.8
एस० एस० पी०	1399.4
एन० पी०/एन० पी :	
20:7:20:7	174.4
15:15:15	233.0
17:17:17	441.4
10:26:26	170.1
12:32:16	142.6
14:35:14	20 8
19:19:19	99.4
14:28:14	00.0
28:28	216.5
16:20	59.7

1		2
23:23		156.8
20:20		398.8
	योग	13163.1

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खादी और ग्रामोद्योग विकास

*32. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु दी गयी अनुदान-राशि वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान दी गई राशि की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जी० कुरियन) : (क) और (ख) खादी-पोलिवस्त्र की बिक्री पर छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को अनुदान दिया जाता है और खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और सीधे सहायता पाने वाले संस्थानों को आयोग की सहायता पद्धति के अनुसार पूंजीगत खर्च का एक भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है। बिहार में प्रदान किए गए कुल अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रु० लाख में)

वर्ष	कुल अनुदान
1988-89	518.57
1989-90	506.24
1990-91	483.52
1991-92	451.71

1991-92 में अनुदान में कमी खादी की बिक्री में गिरावट तथा छूट की बकाया राशि होने के कारण आई।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात पर मांसट्रिच संधि का प्रभाव

*33. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांसट्रिच संधि से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जी० कुरियन) : (क) यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों को भारत से किए जाने वाले निर्यात पर मांसट्रिच संधि का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग को राजसहायता

*34. श्री सुकदेव पासवान :
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1992 को उर्वरक उद्योग को कितनी राजसहायता देय थी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान राजसहायता उपलब्ध न होने के कारण कुछ उर्वरक एकक बन्द हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार एककों से प्राप्त दावों तथा लम्बित दावों के अनुसार उर्वरक एककों को देय राज सहायता की राशि 1340.62 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देय राजसहायता के भुगतान न किए जाने के कारण चालू वर्ष के दौरान कोई मुख्य नाइट्रोजनीय या फास्फेटिक उर्वरक एकक बन्द नहीं किया गया। दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया ने सूचित किया है कि अक्तूबर, 1992 के अन्त की

स्थिति के अनुसार, मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र में सिंगल सुपर फास्फेट, एक फास्फेटिक उर्वरक का उत्पादन करने वाले 28 एकक विभिन्न कारणों से बन्द कर दिए गए थे जिन में राज सहायता की सीमा निर्धारित करने के कारण रोकड़ समस्या, लागत वृद्धि को मान्यता देने में विलम्ब तथा देय राज सहायता के वितरण में विलम्ब सहित कई कारण शामिल हैं।

(घ) उपलब्ध बजटीय आबंटनों के अन्तर्गत राजसहायता की देय राशि का शीघ्र भुगतान करने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

नई औद्योगिक नीति का मूल्यांकन

*35. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या क्या है जिनमें नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा पूंजी-निवेश किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सम्भावनाएं काफी उत्साहवर्धक हैं :

	नीति से पहले	नीति के बाद	
	1990-91 अगस्त-जुलाई	1991-92 अगस्त-जुलाई	1992 अगस्त-अक्तूबर
कुल औद्योगिक अनुमोदन/आशय पत्र/पंजीकरण/ज्ञापन	3974	6826	1239
विदेशी सहयोग अनुमोदनों की कुल संख्या	524	1537	339
विदेशी इक्विटी (रु० बिलियन में)	1.6	19.5	17.2

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार के 30 सार्वजनिक उपक्रमों में संस्थागत निवेशकों के पक्ष में इक्विटी से आंशिक रूप से निवेश निकाला गया है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*36. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण पर प्रति किलोमीटर लागत अलग-अलग आती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसी सड़कों के निर्माण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अब तक किए गए इस कार्य का किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कोई मूल्यांकन भी कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (च) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की लागत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है क्योंकि यह राज्यों के कई विशिष्ट पहलुओं, जैसे शुरू किए गए निर्माण कार्य के स्वरूप (अर्थात ईंटें बिछाना, रोड़ी बिछाना, ऊपरी सतह पर तारकोल लगाना)मिट्टी की किस्म, निर्माण सामग्री की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। इसलिए, जवाहर रोजगार योजना के तहत सड़कों के निर्माण (प्रति किलोमीटर) की लागत में विसंगतियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

जहां तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित मानदण्डों का संबंध है, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। 1500 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 की जनसंख्या के ग्रुप वाले 50 प्रतिशत गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना था। चूंकि पर्वतीय, आदिवासी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या छितरी हुई है तथा बस्तियां एक दूसरे से काफी दूरी पर बसी हुई हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए सातवीं योजना हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित मानदण्ड बनाए गए थे :—

पर्वतीय क्षेत्र :

(1) 500 से अधिक की आबादी वाले गावों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान पूरी तरह से सड़कों से जोड़ना।

(2) 200 से 500 के बीच की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान सड़कों से जोड़ना।

आदिवासी, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र

(1) 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान पूर्ण रूप से सड़कों से जोड़ना।

(2) 500 से 1000 की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान सड़कों से जोड़ना।

अभी तक किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा कमीशन भुगतान

*37. श्री अमल दत्त :
श्री रूप चन्द पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 1990-91 संबंधी 5वीं वार्षिक रिपोर्ट में दी गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार निगम को भारी धन राशि कमीशन/दलाली के रूप में चुकानी पड़ी है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम० टी० एन० एल०) के वर्ष 31 मार्च, 1991 को समाप्त तुलनपत्र तथा लाभ व हानि लेखे के साथ संलग्न अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया था कि "कम्पनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनके समनुषंगी बैंकों को बन्धपत्रों के निजी स्थानन पर दलाली/कमीशन (प्रारम्भिक शुल्क (के रूप में 14,57,25,000 रु०) (दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के बाद शुद्ध राशि 5,52,75,000 रु० है) का भुगतान किया है।

सुपर बाजार की मूल्य प्रणाली

*38. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाज़ार में मूल्य सूची में दिखाए गए मूल्य और ग्राहकों से वास्तव में लिए जाने वाले मूल्य अलग-अलग होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सुपर बाजार की मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार, बाजार से अप्राप्त दालों और मसालों जैसी वस्तुओं की पैकिंग और मूल्य निर्धारण ढेरों में किया जाता है। प्रत्येक ढेर उस पर चिह्नित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। सुपर बाजार ने अपनी शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं कि ली जाने वाली कीमतें प्रदर्शित की गई मूल्य सूची और पैकों पर अंकित मूल्यों के अनुसार हों।

गुजरात में उद्योग

*39. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार से केन्द्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उद्योग लगाने हेतु कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) उक्त अवधि में स्वीकृत तथा रद्द किए गए प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) उन प्रस्तावों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गुजरात में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1990, 1991 तथा 1992 (अक्तूबर तक) के दौरान क्रमश: 142, 136 और 116 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) उपर्युक्त आवेदनों में से 170 आवेदनों का अनुमोदन कर दिया गया था और 183 आवेदन नामंजूर/अन्यथा निपटा दिए गए थे।

(ग) आवेदनों को नामंजूर करने के मुख्य कारण ये हैं :—(I) प्रस्तावित विनिर्माण क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता का होना, (II) कच्चे माल की बाधाएं (III) प्रस्तावित स्थापना-स्थल का सरकार की स्थापना-स्थल नीति के अनुरूप न होना, आदि।

(घ) आशय पत्रों की मन्जूरी संबंधी आवेदनों को निर्धारित समय में निपटाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

*40. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अप्रवासी भारतीयों से देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान कार्पोरेशन के संयंत्रों को पुनः चालू करना

231. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन के संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने तथा संयंत्र और इसमें प्रतिष्ठापित मशीनरी की क्षमता का उपयोग करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जाने-माने परामर्शदाताओं द्वारा दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र और हल्दिया उर्वरक परियोजना का सम्पूर्ण सर्वेक्षण कराया गया। परामर्शदाताओं ने सिफारिशें की थी कि दुर्गापुर एकक का रु० 171.30 करोड़ के निवेश (1990 में रु० 213.15 करोड़ संशोधित) से तथा हल्दिया उर्वरक परियोजना का रु० 500 करोड़ (1988 के मूल्य) की अनुमानित लागत पर पुनर्वास किया जा सकता है। चूंकि परामर्शदाताओं द्वारा सुझाया गया निवेश बहुत अधिक था, जिसे, यदि किया गया होता, तो संयंत्र आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाते, अतः कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। चूंकि दुर्गापुर संयंत्र उत्पादन कर रहा है अतः स्टाफ का पुनर्नियुक्ति तथा संयंत्र और मशीनरी के गैर-उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

असम में चाय उद्योग

232. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में अशान्ति तथा निर्यात बाजार में चरमराहट के कारण राज्य के चाय उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जनवरी, 1992 से सितम्बर, 1992 के दौरान असम में चाय का अनुमानित उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.64 मि० कि० ग्रा० अधिक था। किन्तु, चालू वर्ष में सी० आई० एस० देशों द्वारा चाय की कम उठान से असम मूल की चाय सहित भारत से चाय के समग्र निर्यात में विपरीत प्रभाव पड़ा है। तथापि, सी०आई०एस० के अलावा अन्य क्षेत्रों को निर्यात अधिक हुआ है।

(ख) सरकार विभिन्न देशों को उद्योग प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करके चाय निर्यात के विविधी-

करण को प्रोत्साहित करती रही है। रूस सहित कुछ सी०आई०एस० देशों के साथ व्यापार सौदे भी किए गए हैं। अन्य देशों को भी अपने चाय की कीमत और क्वालिटी की प्रतिस्पर्धात्मकता बतला कर अधिक मात्रा में भारतीय चाय खरीदने को राजी किया जा रहा है।

घरेलू शौचालयों के लिए धनराशि का आबंटन

233. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत घरेलू स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : 1992-93 के दौरान स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	102.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00
3.	असम	37.00
4.	बिहार	181.00
5.	गोआ	5.00
6.	गुजरात	50.00
7.	हरियाणा	17.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.00
9.	जम्मू व कश्मीर	20.00
10.	कर्नाटक	82.00

1	2	3
11.	केरल	74.00
12.	मध्य प्रदेश	121.00
13.	महाराष्ट्र	132.00
14.	मणिपुर	5.00
15.	मेघालय	5:00
16.	मिजोरम	5.00
17.	नागालैंड	5.00
18.	उड़ीसा	63.00
19.	पंजाब	18.00
20.	राजस्थान	67.00
21.	सिक्किम	5.00
22.	तमिलनाडु	111.00
23	त्रिपुरा	8.00
24.	उत्तर प्रदेश	221.00
25.	पश्चिम बंगाल	109.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00
27.	दमन व द्वीप	5.00
28.	लक्षद्वीप	5.00
29.	पांडिचेरी	5.00
30.	दिल्ली	6.00
31.	चण्डीगढ़	5.00
82.	दादरा और नगर हवेली	5.00
	योग :	1500.00

[हिन्दी]

महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम का निजीकरण

234. श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटील : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र परिवहन निगम का निजीकरण करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन

235. श्री जितेन्द्रनाथ दास : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में चाय व्यापार निगम द्वारा प्रबन्धित चाय बागानों में चाय का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे बागानों में प्रति वर्ष कितनी आय और कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त अवधि में इन बागानों की दशा सुधारने के लिए क्या विकास कार्य किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलैमोन बुर्बौद) : (क) पश्चिमी बंगाल में टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया' लि० के प्रबंधाधीन चाय बागानों का चाय उत्पादन पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार रहा :—

(उत्पादन कि०ग्रा० में)

	1989-90	1990-91	1991-92 ×
मुकसान	522253	506429	461745
पाशोक	141277	139181	121327
दाहू तुकवार	102361	104907	81622
पोडौम	79253	78153	76144

× अनन्तिम

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक बागान की आय तथा व्यय निम्नानुसार रही :—

(लाख रु०)

	1989-90		1990-91		1991-92 ×	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
लुकसान	184.10	113.29	181.67	129.67	119.79	136.83
पाशोक	69.45	79.62	70.43	96.73	56.53	103.64
बाह् तुकवार	51.04	64.24	56.42	73.52	35.37	78.98
पोटोंग	35.31	33.45	37.37	41.33	34.40	40.94

× अनन्तिम

(ग) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रबन्धित चाय बागानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 जनरेटर सेट, ट्रेलर वाले 4 ट्रैक्टर, 3 नए विदरिंग ट्राफ, एक नई सी०टी०सी० मशीन और एक नई पलवराईजिंग मशीन दी गई है ताकि इन बागानों में चाय उत्पादन में सुधार हो सके।

गैर-वन भूमि को कृषि योग्य बनाना

236. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-वन भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष तथा आठवीं योजना के लिए रखे गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव सिंह) : (क) से (ग) नव सृजित बंजर भूमि विकास विभाग के अधीन पुनर्गठित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (एन० डब्ल्यू० डी० बी०) ने भूमि के निम्नीकरण को रोकने, ऐसी भूमि को निरन्तर आधार पर इस्तेमाल करने योग्य बनाने तथा बायोमास उत्पादन विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी तथा चारे का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि के निरन्तर विकास हेतु एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

1. समन्वित बंजर भूमि विकास योजना

2. निवेश प्रोत्साहन योजना

3. प्रौद्योगिकी विकास तथा विस्तार योजना

4. बंजर भूमि विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता

5. प्रोत्साहक तथा महत्वपूर्ण सहायक सेवाओं की योजना

6. बंजर भूमि विकास कार्यदल

इन योजनाओं पर योजना आयोग के साथ चर्चा चल रही है।

चालू वर्ष के दौरान चल रही उन योजनाओं, जिनके तरह गैर-वन क्षेत्र वाली बंजर भूमि के विकास के लिए अलग से किसी योजना की परिकल्पना नहीं की गई थी, को कार्यान्वित कर रहा है। राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

[हिन्दी]

कर्नाटक के गांवों में पेयजल की आपूर्ति

237. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1991 से 30 अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों, योजनाओं तथा अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) 1 जनवरी, 1991 से 30 अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार से निम्नलिखित योजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

क्रमांक	योजना	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
1.	अलवाडी और रायचूर जिले के 8 गांवों में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना	90.0
2.	अर्खांगी और रायचूर जिले के 4 गांवों में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना	29.22

1	2	3
	3. विश्व बैंक की सहायता हेतु 10 जिलों के 1000 गांवों (पहले चरण में 250 गांवों तथा दूसरे चरण में 750 गांव के लिए समन्वित जल आपूर्ति तथा स्वच्छता योजना	38,800.0

(ख) उपरोक्त 1 और 2 पर दी गई योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वापस ले लिया गया था। जहां तक विश्व बैंक की सहायता से चलाने वाली परियोजना का सम्बन्ध है, विश्व बैंक के मानदण्डों तथा आवश्यकता के अनुसार यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय सहायता योजनावार/गांववार आधार पर रिलीज नहीं की जाती है। योजनाओं जिनके लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्यों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत तकनीकी अनुमोदन दिया जाता है, के कार्यान्वियन के अन्तर्गत वार्षिक आवंटन के अनुसार राज्य सरकार को निधियां रिलीज की जाती हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान कर्नाटक की राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए कुल 47.0 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन

238. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पुनर्गठन का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कोई बुनियादी परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार, जहां कहीं आवश्यक है, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से परामर्श करके कार्यक्रमों को नया रूप देने पर विचार कर रही है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास

239. श्री विजय कुमार यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों का आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई अखिल भारतीय योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वियन के लिए किस एजेंसी अथवा संगठन को गठित किया गया है;

(ग) राज्य-वार ग्रामीण श्रमिकों को अब तक उपलब्ध करोई गई आवास सुविधा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण श्रमिकों की आवास समस्या कब तक हल हो जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं। केवल ग्रामीण श्रमिकों को आवास उपलब्ध करने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, कुछ ग्रामीण श्रमिकों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

240. श्री रामचन्द्र मलोतराव घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों में कमी करने और घाटे की स्थिति को दूर करने हेतु उनके लिए एक विस्तृत पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए कुछ विदेशी सलाहकारों की सेवाएं प्राप्त की हैं ताकि इन उपक्रमों की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सलाहकार-सेवा के लिए विश्व बैंक ने धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चाय बागान और चाय का उत्पादन

241. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या प्रधान मन्त्री 3 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6084 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के देहरादून और गढ़वाल जिलों के अन्य भागों में चाय के उत्पादन और विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में चाय का कुल कितना उत्पादन होता है तथा उसकी खेती कितने क्षेत्र में होती है; और

(च) इन क्षेत्रों में चाय की खेती के परिरक्षण और विकास के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) टी बोर्ड द्वारा वर्ष 1986 में दून घाटी में चाय के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में चाय उपजाने की संभावनाओं पर एक सर्वेक्षण कराया। इससे पता कि लगभग 56950 हेक्टेयर भूमि चाय उपजाने के लिए अपयुक्त होगी। अभिज्ञात क्षेत्र के 14 जिलों में फैला है।

(ग) उत्तर प्रदेश में चाय की व्यावसायिक खेती के तहत मौजूदा क्षेत्र लगभग 876 हेक्टेयर है और वर्ष 1990 के दौरान उत्पादन लगभग 534000 कि० ग्रा० था।

(घ) उत्तर प्रदेश में मौजूदा बागानों के नवीकरण एवं नए बागानों के विकास के लिए टी बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उपाय किए गए हैं। इनमें कुमांयू क्षेत्र में प्रदर्शन-बागान शुरू करने के लिए गैर-सरकारी पार्टी को 20 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार से देहरादून क्षेत्र में मौजूदा बागानों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह पता लगा कि देहरादून क्षेत्र में, चाय उद्योग के विकास में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा पर्याप्त सिंचाई भी है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का आधुनिकीकरण

242. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बिहार के आफीसर्स एसोसिएशन ने इस निगम के आधुनिकीकरण के लिए 960 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। भारी उद्योग विभाग के पूर्व सचिव, डा० डी०वी० कपूर की अध्यक्षता

में विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं :

(1) तात्कालिक अन्तर्वस्तुओं, बकाया बिलों तथा सीमाशुल्क के आंशिक भुगतान आदि की व्यवस्था के लिए 66.60 करोड़ रुपए जारी करना ।

(2) "मेल", रेलवे और बी०एस०पी० जैसे प्रमुख ग्राहकों से क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना ।

(3) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 100 प्रतिशत बिक्री कर छूट की ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुमति देना, जिसका भुगतान वर्ष 1994-95 से लेकर पांच वार्षिक समान किश्तों में किया जाएगा ।

(4) वर्ष 1995-96 तक विद्युत शुल्क से छूट ।

(5) टाउनशिप में प्रशासनिक और अनुरक्षण लागतों सहित स्थिर लागतों में कमी; और

(6) वर्ष 1992-93 के लिए 2000 अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना इत्यादि ।

(ङ) और (च) समिति की अन्तरिम अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, जैसेकि मौजूदा बजट प्रावधान के अलावा पुनरीक्षित प्राक्कलनों में 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, रोकड़ उधार सीमा 30-9-93 तक 150 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही एस० बी० आई० से लिए जाने वाले "ब्रिज-लोन के लिये गारन्टी भी दे दी गई है; जब भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो कम्पनी को क्रयादेश प्राप्त करने में सभी सम्भव सहायता दी जाती हैं; कम्पनी को निदेश दे दिए गए हैं कि वे प्रशासनिक लागतों तथा टाउनशिप के अनुरक्षण पर किए जाने वाले खर्च सहित स्थिर लागतों में कटौती करें तथा जनशक्ति के युक्तिकरण हेतु कम्पनी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए निधियां जारी करें आदि ।

कम्प्यूटरों के आयात पर प्रतिबन्ध

243. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरों के आयात पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी०सी०आर०, वी०सी०पी० इत्यादि के आयात पर लगा प्रतिबन्ध भी उठाया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में तथा स्वदेशी उद्योगों पर इसके प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) 1.5 लाख रु० से कम लागत बीमा भाड़ा मूल्य के व्यक्तिगत कम्प्यूटरों सहित कंप्यूटर प्रणालियों के आयात की लाइसेंस के आधार पर अनुमति है ।

(ग) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक माल होने की वजह से वी०सी०आर० तथा वी०सी०पी० आदि की आयात लाइसेंस के आधार पर आयात किए जाने की अनुमति है।

(घ) आयात तथा निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है तकनीकी प्राधिकारियों के साथ, जो कि व्यापार तथा उद्योग से सम्पर्क रखते हैं, परामर्श करके उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नेपाल को रियायतें

244. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को उदार शर्तों पर एकमुश्त रियायतें देने के सम्बन्ध में भारत और नेपाल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत के प्रधानमन्त्री के 19-21 अक्तूबर, 1992 के काठमांडू दौरे के दौरान जिस संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ भारत-नेपाल व्यापार/पारगमन संधि 1991 के प्रावधानों में जो सुधार किए गए वे नीचे दिए गए हैं :—

(1) भारतीय बाजार में नेपाल में बनी वस्तुओं के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना और मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाए बिना अधिमान्यता देने से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा;

(2) भारत के जरिए नेपाली वाहनों और माल को नेपाल में लाने-ले जाने की बिना नकद राशि जमा किए या बान्ड प्रणाली के अनुमति दी जाएगी।

(3) नेपाली गैर-सरकारी व्यावसायिक वाहनों को नेपाल सीमा से कलकत्ता/हल्दिया को और वहां से वापस नेपाल को जाने की अनुमति दी जाएगी; और

(4) नेपाली आयातकों को एच० एम० जी० एन० द्वारा चुने गए माल के आयात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान करने की मौजूदा प्रणाली के अलावा, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचना

245. श्री तरित बरण तोपदार :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचने का एक नया अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे शेयरों का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये शेयर किन व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों में शेयरों का अनिवेश कंपनियों/बैंकों, संस्थानों, सांझा कोषों, पंजीकृत दलालों, या व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से कार्यरत उन वैध निकायों और व्यक्तियों से खुली निविदा आमंत्रित करके किया गया, जिन्हें भारत में शेयर खरीदने व बेचने की अनुमति दी गई है। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 286 बोलियां समय पर प्राप्त हुईं। तीन व्यापारिक बैंकों की अनुशंसा पर, निर्धारित किए गए सन्दर्भ मूल्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के 8 उद्यमों के 12.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए जिनसे 681.95 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। जिन सफल बोली लगाने वालों को शेयर बेचे गए, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. बैंक ऑफ बड़ौदा
2. बैंक ऑफ इंडिया का सांझा कोष
3. भारतीय साधारण बीमा निगम
4. साधारण बीमा निगम का सांझा कोष
5. आवास विकास व वित्त निगम
6. भारतीय जीवन बीमा निगम
7. जीवन बीमा निगम का सांझा कोष
8. एस० एन० श्रोफ एंड कंपनी
9. पंजाब नेशनल बैंक
10. पंजाब नेशनल बैंक का सांझा कोष
11. भारतीय स्टेट बैंक कोष प्रबन्धन लि०
12. भारतीय यूनिट ट्रस्ट

[हिन्दी]

गुजरात के सरकारी कार्यालयों में अधिशेष कर्मचारी

246. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों में अधिशेष कर्मचारियों का पता लगाया है और यदि हां, तो गुजरात में ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को विशेष समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका गठन इस प्रकार के कर्मचारियों को खपाने के प्रश्न की जांच करने के लिए किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक दे देगी और इस सम्बन्ध में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभागों में समय-समय पर अधिशेष कर्मचारियों का पता लगाया जाता है और उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों का पुनर्नियोजन) नियमावली, 1990 के अनुसार पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। इस समय पुनर्नियोजन की प्रतीक्षा में बैठे गुजरात के अधिशेष कर्मचारियों की संख्या 21 है। वे उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय (लघु उद्योग) के कर्मचारी हैं।

(ख) ऐसे कर्मचारियों के संविलयन के प्रश्न की जांच करने के लिए के लिए कोई विशेष समिति गठित नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-चीन संबंध

247. श्री सुधीर चन्द्र नायक :
　　श्री के० पी० सिंह देव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की 1988 में चीन यात्रा के बाद से भारत-चीन संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आपसी हित विता के मसलों पर चीन के साथ उच्च-स्तरीय राजनीतिक बातचीत ने गति पकड़ी है जैसा कि चीन के प्रधान मन्त्री श्री ली फंग की दिसम्बर 1991 में भारत की यात्रा तथा इस वर्ष मई में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति

श्री आर० वेंकटरमन की उच्च स्तरीय यात्राओं से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त रक्षा मन्त्री शरद पवार, कल्याण मन्त्री श्री सीताराम केसरी और मानव संसाधन विकास मन्त्री श्री अर्जुन सिंह ने इस वर्ष चीन की यात्रा की। सीमा संबंधी पर मसले पर गठित संयुक्त कार्य-दल की अब तक पांच बैठकें हुई हैं और सीमा के प्रश्न पर मतभेदों को कम करने के लिए एक उचित, उपयुक्त तथा परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए विचार-विमर्श में लगातार प्रगति हुई है। वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, शैक्षिक व्यापारिक तथा आर्थिक संबंध बराबर बढ़ते रहे हैं।

हमने अनेक नए क्षेत्रों में तथा साथ ही रक्षा संबंधी क्षेत्रों में भी आदान-प्रदान प्रारम्भ किया है। सीमा व्यापार 30 वर्ष से भी अधिक समय के बाद पुनः प्रारम्भ हुआ है और शीघ्र ही शंघाई में हमारा प्रधान कोंसलावास कार्य प्रारम्भ कर देगा। सरकार चीन के साथ मैत्रीपूर्ण परस्पर लाभकारी एवं अच्छे पड़ोसी जैसे संबंधों को और बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स

248. डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विश्व विख्यात संस्था को अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़लेरो) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के अभ्यावेदन/रिपोर्टें देखी हैं कि भारतीय विश्व कार्य परिषद के प्रबन्धन तथा स्तर में गिरावट आई है तथा वेतन एवं भत्तों की हकदारी के संबंध में कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विश्व कार्य परिषद की कार्य शैली को पुनः सक्रिय करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

भारत-इजरायल के मंत्रियों की बैठक

249. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश राज्य मंत्री ने इजरायल के विदेश मंत्री से न्यूयार्क में भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या बैठक के दौरान कोई समझौता भी हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बैठक का भारत-इजरायल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की समीक्षा की गई। इजरायल के मंत्री ने मध्य-पूर्व शान्ति वार्ताओं में हुई प्रगति का उल्लेख किया। दोनों मंत्रियों ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, शरणार्थी और शस्त्र नियन्त्रण, जिसमें भारत सहित अनेक देश हिस्सा ले रहे हैं; पर बहुपक्षीय बातचीतों में हुई प्रगति पर विचार किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के विदेश मामलों से संबंधित मंत्रियों की यह पहली बैठक थी। इजरायल के विदेश मंत्री के भारत आने की संभावना है जिसकी तारीखें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। भारत के राज्य मंत्री को इजरायल यात्रा के लिए आमन्त्रित किया गया था।

विकास केन्द्र

250. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने विकास केन्द्र विकसित किए जाएंगे तथा कहां-कहां;

(ख) प्रथम चरण में ऐसे कितने केन्द्र विकसित किए जाएंगे; और

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थान चयन के मानदण्ड क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की जिसके तहत आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देशभर में 70 विकास केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। अभी तक 65 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगाया जा चुका है तथा उनकी घोषणा की जा चुकी है, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विकास केन्द्रों के चयन में अपनाए गए मानदण्ड हैं शहरों से दूर स्थापना-स्थल, जिलों/उप-मंडलीय मुख्यालयों से निकटता तथा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, रेलशीर्षों, विद्युत, जल आपूर्ति, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थानों इत्यादि जैसी मूल संरचनात्मक सुविधाओं हेतु पहुंच।

विवरण

आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या—70

चयनित विकास केन्द्रों की संख्या—65

	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1	2	3
आंध्र प्रदेश (4)		
1.	हिंदपुर	अनन्तपुर
2.	खम्माम (वेमसूर मंडल)	खम्माम
3.	अंगोले	प्रकाशम
4.	विजयानगरम बोबिली	विजयानगरम
असम (3)		
5.	जबलाबन्द	नौगांव
6.	रंगजूली	गोलपाड़ा
बिहार (6)		
7.	भागलपुर	भागलपुर
8.	दरभंगा	दरभंगा
9.	हजारीबाग	हजारीबाग
10.	जालोरिया	औरंगाबाद
11.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
12.	पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया
गोवा (1)		
13.	इलेक्ट्रोनिकसिटी	वरना व्होट्टू
गुजरात (3)		
14.	गांधी धाम	कच्छ

1	2	3
15.	पालनपुर	बनासकांठा
16.	बागरा	भड़ौच
हरियाणा (2)		
17.	बावल	महेन्द्रगढ़
18.	जुलाना	जींद
हिमाचल प्रदेश (1)		
19.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर (2)		
20.	गंदेरबाल	श्रीनगर
21.	सम्भा	जम्मू
कर्नाटक (3)		
22.	धारवाड़	धारवाड़
23.	रायचूर	रायचूर
24.	हसन	हसन
केरल (2)		
25.	एलेप्पी-पट्टानामतिता	एलेप्पी-पट्टानामतिता
26.	कन्नानोर-कोजीकोडे-मालापुरम	कन्नानोर-कोजीकोडे-मालापुरम
मध्य प्रदेश (6)		
27.	बौराई	धुर्वे
28.	चैनपुरा	गुना
29.	चिरौंजी	भिण्ड
30.	लेड़ा	धार
31.	सतलापुर	रायसेन
32.	सिंघतारा	रायपुर
महाराष्ट्र (5)		

1	2	3
33.	अकोला	अकोला
34.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
35.	धुले	धुले
36.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
37.	नांदेड़	नांदेड़
मणिपुर (1)		
38.	कंगलाटोंगबि	सेनापति
नागालैंड (1)		
39.	दीमापुर	कोहिमा
उड़ीसा (4)		
40.	छत्रपुर	गंजम
41.	चिपलिमा	सम्बलपुर
42.	चौद्वार	कटक
पांडिचेरी (1)		
43.	कराईकल	पांडिचेरी
पंजाब (2)		
44.	भटिंडा	भटिंडा
45.	पठानकोट	गुरुदासपुर
राजस्थान (5)		
46.	आबुरोड	सिरोही
47.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
48.	बीकानेर	बीकानेर
49.	झालावाड़	झालावाड़
50.	धौलपुर	धौलपुर

1	2	3
तमिलनाडु (3)		
51.	इरोड़	पेरियार
52.	माइलाडुथुराइ पूम्पुहार	तंजावुर
53.	तिरुनेल्वेलि (गंगाईकोण्डन नानूर ब्लाक)	तिरुनेल्वेलि-कट्टाबोमन
त्रिपुरा (1)		
54.	चम्पाभुरा-जोगिन्दर नगर मुले नगर	पश्चिम त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश (8)		
55.	बबीना बुजुर्ग	झांसी
56.	बनधारा	शाहजहाँपुर
57.	चौधरपुर	मुरादाबाद
58.	दिबियापुर	इटावा
59.	खुर्जा	बुलन्दशहर
60.	मुंगरा-सधारिया	जौनपुर
61.	सहजनवा	गोरखपुर
62.	शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिमी बंगाल (3)		
63.	दुबराजपुर	बीरभूम
64.	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी
65.	मालदा	मालदा

**प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाए गए कोष्ठकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं ।

माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन

251. श्री हाराधन राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के उत्तर मद्रास ताप विद्युत केन्द्र के कोयला संचालन संयंत्र के पैकेज-एक और दो की पेशकश स्वीकार करने और ओ० डी० एफ०

जापान की सहायता से रायचूर टी०पी०एस० यूनिट के कोयला संचालन संयंत्र के वर्ग "ग" के पैकेज-एक के लिए माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम०ए०एम०सी) दुर्गापुर का अनुरोध तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार के साथ उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से इन क्रयादेशों को एम०ए०एम०सी० को देने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) जबकि कर्नाटक राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए एम०ए०एम०सी० को क्रयादेश देने के लिए ए०डी०बी० की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव विनिर्देशों के अनुसार धन के नुकसान सम्बन्धी धारा का प्रावधान न होने के कारण सफल नहीं हुआ।

राज्यों में उदारीकरण अभियान

252. श्री बापू हरि चौरे :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू की गई उदारीकरण प्रक्रिया का राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सक्रियता से पालन नहीं किया गया है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर सतत् नियन्त्रण और विनियमों के कारण सम्भावित विदेशी निवेशकर्ता भारत में पूंजी निवेश करने में झिझक रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राज्य सरकारों ने नई औद्योगिक नीति का स्वागत किया है। नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन में राज्यों की प्रतिक्रिया सामान्यतः उत्साहजनक रही है। उद्योग स्थापित करने में कार्यान्वयन की अधिक कारगर मशीनरी के उपायों का राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

1990-91 के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए आवंटन

253. श्री राम नाईक : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 20 प्रतिशत की आर्थिक कटौती के आदेशों के बाद गैर-योजनागत व्यय के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि उपलब्ध की गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कटौती किए गए अनुदान में से वास्तविक व्यय कितना हुआ;

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा यदि कोई अतिरिक्त व्यय किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय वाहनों को खरीदने तथा उच्च पदों के सृजन पर किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे० कुरियन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को गैर-योजनागत प्रशासनिक व्यय के तहत 1990-91 के दौरान स्वीकृत तथा मुहैया की गई कुल राशि 15.00 करोड़ रुपए है ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1990-91 के दौरान खर्च की गई वास्तविक राशि 20.41 करोड़ रु० है।

(ग) से (ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार, अतिरिक्त व्यय वाहनों के क्रय और उच्च पदों के सृजन हेतु नहीं किया गया लेकिन महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों की मंजूरी और न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के कारण हुआ है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।

लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर

254. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू योजना के दौरान इस क्षेत्र ने निर्यात का लक्ष्य क्या रखा है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) आठवीं योजना के अन्त तक, इस क्षेत्र में 150 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है । आठवीं योजना के दौरान 24.50 लाख व्यक्तियों के लिए अरिरिक्त रोजगार जुटाने का लक्ष्य है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यात का लक्ष्य 20,000 करोड़ रु० तक पहुंचने का है।

प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत वृद्धि

255. श्री रूप चन्द मुरमु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू खपत हेतु उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की 3.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रायोजित वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत वृद्धि कितनी है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार आठवीं योजना के पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद (घटक लागत पर) की विकास दर 5.6 प्रतिशत होने का अनुमान है । 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या संवृद्धि की परिकल्पना से प्रति व्यक्ति अर्थों में इसके 3.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है । निजी अन्तिम खपत व्यय 5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर तक पहुंचने का अनुमान है जो प्रति व्यक्ति, घरेलू खपत में 3 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष संवृद्धि के अनुरूप है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण सफाई संसाधन केन्द्र

256. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण सफाई संसाधन केन्द्रों की स्थापना हेतु किसी राज्य सरकार, स्वयंसेवी संगठन अथवा किसी अन्य सामाजिक संगठन से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

उत्तर बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ

257. श्री पीयूष तीरकी :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस चरण में है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कलकत्ता उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की

संख्या कितनी है

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री से, इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ विचार-विमर्श करने और उत्तरी बंगाल में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ अवस्थित करने के लिए किसी सहमत स्थान के नाम का सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) 31-12-91 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में 1,10,082 मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग, उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं

258. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के खादी एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ 1991-92 के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी शीर्षवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जहां तक के०वी०आई०सी० का संबंध है इसने उत्तर प्रदेश में अब तक खादी और अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले 27 ग्रामोद्योगों का विकास आरंभ किया है। कार्यान्वयन के लिए और अधिक ग्रामोद्योगों को लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन उ० प्र० राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 711 पंजीकृत संस्थाओं और 4126 सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान उ० प्र० में खादी तथा ग्रामोद्योगों का उत्पादन 370.27 करोड़ रुपए (खादी 60.30 करोड़ रुपए और ग्रामोद्योग 309.67 करोड़ रुपए) का था और इससे 9.57 लाख व्यक्तियों (खादी 5.51 लाख व्यक्ति और ग्रामोद्योग 4.06 लाख व्यक्ति) को रोजगार मिला।

(ख) और (ग) के०वी०आई०सी० ने उत्तर प्रदेश राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए 1991-92 के दौरान निम्नलिखित निधियों का आबटन किया :—

(रुपए करोड़ में)

	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1991-92	18.16	1.60	0.47	7.84

बिहार में डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए० योजना का कार्यान्वयन

260. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन जिलों में पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार के किन-किन जिलों में ये योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) बिहार के 23 जिलों में ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (ड्वाकरा) शुरू की गई है।

(ख) 1991-92 के दौरान 468 समूह बनाए गए हैं और लाभान्वित सदस्यों की संख्या 8694 है।

(ग) बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिलों में ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना शुरू की गई है।

आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता

261. श्री रामटहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से बिहार के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) बिहार में विभिन्न विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि मंजूर करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार आधारभूत सुविधाओं के सृजन द्वारा उद्योगों के संवर्धनार्थ एक "विकास केन्द्र" योजना चला रही है। इस योजना के अधीन देशभर में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) बिहार को 6 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) 30 करोड़ रुपए प्रति विकास केन्द्र की परियोजना लागत में केन्द्र सरकार का हिस्सा 10 करोड़ रुपए है। यह राशि विकास केन्द्रों की ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन और अनुमोदन हो जाने के बाद ही किस्तों में दी जाती है। चूंकि परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन नहीं हो पाया है अत: अभी बिहार को धन नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए नई भूमिका

262. श्री विजय एन० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन होने के कारण गुटनिरपेक्ष संगठन को एक नई भूमिका निभानी होगी;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने हाल के जकार्ता सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए नई भूमिका का प्रस्ताव रखा था;

(घ) यदि हां, तो उस पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ङ) भारत ने विश्व के बदले हुए परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जकार्ता में हाल ही में सम्पन्न दसवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस बात पर पुन: बल दिया गया कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बरकरार है। इस बात पर सहमति हुई थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को चाहिए कि वह अपनी शेष कार्यसूची क्रियान्वित करे और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसूची के नए मसलों जैसे संयुक्त राष्ट्र के पुनरगठन तथा उसे पुन: सक्रिय करने, मानवाधिकारों, पर्यावरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को सुलझाने के साथ-साथ विकास, सामान्य तथा पूर्ण नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा शेष बचे उपनिवेशवाद के उन्मूलन जैसे मसलों पर भी ध्यान दे।

(ग) जकार्ता शिखर सम्मेलन में भारत ने यह सुझाव दिया था कि यह जरूरी है कि वह आंदोलन में फूट डालने वाले मसलों की अपेक्षा उन मसलों पर ध्यान केन्द्रित करें जो आंदोलन को संगठित करते हों और साथ ही इसे अपनी शेष कार्यसूची को क्रियान्वित करना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसूची की नई तथा उदयीमान प्राथमिकताओं पर ही ध्यान देना चाहिए।

(घ) इस सुझाव का अन्य सदस्य देशों ने समर्थन किया था।

(ङ) भारत बदले हुए विश्व परिदृश्य में गुट-निरपेक्ष आंदोलन को और मजबूत करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा।

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

263. डा० राजगोपालन श्रीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किसी आचार संहिता की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मामला, इस समय किस स्थिति में है;

(ग) क्या इस संबंध में वकील संघों और अन्य सार्वजनिक संगठनों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिविल सेवा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

264. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा. भारतीय वन सेवा और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी 1991 से अब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं; और

(ख) बिहार संवर्ग के उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सेवाओं तथा विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं का नियन्त्रण अलग-अलग संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं के बारे में, अनुशासनिक कार्रवाई का प्राधिकार भी संबंधित संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के पास ही रहता है। इससे अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में, विद्यमान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें दोनों ही अनुशासनिक प्राधिकारियों के रूप में उन अवधियों के लिए कार्य करती हैं जबकि अधिकारी इन सरकारों से सम्बन्धित कार्यों पर कार्यरत हैं। चूंकि यह सूचना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं की जाती है इसलिए इनके ब्यौरे तत्काल देना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि

265. श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के लिए राज्यवार और कार्यक्रम-वार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : वर्ष 1992-93 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी०आर०एस०पी०) के अन्तर-राज्यवार और कार्यक्रम-वार आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	4880	18693.20	2547	102
2. अरुणाचल प्रदेश	416	322.51	462	005
3. असम	1332	4988.36	1370	037
4. बिहार	9778	37517.48	2999	181
5. गोआ	86	348.46	055	005
6. गुजरात	2010	7891.05	1493	050
7. हरियाणा	480	1879.28	559	017
8. हिमाचल प्रदेश	172	1107.26	630	016
9. जम्मू व कश्मीर	240	1571.74	1900	020
10. कर्नाटक	3054	11762.09	2342	082
11. केरल	1660	6238.34	1191	074
12. मध्य प्रदेश	6472	25750.93	2819	121
13. महाराष्ट्र	5228	19920.80	3390	132
14. मणिपुर	38	413.36	308	005
15. मेघालय	116	483.68	420	005
16. मिजोरम	174	203.75	129	005

1	2	3	4	5
17. नागालैंड	182	518.46	422	005
18. उड़ीसा	3198	12771.76	1335	063
19. पंजाब	406	1634.30	424	018
20. राजस्थान	3118	12489.26	2791	067
21. सिक्किम	34	188.76	372	005
22. तमिलनाडु	4382	16798.61	2019	111
23. त्रिपुरा	136	536.90	350	008
24. उत्तर प्रदेश	13062	49832.36	4724	221
25. पश्चिम बंगाल	5460	21249.26	1824	109
26. अंडमान व निको० द्वीप समूह	43	152.70	040	005
27. चंडीगढ़	—	0.00	—	005
28. दादरा व नगर हवेली	9	82.89	013	005
29. दमन व द्वीव	17	48.83	022	005
30. दिल्ली	—	0.00	014	006
31. लक्षद्वीप	4	76.55	010	005
32. पांडिचेरी	35	149.47	026	005

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

266. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और मिट्टी तेल की आपूर्ति राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र हेतु मिट्टी तेल का कोटा नियत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन आमतौर पर केन्द्रीय पूल में भण्डार की स्थिति, मौसमजन्य बातों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए माह दर माह आधार पर किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका उद्देश्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संपूर्ण मांग को पूरा करना नहीं होता। लेवी चीनी के मामले को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन जनसंख्या आधार पर नहीं किए जाते हैं। लेवी चीनी के मामले में ये आबंटन सामान्यतया 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड के आधार पर किए जाते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य में उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु मिट्टी के तेल का आबंटन थोक में किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन उन्हें आवंटित किए गए कोटे में से किया जाता है।

[अनुवाद]

कुछ औषध कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना

267. डा० असीम बाला :
　　श्री रूप चन्द पाल :
　　प्रो० सुशांत चक्रवर्ती :
　　श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री कुछ औषध कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के बारे में 22 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अन्य औषध निर्माता कंपनियों द्वारा औषधों का अधिक मूल्य लिए जाने के मामलों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) सरकार की जानकारी में जो अधिक मूल्य वसूली के मामले आए हैं, उनकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

हरियाणा में उर्वरक बिक्री एजेंसियां

268. श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में रसायनों और उर्वरकों की बिक्री में कितनी एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितनी एजेंसियां कार्यरत हैं; और

(ग) रसायनों और उर्वरकों के वितरण को कृषकों की सुविधा हेतु अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) हरियाणा में उर्वरकों की बिक्री करने वाली 6082 एजेंसियां हैं, जिनमें से 2329 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक भाग में बिक्री केन्द्र पर्याप्त संख्या में हों चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सहकारी क्षेत्र में। इस समय 5 कि०मी० के क्षेत्र में कम से कम एक बिक्री केन्द्र उपलब्ध है। जो उर्वरकों की बिक्री करने के इच्छुक हैं उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र उदारता से स्वीकृत किए जाते हैं और किसी बिक्री केन्द्र द्वारा 10 टन तक की मात्रा के लिए कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन

269. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगशालाओं में अपनाई जाने वाली जैव-प्रौद्योगिकियों तथा उनके कार्यान्वयन में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) व्यवहार में उन प्रौद्योगिकियों के खेतों में कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) आदिप्ररूप तैयार करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर परीक्षण करके प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों की अभिपुष्टि की जाती है। आशाजनक मामलों में क्षेत्रीय प्रदर्शन आरम्भ किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभाग उद्योग तथा अन्य संगठनों जैसे बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (बी० सी० आई० एल०) को भी शामिल करने का प्रयत्न करता है।

(ग) विकसित प्रौद्योगिकियों के सम्भावित हस्तांतरण के लिए विभाग उद्योग के प्रतिनिधियों तथा बी०सी०आई०एल० को शामिल करता है। जहां कहीं भी उद्योग प्रौद्योगिकी के विकास में आरम्भ से शामिल होने में रुचि दिखाते हैं, उन्हें उपयुक्त शर्तों पर संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से सम्बद्ध कर दिया जाता है।

1	2	3
1990 91	5000 मी० टन	3653 मी० टन
1991-92	6000 मी० टन	1630 मी० टन

स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय (माइक्रो-लेवल) योजना पर व्यय

270. **श्री सयद शाहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने आप ही स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय (माइक्रो-लेवल) योजना हेतु भारी धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के लिए इस कार्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इस व्यय का उद्देश्य और प्रयोजन क्या है;

(घ) चयन किये गए स्वैच्छिक अभिकरणों के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक को क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ङ) क्या पहले भी इस प्रकार का व्यय किया गया; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि वर्षवार व्यय की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) वर्ष 1962 से योजना आयोग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्य के लिए शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान निकायों तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तीय सहयोग दे रहा है। संस्था विकास तथा आयोजना तन्त्र को मजबूत बनाने के लिए भी 1972 से कुछ सहायता प्रदान की गई है। आठवीं योजना के दौरान विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए स्कीम को पुनर्गठित करने तथा आयोजना के प्रमुख क्षेत्रकों में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है ताकि योजना कार्यान्वयन को भागीदारी किस्म का बनाया जा सके। इस सन्दर्भ में तीन स्कीमें तैयार की गई हैं तथा प्रक्रिया में हैं।

(घ) से (च) अब तक कोई स्वयंसेवी एजेंसी को नहीं चुना गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, योजना आयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, संस्था निर्माण तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना के उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहयोग दे रहा है। विगत तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार व्यय नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

[हिन्दी]

अनिवेश पर कृष्णामूर्ति समिति का प्रतिवेदन

271. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अनिवेश के सम्बन्ध में कृष्णामूर्ति समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा करने का प्रस्ताव है।

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में खाद्य तेलों की आवश्यकता

272. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने खाद्य तेल की आवश्यकता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिहार को इन तेलों का कुल कितना वास्तविक कोटा दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के लिए खाद्य तेलों का कोटा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बिहार सरकार ने वर्ष 1992 के दौरान खाद्य तेल हेतु कोई मांग नहीं की है। पिछली मांग फरवरी, 1991 में की गई थी।

(ख) गत तीन तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर) के दौरान बिहार को आबंटित तथा उनके द्वारा उठाई गई खाद्य तेलों की मात्रा निम्नवत है :—

वर्ष	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1	2	3
1989-90	10700 मी० टन	6882 मी० टन

सारणी : अनुसंधान, प्रशिक्षण, संस्था निर्माण तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना पर व्यय

(करोड़ रु०)

1989-90	1990-91	1991-92
3.09	2.26	1.62

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम के पटना स्थित डिपो में अभी भी 700 मी० टन खाद्य तेल रखा हुआ है जिसे उठाने के लिए बिहार सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

ईरान से मन्त्रीस्तरीय शिष्टमण्डल की यात्रा

273. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ईरान से मन्त्री स्तर के किसी शिष्ट मण्डल ने भारत की यात्रा की और भारतीय नेताओं से वार्ता की;

(ख) यदि हां, तो शिष्ट मण्डल की भारतीय नेताओं से किन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और उनका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मन्त्री विलायती के नेतृत्व में ईरान के शिष्टमण्डल ने भारतीय नेताओं के साथ व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जिनमें आर्थिक और सांस्कृतिक तथा कोंसली मामलों पर विचार विनिमय शामिल है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा भी की दोनों पक्ष द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत-ईरान संयुक्त आयोग के छठे अधिवेशन के बाद हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें व्यापार, उद्योग, कृषि, परिवहन और संस्कृति शामिल है, द्विपक्षीय सहयोग तेज करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णय समाविष्ट हैं।

चन्दन की लकड़ी का निर्यात

274. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकाल का विभिन्न देशों को चन्दन की लकड़ी का निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चन्दन की लकड़ी का निर्यात किन देशो को किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) मौजूदा निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अनुसार कुन्दों एव लट्ठों, खपचियों, पाउडर, चूर्ण एवं पत्तरों के रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। तथापि, एक्जिम नीति, 1992-97 की निर्यात की निषेधात्मक सूची के भाग 5 के क्रमांक 21 (1) तथा (2) के तहत चन्दन की लकड़ी से बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा मशीन से तैयार चन्दन की लकड़ी की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति है, क्यों ये मूल्यवर्धित मदें हैं।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है अतः सरकार का किसी भी देश को चन्दन की लकड़ी के निर्यात का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

परती भूमि विकास

275. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को पौधे लगाने नर्सरियों के विकास और वन रोपण के मामले में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान वन रोपण और पौधे लगाने हेतु क्या लक्ष्य रखे गए थे और उनकी प्राप्ति कितनी हुई; और

(ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई सहायता और इस प्रयोजन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) 1991-92 तक 10.643 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण/वनरोपण करने तथा 265.50 करोड़ पौधों के वितरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए 1.05 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण करने तथा 150 करोड़ पौधों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से मार्च 1992 तक 1.004 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया गया तथा 138.46 करोड़ पौधों का वितरण किया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों, 1989-90 से 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई गई निधियों सहित वनरोपण तथा वृक्षारोपण

की गतिविधियों पर निधियों के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य		आबंटन (लाख रुपए में)
गुजरात	—	12682.69
मध्य प्रदेश	—	14851.07
उत्तर प्रदेश	—	20678.16

जुलाई, 1992 से बंजर भूमि विभाग की स्थापना से राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है तथा इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में सृजित बंजर भूमि विकास विभाग के अधीन रखा गया है। चालू वर्ष के दौरान पुनर्गठित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के लिए 26.40 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की 1993-94 से आरम्भ होने वाली शेष अवधि के लिए बंजर भूमि विकास विभाग के योजना प्रस्तावों को योजना आयोग को भेजा गया है।

[अनुवाद]

औषध लाइसेंस नीति

276. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध लाइसेंस नीति के कारण औषधों की आपूर्ति कम पड़ गई है और खतरनाक औषधों से देश में निर्दोष लोग तबाह हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) लाइसेंसिंग रुकावटों के कारण, औषधों की कमी या अवैध औषधों का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सौर ऊर्जा

277. श्री श्रवण कुमार पटेल :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सौर ताप एवं फोटो वाल्टेयिक दोनों प्रणालियों से सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई योजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की राज्य-वार मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) चालू योजना के दौरान, वर्ष-वार कुल कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) इसका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(ङ) सरकार ने और अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है;

(च) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार देश में सौर ऊर्जा के प्रदर्शन और उपयोग के लिए सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्रीय आर्थिक सहायता से विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को कम ग्रेड की सौर तापीय युक्तियाँ और सौर कुकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत बिना बिजली वाले और दूर-दराज के गांवों में प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों और/अथवा विद्युत बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है।

सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम और सौर कुकर कार्यक्रम वार्षिक आधार पर बनाए जाते हैं जिनमें आर्थिक सहायता हेतु राज्य नोडल एजेंसियों को वास्तविक लक्ष्य नियत किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए इन कार्यक्रमों हेतु राज्यवार लक्ष्य क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। राज्य एजेंसियों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए प्रकाशवोल्टीय माड्यूलों की लागत राशि सरकार द्वारा दी जाती है। प्रकाशवोल्टीय प्रणाली की स्थापना के लिए 1265 कि० वा० के प्रकाशवोल्टीय माड्यूल उपलब्ध कराने के लिए चालू वर्ष में राज्यों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इन अनुरोधों से संबंधित एक विवरण-III संलग्न है।

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान कम ग्रेड की सौर तापीय युक्तियों के अन्तर्गत 2,75,000 वर्ग मीटर के संग्राहक क्षेत्र और 3,00,000 सौर कुकर बेचे जाने का प्रस्ताव है। इसी अवधि के दौरान लगभग 2.7 मे०वा० की कुल क्षमता के लिए प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष के लिए इन प्रणालियों हेतु लक्ष्य उस वर्ष के लिए वार्षिक योजना के अन्तर्गत नियत की गई धनराशि के आधार पर तय किए जाते हैं।

(घ) सौर तापीय युक्तियों का इस्तेमाल खाना पकाने के प्रयोजनों सहित ताप ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है जबकि प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया रोशनी, जल पंपन, टेलीविजन, संचार और लघु विद्युत संयंत्रों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।

(ङ) नई सौर प्रौद्योगिकियों और युक्तियों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में वर्तमान कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा तकनीकी-आर्थिक रूप से सिद्ध प्रौद्योगिकियों और युक्तियों के लिए प्रदर्शन और उपयोग कार्यक्रम शुरू किए जा सकें।

(च) और (छ) सौर तापीय और प्रकाशवोल्टीय दोनों ही कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धियां विवरण-IV और V में दी गई हैं।

विवरण-I

सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम 1992-93 के अन्तर्गत राज्यवार अनन्तिम वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य

(क) शीर्ष : ख० 2(1) (4) इस शीर्ष के अन्तर्गत सौर तापीय प्रभाग को आबंटित की गई धनराशि : 616 लाख रुपए

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1992-93 के लिए नियतन (लाख रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य (संग्राहक क्षेत्र वर्गमीटर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	1830
2.	बिहार	20	1830
3.	चंडीगढ़	10	915
4.	दिल्ली	28	2560
5.	गुजरात	78	7135
6.	हरियाणा	16	1465
7.	हिमाचल प्रदेश	16	1465
8.	जम्मू एवं कश्मीर	13	1195
9.	कर्नाटक	36	3265
10.	केरल	12	1095
11	मध्य प्रदेश	76	6950
12.	महाराष्ट्र	78	7135
13.	मेघालय	7	645
14.	उड़ीसा	7	645
15.	पंजाब	35	3200
16.	पांडिचेरी	7	645
17.	राजस्थान	35	3200

1	2	3	4
18.	तमिलनाडु	32	2925
19.	उत्तर प्रदेश	78	7135
20.	अन्य	12	1090
	कुल :	616	56355

(ख) ग.2(4)

शीर्ष ग•2(4) के अन्तर्गत राज्यवार नियतन इस शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध की गई कुल धनराशि : 33.0 लाख रुपये

1. असम	4	365
2. अरुणाचल प्रदेश	4	365
3. गोआ	4	365
4. मणिपुर	4	365
5. मिजोरम	3	275
6. नागालैंड	2	180
7. सिक्किम	3.	275
8. त्रिपुरा	2	180
9. पश्चिम बंगाल	7	640
कुल :	33	3010

(ग) घ. 2(4)

शीर्ष घ. 2(4) के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रवार नियतन इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 7.0 लाख रुपये

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	275
2. दादर एवं नगर हवेली	2	180
3. लक्षद्वीप	2	180
कुल :	7	635

विवरण 2

क्र० सं०	राज्य/एजेंसी		वर्ष 1992-93 के लिए नियतन	
			वास्तविक	वित्तीय (रुपये)
1	2		3	4
1.	आंध्र प्रदेश (नेडकैप)	पारिवारिक सौर कुकर	1000	1,50,000
2.	असम (असम कोआपरेटिव मार्किटिंग फेडरेशन लि०)	"	50	7,500
3	बिहार (बी०आर०ई०डी०ए०)	"	200	30,000
4.	दिल्ली (डी०ई०डी०ए०)	"	2000	3,00,000
5.	गुजरात	"	4000	6,00,000
6.	हिमाचल प्रदेश (हिम ऊर्जा)	"	3000	4,50,000
7.	हरियाणा (एच०एस०सी०एस०टी०)	"	3000	4,50,000
8.	जम्मू एवं कश्मीर	"	700	1,05,000
9.	केरल (ए०एन०ई०आर०टी०)	"	550	82,500
10.	कर्नाटक (के०एस०सी०एस०टी०)	"	550	82,500
11.	मध्य प्रदेश एम०पी०यू०वी०एन०)	"	8000	12,00,000
12.	महाराष्ट्र (एम०ई०डी०ए०)	"	3500	5,25,000
13.	उड़ीसा (ओ०आर०ई०डी०ए०)	"	400	60,000

1	2		3	4
14.	पंजाब (पी०ए०आई०सी०)	पारिवारिक सौर कुकर	3000	4,50,000
15.	राजस्थान (आर०एस०ए०आई०सी०)	"	3500	5,25,000
16.	तमिलनाडु (टी०ई०डी०ए०)	"	1000	1,50,000
17.	उत्तर प्रदेश (एन०ई०डी०ए०)	"	4000	6,00,000
18.	पश्चिमी बंगाल	"	700	1,05,000
19.	मणिपुर	"	50	7,500
20.	मेघालय (एम०आर०ई०डी०ए०)	"	100	15,000
21.	नागालैंड	"	50	7,500
22.	त्रिपुरा	"	50	7,500
23.	अंडमान एवं निकोबार	"	50	7,500
24.	अरुणाचल प्रदेश	"	50	7,500
25.	दादर नगर हवेली	"	50	7,500
26.	गोआ (आर०डी०ए०)	"	200	30,000
27.	चंडीगढ़ (डी०आई०सी०)	"	50	7,500
28.	लक्ष्यदीप	"	50	7,500
29.	पांडिचेरी (डी०आर०डी०ए०)	"	50	7,500
30.	मिजोरम	"	50	7,500
31.	सिक्किम	"	50	7,500
	कुल :		40,000	60,00,000

विवरण 3

प्रणालियों की राज्यवार मांग

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव						
		एस एल एस	सी एल एस	सी टी वी	डी एल एस	एस एल	डब्ल्यू पी एस	एस पी पी के डब्ल्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश (एन ई डी सी ए पी)	50	40	40	100	1000	30	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	308	—	1	43	325	—	8
3.	असम (ए एस टी ई सी)	6	4	4	20	30	—	1
4.	बिहार (बी आर ई डी ए)	75	—	—	200	1500	15	7.5
5.	गोआ	6	4	4	20	30	—	1
6.	गुजरात							
7.	हरियाणा (एच एस सी एवं टी)	106	—	4	2	797	—	2
8.	हिमाचल प्रदेश (एच आई एम यू आर जे ए)	23	—	—	200	700	15	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9
9. जम्मू एवं कश्मीर (जे एण्ड के ई डी ए, एस एंड टी डी)	40	10	2	400	500	2	6
10. कर्नाटक	—	—	5	2	—	10	2.5
11. केरल (ए एन ई आर टी)	100	—	17	450	200	2	2
12. मध्य प्रदेश							
एम पी यू वी एन	200	—	—	—	400	5	5
एम पी ई बी	1000	—	—	—	—	—	10
13. महाराष्ट्र (एम ई डी ए)	—	—	—	—	1500	1	18
14. मणिपुर (डी एस टी एंड ई)	—	—	—	—	550	8	4
15. मेघालय (एम एन आर ई डी ए)	—	—	—	—	200	—	10
16. मिजोरम (पी एंड ई डी)	53	—	2	142	50	—	—
17. नागालैंड							
18. उड़ीसा (ओ आर ई डी ए)	300	10	40	150	100	15	8
19. पंजाब (पी ई डी ए)	50	—	5	20	300	12	10
20. राजस्थान (आर ई डी ए)	104	—	10	—	—	—	—
21. सिक्किम							
22. तमिलनाडु							
टी ई डी ए	—	—	—	—	—	—	—
टी एन ई बी	180	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा (डी एस टी)	—	30	25	30	200	28	—
24.	उत्तर प्रदेश (एन ई डी ए)	—	—	—	15000	5000	50	50
25.	पश्चिमी बंगाल (डी एस टी डब्ल्यू बी)	100	—	16	—	600	40	5
26.	अंडमान निकोबार	—	10	—	—	—	5	—
27.	चंडीगढ़ (पी ई डी ए)	20	—	2	5	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली							
29.	दमन एवं द्वीव							
30.	दिल्ली							
31.	लक्षद्वीप							
32.	पांडिचेरी							
	कुल :	2721	108	180	16784	13982	238	200
	कुल : के डब्ल्यू एस	190	23	38	587	140	87	200
	महा योग				1265 के डब्ल्यू पी			

एस एल एस : सड़क रोशनी प्रणालियां (70 वाट)

सी ए एस : सामुदायिक रोशनी प्रणालियां (210 वाट)

सी टी वी : सामुदायिक टेलीविजन/ रोशनी प्रणालियां (210 वाट)

डी ए एस : घरेलू रोशनी प्रणालियां (35 वाट)

डब्ल्यू : प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां (360 वाट)

एस एल : सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन (10 वाट)

एस पी पी : लघु प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (क्षमता कि०वा० में)

विवरण-4

क्रम सं०	प्रणालियां	संख्या
1.	औद्योगिक और जलतापन प्रणालियां	97
2.	सौर वायु तापन प्रणालियां	2
3.	सौर भभके	399
4.	सौर कुकर	769

विवरण-5

सौर प्रकाशवोल्टीय के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य की उपलब्धियां

1. गांवों में सड़क रोशनी	950
2. सौर जल पंपन प्रणालियां	50
3. सामुदायिक सौर रोशनी प्रणालियां	40
4. घरेलू रोशनी प्रणालियां	100
5. सामुदायिक टेलीविजन	28
6. गांव स्तर के लघु विद्युत संयंत्र	5 (कुल क्षमता 33.6 कि०वा०)

चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए उड़ीसा राज्य को लगभग 20 कि०वा० की कुल क्षमता के साथ सौर प्रकाशवोल्टीय माड्यूल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विकास केन्द्र

278. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनुपात में धीमी वृद्धि के परिणाम-स्वरूप "फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" ने सरकार से गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विकास केन्द्र शुरू करने के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) "टुवार्ड्स रूरल प्रोसपेरिटी" शीर्षक एक पत्र/दस्तावेज में "फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीने विकास केन्द्र की अवधारणा को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य-कलापों को सहायता देने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके 65 विकास केन्द्रों का चयन पहले ही कर लिया है। 28 केन्द्रों के संबंध में परियोजना रिपोर्टों के

कार्यान्वयन को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। अनुमोदित केन्द्रों को 44.00 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है।

परती भूमि विकास

279. श्री आर्क फर्नाण्डीज़ :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि के लिए राज्य स्तरों पर सशक्त केन्द्रीय एजेंसियां बनाने पर बल देने का है;

(ख) क्या गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठन परती भूमि विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई भूमिका निभा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों को कोई सहायता उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1989-90	295.95
1990-91	535.19
1991-92	521.304
कुल :	1352.444

[हिन्दी]

भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए की गई निधि को अन्य कार्यों पर खर्च करना

280. श्री छेदी राम ओंगड़े : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल के गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए मिली निधि अन्य कार्यों पर खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार भोपाल गैस पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त निधि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

281. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें से कितना प्राप्त किया गया है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान साधन के अभाव में छोड़े गए गांवों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए राज्य को कितना धन आवंटित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गुजरात में डांग, कच्छ, जामनगर के मिनी मिशन जिलों और धर्मपुर तालुका में पेयजल सप्लाई हेतु योजनाएं तथा पानी से फ्लोराइड को दूर करने और खारापन समाप्त करने तथा जल सकत्रीकरण ढांचों के निर्माण की योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) समस्त ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराना।

(2) सभी "बिना जल स्रोत" वाली बस्तियों और बसावटों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना।

(3) आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों में पानी की सप्लाई के स्तर को बढ़ाना।

(4) अधिक फ्लोराइड को दूर करने, खारेपन पर नियन्त्रण पाने और जल संरक्षण, जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु योजनाएं।

(घ) "बिना जल स्रोत" वाले गांवों को कवर करने के साथ-साथ आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों में पानी की सप्लाई के स्तर को बढ़ाने के लिए 1989-90 से 1991-92 तक गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को 51.17 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

विवरण

योजना का नाम	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान कवर किए गए गांवों की संख्या
1. मिनी मिशन		
डांग	254	57
जामनगर	205	156
कच्छ	98	85
धर्मपुर	237	51

2. उप मिशन

	अनुमोदित संयंत्रों की संख्या	अभी तक शुरू किए गए संयंत्रों की संख्या
फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र	11	4
खारापन दूर करने के संयंत्र	12	11

	स्वीकृति राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)
जल सकन्नीकरण ढांचे	3.16	2.69

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में प्रवेश हेतु आयु सीमा

282. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में प्रवेश हेतु आयु की उच्च सीमा में छूट 35 वर्ष तक करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

283. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री शरद दिघे :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आए थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान "दक्षेश" (सार्क) देशों के आपसी हितों के किसी मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) आगामी "दक्षेश" शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची क्या है और यह कहां तथा कब तक आयोजित किया जायेगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) श्रीलंका के राष्ट्रपति महामान्य श्री रणसिंघे प्रेमदास ने सार्क के छठे शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से 1 से 3 अक्तूबर 1992 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श के लिए उपयोगी अवसर मिला। जहां तक द्विपक्षीय बातचीत का सम्बन्ध है, श्रीलंका के जातीय मसले, भारत से श्रीलंका के शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन और दोनों देशों के मछेरों की व्यावहारिक समस्याओं तथा साथ ही व्यापार, उद्योग, संस्कृति इत्यादि में द्विपक्षीय सहयोग जैसे मसलों पर बातचीत हुई ।

(ग) जी, हां । राष्ट्रपति प्रेमदास की यात्रा के दौरान सार्क देशों के सामान्य हित-चिन्ता से संबद्ध मसलों जैसे गरीबी उन्मूलन, सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था, आतंकवाद के दमन के लिए सहयोग इत्यादि पर विचार-विमर्श किया गया ।

(घ) "गरीबी उन्मूलन" के बारे में, जिसके लिए सार्क के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय आयोग की स्थापना

की गई है, प्रधानमन्त्री ने वायदा किया कि वे आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया यथासमय सूचित कर देंगे। सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था के बारे में, जिस पर एक देश को आपत्तियां हैं, प्रधानमन्त्री ने कहा कि भारत सर्वसम्मति के पक्ष में है। जहां तक आतंकवाद का संबंध है राष्ट्रपति प्रेमदास ने इस बात की सराहना कि 1988 में सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थित सार्क अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिए भारत अपनी संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में समर्थकारी कानून पारित करने का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह महत्वपूर्ण है कि जब भी व्यवहार्य हो सार्क के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की बिना किसी नियत कार्यसूची के अनौपचारिक बैठकों को प्रोत्साहित किया जाए।

(ङ) सार्क का सातवां शिखर सम्मेलन ढाका में 12 से 14 दिसम्बर, 1992 तक होगा। उम्मीद है कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्क शिखर बैठकों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक तथा कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाने से सम्बद्ध सिफारिशों पर विचार करने के अलावा 1993 को सार्क विकलांग वर्ष के रूप में मनाने से सम्बद्ध कार्ययोजना पर भी विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

285. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राम कृष्ण कुसमरिया :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान देश में राज्यवार कितनी तम्बाकू का उत्पादन किया गया और इस समय इसका कितना भण्डार है;

(ख) 1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने मूल्य की तम्बाकू का निर्यात किया गया; और

(ग) इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए तम्बाकू उत्पादन के राज्यवार आंकड़े केवल कुछ राज्यों के ही उपलब्ध हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	1991-92 (अनन्तिम मिलियन कि०ग्रा०)
1	2
आंध्र प्रदेश	210.0

1	2
कर्नाटक	46.0
गुजरात	200.0
तमिलनाडु	8.6
पश्चिम बंगाल	9.0

(स्रोत : तम्बाकू बोर्ड)

मौजूदा स्टाक के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए तम्बाकू का मूल्य 342.69 करोड़ रुपए (145.25 मिलियन अमरीकी डालर) है जबकि लक्ष्य 325.18 करोड़ का (138.49 मिलियन अमरीकी डालर) रखा गया था।

(ग) देशों के नाम हैं :—

ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, आइरिश आर० ई० पी०, नीदरलैंड, यूनान, इटली, स्विटजरलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, रूस, पोलैंड, सऊदी अरब, इजरायल, यमन, जार्डन, दुबई, बहरीन, कुवैत, बंगलादेश, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, मालदीव, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपीन्स, चीन, उत्तरी कोरिया, मिश्र, लीबिया, जिम्बावी, सेनेगल, तंजानिया, मोजाम्बिक, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, पपुआ न्यू गीनिया और निकारागुआ आदि।

अफगानिस्तान में भारतीय

286. श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री बी० वेंकटेश्वर राव :
श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में हाल में भारतीयों पर हमलों के पश्चात वहां से भारत आने वाले भारतीय मूल के अफगान नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अफगानिस्तान को उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है;

(घ) क्या सरकार ने उस देश को उनकी वापसी तथा अफगानिस्तान से भारत की ओर आने वाले इन लोगों के प्रवाह को नियमित करने के प्रश्न को अफगानिस्तान के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) 1 अप्रैल, 1991, 1 अप्रैल, 1992 और 1 अक्तूबर, 1992, को अफगानिस्तान में कितने भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जून से 25 अक्तूबर, 1992 तक 15,568 अफगान राष्ट्रिक भारत आए।

(ख) सरकार भारतीय मूल के अफगान राष्ट्रिकों के कुछ प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाए हुए है और जरूरत होने पर आवश्यक समझी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता देगी।

(ग) से (च) सरकार उम्मीद करती है कि ये अफगान राष्ट्रिक, जिन्होंने अस्थायी तौर पर भारत में शरण ली हुई है, स्थिति के ठीक होते ही जल्दी से जल्दी वापस लौट जाएंगे। इस संबंध में भारत सरकार अफगान सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। अफगान प्राधिकारियों ने भारतीय मूल के अफगान राष्ट्रिकों की सम्पत्ति और जीवन रक्षा के लिए सभी सम्भव कदम उठाने में तत्परता व्यक्त की है।

(छ) हमारे राजदूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार अफगान में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या 1 अप्रैल, 1991, 1 अप्रैल, 1992 और 1 अक्तूबर, 1992 के अनुसार क्रमश: 125, 118 और 21 थी।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में सीमेंट कारखाने

287 **श्री राम बदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ सीमेंट कारखाने स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखानों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक कारखाने में होने वाले निवेश तथा इसकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) असम में सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की बोकाजन सीमेंट फैक्टरी की क्षमता बढ़ाकर 2 लाख मी० टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है जिनमें त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के स्पिलिट ग्राइंडिंग एकक शामिल हैं।

(ख) त्रिपुरा तथा मिजोरम में ग्राइंडिंग एकक हेतु स्थान को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ग) त्रिपुरा में ग्राइंडिंग एकक कुमारघाट, जिला नार्थ त्रिपुरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और मिजोरम में बैराबी, जिला आइजोल में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 81.80 करोड़ रु० (आधार सितम्बर, 91) की कुल परियोजना लागत में से त्रिपुरा में 8.47 करोड़ रु० मिजोरम में 8.24 करोड़ रु० तथा अरुणाचल प्रदेश में 7.77 करोड़ रु० का पूंजी-निवेश किया जाएगा। बकाया राशि बोकाजन (असम) में निवेश की जाएगी। प्रत्येक ग्राइंडिंग एकक की उत्पादन क्षमता 0.5 लाख मी० टन प्रति वर्ष होगी। बकाया राशि बोकाजन में ही लगाई जाएगी।

[अनुवाद]

विज्ञान और अनुसंधान के लिए धनराशि का आवंटन

288. श्री सलिल चरण तोमर :
श्री जनार्दन मिश्र :
डा० असीम बाला :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री के० प्रधानी :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
डा० सुधीर राय :
श्री सैयद मसूदल हुसैन :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए धनराशि का आवंटन कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण कुछ परियोजनाएं छोड़ देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार का इस कार्य हेतु और अधिक धनराशि का आवंटन करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए योजना आवंटन में बढ़ोत्तरी का रुख है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए योजना आवंटन लगभग 9180 करोड़ रुपए है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्सम्बद्ध आवंटन 4063 करोड़ रुपए था।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर हमेशा बल दिया गया है। नई परियोजनाओं को उन की प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार की विकास दर

289. श्री लाल बाबू राय : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की विकास दर अन्य राज्यों की विकास दर की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार समेकित विकास दर क्या थी; और

(घ) बिहार की विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88 से 1990-91 के लिए स्थिर कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा अखिल भारतीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद की राज्यवार वार्षिक विकास दरों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, उद्योग तथा उद्यमशीलता के ऐतिहासिक असमान विकास तथा वर्षा एवं उत्तरवर्ती सूखा तथा बाढ़ में अन्तर दर साल भिन्नताओं जैसे विभिन्न कारणों से राज्यों में विकास दरें अलग-अलग होती हैं।

(घ) बिहार सरकार विकास दर बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए निवेश शामिल हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए सीधे रोजगार तथा आय सृजन करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ऐसे विकासात्मक कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान पुनः लागू किए जाएंगे।

विवरण

पिछले वर्ष के पश्चात स्थिर कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन

क्रम सं०	राज्य/संघ रा० क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90 (पी०)	1990-91 (क्यू०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9.19	17.25	2.91	3.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.52	11.47	—2.35	9.66
3.	असम	5.50	2.02	6.32	7.53
4.	बिहार	—6.03	11.60	—0.53	11.05
5.	गोआ	6.45	21.60	2.62	0.37
6.	गुजरात	—11.88	43.16	1.70	3.56
7.	हरियाणा	—2.07	24.34	0.72	8.53
8.	हिमाचल प्रदेश	0.21	8.50	10.81	3.36
9.	जम्मू व कश्मीर	—10.92	15.24	—4.17	—
10.	कर्नाटक	7.40	7.94	5.85	—0.94
11.	केरल	3.94	8.95	5.23	7.25
12.	मध्य प्रदेश*	15.90	9.34	0.99	12.78
13.	महाराष्ट्र	6.91	10.22	13.75	4.67
14.	मणिपुर	5.98	5.25	0.20	7.18
15.	मेघालय	9.05	4.21	8.00	4.12
16.	नागालैंड	10.77	9.72	9.76	9.63
17.	उड़ीसा	—1.44	14.95	7.53	0.14
18.	पंजाब	5.05	5.15	7.70	4.20
19.	राजस्थान	—6.93	38.57	—3.10	15.61

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	20.63	6.78	—	—
21.	तमिलनाडु	6.27	4.15	7.18	—0.21
22.	त्रिपुरा	12.01	9.27	6.25	—
23	उत्तर प्रदेश	3.78	10.47	2.86	4.87
24.	पश्चिमी बंगाल	7.43	5.48	4.72	3.69
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	6.36	9.12	0.13	—11.73
26.	दिल्ली	8.96	8.75	8.60	—
27.	पांडिचेरी	4.74	0.70	2.04	5.49
	अखिल भारत (निवल राष्ट्रीय उत्पाद)	3.76	11.01	6.03	5.83

— सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों के लिए स्थिर कीमतों पर (1980-81) निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों से विकास दरें तय की जाती हैं, जो स्थिर (1970-71) की कीमतों पर हैं। मध्य प्रदेश के अनुमान अन्य राज्यों से तुलनीय नहीं है। मिजोरम स्थिर कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तैयार नहीं करता है और इसीलिए उसे उपर्युक्त तुलना में छोड़ दिया गया है।

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, अखिल भारत आय (कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद) के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग

290. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और वेनेज्युएला के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। भारत गणराज्य की सरकार और वेनेज्युएला गणराज्य की सरकार के बीच वैज्ञानिक सहयोग सम्बन्धी एक समझौता ज्ञापन पर कराकस में 3 अप्रैल, 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित की व्यवस्था है :—

(क)— तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों

— संगठनात्मक और प्रबन्ध मामलें

— दोनों देशों में विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं सम्बन्धी सूचना का आदान-प्रदान।

(ख) विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों में विशेषज्ञों, तकनीशियनों, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों का आदान-प्रदान।

(ग) सहमति के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और अनुसंधान फेलोशिप प्रदान करना,

(घ) संयुक्त अनुसंधान कार्य करना और

(ङ) दोनों सरकारों के बीच सहमत अन्य प्रकार का तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

291. श्री मदन लाल खुराना :
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान चाय के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान आज तक कितनी चाय का निर्यात किया गया तथा निर्यात की गई चाय का मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा चाय के निर्यात में हुई कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान अप्रैल से सितम्बर, 1992 तक 381.81 करोड़ रु० मूल्य की 68.52 मि० कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1991-92 की इसी अवधि के दौरान 570.32 करोड़ रुपए मूल्य की 102.87 मि० कि० ग्राम चाय का निर्यात किया गया था।

(ग) सरकार विभिन्न देशों को उद्योग प्रतिनिधिमण्डल भेजकर चाय निर्यात के बाजारों के विविधीकरण को प्रोत्साहन दे रही है। रूस सहित सी० आई० एस० के कुछ देशों के साथ व्यापार संबंध भी किए गए हैं। अपनी चाय की गुणवत्ता और प्रतियोगिता क्षमता का उल्लेख करते हुए अन्य देशों को भी बड़ी मात्रा में भारतीय चाय खरीदने के लिए राजी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों को आवश्यक वस्तु का कोटा

293. श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री के० वी० तंगकाबालू :
श्री एन० जे० राठवा :
श्री अशोक आनन्द राव देशमुख :
श्री पी० सी० थामस :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :
श्री एस० एम० लेकारिया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक प्रत्येक राज्य को चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त वस्तुओं की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त वस्तुओं में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो प्रत्येक मद में कितनी वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) . (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 1992 में चावल, गेहूं, लेवी चीनी, खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा का विवरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) राज्यों को 1992-93 के 9 महीनों (अप्रैल—दिसम्बर, 92) में चावल, गेहूं, खाद्य तेल, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा का विवरण संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) से (छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं में खाद्यान्न के आबंटन के लिए बढ़ी हुई

मांगें राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। केन्द्रीय भण्डार में स्टाक, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त मांग, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पारस्परिक जरूरतों और मौसमी हालात को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटन किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं तो कमी पूरी करने के लिए होती हैं, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की समस्त मांग पूरा करने का उद्देश्य नहीं होता।

विवरण-1

आंकड़े हजार मी० टनों में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	167.1	1704.3	326.2	7.1	585.5
अरुणाचल प्रदेश	8.4	104.0	4.1	0.3	9.3
असम	275.0	466.2	124.1	0.7	246.7
बिहार	597.4	247.1	431.7	4.5	469.3
गोवा	38.9	55.4	6.5	1.5	27.6
गुजरात	780.3	330.4	208.9	7.2	777.8
हरियाणा	198.8	35 4	82.4	1.8	151.0
हिमाचल प्रदेश	120.0	76.7	26.0	2.0	37.6
जम्मू व कश्मीर	238.0	428.0	37.3	2.1	64.1
कर्नाटक	326.0	754.5	229.2	8.4	456.7
केरल	312.0	1780.0	154.2	5.0	265.0
मध्य प्रदेश	501.0	423.4	322.9	4.6	381.5
महाराष्ट्र	1215.0	780.0	386.2	10.0	1482.4
मणिपुर	33.7	88.7	9.0	1.1	20.7
मेघालय	24.3	118.0	8.4	0.9	15.2
मिजोरम	13.3	100.5	3.4	0.9	6.6
नागालैंड	25.8	90.3	5.5	1.2	10.2

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	257.5	391.3	159.9	4.5	158.5
पंजाब	132.5	17.7	102.5	2.1	319.3
राजस्थान	1083.0	46.2	218.2	2.6	265.1
सिक्किम	7.1	54.0	2.1	0.5	7.4
तमिलनाडु	287.0	828.8	290.9	1.5	656.3
त्रिपुरा	24.3	222.9	12.9	0.7	20.8
उत्तर प्रदेश	713.8	414.8	682.8	4.5	909.2
पश्चिम बंगाल	1001.0	899.1	334.0	3.0	733.8
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.4	20.5	3.2	0.5	4.1
चण्डीगढ़	21.4	3.7	4.8	0.3	20.9
दादरा व नगर हवेली	2.4	5.9	0.7	0.2	3.1
दमण व दीव	1.7	5.9	0.5	0.4	2.9
दिल्ली	856.8	236.0	112.2	5.1	238.5
लक्षद्वीप	0.2	6.3	0.9	0.3	0.9
पांडिचेरी	9.0	23.6	5.1	1.0	14.8
योग :	9281.1	10759.8	4296.7	86.5	8362.6

विवरण-2

आंकड़े हजार मी० टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	109.1	1324.3	246.5	4.1	439.1
अरुणाचल प्रदेश	6.3	76.0	3.1	0.2	7.0

1	2	3	4	5	6
असम	190.0	360.9	93.8	0.3	185.0
बिहार	455.1	202.1	326.3	1.5	351.2
गोवा	28.7	40.9	4.9	0.9	20.3
गुजरात	580.0	246.4	157.9	4.2	572.7
हरियाणा	91.8	26.4	62.3	0.6	112.3
हिमाचल प्रदेश	90.0	57.2	19.7	1.0	27.4
जम्मू व कश्मीर	180.0	323.2	28.2	1.1	46.5
कर्नाटक	225.0	593.5	173.3	4.0	332.8
केरल	225.0	1330.0	116.6	5.0	198.8
मध्य प्रदेश	399.5	340.4	244.1	2.2	281.2
महाराष्ट्र	874.0	523.0	291.9	4.0	1100.5
मणिपुर	26.0	67.7	6.8	0.7	15.5
मेघालय	18.0	85.5	6.4	0.5	11.3
मिजोरम	10.0	77.5	2.5	0.5	4.5
नागालैंड	11.8	63.0	4.2	0.6	7.5
उड़ीसा	185.0	316.3	120.8	1.0	116.6
पंजाब	60.0	13.2	77.5	0.7	239.4
राजस्थान	860.5	35.2	164.9	0.7	195.3
सिक्किम	5.4	40.5	1.6	0.2	5.6
तमिलनाडु	200.0	619.8	219.9	1.5	491.5
त्रिपुरा	18.0	174.0	9.8	0.3	15.6
उत्तर प्रदेश	509.8	326.8	516.1	1.5	680.0
पश्चिम बंगाल	740.0	690.1	252.4	0.0	550.3
अंडमान व निकोबार	6.3	16.0	2.4	0.3	3.3
चण्डीगढ़	16.2	2.6	3.0	0.1	15.7

1	2	3	4	5	6
दादरा व नगर हवेली	1.8	4.4	0.5	0.1	2.3
दमण व दीव	1.3	4.4	0.4	0.2	2.2
दिल्ली	648 0	176.0	84.7	2.1	175.1
लक्षद्वीप	0.2	6.3	0.7	0.1	0.7
पांडिचेरी	6.8	17.6	3.9	0.4	10.9
योग :	6779.6	8181.2	3247.7	40.6	6218.1

भोपाल गैस पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

294. श्री शरद यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि वितरित की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) कल्याण आयुक्त द्वारा कुल 514 मामलों का निर्णय किया गया। कल्याण आयुक्त द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार संवितरण करने से पहले 60 दिनों की अवधि बीत जानी चाहिए। दी गई क्षतिपूर्ति की राशि रु० 2.18 करोड़ रुपए है।

स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन

295. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन हेतु किए गए उपाय/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल में अल्कोहल का प्रयोग करने हेतु सरकार को संसद सदस्यों की ओर से अनेक पत्र/आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अक्षय एवं पारम्परिक ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, पवन तथा लघु जल विद्युत प्रदूषणकारी नहीं हैं। इनसे उत्पन्न ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कहा जा सकता है। नयी दिल्ली में दिनांक 29-10-92 को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रियों के दूसरे सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने पर बल दिया ताकि प्रदूषण को बढ़ाए बिना ऊर्जा की आवश्यकता को अधिकतम सम्भाव्य सीमा तक पूर्ण किया जा सके।

(ख) सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों एवं सुविधाओं को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें उपयोग करने के लिए कई राज्य सरकारों ने स्वतंत्र नोडल ऊर्जा एजेंसियां स्थापित की हैं। इन ऊर्जा एजेंसियों तथा नए और अक्षय ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों में कार्यरत अन्य संस्थाओं द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में प्रोत्साहन, विकास, प्रदर्शन एवं प्रसार गतिविधियां आरंभ की जा रही हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में निर्माताओं एवं प्रयोगकर्ताओं को वित्तीय सुविधाएं जैसे आर्थिक सहायता, आसान शर्तों पर ऋण तथा मूल्यह्रास भत्ता एवं बिक्री कर, उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क में छूट के रूप में राजवित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रचार एवं जागरूकता सम्बन्धी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

(ग) एक संसद सदस्य ने प्रधानमन्त्री महोदय को परिवहन क्षेत्र हेतु इथनाल के अधिक प्रयोग का सुझाव दिया है, जिससे कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के अलावा चीनी उद्योग की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सकेगा।

(घ) कारों/जीपों में प्रयोग के लिए 90% पेट्रोल में 10% निर्जल परिवर्तित इथनाल मिलाकर प्रदर्शन के रूप में उपयोग करने के लिए आजकल आटोमोबाइल बेड़ों के प्रबोधन में अल्कोहल ईंधन का स्थानापन्न प्रदर्शन परीक्षण नामक एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रयोग एवं प्रदर्शन को सुविधा से चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन एवं इण्डियन आयल कारपोरेशन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) के साथ सहयोग कर रहे हैं। परिवर्तित इथनाल में पेट्रोल मिलाने एवं भण्डारण के लिए मालरोड, दिल्ली पर दिल्ली प्रशासन के पेट्रोल पम्प पर मूलभूत अवसंरचना का निर्माण किया जा चुका है। फील्ड परीक्षण शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन तेल समन्वय समिति फिलहाल 3% मेथानाल मिले पेट्रोल के प्रयोग पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय भूतल परिवहन हेतु स्थानापन्न ईंधन पर अपने कार्यक्रम के तहत दिल्ली परिवहन निगम की डीजल बसों में इथनाल और मेथानाल के प्रयोग पर पहले ही दो परीक्षण प्रचालन तथा प्रदर्शन कर चुका है, जिनमें लगभग 14% डीजल का प्रतिस्थापन तथा लगभग 30% धुएं के निकलने में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है।

पासपोर्ट जारी करना

296. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री वी० धनंजय कुमार :
डा० असीम बाला :
श्री सुखेन्दु खां :
श्री अन्नूभाई देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1992 से अब तक, पासपोर्ट कार्यालय-वार पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के लिए हाल में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार आवश्यकतानुसार समय-समय पर नए मार्गनिर्देश जारी करने के लिए प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनरीक्षण करती है । हाल ही में जारी मार्गनिर्देशों में नामजद डाकघरों के जरिए पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री, सभी देशों के लिए पासपोर्टों को वैध बनाना और विविध सेवाओं तथा डुप्लीकेट पासपोर्टों की कार्यविधि को सुव्यवस्थित बनाना शामिल है ।

(घ) और (ङ) सरकार पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की समीक्षा कर रही है । इस समीक्षा में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालय खोलने की आवश्यकता, उन्हें अग्रता के आधार पर किस स्थान पर खोला जाए तथा आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय तथा श्रम संसाधनों की उपलब्धता ।

विवरण

1 जुलाई से 6 नवम्बर, 1992 तक प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या और 1 जुलाई से 6 नवम्बर, 1992 तक जारी पासपोर्टों की कुल संख्या

	प्राप्त आवेदन	जारी किए गए
1　2	3	4
1. अहमदाबाद	39,374	41,056
2. बंगलौर	31,860	44,556
3. बरेली	25,958	27,040
4. भोपाल	9,083	10,652
5. भुवनेश्वर	3,817	2,731
6. बम्बई	87,350	94,335

1 2	3	4
7. कलकत्ता	20,988	15,072
8. चंडीगढ़	27,565	24,063
9. कोचीन	54,809	1,08,482
10. दिल्ली	48,063	39,397
11. गोवा	6,808	6,901
12. गुवाहाटी	2,921	2,283
13. हैदराबाद	63,378	96,324
14. जयपुर	30,623	40,752
15. जालंधर	29,480	26,099
16. कोजीकोड	81,090	60,714
17. लखनऊ	45,339	33,642
18. मद्रास	44,414	42,979
19. नागपुर	5,114	5,127
20. पटना	21,052	12,370
21.	63,987	44,929
22. त्रिवेन्द्रम	48,655	31,681

महाराष्ट्र में खोई आधारित अखबारी कागज एकक

298. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के शोलापुर-जिला स्थित नीमगांव में खोई आधारित अखबारी कागज एकक की स्थापना के लिए अगस्त, 1990 में आशय पत्र जारी किए गए थे किन्तु उन्हें अब तक स्थापित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह एकक कब तक स्थापित कर लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मै० वैस्टर्न महाराष्ट्र विकास निगम को नीमगांव, तहसील माधा, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र में कच्चे

माल के रूप में खोई के प्रयोग पर आधारित 1.15 लाख मी० टन की क्षमता के लिए एक नई अखबारी कागज यूनिट लगाने के लिए अगस्त, 1990 में एक आशय पत्र दिया गया था। राज्य सरकार ने अब मै० ओरियन्ट पेपर इन्डस्ट्रीज लि० के साथ सहयोग करके सहायता प्राप्त क्षेत्र में परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है और महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम, मै० वेस्टर्न महाराष्ट्र विकास निगम और मै० ओरियन्ट पेपर इन्डस्ट्रीज लि० के बीच 24 जून, 1992 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अखबारी कागज और लिखने एवं छपाई दोनों कागज के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 1.35लाख मी० टन की एक उच्चतर क्षमता हेतु परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के शीघ्र चालू होने की आशा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

299. डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) इन शेयरों को बेचने में दलालों तथा बिचौलियों की भूमिका क्या है; और

(ग) निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा शेयर हथियाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या सावधानियां बरती गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) 1992-93 में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के अनिवेश के प्रथम चरण के लिए खुली निविदा की प्रणाली अपनाई गई। न केवल संस्थानों बल्कि व्यक्तियों से निविदा आमन्त्रित करने से सम्बन्धित सूचना हिन्दी व अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी जिसमें मोहरबन्द बोलियां आमंत्रित की गई थीं। उन वैध सफल बोली लगाने वालों को शेयर बेचे गए थे जिनका प्रस्तावित मूल्य संदर्भ मूल्य से अधिक था।

(ख) और (ग) (क) में उल्लिखित अपनाई गई प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केपरोलेक्टम का उत्पादन

300. प्रो० के० वी० थामस :
श्री पी० सी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैपरोलेक्टम का कुल उत्पादन कितना है और इसकी खपत कितनी है;

(ख) कैपरोलैक्टम का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क में कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क में कमी से फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर, केरल पूरी तरह प्रभावित हुआ है;

(च) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के गोदामों में कितना कैपरोलैक्टम पड़ा है; और

(छ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में कैपरोलैक्टम का उत्पादन, खपत और आयात निम्नानुसार है :—

(टनों में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	आयात
1990-91	26,300	84,200	49,400
1991-92	46,400	77,400	14,800
1992-93 (अप्रैल से अक्तू० तक)	30,200	45,200 (अनुमानित)	21,400 (अनुमानित)

(ग) और (घ) 1992-93 के बजट में कैपरोलैक्टम पर आयात शुल्क 80% से घटाकर 50% किया गया था।

(ङ) से (छ) सीमा शुल्क में कमी तथा कैपरोलैक्टम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में क्रमिक गिरावट के कारण फैक्ट को अपने कैपरोलैक्टम का विपणन करने में अभी हाल में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध आयातित कैपरोलैक्टम से तेज प्रतिस्पर्धा के कारण फैक्ट इसे इस के लाभकारी मूल्य से कम पर बेचने को बाध्य है। 31-10-1992 की स्थिति के अनुसार फैक्ट के पास 7880 टन कैपरोलैक्टम का संचित भण्डार है। आयातित कैपरोलैक्टम और उसके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगाए जाने योग्य शुल्क की समीक्षा करने के लिए फैक्ट ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटे/बड़े/मझोले उद्योग

301. श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय सरकारी क्षेत्र के छोटे, बड़े और मझोले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस उद्योगों के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश में हैं। ये उद्यम निम्नलिखित हैं :—

1. नेपा लिमिटेड

2. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०

3. एम० पी० अशोक होटल निगम लि०

4. एन० टी० सी० (मध्य प्रदेश) लि०

5. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

302. श्री नरेश कुमार बालियान :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
प्रो० रीता वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं के निर्यात पर कोई नीति पत्र प्रकाशित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की इच्छुक है। तथापि, सरकार की नीति इस प्रकार से ऐसा करने की है कि आम उपभोक्ता वाली वस्तुओं की आंतरिक उपलब्धता प्रभावित न हो। सरकार ने निर्यात नीति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जोकि एक निरन्तर प्रक्रिया है। इन उपायों को 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्षों के लिए लागू हुई आयात-निर्यात नीति के द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। कृषि वस्तुओं के

निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष उपाय निम्नानुसार हैं :—

(i) अल्पावधि उपाय :

बाजार विकास के लिए योजनाएं, उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, प्रतियोगी कीमतों का निर्धारण, बाजार आसूचना, अवस्थापना का विकास, बाधाओं को हटाना तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण।

(ii) दीर्घावधि उपाय

उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना, नए बाजारों में प्रवेश, उत्पाद विकास, निर्यातोन्मुख संसाधन उद्योगों का संवर्धन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता और छवि में सुधार करना।

[हिन्दी]

गन्दी बस्तियों के निवासियों को स्थायी राशन कार्ड देना

303. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों के सभी निवासियों को स्थायी राशन कार्ड दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उन्हें स्थायी राशन कार्ड अविलम्ब देने के लिए कोई ठोस उपाय करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों को स्थायी राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। झुग्गी वासियों को जारी किए जा रहे कार्डों का रंग अलग है इसके अलावा, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों की हकदारी और इन कार्डों की वैधता अवधि में कोई अन्तर नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी वासियों को कार्ड जारी करना अब एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र में चर्मशोधन शालाएं

304. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की सार्वजनिक क्षेत्र की चर्मशोधन शालाओं का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन चर्मशोधन शालाओं को अपने विस्तार और विकास करने के लिए इन्हें अधिग्रहण करने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में कपड़े की वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कतिपय लाभों पर प्रतिबन्ध

305. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने सितम्बर, 1992 में आयोजित अपनी बैठक में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले कतिपय वित्तीय लाभों पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक सितम्बर, 1992 में नहीं हुई। फिर भी, राष्ट्रीय विकास परिषद की मितव्ययता सम्बन्धी समिति ने मितव्ययता से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें की हैं। निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। उपयुक्त फोरम में निर्णय के बाद ब्यौरे उपलब्ध कराये जाएंगे ।

बर्मिंघम में तिरंगे झंडे का अपमान

306. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालिस्तान समर्थक दलों ने ब्रिटेन में बर्मिंघम में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सहायक उच्चायुक्त के निवास पर तिरंगे झंडे का अपमान किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरो) : (क) जी, हां ।

(ख) बब्बर खालसा और खालिस्तान समर्थक अन्य गुटों के 30 से अधिक सिखों के एक दल ने बर्मिंघम में भारत के सहायक हाई कमिश्नर के आवास पर आयोजित स्वतन्त्रता दिवस समारोह में रुकावट डाली, राष्ट्रीय झंडे को हटाया, गांधी जी और नेहरू के चित्रों को तोड़ा और भारत विरोधी, खालिस्तान के पक्ष में तथा पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। बाद में बर्मिंघम पुलिस ने इनमें से दो को पकड़ लिया ।

सरकार ने ब्रिटेन के प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है जिन्होंने दोषियों को पकड़ने में सहयोग का आश्वासन दिया है और साथ ही हमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का भी वचन दिया है ताकि भविष्य में ऐसी वारदातें न हों।

राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद

307. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्पाद मानकों के आवश्यक पैरामीटर, गुणवत्ता प्रणालियों, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रत्यायन निकायों का नियन्त्रण करने के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में एक "राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद" का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिषद का गठन कब तक किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

पारादीप फास्फेट लिमिटेड

308. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप फास्फेट लिमिटेड को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे अर्थक्षम एकक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 31-3-1991 तक पारादीप फास्फेट लि० की संचित हानि 125.02 करोड़ रुपए हो गई थी। हालांकि इसने 1991-92 के दौरान 13.21 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ (अस्थायी) दर्ज किया है। ये हानियां मुख्यतः फास्फोरिक एसिड तथा अमोनिया की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण निम्न क्षमता उपयोग तथा औद्योगिक संबंधों की समस्या के कारण हुई।

(ग) कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता एवं उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त करके मानवशक्ति के सुव्यवस्थीकरण, आर्थिक उपायों तथा पूंजीगत पुनर्रचना की सहायता से कम्पनी को एक व्यवहार्य इकाई बनाया जा सकता है।

हल्दिया एकक का पुनर्स्थापन कार्यक्रम

309. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक वित्त तथा पुनर्निर्माण ब्यूरो को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड के हल्दिया एकक के पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम भेजा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) सरकार ने हल्दिया परियोजना के पुनर्वास का कोई कार्यक्रम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्वास बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को नहीं भेजा है। तथापि, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) के प्रबंधकों ने कम्पनी के सम्बन्ध में बी०आई०एफ०आर० को लिखा है। बी०आई०एफ०आर० ने 12-11-1992 को अपनी सुनवाई में एच०एफ०सी० को रुग्ण कम्पनी घोषित किया है।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए दावा न्यायालय

310. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों हेतु कितने दावा न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) कितने न्यायालयों ने वास्तव में कार्य करना शुरू कर दिया है तथा उनमें से प्रत्येक न्यायालय द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है; और

(ग) बाकी दावा न्यायालय स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा न्यायालय कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए 40 दावा न्यायालय स्थापित करने का न्यायालयों में प्रस्ताव है। 16 न्यायालयों ने पहले ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और अभी तक उनके द्वारा 514 मामलों का निर्णय किया गया है। अपेक्षित संख्या में न्यायिक अधिकारियों की सशक्त के रूप में नियुक्ति की जानी है जिसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है यदि उच्च न्यायालय अपेक्षित संख्या में न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराने में असमर्थ हो तो कल्याण आयुक्त को सेवा निवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन के नवीनतम आंकड़े

311. श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान तथा अक्तूबर, 1992 तक निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : निर्यात, आयात तथा व्यापार भुगतान के आंकड़े, वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा मासिक संबंधी आधार पर एकत्रित किए जाते हैं और अप्रैल-अगस्त, 1992 की अवधि तक के उपलब्ध हैं। भारत रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वित्तीय वर्ष के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा 1991-92 तक की अवधि तक के उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 1991-92 तथा अप्रैल-अगस्त 1992 के दौरान के निर्यात, आयात, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य : करोड़ रु० में)

	1991-92	1992-93 (अप्रैल-अगस्त, 92)
(1) निर्यात	43978	19985
(2) आयात	47813	26562
(3) व्यापार संतुलन	—3835	—6577
(4) चालू खाता घाटा	—6251	—

महासागरीय संसाधनों का दोहन

312. श्री अनंतराव देशमुख :
श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न महासागरीय संसाधनों का दोहन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु प्रौद्योगिकी का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई समझौता किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के भिन्न-भिन्न भागों में सम्भावित सजीव और निर्जीव संसाधनों का योजनाबद्ध सर्वेक्षण, अन्वेषण और मूल्यांकन आरम्भ कर दिया है। मध्य हिन्द महासागर के गहरे समुद्र संस्तर की बहुधात्विक पिण्डिकाओं के वितरण का प्रथम क्रम सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। विलवणन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, तरंग ऊर्जा उपयोग, संभावित मत्स्य क्षेत्रों का निर्धारण और समुद्र से औषधियों और रसायनों की पहचान सम्बन्धी कार्य भी आरम्भ किए गए हैं।

(ख) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, बहुधात्विक पिण्डिकाओं के आगामी अन्वेषण और विदोहन के लिए भारत को मध्य हिन्द महासागर में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का एक खान स्थल आवंटित किया

गया है। पश्चिम तट पर (केरल और महाराष्ट्र) तथा पूर्व तट (तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा) के पास तट-क्षेत्रों में वाणिज्यिक महत्व के भूमि निक्षेपों का पता लगाया गया है। अक्तूबर, 1991 में, विझिंजम में बन्दरगाह पर 150 किलोवॉट के एक तरंग ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। बिलवचन के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए एक योजना भी बनाई जा रही है।

(ग) वर्तमान में प्रौद्योगिकी को आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में पेयजल योजना

313. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कोई नई पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र को लाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण जल सप्लाई व पर्यावरण स्वच्छता जिसमें पौर फल्स शौचालयों खंडंजों, जलमल निकासी हेतु नालों, कूड़ेदानों आदि का निर्माण करना तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, वाली परियोजना एक समन्वित परियोजना है जो अभी भी पूर्व-मूल्यांकन चरण में है जिसकी मूल लागत 251.79 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य में 28 जिलों के 3321 गांवों को शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

सीमेंट की कीमतों में वृद्धि

314. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
प्रो० प्रेम धूमल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज लि० (ए०सी०सी०) ने उत्पादन लागत में बिना किसी संगत वृद्धि के सीमेंट की कीमतों में अनुचित वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान, बाजार मांग, निविष्टि लागत, उत्पाद शुल्क, इत्यादि के कारण सीमेंट के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आया है। हाल के महीनों में मूल्यों में गिरावट देखने में आई हैं। एक अर्ध-न्यायिक निकाय एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग ने एम०आर०टी०पी० अधिनियम की धारा 10 (ख) और धारा 31 के अधीन ए०सी०सी०लि० के विरुद्ध जांच शुरू की है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या कम्पनी ने सीमेंट के मूल्यों में अनुचित वृद्धि की है।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

315. श्री शरद दिघे :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री एस० बी० थोरात :
श्री आर० जीवररत्नम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम सीमा से फालतू जमीन के वितरण, भूमि रिकार्डों का रख-रखाव तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए अक्तूबर, 1992 के दौरान ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण, भूमि रिकार्डों के रख-रखाव और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास के बारे में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 9 अक्तूबर, 1992 को हुआ था।

(ख) सम्मेलन में विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल थे :—

1) ग्रामीण गरीबी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,

2) भूमि सुधार और भूमि रिकार्ड,

3) ग्रामीण रोजगार-जवाहर रोजगार योजना,

4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,

5) ग्रामीण जल सप्लाई,

6) ग्रामीण स्वच्छता,

7) ग्रामीण आवास,

8) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम,

9) बंजर भूमि का विकास।

(ग) मुख्यमंत्रियों ने ग्रामीण विकास के लिए आबंटन को सातवीं योजना में 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आठवीं योजना में 30,000 करोड़ रुपये करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया और सराहना की। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि और भूमि रिकार्डों के अन्य मामलों के बारे में मुख्यमंत्रियों की यह राय थी कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का अधिकांश भाग न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है और उन्होंने चाहा कि न्यायालयों से इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिएं ताकि भूमि ग्रामीण गरीबों में वितरित की जा सके। सम्मेलन में इस बात के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया कि काश्तकारों को वितरित की गई भूमि का सही इस्तेमाल हो और इस प्रयोजन के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाए। मुख्यमंत्रियों को यह परामर्श दिया गया था कि वे भूमि वितरण से सम्बन्धित सभी मुकदमेबाजी के मामलों को निपटाने में विशेष रुचि लें और पहल करें ताकि उनके सफल परिणाम निकल सकें।

राज्य सरकारें सम्मेलन में किए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कदम उठा रही हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी तेल के डिपुओं का आवंटन

316. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन में उचित दर की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं के आवंटन से सम्बन्धित कितने मामले 31 अक्तूबर, 1992 से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 23-11-1992 को उचित दर दुकानों से संबंधित 28 मामले और मिट्टी के तेल के डिपुओं से संबंधित 10 मामले लम्बित पड़े थे। उन्होंने सूचित किया है कि आवंटन को शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आवेदकों तथा उपभोक्ताओं से मिलने वाले अभ्यावेदनों तथा प्रति-अभ्यावेदनों के कारण वे ऐसे मामलों के निपटान के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते।

फांसीसी नेताओं को प्रधान मन्त्री का निमन्त्रण

317. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने फ्रांस की अपनी हाल की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री को भारत की यात्रा पर आने का निमन्त्रण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) ये निमन्त्रण सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं।

बिहार में कुओं की खुदाई के लिए धनराशि

318. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान बिहार में "लाख कुआं योजना" के अन्तर्गत जिलावार कितने कुएं खोदे गए और जवाहर रोजगार योजना निधि से इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : दस लाख कुओं की योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, के अन्तर्गत जिलावार खोदे गए कुओं की संख्या की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, गत दो वर्षों के दौरान बिहार में खोदे गए कुओं की संख्या तथा उन पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	खोदे गए कुओं की संख्या	खर्च की गई राशि
1990-91	17884	6878.67
1991-92	50836	7764.30

सिवनी (म० प्र०) में विकास केन्द्र

319. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार अथवा मध्य प्रदेश के जन प्रतिनिधियों की ओर से सिवनी (म० प्र०) में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) संसद की जिन माननीय सदस्या ने यह प्रश्न उठाया है उन्हीं की ओर से एक प्रस्ताव मिला था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक विकास केन्द्र स्थापित करने को कहा था।

(ख) प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया था कि सिवनी जिला उस राष्ट्रीय

मार्ग पर स्थित है जो जबलपुर से नागपुर की ओर जाता है तथा यह वन और कृषि संसाधनों की दृष्टि से भी समृद्ध है।

(ग) सुनिर्धारित मानदण्डों के आधार पर मध्य प्रदेश को वहां की राज्य सरकार के परामर्श से छह विकास केन्द्र पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया था कि अब उक्त राज्य को और कोई अतिरिक्त विकास केन्द्र आवंटित करना संभव नहीं है।

धनराशि के उपयोग हेतु निगरानी कक्ष

320. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए नियत की गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी और नियन्त्रण रखने के लिए बनाए गए कक्ष की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) राज्य योजनाओं की प्रगति का प्रबोधन आयोग के सम्बद्ध विशेषज्ञता प्राप्त प्रभागों तथा राज्य योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

स्कीमों के कार्यान्वयन, विशेषकर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित स्कीमों के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतें पहले से शामिल हैं। जवाहर रोजगार योजना इसका एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे विकास गतिविधियों में ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक सम्मिलित करें।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

321. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में गत वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी,

नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र किए गए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई, 1992 तक के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से अप्रैल से जुलाई, 1992 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (+) 2.1% की औसत औद्योगिक विकास दर का पता लगता है। अगस्त, 91 से जुलाई, 92 तक की 12 माह की अवधि के आंकड़ों से भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (+) 1.4% की औसत औद्योगिक विकास दर का पता लगता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मितव्ययिता उपायों सम्बन्धी उप-समिति की सिफारिशें

322. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की मितव्ययिता उपायों सम्बन्धी उप-समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप बजट घाटा कितना कम हो जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। उपयुक्त फोरम में एक बार निर्णय लेने के बाद ही कार्यान्वयन का प्रश्न उठेगा।

अनिवासी भारतीय/बहुराष्ट्री कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

323. डा० ओ० एल० कनौजिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति लागू किए जाने के बाद भारत में अनिवासी भारतीयों तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कुल कितना पूंजी निवेश किया; और

(ख) उन औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उन्होंने पूंजी निवेश किया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद किये गये विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि 30 सितम्बर, 1992 तक 336885 लाख रुपए है।

(ख) संलग्न विवरण में उनके द्वारा जिन क्षेत्रों में उक्त पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया है उनका ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

नयी नीति के बाद की अवधि में क्षेत्रवार विदेशी सहयोग के अनुमोदनों के विवरण

(रु० मिलियन में)

अगस्त "91 से सितम्बर" 92

क्र०सं०	उद्योग का नाम	योग	तकनीकी	वित्तीय	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	71	52	19	396.2
2.	ईंधन				
	(क) बिजली	2	—	2	850.6
	(ख) तेल शोधक	4	—	4	12802.5
	(ग) अन्य	21	17	4	55.0
3.	बॉयलर तथा भाप अनित्रण संयंत्र	11	9	2	8.4
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत अनित्रण के अलावा)	—	—	—	—
5.	विद्युत उपकरण	313	197	116	2717.9
6.	दूर-संचार	44	28	16	1306.9
7.	परिवहन	91	66	25	1477.2
8.	औद्योगिक मशीनरी	263	194	69	1127.9
9.	मशीनी औजार	29	19	10	36.8
10.	कृषि मशीनरी	9	7	2	28.3
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	9	6	3	2.0
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	76	51	25	223.5
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	17	12	5	596.9
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	9	3	6	34.2
15.	औद्योगिक उपकरण	45	30	15	47.0

1	2	3	4	5	6
16.	वैज्ञानिक उपकरण	14	6	8	272.3
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्रॉइंग उपकरण	—	—	—	—
18.	उर्वरक	4	3	1	9.9
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	262	187	75	3018.0
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	3	2	1	79.0
21.	रंजक	1	—	1	0.8
22.	औषध तथा भेषज	20	14	6	52.4
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों को छोड़कर)	38	16	22	1142.2
24.	कागज तथा लुगदी-कागज उत्पाद सहित	22	19	3	19.8
25.	चीनी	—	—	—	—
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	6	3	3	24.1
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	72	23	49	3008.4
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	7	2	5	29.9
29.	साबुन, कॉस्मेटिक तथा टॉयलेट प्रिपरेशन	1	1	—	—
30.	रबड़ की वस्तुएं	19	12	7	34.5
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	13	3	10	68.4
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	—	—	—	—
33.	कांच	12	9	3	7.5
34.	सरेमिक्स	32	15	17	243.5
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12	7	5	187.8
36.	टिम्बर उत्पाद	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6
37.	सुरक्षा उद्योग	1	1	—	—
38.	सिगरेट्स	1	—	1	120.0
39.	परामर्शदायी सेवा उद्योग	47	20	27	155.0
40.	विविध उद्योग	134	42	92	3490.7
	योग :	1736	1077	659	33688.5

इलेक्ट्रानिक उत्पादों का निर्यात

325. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से इलेक्ट्रानिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ग) निर्यात हेतु कौन-कौन से नए इलेक्ट्रानिक उत्पादों की पहचान की गई है; और

(घ) आठवीं योजना के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां। निर्यात बाजार का पता लगाने के मुख्य प्रयासों में, इलैक्ट्रोनिकी उद्योग द्वारा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, भारतीय इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करना और संभावित खरीदार देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए संवर्धनकारी निकायों द्वारा प्रायोजित सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

निर्यात की संभावना वाली इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में देश के विभिन्न भागों में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस० टी० पी०) की स्थापना की गई है।

जहां तक इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यात का सम्बन्ध है, भारत सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपनी दिनांक 14-9-92 की अधिसूचना संख्या 42 (एन० 8)/92-97 के जरिए देश में सक्षम इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थापना करने के लिए इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई० एच० टी० पी०) योजना को अधिसूचित किया है, जिसका लक्ष्य अपनी निर्यात की क्षमता को बढ़ाना और एक कार्यक्षम इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास करना होगा।

विवरण

निर्यात की संभावना वाली इलेक्ट्रानिक वस्तुएं

(क) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उपांत उपस्कर तथा सम्बद्ध वस्तुएं

— वैयक्तिक कम्प्यूटर्स (पी०सी०, पी०सी०/एक्स०टी०, पी०सी०/ए०टी०)

— मुद्रक

— फ्लापी डिस्क ड्राइव

— मानीटर

— कुंजी पटल

— मदर बोर्ड, मेमोरी माड्यूल्स

(ख) संघटक पुर्जे तथा सामग्रियां

— कैपेसिटर

— रेजिस्टर

— सेमी-कंडक्टर युक्तियां

— एकवर्णी पिक्चर ट्यूबें (स्क्रीन का आकार 36 सें०मी० तथा 51 सें०मी०)

— रंगीन टी०वी० पिक्चर ट्यूब

— विक्षेपक संघटक पुर्जे (एकवर्णी तथा रंगीन टी०वी० के अनुप्रयोगों के लिए)

— टी०वी० ट्यूनर (समस्वरित्र)

— मुद्रित परिपथ बोर्ड

— चुम्बकीय टेप (श्रव्य/दृश्य)

— फ्लापी डिस्केट

— श्रव्य/दृश्य टेप हाउसिंग

— स्विचें

— श्रव्य टेप डेक मेकेनिज्म

— फेराइट

— स्थाई चुम्बक

— ट्रांसफार्मर

— टेलीस्कोपिक एरियल

— कापर क्लेडिलैमिनेट

— संकर सूक्ष्म परिपथ

— रजतित अभ्रक प्लेटें

— कनेक्टर

(ग) संचार तथा प्रसारण वस्तुएं

— एन्टीना

— उपग्रह संचार उपस्कर

— टेलीफोन उपकरण

— इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई०पी०बी०एक्स०) प्रणालियां

— आर०ए०एक्स० (ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज)

— 2 एम०बी० प्राइमेट्री पी०सी०एम०

— दुतरफा संचार उपस्कर

— टी०वी० प्रसारण उपस्कर

(घ) उपभोक्ता वस्तुएं

— एकवर्णी तथा रंगीन टी०वी० सेट

— श्रव्य प्रणालियां/श्रव्य कैसेट रिकार्डर

— सार्वजनिक संबोधन (पी०ए०) प्रणालियां

— रेडियो (एफ०एम०/ए०एम०) तथा इसके संयोजक

— घड़ियां/दीवार घड़ियां/इनके माड्यूल

— पूर्व रिकार्डित श्रव्य/दृश्य कैसेट

(ङ) कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा परामर्श सेवाएं

(च) इलेक्ट्रानिक उपकरण

— अबाधित विद्युत आपूर्ति

— दुग्ध विश्लेषक

— दोलनदर्शी

— इलेक्ट्रो-चिकित्सीय उपस्कर

— कार्यालय उपस्कर

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

326. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित बोर्ड के कृत्य क्या होंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

उधगमंडलम में सिनेमा का रंगीन पाजीटिव फिल्म एकक

327. डा० श्रीमती के० एस० सौन्द्रम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु के उधगमंडलम में सिनेमा का रंगीन पाजीटिव फिल्म बनाने वाला एकक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने 208.29 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत से बेल्जियम की मै० एगफा गावेर्ट के तकनीकी सहयोग से क्रमश: 80 लाख वर्ग मीटर और 20 लाख वर्ग मीटर वार्षिक क्षमता से सिनेमा की रंगीन फिल्म तथा रंगीन कागज बनाने के लिए एक परियोजना स्थापित करने हेतु मार्च, 1983 में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

[हिन्दी]

कलर पिक्चर ट्यूबों का आयात और इनका निर्माण करने वाली कम्पनियां

328. डा० परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय कलर पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन ट्यूबों के आयात सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जो निर्यात के लिए ऐसी कलर पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करती हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) इस समय पिक्चर ट्यूबों की मांग स्वदेशी उत्पादन से ही पूरी की जा रही है। फिर भी, यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों कारण स्वदेशी उत्पाद में कोई कमी आती है तो सरकार मांग तथा पूर्ति के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए पिक्चर ट्यूबों के आयात की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर सकती है। रंगीन टी०वी० सेटों/रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन/निर्यात के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 50,000 रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया।

(ग) रंगीन टी०वी० पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण एवं निर्यात करने वाली स्वदेशी कम्पनियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. मैसर्स जे०सी०टी० इलेक्ट्रानिक्स लि०

2. मैसर्स अप्ट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०

3. मैसर्स सैमटेल कलर लि०

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अवधि बढ़ाना

329. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री अन्ना जोशी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अवधि समाप्ति की तिथि के पश्चात इसे आगे लागू करने हेतु व्यापारियों ने कौन सी मांगें प्रस्तुत की हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) व्यापार संगठनों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की वैधता को, 31-8-1992 को इसकी अवधि समाप्त होने पर आगे न बढ़ाया जाए। विशेष उपबन्धों को जारी रखने के विरुद्ध दिए तर्कों के रूप में सामान्यत: रखे गए प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :—

(क) अपराधों के गैर-जमानती स्वरूप का होने से परेशानी की स्थिति पैदा होती है।

(ख) कम से कम 3 माह की अनिवार्य सजा कठोर है।

(ग) जब्ती के आदेश के विरुद्ध न्यायिक प्राधिकरण के स्थान पर राज्य सरकार को अपील करना उपयुक्त नहीं है।

(घ) विशेष अदालतों में संक्षिप्त विचारण करना।

(ङ) अब आपूर्ति और उत्पादन की परिस्थितियां बदल गई हैं ।

(च) जिन वस्तुओं के मामले में अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, केवल उनके बजाए सभी वस्तुओं को जब्त करना ।

सभी पहलुओं और दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद 27-8-92 को राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की वैधता को 1-9-92 से आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एक अध्यादेश प्राख्यापित किया गया। तथापि, यह व्यवस्था करने के लिए एक संशोधन किया गया कि किसी थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य पुलिस अधिकारी के पद से नीचे का कोई अधिकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।

भूमि स्वामित्वाधिकार निगम

330. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त वाधवा समिति ने "भूमि स्वामित्वाधिकार निगम" बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) योजना आयोग की वाधवा समिति ने सुझाव दिया है कि यदि राज्य वित्तीय बोझ अथवा प्रशासनिक कारणों की वजह से भूमि स्वामित्वाधिकार की गारन्टी देने की जिम्मेदारी लेने को अनिच्छुक हैं, तो "भूमि स्वामित्वाधिकार निगम" स्थापित किया जाना चाहिए ।

देश में राज्य द्वारा भूमि स्वामित्वाधिकार की गारन्टी देने की प्रणाली शुरू करने के समूचे मुद्दे की इस समय इस मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र

332. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री सुधीर गिरि :
श्री सुखेन्दु खां :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया उर्वरक संयंत्र के संघों ने इस एकक को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी, हां ।

कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है। तथापि अन्तिम परिणाम प्रस्तावित निवेशों की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता तथा बजटीय स्रोतों के माध्यम से निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बेडथी पन-बिजली परियोजना

333. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति हेतु संशोधित बेडथी पन-बिजली परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्यूबा को चावल का निर्यात

334. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच क्यूबा को चावल का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी हां, क्यूबा को 10,000 एम०टी० चावल के निर्यात के लिए, भारतीय खाद्य निगम तथा इम्प्रेसा क्यूबाना इम्पोरटाडोरा डी० एलीमेंटोस अलइम्पोर्ट हवाना, क्यूबा के बीच दिनांक 30-9-92 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब तक 10,177.88 एम० टी० चावल का निर्यात किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पंजीकरण अधिनियम, 1908

335. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 30(2) को समाप्त करने तथा धारा 28 में संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर अन्तर्राज्यीय परिषद के परामर्श से विचार किया जा रहा है और इस विषय में समयक अनुक्रम में विनिश्चय किया जाएगा।

[अनुवाद]

नई औषध नीति

336. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही नई औषध नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) औषध नीति, 1986 में किए जा रहे परिवर्तनों पर माननीय सदस्यों के विचारार्थ और उनके विचार/सुझावों को प्राप्त करने के लिए एक पृष्ठभूमि नोट 12-8-1992 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया था।

उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस का आबंटन

337. **श्री उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस के आबंटन को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कौन-कौन से उर्वरक संयंत्र तथा कितनी-कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उर्वरक संयंत्रों को संविदात्मक दायित्वों के अनुसार आपूर्ति जारी रखने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि भंडारों से जैसा कि अनुमानित है, गैस उपलब्ध हो।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(घ) भाग (क) और (ख) के सामने दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	आबंटन मिलियन मानक क्यूबिक मीटर/दिन (एम०एम०एस०सी० एम०डी०)	वर्तमान उपयोग (एम०एम०एस०सी० एम०डी०)
1	2	3	4
फर्म			
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (हजीरा)	3.000	3.900
2	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (विजयपुर)	1.800	1.650
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (आंवला)	1.800	1.650
4.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (जगदीशपुर)	1.800	1.650
5.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लिमिटेड (बड़ौदा)	0.350	0.350
6.	दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (तलौजा)	0.600	0.300 (उर्वरक के लिए)
7.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (थाल)	3.000	3.700
8.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ट्राम्बे)	1.800	1.800
9.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (कलोल)	0.840	0.840

10. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कं० लि० (भरूच)	0.250	0.250
11. नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (काकीनाडा)	1.300	1.300
12. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (ओ०आई०एल० से नामरूप परिसर)	1.760	1.760
13. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी० से नामरूप परिसर)	0.450	0.450
फाल बैक		
14. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लि० (बड़ौदा)	0.450	0.450

[हिन्दी]

तम्बाकू का उत्पादन तथा नए बाजार

338. **श्री रतिलाल वर्मा :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 में तम्बाकू उत्पादन का सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या चालू वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू के निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उत्पादन लक्ष्य केवल फ्लू क्यूरड वर्जिनिया तम्बाकू के लिए ही निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1992 के लिए एफ०सी०वी० तम्बाकू के उत्पादन का लक्ष्य 124 एम० कि०ग्राम निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) एफ०सी०वी० तम्बाकू के लिए दीर्घावधि योजना संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट (1990) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित देशों की सम्भावित नए बाजार के रूप में पहचान की है : फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, आस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, फिनलैंड, नार्वे, इण्डोनेशिया और फिलीपीन्स।

इसके अलावा वियतनाम और जापान भी संभावित बाजार हो सकते हैं।

घाटे में चल रहे भारी उद्योग

339. श्री बारे लाल जाटव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के अधिकांश औद्योगिक एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र की 49 प्रचलनात्मक इकाइयों में से, 26 इकाइयां घाटे में चल रही हैं । इन इकाइयों की एक सूची संलग्न है ।

(ग) इन इकाइयों के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है, ताकि जनशक्ति के युक्तिकरण, वर्धित उत्पादकता, फालतू देनदारियों तथा वस्तु सूची में कमी और संतुलित निवेशों के माध्यम से, जहां कहीं संभव हो, सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए इनके कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके । सूची के अनुसार 19 रुग्ण इकाइयों को रुग्ण कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को प्रेषित किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम
1	2
1.	हुगली प्रिंटिंग लिमिटेड
2.	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड*
4.	रेरोल बर्न लिमिटेड
5.	जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड
6	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड*
7.	भारत प्रोसेज एण्ड मैके० इंजी० लिमिटेड*
8.	वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड*
9.	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड*
10.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड*

1	2
11.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड*
12.	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड*
13.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड*
14.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपो० लि०*
15.	नेशनल बाइसिकिल कारपो० आफ इण्डिया लिमिटेड*
16.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०*
17.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड*
18.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड*
19.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
20.	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०*
21.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कारपो० लि०*
22.	रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपो० लि०*
23.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० आफ इण्डिया लि०*
24.	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०*
25.	भारत लैदर कारपोरेशन लि०
26.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

* बी०आई०एफ०आर० को प्रेषित (संख्या 19)

[अनुवाद]

पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री द्वारा निमन्त्रण

340. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने भारत के प्रधानमन्त्री को विभिन्न लम्बित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करने हेतु निमन्त्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री को पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से निमन्त्रण मिला था जिस पर विचार किया जा रहा है।

कॉफी का समर्थन मूल्य और निर्यात शुल्क की उगाही

341. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) क्या मूल्यों में गिरावट की भरपाई करने हेतु काफी उत्पादकों को राज-सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) काफी अधिनियम, 1942 के उपबन्धों के अनुसार काफी बोर्ड को सामान्य बेशी पूल में उपजकर्ताओं द्वारा डिलिवर की गई काफी का घरेलू तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए अलग-अलग नीलामियों में विपणन करना पड़ता है और उपजकर्ताओं में वसूल की गई रकम का वितरण संबंधित उपजकर्ताओं द्वारा डिलिवर की गई काफी की मात्रा तथा क्वालिटी के अनुपात में करना होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी करार के तहत् 1989 में कोटा स्थगन के बाद से कीमतों में गिरावट आई है। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए तथा उपजकर्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने 1990 में काफी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 105 रु० प्रति क्विंटल से कम करके 50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया था। काफी बोर्ड द्वारा 1989-90 के दौरान मन्जूर किए गए फसल ऋणों के पुनर्भुगतान का पुनः कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अलावा काफी की न्यूनतम रिलीज कीमतें प्रति वर्ष संशोधित की जा रही हैं। इस प्रकार काफी उपजकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

केकड़े से हरा रक्त

342. श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा केकड़े से हरा रक्त निकालने की कोई परियोजना तैयार की गई है, जैसाकि 1 अक्तूबर, 1992 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रतिवेदित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टार हाउसों के लिए पृथक प्रकोष्ठ

343. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टार हाउसों के लिए कोई अलग से प्रकोष्ठ बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, नहीं। चोटी के घरानों के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्यान्नों के निजी व्यापार पर प्रतिबन्ध

344. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के निजी व्यापार पर राज्य स्तर के प्रतिबन्धों को समाप्त करने के कारण किसानों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी किए जाने की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्या तरीका अपनाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आपूर्ति को बनाए रखने और व्यापारियों की जमाखोरी प्रवृत्ति के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि पर अंकुश लगाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने 1992 के आरम्भ में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी थी कि वे चावल और गेहूं के लिए अलग-अलग एक समान भण्डार सीमाएं नियत कर दें, जो थोक विक्रेताओं के लिए 250 क्विटल, खुदरा विक्रेताओं के लिए 50 क्विटल से अधिक न हों और चावल मिलों तथा रोलर चावल मिलों के लिए उपयुक्त सीमा नियत करें। ये सीमाएं राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियत की गई थीं। इन सीमाओं की, चल रहे मूल्यों तथा खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। एक पुनरीक्षा के बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अब गेहूं और चावल की स्टाक सीमाओं को उदार बनाने पर विचार कर सकती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने का कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जिम्मे है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी विभिन्न नियन्त्रण आदेशों तथा इसी प्रकार के संगत कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में जमाखोरी और अन्य कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई करते रहते हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लम्बित मामले और न्यायधीशों के रिक्त पद

345. **श्री गया प्रसाद कोरी** :

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस समय लम्बित पड़े फौजदारी और दीवानी मामलों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने मामले श्रेणीवार और न्यायालयवार एक, तीन, पांच, दस, बीस, तीस और पचास वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हुए है;

(ग) क्या इन्हें निपटाने के लिए कोई समय-सीमा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे कब से रिक्त हैं; और

(छ) ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (ङ) मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा अधिरोपित करना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर करता है ।

(च) जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत है ।

(छ) सम्बन्धित सवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। यह बताना सम्भव नहीं है कब तक ये पद भर दिए जाएगे ।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या और वे तारीखें जब से वे रिक्त हैं दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	रिक्त पद स्थायी	अपर	ता० 2-11-1992 को यथा विद्यमान वे तारीखें जब से रिक्त है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	2	—	2-07-92 (स्था०) 15-07-92 (स्था०)	
2.	आंध्र प्रदेश	—	2	26-11-82 (अप०) 29-11-82 (अप०)	

1	2	3	4	5	6
3.	मुम्बई	2	9	30-12-90 (अप०)	
				26-09-91 (अप०)	
				26-09-91 (अप०)	
				26-09-91 (अप०)	
				26-09-91 (अप०)	
				07-92 (अप०)	
				07-92 (अप०)	
				07-92 (अप०)	
				07-92 (अप०)	
				11-07-92 (स्था०)	
				30-09-92 (स्था०)	
4.	कलकत्ता	9	1	25-04-91 (अप०)	
				09-01-92 (स्था०)	
				10-01-92 (स्था०)	
				12-01-92 (स्था०)	
				26-02-92 (स्था०)	
				01-03-92 (स्था०)	
				15-06-92 (स्था०)	
				01-08-92 (स्था०)	
				01-09-92 (स्था०)	
				01-11-92 (स्था०)	
5.	दिल्ली	1	5	03-09-91 (अप०)	
				22-01-92 (अप०)	
				22-01-92 (अप०)	
				22-01-92 (अप०)	
				10-04-92 (स्था०)	
				08-05-92 (स्था०)	

1	2	3	4	5	6
6.	गुवाहाटी	5	—	29-11-91 (स्था०)	
				01-02-92 (स्था०)	
				01-03-92 (स्था०)	
				10-03-92 (स्था०)	
				22-08-92 (स्था०)	
7.	गुजरात	3	—	09-02-92 (स्था०)	
				18-05-92 (स्था०)	
				12-10-92 (स्था०)	
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	23-03-92 (अप०)	
				19-10-92 (स्था०)	
				20-10-92 (स्था०)	
9.	जम्मू और कश्मीर	1	—	19-10-92 (स्था०)	
10.	कर्नाटक	7	2	02-08-91 (अपर)	
				02-08-91 (अपर)	
				10-10-91 (स्था०)	
				02-11-91 (स्था०)	
				08-12-91 (स्था०)	
				12-01-92 (स्था०)	
				03-05-92 (स्था०)	
				01-07-92 (स्था०)	
				01-07-92 (स्था०)	
11.	केरल	—	—		
12.	मध्य प्रदेश	1	3	15-06-92 (अप०)	
				15-06-92 (अप०)	
				15-06-92 (अप०)	
				31-07-92 (स्था०)	
13.	मद्रास	1	—	15-06-92 (स्था०)	

1	2	3	4	5	6
14.	उड़ीसा	—	1	22-06-92 (अप०)	
15.	पटना	3	—	05-06-92 (स्था०)	
				04-09-92 (स्था०)	
				22-09-92 (स्था०)	
16.	पंजाब और हरियाणा	2	3	08-07-92 (अप०)	
				08-07-92 (अप०)	
				08-07-92 (अप०)	
				01-09-92 (स्था०)	
				23-10-92 (स्था०)	
17.	राजस्थान	1	2	11-08-92 (अप०)	
				11-08-92 (अप०)	
				10-09-92 (स्था०)	
18.	सिक्किम	1	—	05-01-89 (स्था०)	
	कुल	41	29		

II. उच्चतम न्यायालय : 2 30-05-92

31-10-89

[अनुवाद]

कीटनाशकों के निर्माता

346. श्री नवल किशोर राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रासायनिक कीटनाशकों के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन कीटनाशकों का और कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उत्पादों का कुल विपणन मूल्य कितना है ?

(ग) इसके उत्पादन में प्रयुक्त संघटकों का आयात मूल्य कितना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य कीटनाशकों का कुल निर्यात मूल्य कितना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कीटनाशकों का कुल मूल्य कितना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) देश में 400 से अधिक एकक हैं जो रासायनिक कीटनाशियों और सूत्रयोगों का निर्माण में लगे हुए हैं। उनके द्वारा बेचे जा रहे प्रमुख रासायनिक कीटनाशियों डी०डी०टी०, बी० एच० सी०, मेलाथियन, इण्डोसुल्फान, मोनोक्रोटोफोस मिथाइल पेराथियन डाईमेथोएट, डी० डी० बी० पी० फोसालोन, क्विनलफोस, सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स, कारबेन्डाजिम, मेनकोजेब, आइसोप्रोटूरोन, बटाक्लोर, एल्यूमिनियम फोसफाइड और जिंक फासफाइड शामिल हैं। अलग-अलग एककों द्वारा किए गए उत्पादन, विभिन्न कीटनाशियों की विपणन योग्य कीमत और इन कीटनाशियों के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित संघटकों की कीमत के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) कीटनाशियों के आयात और निर्यात के ब्यौरे महानिदेशालय, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय, कलकत्ता द्वारा निकाले जाने वाली "मंथली स्टैटिसटिक्स टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विदोहन

347. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना-अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विदोहन करने के लिए गुजरात के किन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) गुजरात के किन-किन क्षेत्रों में पहले से ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विदोहन किया जा रहा है;

(ग) इन क्षेत्रों में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई तथा कितनी खर्च की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) गुजरात के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां और युक्तियां विस्तृत रूप से लगाई गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा तटीय क्षेत्रों में 100 मैगावाट के पवन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह राज्य कच्छ जिले में 30 मे०वा० के सौर तापीय विद्युत संयत्र की स्थापना पर भी विचार कर रहा है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा गुजरात के इस जिले में 500 कि०वा० क्षमता के एक बायोमास गैसीफायर प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राजस्व की दृष्टि से बेकार भूमि पर 630 हेक्टेअर ऊर्जा पौधारोपण करके इस परियोजना को सहायता दी जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य द्वारा समन्वित ग्राम ऊर्जा योजना कार्यक्रम का पांच और ब्लाकों में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि गुजरात के सभी जिलों को शामिल किया जा सके। यह राज्य 32 ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं को भी शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है। इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर इन पर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा

प्रणालियां और युक्तियां स्थापित की गई हैं। इस राज्य में इन प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के संवर्द्धन और उपयोग के लिए गुजरात को पिछले तीन वर्षों के दौरान 39.99 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी। नियत की गई राशि इस्तेमाल कर ली गई है।

विवरण

गुजरात राज्य में उपलब्धियों की स्थिति

क्रम सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31-8-92 तक
1	2	3	4
1.	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र	संख्या लाख में	1.60
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायो गैस संयत्र	संख्या	90
3.	उन्नत चूल्हे	संख्या लाख में	6.07
4.	घरेलू सौर जलतापन प्रणालियां	संख्या	4863
5.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	संख्या	1461
6.	सौर भभके	संख्या	5300
7.	सौर काष्ठ भट्टियां	संख्या	17
8.	सौर वायु तापक	संख्या	9
9.	सौर कुकर	संख्या	20,532
10.	ऐसे गांव जिन्हें प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी उपलब्ध कराई गई	संख्या	374*
11.	प्रकाश वोल्टीय जल पम्प	संख्या	78*
12.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	के० डब्ल्यू पी०	1*
13.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी टेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	51*

1	2	3	4
14.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	310*
15.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	1537*
16.	पवन पम्प	संख्या	103*
17.	पवन फार्म	मे० वा०	16.19
18.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे० वा०	—
19.	ऊर्जाग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	110
20.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	22
21.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हेक्टेयर	3810
22.	बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजिन	संख्या	148

*मार्च, 1992 तक

[हिन्दी]

औद्योगिकी विकास केन्द्र

348. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रयोजन क्या है और 30 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार राज्यवार इनकी संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान कितने औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इसके लिए स्थान-वार अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मूल-भूत सुविधाएं जुटाकर उद्योगों को दूर-दूर तक फैलाने के लिए सरकार ने जून 1988 में विकास केन्द्र योजना घोषित की थी। इस योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश भर में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। आवंटित विकास केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विकास केन्द्रों की स्थापना आठवी पंचवर्षीय योजना में करने का प्रस्ताव है। वर्षवार कोई लक्ष्य नहीं रखे गए है।

(ग) प्रत्येक विकास केन्द्र की अनुमानित लागत 25-30 करोड़ रु० है।

विवरण

राज्यों को आवंटित विकास केन्द्र

(क) राज्य		विकास केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	3
3.	बिहार	6
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	2
6.	जम्मू और कश्मीर	2
7.	कर्नाटक	3
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	6
10.	महाराष्ट्र	5
11.	उड़ीसा	4
12.	पंजाब	2
13.	राजस्थान	5
14.	तमिलनाडु	3
15.	उत्तर प्रदेश	8
16.	पश्चिमी बंगाल	3
	कुल :	61

(ख) राज्य/संघ क्षेत्र		विकास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	गोवा	1

1	2	3
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	मणिपुर	1
5.	मेघालय	1
6.	मिजोरम	1
7.	नागालैंड	1
8.	पांडिचेरी	1
9.	त्रिपुरा	1
	कुल :	9

विकास केन्द्रों की कुल संख्या (क) + (ख) = 70

[अनुवाद]

यूरोपीय समुदाय के साथ मैत्री, सहयोग संधि

349. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार भारत-सोवियत मैत्री, सहयोग संधि के समान यूरोपीय समुदाय के साथ कोई संधि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ

350. श्री गुमान मल लोढा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय को दो भागों में अर्थात संवैधानिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय में विभाजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे। इस सम्बन्ध में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख और (ग) जी नहीं। विधि आयोग की इस सिफारिश पर कि उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय और अपील न्यायालय या संघीय अपील न्यायालय में विभक्त कर दिया जाए, भारत के मुख्य न्याय-मूर्ति के साथ परामर्श करके विचार किया गया था। उक्त सिफारिश को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया गया।

चीन के साथ व्यापार

351. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चीन दोनों देशों के बीच व्यापार के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) नए क्षेत्र ये होंगे —

(i) व्यापार संलेख में इलैक्ट्रानिक संघटक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर, दूर संचार उपस्कर जैसी गैर परम्परागत मदें तथा भेषजीय मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, आटोमोबाइल संघटक, फोटोकापीयर जैसे अन्य इंजीनीयरी उत्पादों को शामिल करना,

(ii) संयुक्त उद्यमों की स्थापना; तथा

(iii) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा दोनों में से किसी भी देश में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन द्वारा वित्त पोषण की जाने वाली परियोजनाओं हेतु निविदाओं में भाग लेना और साथ ही संयुक्त रूप से परियोजनाओं की संविदा करना तथा तीसरे देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करना।

श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध

352. श्री के० पी० सिंहदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका के साथ किसी विद्यमान करार/समझौते को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रीलंका के साथ आगे द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध को सुधारने के उद्देश्य से श्रीलंका के साथ कोई नया करार/समझौता किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) श्रीलंका के साथ मौजूदा किसी करार, समझौते की वैधता अवधि बढ़ाने अथवा उस देश के साथ कोई नया/करार, समझौता संपन्न करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच सम्बन्धों को और अधिक दृढ़ किए जाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, जैसा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की 1 से 3 अक्तूबर, 1992 तक की राजकीय यात्रा और पिछले वर्ष विदेश सचिव स्तर पर भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना से जाहिर है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत

353. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से अतिरिक्त विद्युत उत्पादित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान पवन ऊर्जा से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आठवीं योजना में विभिन्न तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देकर अधिक विद्युत उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) आठवीं योजना में कितनी पवन चक्कियां स्थापित की जाएंगी ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी हां। आठवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा जैव ऊर्जा, लघु जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत का अन्तरिम लक्ष्य लगभग 600 मैगावाट है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र परियोजनाओं को मिलाकर कुल 100 मैगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी व्यवहार्यता एवं वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखकर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी।

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय समुद्र तटीय राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में पवन सर्वेक्षण, पवन पम्प एवं पवन ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में पवन ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

पवन विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—पवन सर्वेक्षणों के माध्यम से संभावित क्षेत्रों का पता लगाना, राज्य अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता के साथ प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करना और सम्बन्धी लाभ उपलब्ध करवाकर जैसे स्थापना के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से त्वरित मूल्यह्रास उत्पाद-शुल्क, और पवन विद्युत जनरेटरों के चरणबद्ध निर्माण के विनिर्दिष्ट संघटकों पर सीमा-शुल्क की छूट देकर गैर सरकारी क्षेत्र की

भागीदारी को आकर्षित करना। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से निजी उद्यमों को ब्याज की रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध हैं।

कुछ राज्य बिजली बोर्ड निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत के चक्रण एवं भंडारण तथा अतिरिक्त विद्युत को उचित दर पर खरीदने जैसी कई सुविधाएं दे रहे हैं। अतः उद्योग नाममात्र का चक्रण शुल्क करने के बाद हवा वाली साइटों पर पवन ऊर्जा उत्पन्न एवं अपने मनपसन्द स्थान पर उत्पन्न विद्युत एक नियत समय के लिए ग्रिड में रखी जा सकती है। कुछ राज्य पूंजीगत आर्थिक सहायता तथा बिक्री कर में छूट भी देते हैं।

(च) आठवीं योजनाके दौरान निजी क्षेत्र परियोजनाओं को मिलाकर 100 मैगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड सम्बद्ध पवन विद्युत जनरेटरों, 400 पवन पंपों तथा 500 बैटरी चार्जरों को लगाने का प्रस्ताव है।

चाय का निर्यात

354. श्री अमर राय प्रधान :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) असम, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी और अन्य स्थानों से कितनी चाय का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा नीचे दी गई है—

वर्ष	निर्यातित चाय की मात्रा मिलियन किग्रा में
1989-90	211.76
1990-91	199.17
1991-92 (अनु०)	210.39

(ख) भारत से चाय के निर्यात की मात्रा का निर्धारण विभिन्न चाय उपजकर्ता बागानों/जिलों में उत्पादित चाय के हिसाब से नहीं किया जा सकता है क्योंकि चाय का निर्यात मुख्यतः बल्क में पैकेट में मिश्रित रूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न मूल की चाय को मिलाया जाता है और इस प्रकार निर्यात के समय यह पहचान करना कि यह चाय किस मूल की है सम्भव नहीं है।

कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

355. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है। जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयरों और डिबेंचरों के हस्तांतरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या सरकार ने उन कम्पनियों/संस्थाओं के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) 31-3-1992 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान, कम्पनी, अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत एक अभियोजन दायर किया गया है।

दि स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड एस० एच० सी० आई० एल० ने अपनी वर्ष 31-3-1991 को समाप्त वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के अन्तर्गत विहित दो माह की सांविधिक अवधि के बाद भी रजिस्ट्रीकरण के लिए लम्बित प्रतिभूतियों का वय-वार विश्लेषण निम्न प्रकार था—

कम्पनियों की संख्या जिनमें प्रतिभूतियां रजिस्ट्रीकरण के लिए लम्बित हैं

विलम्ब—

180 दिन से अधिक	···	71 कम्पनियां
150 दिन से अधिक	···	25 कम्पनियां
120 दिन से अधिक	···	100 कम्पनियां,
90 दिन से अधिक	···	118 कम्पनियां
60 दिन से अधिक	···	175 कम्पनियां
कुल		489 कम्पनियां

एस० एच० सी० आई० एल० के रिकार्ड के अनुसार देर करने वाली कम्पनियों की वास्तविक संख्या 289 (200 कम्पनियां अलग-अलग अवधियों की देरी को दर्शाने वाली हैं) थी। कम्पनी कार्य विभाग ने इन कम्पनियों के शेयर अन्तरण रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 113 (2) के अन्तर्गत अभियोजन दायर करने के लिए जून, 1992 में आदेश दिये थे। अब तक विभाग को 111 कम्पनियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 31 कम्पनियों के बारे में शेयरों के अन्तरण में कोई भी देरी नहीं पाई गई। विभाग ने अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत .7 कम्पनियों के बारे में अभियोजन के आदेश दिये हैं और बाकी कम्पनियों के बारे में तथ्यों तथा परिस्थितियों और छोटी-मोटी देरी को देखते हुए कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके

अलावा, अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत 1.4.1992 से और आगे की अवधि के दौरान किए गये रूटीन निरीक्षणों के कारण अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत 4 कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गए हैं।

उर्वरकों का मूल्य

[हिन्दी]

356. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों में गैस के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटाश की पूर्व-एक उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने टाटा और बिरला की एक नई कंपनी को स्वीकृति दी है जिसके द्वारा बढ़े मूल्यों पर यूरिया की बिक्री शुरू करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जनवरी, 1992 से गैस के मूल्य में वृद्धि के कारण गैस पर आधारित यूरिया संयंत्रों में यूरिया की प्रति इकाई लागत में वृद्धि हुई है। सिंगल सुपर फास्फेट के उत्पादन में गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। देश में पोटाश का उत्पादन नहीं होता है।

(ख) और (ग) मै० टाटा कैमिकल्स लि० (टाटा द्वारा प्रवर्तित) और मै० चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (बिरला द्वारा प्रवर्तित) यूरिया के उत्पादन के लिए क्रमश: बबराला (यू० पी०) और गढेपन (राजस्थान) परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इन परियोजनाओं द्वारा 1993-94 के दौरान उत्पादन आरम्भ कर देने की आशा है। चूंकि फिलहाल यूरिया के मूल्य नियंत्रित हैं अत: किसानों के लिए बिक्री मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकते।

[अनुवाद]

पामोलीन का आयात

357. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पामोलीन का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में पामोलीन का आयात किया गया था;

(ग) क्या सरकार का पामोलीन की बढ़ती मांग को देखते हुए पामोलीन के आयात को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो 1992-93 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन

अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई पामोलीन की मात्रा निम्नवत है —

वित्तीय वर्ष	आयात
1989-90	2.93 लाख मी० टन
1990-91	5.38 लाख मी० टन
1991-92	1.07 लाख मी० टन

(ग) और (घ) खाद्य तेलों का आयात, मांग और आपूर्ति में अन्तर, देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों, खाद्य तिलहनों की भावी फसलों की संभावनाओं आदि जैसी अनेक बातों पर निर्भर करता है। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान, 15-11-1992 तक 0.30 लाख मी० टन मात्रा का पहले ही आयात किया जा चुका है।

डी० ए० पी० आयात का गैर सरणीकरण

358. श्री समत कुमार मण्डल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाई-अमोनियम फास्फेट के आयात के गैर-सरणीकरण का स्वदेशी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) अमेरिकी बहुराष्ट्रीय उर्वरक लांबी द्वारा डाले गये दबाव के संबंध में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की है जैसाकि 27 सितम्बर, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में छपा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) डाई अमोनियम फास्फेट (डी० ए० पी०) के आयात के असरणीकरण किये जाने के बाद स्वदेशी डी० ए० पी० एककों को आयातित डी० ए० पी० की तुलना में मूल्य हानि का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यह कहना बिल्कुल गलत है कि किसी बाहरी एजेन्सी के कहने पर डी० ए० पी० का असरणीकरण किया गया।

असम के सघन सफाई परियोजना के बारे में प्रस्ताव

359. श्री उद्धव बर्मन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के कामरूप जिले में सघन सफाई परियोजना आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक रूप से तकनीकी अनुमोदन दे दिया है। दो वर्षों में योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन हेतु 441.31 लाख रुपए की अनुमानित लागत की अनुमति दे दी गई है। इसमें 21,000 घरेलू स्वच्छ शौचालयों का निर्माण तथा 63,000 अन्य स्वच्छता सुविधाएं सम्मिलित हैं जिसकी कुल लागत 411.57 लाख रुपए निम्नानुसार वहन की जाएगी—

	(रुपए लाख में)
यूनीसेफ से सहायता	30.40
केन्द्र सरकार	30.40
असम सरकार	30.48
लाभार्थी का अंशदान	320.29
	411.57

यूनीसेफ समर्थन प्रशिक्षण, प्रशासन और स्थापना शुल्क के लिए 29.74 लाख रुपए की राशि का अंशदान भी करेगी।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं

361. **श्री जितेन्द्रनाथ दास :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ग) उसके लिए कितने वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, मणिपुर, दादरा व नगर हवेली और दिल्ली के संबंध में कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है।

केरल कर्नाटक, मिजोरम तथा मेघालय के लिए पाइपों द्वारा पेयजल सप्लाई की लम्बित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) लम्बित योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार के निर्णय से संबंधित राज्यों को 31-12-1992 तक अवगत करा दिया जाएगा।

(ग) अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग से कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, केन्द्र

सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की लागत को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत राज्यों को किए गए सामान्य आर्थिक आबंटन में वहन किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाओं के नाम	राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अनुमानित लागत	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	2	3	4
		(लाख रुपये में)	
केरल			
1.	किडनगूर	154.17	23015
2.	किलोमन्नूर तथा आस-पास के गांव	322.00	54030
3.	परादुर	135.00	17778
4.	किलान्नूर	87.00	13204
5.	किडनगोडे तथा आस-पास के गांव चरण-1	456.00	59746
6.	किडनगोडे तथा आस-पास के गांव चरण-ii	264.00	38516
7.	कोथाकुलनगारा नार्थ	194.00	34701
8.	पेरुमण्टिटी	111.22	13561
9.	अनिकाड	112.58	13563
10.	नेडियांगा और चुझाट	211.20	22775
11.	कडावूर एवं कल्लूरकाड और कुमारमंगलम	290.00	37192
12.	कुन्डरा तथा निकट की पंचायत	89.50	87200
मेघालय			
1.	रेवाल-मालेगंगा	10.184	1219
2.	तिनराजरे	5.428	304

1	2	3	3
3.	सिमसोंग-रोंगल	3.794	181
4.	चिरांगिरी	6.026	213
5.	इल्ला-रागासेम	5.635	265
6.	सिसोंग-अरिंगा	4.364	136
7.	डोपानमगरे	8.720	463
8.	असीमगिरी	3.134	189
9.	दरोंगगिरी	4.378	209
10.	मंदीओंग	8.938	400
11.	लंगिओंग	30.341	2627
12.	संयुक्त मावबेह	41.485	2226
मिजोरम			
1.	सेर्तलांग	22.046	530
कर्नाटक			
1.	12 जिलों में 100 गांवों के लिए परियोजना	38800.00	अभी तक मात्रा निश्चित नहीं की गई

युगांडा के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

362. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई तथा उनका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस यात्रा का दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्र में आपसी हित के मामलों पर चर्चा हुई थी । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के

लिए बहुत अधिक गुंजाइश है। युगांडा द्वारा भारत से लिए ऋण पुनः तय करने पर फ्रेमवर्क सहमति हुई थी।

विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य पर दोनों पक्षों के बीच विचारों का लाभदायक आदान-प्रदान हुआ।

(ग) दोनों पक्ष व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए। एक संयुक्त व्यावसायिक परिषद के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है।

[हिन्दी]

जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशें

363. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार का विचार जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों पर कब तक निर्णय लेने का है;

(ख) क्या सरकार सिद्धान्ततः आयोग की सिफारिशों से सहमत है;

(ग) आयोग की सिफारिशों से कौन-कौन सी राज्य सरकारें सिद्धांततः सहमत नहीं हैं;

(घ) सरकार को इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाने में क्या कठिनाई हो रही है;

(ङ) केन्द्र सरकार किन कारणों से प्रस्तावित खंडपीठों का ब्यौरा देने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाल रही है; और

(च) क्या राज्यों के पुनर्गठन से पहले खण्डपीठों की स्थापना के लिए भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) जसवन्त सिंह आयोग ने इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए सिफारिशें की हैं। आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशों को सम्बद्ध राज्य सरकारों को, अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के साथ परामर्श करके विचार और समीक्षा के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था। इनमें से किसी राज्य सरकार से कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उच्च न्यायालयों और इनकी न्यायपीठों का सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है। न्यायाधीशों को न्यायपीठों में तैनात किया जाना और इसके दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य उच्च न्यायालयों के मुख्य-न्यायमूर्तियों द्वारा देखा जाता है। अतः भारत सरकार, यह आवश्यक समझती है कि उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने और विशेष रूप से इनके अवस्थान के बारे में व्यवहार्यता और वांछनीयता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विनिर्दिष्ट विचार प्राप्त किए जाएं।

यह बताना संभव नहीं है कि कब तक सरकार जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों पर विनिश्चय कर सकेगी।

(ख) विभिन्न राज्यों में बारह स्थानों पर विद्यमान उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों में से केवल एक न्यायपीठ अर्थात लखनऊ न्यायपीठ 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व स्थापित की गई थी। लखनऊ स्थित न्यायपीठ ने तारीख 19 जुलाई, 1948 के यूनाइटेड प्राविंसस हाईकोर्ट (अमलगमेशन) आर्डर की प्रख्यापना के परिणामस्वरूप कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि आबंटित करने के मापदण्ड

365. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों अथवा जिलों को धनराशि आबंटित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या धनराशि आबंटित करते समय विभिन्न जिलों के विकास अथवा पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान अन्य जिलों की तुलना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय पिछड़े जिलों के लिए कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को, वर्ष-वार तथा जिला-वार, कितनी धनराशि आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आबंटन किसी राज्य में ग्रामीण गरीबों की देश में कुल ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत दस लाख कुओं की योजना (एम०डब्ल्यू०एस०) तथा इन्दिरा आवास योजना के निर्धारित क्षेत्रों के लिए आबंटन किए जाने के पश्चात् जिलों को संसाधनों का आबंटन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मजदूरों में कृषि मजदूरों के प्रतिशत, कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत तथा कृषि उत्पादकता को 20 : 60 : 20 का महत्व दिए जाने के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना के लिए 6% निधियां किसी जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पर वितरित की जाती हैं तथा दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधियों का वितरण राज्य सरकारों द्वारा जिलों को सिंचाई संभाव्यता के आधार पर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थलीय तथा पर्वतीय जिलों के पिछड़ेपन तथा

इनमें और अधिक रोजगार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा 1989-90 के दौरान विशेष आवंटन किए गए थे। ऐसे मामलों में पर्वतीय/मरुस्थलीय जिलों के लिए प्रतिव्यक्ति आवंटन उस राज्य के किसी अन्य जिले से ज्यादा किया गया, तथापि, जिला आवंटन न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपए तथा अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए के आधार पर निर्धारित किया गया था। चूंकि बाद के वर्षों में संसाधनों का आवंटन इसी अनुपात में किया गया है, इसलिए जवाहर रोजगार योजना के तहत इन जिलों को अतिरिक्त सहायता देनी जारी है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों को आवंटित/रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां अनुबन्ध में दी गई हैं।

विवरण

निम्नलिखित अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

	1989-90	1990-91	1991-92
1 2	3	4	5
1. उत्तर काशी	237.85	194.03	946.54
2. चमोली	230.46	196.93	225.16
3. टेहरी गढ़वाल	303.46	250.71	594.68
4. देहरादून	226.81	194.20	241.71
5. गढ़वाल	370.89	303.86	358.19
6. पिथौरागढ़	280.53	251.84	257.45
7. अल्मोड़ा	537.89	384.28	416.99
8. नैनीताल	484.28	445.18	558.07
9. सहारनपुर	727.64	681.91	418.27
10. मुजफ्फरनगर	674.08	614.15	569.84
11. बिजनौर	688.47	651.03	871.10
12. मेरठ	710.72	664.80	516.21

1 2	3	4	5
13. गाजियाबाद	449.11	432.36	408.46
14. बुलन्दशहर	794.37	759.56	694.06
15. मुरादाबाद	809.45	781.91	722.11
16. रामपुर	259.79	246.87	223.70
17. बदायूं	556.25	533.28	458.18
18. बरेली	496.92	460.92	488.02
19. पीलीभीत	290.22	277.05	308.86
20. शाहजहांपुर	477.41	456.55	431.36
21. अलीगढ़	891.68	844.02	632.89
22. मथुरा	520.47	487.79	629.84
23. आगरा	596.88	564.99	512.52
24. एटा	537.11	505.79	379.24
25. मैनपुरी	408.14	384.70	289.51
26. फर्रुखाबाद	563.60	531.18	449.12
27. इटावा	780.14	659.00	504.66
28. कानपुर	790.10	746.07	801.55
29. फतेहपुर	706.67	659.56	447.91
30. इलाहाबाद	1626.22	1520.84	1335.51
31. जालौन	453.54	423.19	486.03
32. झांसी	422.46	400.96	546.11
33. ललितपुर	249.91	235.77	277.56
34 हमीरपुर	684.67	606.32	593.98
35. बांदा	840.90	753.40	569.54
36. खीरी	799.36	787.18	734.61
37. सीतापुर	1076.75	1067.44	490.38

1 2	3	4	5
38. हरदोई	1019.42	1006.41	565.18
39. उन्नाव	826.83	811.83	777.50
40. लखनऊ	569.06	564.66	380.47
41. रायबरेली	932.18	896.83	985.46
42. बहराइच	818.28	748.53	687.38
43. गोंडा	916.23	847.05	918.88
44. बाराबंकी	843.00	830.22	696.62
45. फैजाबाद	969.88	929.18	490.09
46. सुल्तानपुर	943.60	879.34	818.86
47. प्रतापगढ़	759.90	709.81	540.22
48. बस्ती	899.85	839.14	769.71
49. गोरखपुर	1606.99	1491.35	491.86
50. देवरिया	1216.43	1127.56	1042.10
51. आजमगढ़	1123.05	1069.54	726.94
52. जौनपुर	949.17	906.29	629 67
53. बलिया	722.46	640.94	528.81
54. गाजीपुर	797.45	739.48	669.89
55. वाराणसी	1167.85	1088.87	1165.34
56. मिर्जापुर	751.50	699.83	709 66
57. सोनभद्र	464.02	436.95	654.02
58. मौनाथभंजन	451.79	428.87	284.67
59. सिद्धार्थ नगर	498.14	464.78	456.24
60. हरिद्वार	309.04	289.73	295.08
61. फिरोजाबाद	308.48	289.66	306.87
62. कानपुर नगर	142.05	134.21	166.79
63. महाराजगंज	—	—	464.38
योग :	41364.90	38830,87	35637.61

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

366. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में "औद्योगिक विकास केन्द्र" स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश के लिए अब तक सरकार द्वारा कुल कितने औद्योगिक विकास केन्द्र मंजूर किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मंजूर किए गए ये सभी विकास केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार के पास गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र योजना के अधीन कोई विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा औद्योगिक रुग्णता की मात्रा के संयुक्त मानदण्ड के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विकास केन्द्रों का आबंटन किया गया था। इस मानदण्ड के आधार पर और राज्य सरकार से परामर्श करके उत्तर प्रदेश को पहले ही 8 विकास केन्द्र आबंटित कर दिए गए हैं ।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन और अनुमोदन कर देने के पश्चात् विकास केन्द्र स्थापित किए जाते हैं । उत्तर प्रदेश के विकास केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्टें मूल्यांकन के लिए भेजी गई हैं ।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

367. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में मनोरंजन, इलेक्ट्रानिक्स, अखबारी कागज और कोयला उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अन्तर्गत रखी गई सूची की समीक्षा, औद्योगिक नीति के निरन्तर उदारीकरण का एक अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास

368. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ग्रामीण परिवारों या अन्य लोगों के लिए, जो अपनी-अपनी जमीन का अधिग्रहण होने के कारण या किसी अन्य कारण से गांव से चले गए हैं; क्या प्रावधान किया गया है या किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ग्रामीण आवास के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

369. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कम्पनियां/निगम घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों/निगमों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक का वर्ष 1991-92 में प्रति वर्ष उत्पादन घाटा कितना हुआ है;

(ग) उनके घाटे में चलने के कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 109 उद्यमों ने उक्त अवधि के दौरान घाटा उठाया है। कम्पनी-वार सूची दिनांक 5 मार्च, 1992 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-1 की विवरणी-पृष्ठ सं० 47 पर उपलब्ध है। वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित सूचनाएं संकलित की जा रही हैं तथा उन्हें अगले बजट सत्र के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) उपक्रमों के ऐसे घाटे के सामान्य तौर पर निम्नलिखित कारण हैं—अतिरिक्त श्रम-शक्ति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, समुचित कार्य संस्कृति का अभाव, निजी क्षेत्र से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा आदि।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा उद्यमों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है। आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना योजनाएं, वित्तीय, प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आदि सुधार के उद्देश्य से किए जाने वाले कुछ उपाय हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना का समन्वित विकास

370. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों के आधारभूत ढांचे के समन्वित विकास हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य-योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा;

(ग) इसके फलस्वरूप गुजरात के आदिवासी, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों को इससे लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) गुजरात में किन-किन स्थानों पर यह योजना कार्यान्वित की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ करने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों के अनुसरण में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए समन्वित बुनियादी विकास (तकनीकी बैंक अप सेवाओं सहित) की एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। योजना के प्रारूप को केन्द्र में संबंधित प्राधिकारियों तथा गुजरात राज्य समेत राज्य-संघशासित क्षेत्र सरकारों से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विपणन कार्यों में व्यवहार्य विकल्प

371. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम अपनी विशाल आधारभूत ढांचे तथा विशेषज्ञता का वैकल्पिक उपयोग करने के लिए विपणन कार्यों में व्यवहार्य विकल्पों का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके के लिए चुने गए नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विपणन सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं तथा व्यापार कम्पनियों से सम्पर्क किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में यदि किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज, धातु, उर्वरक इत्यादि जैसे वर्तमान कार्यकलापों के अतिरिक्त कृषि, समुद्री, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और रसायन को कार्यकलाप के नए क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। पुनर्खरीद व्यवस्था के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा आयात प्रतिस्थापन कोष वाले निवेश प्रस्तावों की खोज की जा रही है। अभी तक, इन प्रस्तावों के कारण कोई समझौता सम्पन्न नहीं हुआ है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसान

372. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन किसानों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1987-88) के 43वें दौर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 196 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग कृषि या भूमि से संबंधित क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे किसानों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) नामक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन किसानों जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, को भी इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है जिसमें सबसिडी और ऋण दोनों दिए जाते हैं। जवाहर रोजगार योजना के तहत लक्षित जनसंख्या को पूरक मजदूरी रोजगार दिया जाता है।

1989 के दौरान किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार 28% लाभार्थियों ने 6,400 रुपये की गरीबी की रेखा को पार कर लिया था। अभी तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 40 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 2546 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया था।

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाना

373. **श्री रामसागर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए सरकार ने देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और प्रसार सम्बन्धी एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक योजनाओं और आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों और प्रावधानों के आधार पर अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7.5 लाख बायोगैस सयंत्रों, 100 लाख उन्नत चूल्हों, 2.75 लाख वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र, 3.00 लाख सौर कुकर, 25000 सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियों, 600 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पों, 4000 पवन पम्पों और 500 पवन बैटरी चार्जरों की स्थापना का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित पवन ऊर्जा, लघु-जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर आधारित लगभग 300 मे० वा० की समग्र क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

374. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में अनेक कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ सहित उनकी वैध बकाया-राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एम०ए०एम०सी० ने सूचित किया है कि जो कर्मचारी "स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना" के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हुए हैं, उनको मिलने वाले देय सभी भुगतान जैसे, नोटिस वेतन, अवकाश वेतन और अनुग्रह राशि दे दिए गए हैं। 828 कर्मचारियों में से 555 कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान भी कर दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को उपदान भी दिया जा रहा है जो आवास खाली कर चुके हैं और विभिन्न विभागों से बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। कम्पनी द्वारा शेष भविष्य निधि और देय उपदान की भी व्यवस्था की जा रही है।

(घ) सरकार द्वारा कम्पनी को परामर्श दिया गया है कि वे बकाया राशियों का भुगतान कर दें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय

375. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है;

(ग) क्या पिछले वर्ष आवंटित की गई सम्पूर्ण धनराशि का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि के ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1992-93 में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में स्वास्थ्य के लिए आबंटित राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

योजना	आबंटित राशि
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	291.58
2. राष्ट्रीय कोढ़ उन्मूलन कार्यक्रम	215.00
3. राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम	165.55
4 राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	172.00

राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए निधियों की रिलीज विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, राज्य सरकारों की निधियों का उपयोग करने की क्षमता और भारत सरकार के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। उत्तर प्रदेश में 1991-92 में साक्षरता अभियान (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) पर अनुमानित खर्च 412.371 लाख रुपये है। वर्ष 1992-93 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि का लगभग पूरा इस्तेमाल कर लिया गया था जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई राशि तथा 1992-93 के लिए आवंटनों के ब्यौरे

(लाख रु० में)

कार्यक्रमों का नाम	आवंटित राशि		उपयोग	
	1992-93	1991-92	1991-92	प्रतिशत उपयोग
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13062.00	13857.12	16226.71	117.10
2. जवाहर रोजगार योजना	49832.36	51093.28	48146.83	94.23
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	4724.00	4724.00	4219.00	89.31
4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1386.00	1386.00	1363.54	98.38

उड़ीसा में हैंडपम्प लगाने के लिए सहायता

376. श्री श्रीकान्त जेना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में अब तक कितने हैंडपम्प लगाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु से चन्दन की लकड़ी का निर्यात

377. डा० राजगोपालन श्रीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने चन्दन की लकड़ी का निर्यात करने हेतु हाल ही में केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु के माननीय मुख्यमन्त्री ने माननीय प्रधानमन्त्री को दिनांक 1-8-92 को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि सभी तरह की (लट्ठों और गुटकों सहित) चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाए ताकि राज्य सरकार चन्दन की लकड़ी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पाने के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की आशा कर सके। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि किसी कारणवश यह संभव न हो सके तो पाउडर, चिप्स, चूर्ण और फ्लेक्स के रूप में 50 ग्राम से अनधिक चन्दन की लकड़ी के निर्यात का प्रावधान नई निर्यात-आयात नीति 1992-97 में भी बरकरार रखा जाए।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच करने के लिए सम्बन्धित विभागों ने एक बैठक आयोजित की थी। पर्यावरण और वन मन्त्रालय तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि लट्ठों, गुटकों, पाउडर, चिप्स, चूर्ण और फ्लेक्स के रूप में चन्दन की लड़की के निर्यात पर पर्यावरण के आधार पर प्रतिबन्ध कायम रखा जाए। अन्य रूपों में अर्थात हस्तशिल्प, तेल और अन्य मूल्यवर्धित मदों के रूप में चन्दन की लकड़ी के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है। यह अनुमति कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।

[हिन्दी]

सिन्दरी उर्वरक इकाई में पदों की संख्या

378. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी उर्वरक संयंत्र (बिहार) में तकनीकी और गैर तकनीकी संवर्गों में श्रेणी 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत मन्जूर की गई पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त संवर्गों में वर्तमान में मंजूरशुदा पदों पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के नियुक्त किए गए अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और इन्हें कब तक भरा जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ०सी०आई०) के सिंदरी एकक के संबंध में क, ख, ग और घ श्रेणियों में मंजूर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

पद की श्रेणी	मंजूर पदों की संख्या	
	तकनीकी	गैर तकनीकी
श्रेणी क	246	84
श्रेणी ख	261	69
श्रेणी ग	1485	463
श्रेणी घ	504	167

(ख) जब कभी पदों को सीधी भर्ती या पदोन्नति से भरा जाता है, एफ०सी०आई० के सिन्दरी एकक में राष्ट्रपति के निर्देश में यथा निर्धारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पालन किया जा रहा है।

(ग) एफ०सी०आई० के सिंदरी एकक में कर्मचारियों की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के पदों में सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या नीचे दी गई है :—

पद की श्रेणी	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या							
	तकनीकी				गैर तकनीकी			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की संख्या			कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की संख्या		
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
श्रेणी क	202	182	15	5	61	49	10	2
श्रेणी ख	264	252	7	5	99	92	6	1
श्रेणी ग	1666	1470	127	69	566	530	9	27
श्रेणी घ	431	210	152	69	292	278	7	7

(घ) अतिरिक्त जनशक्ति तथा गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण सिंदरी एकक में केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर बाहर से कोई भर्ती नहीं की जा रही है। अत: जब भी समस्त रिक्त पद भरे जाएंगे, राष्ट्रपति के निर्देश में निर्धारित आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा।

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

379. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया;

(ख) 1991-92 के दौरान कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया;

(ग) 1991-92 के दौरान कितनी कम्पनियों के नाम रजिस्टर से हटा दिए गए; और

(घ) 1 अप्रैल, 1992 को कम्पनियों का राज्यवार ब्योरा क्या है जिसमें उनका मुख्यालय स्थित है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1 अप्रैल, 1991 को कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की कुल संख्या 224452 थी और 1 अप्रैल, 1992 को ऐसी कार्यरत कम्पनियों की संख्या 250361 थी।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित 26.145 कम्पनियों को पंजीकृत किया गया।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान 201 कम्पनियों द्वारा कार्य बन्द करने के बारे में सूचित किया गया है, जिनमें से 108 कम्पनियों के नाम कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत काट दिए गए थे और 93 कम्पनियां समापन में चली गयीं।

(घ) 1 अप्रैल, 1992 को शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों का राज्यवार ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1 अप्रैल, 1992 को कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों का राज्यवार ब्योरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13309
2.	असम	2135

1	2	3
3.	बिहार	4213
4.	गुजरात	16187
5.	हरियाणा	2737
6.	हिमाचल प्रदेश	1114
7.	जम्मू व कश्मीर	994
8.	कर्नाटक	11146
9.	केरल	4689
10.	मध्य प्रदेश	6163
11.	महाराष्ट्र	56846
12.	मणिपुर	89
13.	मेघालय	153
14.	नागालैंड	185
15.	उड़ीसा	2591
16.	पंजाब	6249
17.	राजस्थान	5675
18.	तमिलनाडु	20301
19.	त्रिपुरा	40
20.	उत्तर प्रदेश	12022
21.	पश्चिम बंगाल	35197
22.	अंडमान और निकोबार आइसलैंड	10
23.	अरुणाचल प्रदेश	90
24.	चंडीगढ़	2397
25.	दादर तथा नागर हवेली	37
26.	दिल्ली	43891
27.	गोवा	1114

1	2	3
28.	दमन तथा द्वीव	21
29.	मिजोरम	13
30.	पांडिचेरी	753
	कुल योग :	250361

उड़ीसा में अतिरिक्त सिंचाई-क्षमता उत्पन्न करने के लिए परिव्यय

380. डा० कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण विकास के हेतु विभिन्न माध्यमों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए आबटित निधि राज्य सरकार को जारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) दो प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) के अन्तर्गत सिंचाई के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, दस लाख कुओं की योजना, जोकि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, के अन्तर्गत राज्य आबंटन की 20% राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमांत किसानों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए सिंचाई कुएं मुहैया कराने के लिए निर्धारित की जाती है। 1992-93 के दौरान उड़ीसा को दस लाख कुओं की योजना के तहत कुल 25.54 करोड़ रुपये की निधियों का आबंटन किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लक्षित समूहों को उत्पादक स्वरूप की आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां खरीदने के लिए सबसिडी दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के लिए लघु सिंचाई, सामुदायिक सिंचाई तथा सिंचाई की योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं। वर्ष 1992-93 के लिए उड़ीसा को पूरे कार्यक्रम के लिए 31.98 करोड़ रुपए (केन्द्र+राज्य) आबंटित किए गए हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई हेतु परिव्यय का ब्यौरा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रीय निधियां पहली अप्रैल 1992 को राज्य सरकार को रिलीज की गई थीं। राज्य सरकार द्वारा अब तक 20.58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष के दौरान 15,374 कुओं का निर्माण किया गया है तथा 11,363 कुओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इसी तरह, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के

दौरान उड़ीसा को कार्यक्रम हेतु 16 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश में से अब तक 9.04 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव

381. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितनी जनसंख्या लाभान्वित होती है;

(ख) इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतः समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) देश की समूची आबादी, जिसमें से लगभग 3/4 ग्रामीण आबादी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ पाने की हकदार है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे परिवारों को, जो छूट गए हों, राशन कार्ड जारी करें।

केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्णतः समाप्त करने के किसी प्रस्ताव की जांच नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का उत्पादन

382. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार क्या लक्ष्य रखे गए थे; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन

अनुमत) : (क) से (ग) खाद्य तेलों के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य अब तक निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नवत हैं :—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्धन परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का, जो 1989-90 तक चालू थीं, 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया। इस योजना में राज्यों को उच्चकोटि के बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिनमें पौध संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, तथा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के विशेष संदर्भ में उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु आवश्यक सहायता दी जाती है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं को सहायता देना।

3. उत्पादन, संसाधन और प्रबंध की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई।

4. तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

5 सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों के सहत क्षेत्र को बढ़ाना और वृक्ष तथा वनोपज तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और आधार ढांचे संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।

7. तेल-ताड़ के विकास हेतु सहायता करना।

8. प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

9. संसाधन एककों के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत करना।

10. तेलयुक्त सामग्री म पूरी तरह तेल निकालने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसधान और विकास कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करना।

[हिन्दी]

खर्चे कम करने के उपाय

383. श्री महेश कनोडिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा खर्चे कम से कम करने हेतु किए गए उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन

अहमद) . (क) और (ख) खर्च में किफायत करने के लिए विविध उपाय किए गए हैं जिनमें पदों को समाप्त करना, यात्रा भत्ता व्यय को कम करना, टेलीफोन लौटा देना आदि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष मे काफी बचत हो जाने की सम्भावना है।

उद्योगों को 51% इक्विटी की स्वीकृति

384. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों को विदेशी मुद्रा की 51% इक्विटी की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगों में लगी देश की पूंजी के प्रतिशत पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) स्वत: अनुमोदन योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी तकनीकी सहयोग से अथवा सहयोग के बिना 51% विदेशी इक्विटी अनुमोदन की मंजूरी हेतु पात्र उद्योगों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद देश में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा 31 अक्तूबर, 1992 तक कुल 7336 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें 176493 करोड़ रु० का कुल पूंजी निवेश परिकल्पित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उद्योगों की सूची

1. धातुकर्म उद्योग

    (1) लौह मिश्र धातुएं

    (2) ढलाई और पिटाई

    (3) अलौह धातुएं तथा उनकी मिश्र धातुएं

    (4) स्पंज आयरन तथा पैलेटाइजेशन

    (5) 300 मि०मी० व्यास से अधिक के बड़े व्यास वाले इस्पात से वेल्ड किए हुए पाइप तथा स्टैनलेस स्टील पाइप

    (6) कच्चा लोहा

2. बायलर और वाष्प उत्पादन संयंत्र

3. मूल गति उत्पादन (वैद्युत उत्पादकों से भिन्न)

(1) औद्योगिक टरबाइन

(2) अन्तर्दहन इंजन

(3) सौर्य वायु इत्यादि जैसी वैकल्पिक ऊर्जा पद्धति तथा तत्सम्बन्धी उपकरण

(4) 60 मैगावाट तक के गैस/हाइड्रो/वाष्प टरबाइन

4. वैद्युत उपकरण

(1) बिजली तथा वितरण ट्रांसफार्मरों, पावर रिलेज, एच०टी० स्विचगियर सिन्क्रोन्स कंडेंसरों सहित बिजली के पारेषण और वितरण हेतु उपकरण

(2) विद्युत मोटरें

(3) विद्युत भट्टियां, औद्योगिक भट्टियां तथा इंडक्शन हीटिंग उपकरण

(4) एक्स-रे उपकरण

(5) इलेक्ट्रोनिक उपकरण कंपोनेंट जिनमें सब्सक्राइबर और दूर संचार उपकरण शामिल हैं।

(6) लीड-इन-वायर के निर्माण के लिए कंपोनेंट।

(7) हाइड्रो/भाप/गैस जनरेटर्स/60 एम० डब्ल्यू० के जनरेटिंग सेट।

(8) आंतरिक दहन इंजिनों पर आधारित जनरेटिंग सेट और पम्पिंग सेट।

(9) जेलीफिल्ड दूर संचार केबिल।

(10) आप्टिक फाइबर।

(11) ऊर्जा एफिसियंट लैम्प्स और

(12) अति लघु कार्बन इलैक्ट्रोड्स

5. परिवहन

(1) मछली पकड़ने के ट्रावलरों सहित 10,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक की यांत्रीकृत नौकाएं।

(2) शिप एन्सीलरीज

(3) (क) वाणिज्यिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन वाहन जिनमें आटोमोटिव

वाणिज्यिक तिपहियों जीप टाईप वाहन, औद्योगिक लोकोमोटिव शामिल हैं।

(ख) आटोमोटिव दुपहिए और तिपहिए।

(ग) आटोमोटिव हिस्से पुर्जे स्पेयर्स तथा सहायक सामान।

(4) रेलवे इक्विपमेंट के लिए शाक आब्जर्वर।

(5) रेलवे स्टाक तथा लोकोमोटिवों के लिए ब्रेक सिस्टम।

6. औद्योगिक मशीनरी

(1) औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरण।

7. (i) मशीनरी औजार और औद्योगिक रोबेटस तथा उनके कंट्रोल एवं सहायक सामान

(ii) जिग्स, फिक्सचर, औजार और विशेष किस्म के सांचे और क्रास लैंड टूलिंग तथा

(iii) इंजीनियरी उत्पादन के औजार जैसे कटिंग और फार्मिंग औजार, नमूने तथा डाइयां और औजार।

8. कृषि मशीनरी

(1) ट्रैक्टर

(2) सैल्फ प्रोपैल्ड हार्वेस्टर कम्बाइन्स

(3) चावल ट्रांसप्लांटर्स

9. अर्थ मूविंग मशीनें

(1) अर्थ मूविंग मशीनें तथा निर्माणकारी मशीनें और इनके कम्पोनेंट।

10. औद्योगिक औजार

(1) दबाव, तापमान, प्रवाह भार स्तर की दर और इसी प्रकार की अन्य विशेषताओं के लिए संकेतक, रिकार्ड व प्रचालन सम्बन्धी उपकरण।

11. वैज्ञानिक तथा इलेक्ट्रोमेडिकल औजार और प्रयोगशाला उपकरण।

12. निम्नलिखित के अधीन आने वाले नाईट्रोजीनस तथा फास्फेटिक उर्वरक।

(1) आई०डी०आर० अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में "18 उर्वरकों" के अधीन अकार्बनिक उर्वरक।

13. रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)

(1) पेट्रोरसायन सहित भारी कार्बनिक रसायन ।

(2) भारी अकार्बनिक रसायन ।

(3) कार्बनिक बढ़िया रसायन ।

(4) सिन्थेटिक रेजिन्स तथा प्लास्टिक्स ।

(5) मानव निर्मित फाइबर ।

(6) सिंथेटिक रबड़ ।

(7) औद्योगिक विस्फोटक ।

(8) तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी, फफूंदीनाशी, घास-पात नाशी और इसी प्रकार के अन्य ।

(9) सिन्थेटिक डिटरजेंट ।

(10) विविध रसायन (केवल औद्योगिक प्रयोग के लिए)

(क) कैटेलिस्ट तथा कैटेलिस्ट सहायक ।

(ख) फोटोग्राफिक रसायन ।

(ग) रबड़ रसायन

(घ) पोलीओल्स

(ङ) आइसोसाइनेट्स यूरेथेन्स इत्यादि ।

(च) तेल की अधिक प्राप्ति के लिए विशेष रसायन ।

(छ) होटिंग फल्यूडस ।

(ज) तारकोल क्षरण तथा इसके उत्पाद ।

(झ) औद्योगिक गैसों के निर्माण के लिए विशेष रसायन ।

(ञ) अधिक ऊंचाई पर सांस लेने वाली आक्सीजन/मेडिकल आक्सीजन ।

(ट) नाइट्रस आक्साइड ।

(ठ) बड़ी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन, कार्बनडाई-आक्साइड जैसी शीतकर गैसें ।

(ड) आरगोन व अन्य दुर्लभ गैसें ।

(ढ) क्षार/अम्ल रोधक सीमेंट कम्पाउन्ड।

(ण) चमड़ा रसायन तथा सहायक सामान।

14. औषध एवं भेषज औषध नीति के अनुसार

15. (1) कागज उत्पाद सहित कागज और लुगदी।

(2) औद्योगिक लेमिनेट्स।

16. (1) मोटर गाड़ी टायर व ट्यूब।

(2) सभी प्रकार की रबड़ युक्त हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीयल बेल्टिंग्स।

(3) रबड़ाइज्ड कनवेयर बेल्टिंग

(4) रबड़ रीइन्फोर्स्ड एवं लाइन्ड फाइबर फाइटिंग होस पाइप।

(5) हाई प्रेशर ब्रेडेड होसस

(6) इंजीनियरी तथा औद्योगिक प्लास्टिक उत्पाद।

17. प्लेट ग्लास

(1) टेलीविजन ट्यूबों के लिए ग्लास शेल

(2) फ्लोटग्लास तथा प्लेट ग्लास

(3) एच० टी० इन्सुलेटर

(4) सभी किस्म के ग्लास फाइबर

18. सरेमिक

(1) औद्योगिक प्रयासों के लिए सरेमिक

19. सीमेंट उत्पाद

(1) पोर्टलैंड सीमेंट

(2) जिप्सम बोर्ड्स, वाल बोर्ड्स इत्यादि।

20. हाई टेक्नोलाजी रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन इक्विपमेंट

21. कार्बन तथा कार्बन उत्पाद

(1) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स एंड एनोड्स

(2) इम्परावियस ग्रेफाइट ब्लाक्स तथा शीट्स

22. प्रीटेंशन हाई प्रेशर आर०सी०सी० पाइप

23. रबड़ मशीनरी

24. प्रिंटिंग मशीनरी

(1) प्रति घण्टे 30,000 या इससे अधिक इमोसन वाली वेब-फेड हाई स्पीड आफ सेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन।

(2) फोटो कंमोजिंग/टाइप सेटिंग मशीन।

(3) 18" × 25" तथा इससे अधिक आकार की बहु-रंगी शीट-फेड, आफ-सेट छपाई मशीनें।

(4) 30,000 अथवा इससे अधिक इंप्रेशन प्रति घंटे उत्पादन वाली उच्च गति की रोटोग्रेवर छपाई मशीनें।

25. वेल्डिंग माइल्ड स्टील हेतु के अतिरिक्त वेल्डिंग इलैक्ट्रोड्स।

26. औद्योगिक सिंथेटिक डायमंड्स।

27. (1) फोटोसिंथेसिस इम्प्रूवर्स

(2) जेनेटिकली मोडिफाइड फ्री लिविंग सिम्बायटिक्स नाइट्रोजन फिक्सर।

(3) फेरोमोन्स।

(4) जीव कीटनाशक।

28. गौण तेलों का निस्तारण एवं उन्नयन

29. पूर्व-निर्मित भवन निर्माण सामग्री।

30. सोया उत्पाद

(1) सोया टैक्सचर प्रोटीन

(2) सोया प्रोटीन आइसोलेट

(3) सोया प्रोटीन कंसंट्रेट

(4) सोयाबीन के अन्य विशेषीकृत उत्पाद

(5) विनटराइज्ज तथा गंध रहित परिष्कृत सोयाबीन तेल।

31. (क) प्रमाणीकृत उच्च उपज देने वाले संकर बीज तथा कृतिक बीज एवं

(ख) पादप तंतु प्रक्रिया से विकसित किए गए उच्च उपज देने वाले प्रमाणीकृत लघु पादप।

32. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर मिल्क फूड, माल्टिड फूड तथा फ्लोर के सिवाए सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।

33. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पैकेजिंग हेतु सभी मदें।

34. होटल तथा पर्यटन सम्बन्धी उद्योग।

35. कंप्यूटर साफ्टवेअर

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

385. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के 13 नवम्बर, 1991 के निर्णय को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 9-1-1992 को एक पुनर्विलोकन अर्जी फाइल की है। अभी उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है।

[अनुवाद]

शारजाह में भारतीयों को कारावास

386. **श्री बी० एस० विजयराघवन** :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री थाइल जॉन अंजलोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जो शारजाह में एक नाटक का मंचन करने के कारण कुछ भारतीयों को कारावास दिए जाने के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कारावास से शीघ्र मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) हवालात में रखे गए लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जा रहा है। हमारे राजदूत इस मामले पर निरन्तर नजर रखे हुए हैं। वह सभी उपयुक्त स्तरों पर स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। यह मामला दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के साथ तथा विदेश कार्यालयों के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भी उठाया गया है। दुबई में हमारे प्रधान

कौंसल और अन्य कौंसली अधिकारी हवालात में रखे गए लोगों से मिलने गए हैं। मामला अभी भी न्यायाधीन है। अभियुक्तों की ओर से एक अपील लगाई गई है जिसकी शीघ्र ही सुनवाई होगी।

चाय उद्योग

387. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चाय उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) चाय उद्योग को सी०आई०एस० देशों द्वारा खरीददारियों में कमी करने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये देश पिछले वर्षों के दौरान भारतीय चाय के प्रमुख खरीददार थे। चाय का उत्पादन भी जनवरी से सितम्बर, 1992 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28.59 मिलि० कि०ग्रा० तक कम हुआ।

(ख) सरकार विभिन्न देशों को उद्योग प्रतिनिधिमंडलों को भेजकर चाय उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है रूस सहित कुछ सी०आई०एस० देशों के साथ व्यापार-सौदे भी किए गए हैं। दूसरे देशों को अपनी चाय की कीमत और क्वलिटी की प्रतिस्पर्धात्मकता बतलाते हुए उनसे आग्रह किया जा रहा है कि भारतीय चाय की अधिक मात्रा में खरीदारी करें।

पामोलीन का आयात

388. श्री पाला के० एम० मैथ्यू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1992 से 31 अक्तूबर, 1992 तक राज्यवार कितना-कितना पामोलीन/पाम आयल आयात किया गया;

(ख) केरल हेतु पामोलीन/पामआयल का आयात करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल द्वारा पामोलीन के आयात के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सीधे आयात की योजना के तहत राज्यों द्वारा आयात किए गए पामोलीन की राज्य-वार मात्रा इस प्रकार है :

राज्य	मात्रा (मी० टन)
1	2
गुजरात	5,952

1	2
केरल	14,921
महाराष्ट्र	8,000 (लगभग)
तमिलनाडु	18,000 (लगभग)
पश्चिम बंगाल	7,894

(ख) केरल सरकार ने अपनी तरफ से पामोलीन के आयात हेतु केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि० को अपने एजेंट के रूप में नामित किया है और इस राज्य निगम ने सप्लायर मैसर्स पावर एण्ड एनर्जी प्राइवेट लि०, सिंगापुर के जरिए पामोलीन का आयात किया है।

(ग) और (घ) 9 जनवरी और 10 जनवरी, 1992 के "पायनियर" दिल्ली अंक में दी गई खबर में यह आरोप लगाया गया था कि केरल के लिए पामोलीन अधिक उंचे मूल्य पर और मूल्यों के संबंध में राज्य व्यापार निगम से परामर्श लिए बिना खरीदा जा रहा है। इसके बाद यह मामला केरल सरकार के साथ उठाया गया जिन्होंने समाचार पत्र की रिपोर्टों का खण्डन किया और उन्हें आधारहीन बताया।

असम में गांवों का विद्युतीकरण

389. **श्री प्रबीन डेका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों के माध्यम से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के सृजन हेतु इस राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्त राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से पैदा की गई अपारम्परिक ऊर्जा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) असम में कारबी, अंगलोंग (एन० सी० हिल्स) एवं कामरूप जिलों के चार ग्रामों का सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 20 ग्रामों को सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

(ख) राज्य सरकार का आठवीं योजना के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली द्वारा 30 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए राज्य को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 201 00 लाख रुपए की राशि नियत की गई है।

(घ) असम राज्य में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन एवं उपयोग कार्यक्रम लागू है। इस कार्यक्रम के एक अंग रूप में दूरस्थ एवं अविद्युतीकृत क्षेत्रों में प्रकाशवोल्टीय प्रकाश प्रणाली, जल पंपिंग प्रणाली, सामुदायिक दूरदर्शन/प्रकाश, लघुग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र इत्यादि स्थापित किए जाते हैं। राज्य में 33 घरेलू प्रकाश प्रणालियां, 2 सामुदायिक प्रकाश प्रणालियां, 2 सामुदायिक टेलीविजन तथा 100 सड़क रोशनी प्रणालियां हैं। राज्य में 2.5 किलोवाट की कुल क्षमता वाले 4 लघु केन्द्रीकृत और प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र हैं।

प्रधानमन्त्री की नेपाल यात्रा

390. श्री पी० एम० सईद :
श्री राजेश कुमार :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री शरद दिघे :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री शिबू सोरेन :
श्री सार्इमन मरांडी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नेपाल की यात्रा की थी;

(ख) नेपाल नेताओं के साथ उनकी किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर वार्ता हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नेपाल के नेताओं के साथ आतंकवादी तत्वों द्वारा भारत में अपनी गतिविधियों के लिए नेपाल के तराई क्षेत्र को आधार के रूप में प्रयोग किये जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां। प्रधानमंत्री ने नेपाल के

प्रधानमंत्री परम माननीय गिरिजा प्रसाद कोईराला के निमंत्रण पर 19 से 21 अक्तूबर, 1992 तक नेपाल की राजकीय सद्भावना यात्रा की थी।

(ख), से (घ) दोनों प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली शिष्टमण्डलों ने आपसी हित के मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों के दौरान और भारत के प्रधानमन्त्री की यात्रा से पहले अधिकारी-स्तर की बातचीत के दौरान भी कई निर्णय लिए गए और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और उसका विस्तार करने की दृष्टि से उनको अन्तिम रूप दिया गया।

इस यात्रा के दौरान एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का उल्लेख है।

व्यापार

भारत को नेपाली माल के निर्यात के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसे बेहतर तथा सरल बनाने के लिए सहमति हुई थी : इस सम्बन्ध में जिन प्रावधानों पर सहमति हुए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल है—

मौजूदा प्राफोर्मा निकासी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और उसके स्थान पर मूल प्रमाणपत्र व्यवस्था जारी की जाएगी जो नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा दी जाएगी।

—भारतीय मण्डी में सीमा-शुल्कों तथा गुणात्मक प्रतिबन्धों के बिना नेपाल के उत्पाद के प्रवेश की पात्रता के निर्धारण में नेपाली घटक श्रम को भी शामिल किया गया है।

—यदि इन तीन घटकों अर्थात नेपाल श्रम घटक, नेपाली सामग्री अन्तर्वस्तु तथा भारतीय सामग्री अन्तर्वस्तु का कुल प्रतिशत अनुपात 50% से अधिक हो तो उत्पाद को भारतीय मण्डी में शुल्क-मुक्त तथा कोटा-मुक्त प्रवेश मिल जाएगा।

—नेपाल से भारत को जो निर्यात होते हैं वे सभी उपर्युक्त प्रावधानों की परिधि में आ जाएंगे सिवाए थोड़ी सी नकारात्मक मदों को छोड़कर जिनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

—दोनों पक्षों ने कार्यविधियों पर सहमति व्यक्त की है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि मूल प्रमाण पत्र व्यवस्था को कुशलता पूर्वक तथा उचित तरीके से क्रियान्वित किया जाता है।

—भारत-नेपाल व्यापार से सम्बन्धित बहुत से अन्य मसलों को भी सुलझा लिया गया है जिनका उल्लेख नीचे दिए अनुसार है—

—नेपाली सीमा से कलकत्ता/हल्दिया तक आने जाने के लिए नेपाल के गैर सरकारी वाणिज्यिक वाहनों के आने-जाने का जहां तक सम्बन्ध है केवल उन्हीं वाहनों को इसकी इजाजत दी जाएगी जिन्हें नेपाल ट्रांजिट एण्ड वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड या नेपाल परिवहन निगम अथवा नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो और उनके द्वारा भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को आवश्यक वचन दिया गया हो।

नेपाल भारतीय रुपए में भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अलावा मुक्त रूप से परिवर्त्य मुद्रा में

भुगतान के जरिए भारत से माल का आयात कर सकता है। ऐसे माल के आयात के लिए नेपाल के महामहिम की सरकार उपर्युक्त में से किसी एक प्रणाली का चुनाव कर सकती है। भारतीय निर्यातक वे सभी निर्यात लाभ पाने के हकदार होंगे जो मुक्त रूप से परिवर्त्य मुद्रा में ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध किए जाते हैं।

भारत होकर नेपाल से नेपाल को नेपाली वाहनों तथा माल की आवाजाही की इजाजत नकद जमा और बन्ध पत्र प्रणाली के बिना नेपाली सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दिए गए आवश्यक वचन पर दी जाएगी।

आयातों

भारत सरकार नेपाल को दी गई परिक्रामी आपाती ऋण सुविधा को 35 करोड़ रुपए (भारतीय मुद्रा) से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने के लिए सहमत हो गई है। इस करार की वैधता अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान 7% वार्षिक विशेष रियायती ब्याज दर को बनाए रखा जाएगा।

संयुक्त उद्यम

भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा उदारीकृत मार्ग निर्देशों के परिणामतः नेपाल में ऐसे उद्यमों की स्थापना से सम्बद्ध प्रक्रियाएं काफी हद तक सरल हो जाएगी मूल प्रमाण-पत्र व्यवस्था के साथ-साथ नेपाल में भारत को होने वाले निर्यात का प्रोत्साहन तो होगा ही साथ ही नेपाल का औद्योगीकरण भी होगा और वहां स्थानीय रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

जल संसाधन सहयोग

दोनों पक्षों ने करनाली, पंचेश्वर, सप्तकोशी, बूढ़ी गंडक, कमला तथा बागमति परियोजनाओं के साथ-साथ बाढ़-पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने, बाढ़-नियन्त्रण, पुश्तों के निर्माण तथा विद्युत आदान-प्रदान के संबंध में जांच, परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की है। इस बात पर भी सहमति हुई कि पन-बिजली परियोजना की स्थापना में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाए। दोनों सरकारों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि बूढ़ी गंडक तथा पंचेश्वर योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस बात पर भी सहमति हुई कि शरद-बांध करार के तहत नेपाल को पानी की आपूर्ति बरकरार रखी जाएगी।

बी० पी० कोईराला भारत-नेपाल फाउन्डेशन

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस फाउन्डेशन का दोनों प्रधान मंत्रियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। इसमें भारत तथा नेपाल के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ाने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था है। जिन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा वे क्षेत्र इस प्रकार हैं—कृषि अनुसंधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, तकनीकी-प्रशिक्षण, विकास तथा क्षेत्र-अध्ययन और महिला शिक्षा।

नेपाल में भारतीय सहायता परियोजनाएं

दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि इस समय चल रही सभी भारतीय परियोजनाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रही हैं जिनमें धरन में बी० पी० कोईराला चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना, काठमांडू में बीर असपताल के एक नए स्कन्द की स्थापना, जयनगर-जनकपुर-बीजलपुर रेलवे का जीर्णोद्धार, रंगेली में टेलीफोन केन्द्र की स्थापना तथा बिराटनगर-भद्रपुर और चतरा-बीरपुर सड़कों जैसी कुछ नई सड़कें बनाने के निर्माण से सम्बद्ध परियोजनाएं शामिल हैं।

नेपाल के महामहिम की सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार महेन्द्र राजमार्ग के कोहलपुर-महाकाली क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में 17 पुलों का निर्माण करेगी।

भारत नेपाल उच्च स्तरीय कार्यबल की स्थापना की जाएगी जो इस बात का सुनिश्चय करेगा कि उपर्युक्त परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाएं और यह कार्यबल नेपाल में किसी और नई भारतीय सहायता परियोजना की भी जांच करेगा जिसका प्रस्ताव किया जा सकता हो जैसे बी० पी० कोईराला नेत्र चिकित्सा संस्थान और महेन्द्र राजमार्ग के कोहलपुर-महाकाली खण्ड को टनकपुर बांध से जोड़ने का प्रस्ताव।

नेपाल के महाराजधिराज ने पारस्परिक सुविधाजनक तारीख पर भारत की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया निमंत्रण स्वीकार कर लिया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी भविष्य में किसी सुविधाजनक तारीख पर भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

(ङ) जी हां।

(च) नेपाल के महामहिम की सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे नेपाल के जरिये और नेपाल से भारत-विरोधी आतंकवाद पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर

391. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगारोन्मुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) रोजगार मुहैया कराने वाले दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर अब तक 40 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है। 1992-93 में 18.75 लाख और परिवार को सहायता देने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के लिए बजट सहायता के निर्धारित स्तर को देखते हुए इसे पर्याप्त समझा गया है।

जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करके बेरोजगार और अल्परोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) के दौरान लगभग 2546 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया है।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हुई राज्यवार प्रगति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपलब्धि			
		1990-91		1991-92	
		समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या)	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या)	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	263391	810.66	222848	680 41
2.	अरुणाचल प्रदेश	8423	8.44	10888	6.57
3.	असम	50345	126.02	46416	124.02
4.	बिहार	415814	1130.05	336972	836.73
5.	गोआ	3200	8.88	2989	9.56
6.	गुजरात	72426	188.82	72326	254.13

1 2	3	4	5	6
7. हरियाणा	34179	35.03	24756	37.49
8. हिमाचल प्रदेश	17037	35.86	11819	34.16
9. जम्मू और कश्मीर	13008	54.27	13581	60.37
10. कर्नाटक	125027	486.56	108841	401.64
11. केरल	60877	180.96	57562	177.08
12. मध्य प्रदेश	345514	958.57	294810	945.39
13. महाराष्ट्र	214199	850.22	197967	771 64
14. मणिपुर	4962	12.16	4908	5.11
15. मेघालय	3134	7.88	2874	12.02
16. मिजोरम	3366	19.69	2811	5.94
17. नागालैंड	4429	18.98	5442	27.92
18. उड़ीसा	149612	341.97	111712	348.86
19. पंजाब	35944	21.81	27453	19.76
20. राजस्थान	135604	506.01	131906	387.63
21. सिक्किम	1422	8.80	1610	13.62
22. तमिलनाडु	181842	755.21	161603	831.73
23. त्रिपुरा	12222	19.16	16343	20.71
24. उत्तर प्रदेश	508840	1628.27	462259	1562.14
25. पश्चिमी बंगाल	226603	516.85	201476	491.99
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1660	2.97	1502	2.18
27. चंडीगढ़	—	0.11	0	—
28. दादर और नगर हवेली	311	2.84	313	3.94
29. दिल्ली	1567	0.89	550	—
30. दमन और दीव	600	0 63	482	0.88

2	3	4	5	6
31. लक्षद्वीप	139	2.23	124	2.23
32. पांडिचेरी	2078	4.89	1343	5.20
अखिल भारत	2897775	8745.59	2536566	8081.05

जम्मू और कश्मीर दर्शाए बिना भारत के मानचित्र का प्रकाशन

392. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**
श्री आर्क फर्नाण्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में अपनी रिपोर्ट के मुख पृष्ठ पर जम्मू और कश्मीर को दर्शाए बिना भारत का मानचित्र छापे जाने संबंधी समाचारों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की "इंटेग्रेटिंग डिवलपमेंट एंड पापुलेशन प्लानिंग इन इंडिया" रिपोर्ट का अध्ययन/जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन "इंटेग्रेटिंग डिवलपमेंट एण्ड पापुलेशन प्लानिंग इन इंडिया" की जांच की है जिसके आवरण में गलती से जम्मू-कश्मीर को भारत के भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है और इसके साथ-साथ उसमें अन्य गलतियां भी हैं। जैसे ही यह प्रकाशन भारत सरकार के ध्यान में आया, भारत सरकार ने इस प्रकाशन से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ भारत की सीमाओं के गलत प्रदर्शन से सम्बद्ध मसले को उठाया। भारत सरकार को उनसे उत्तर मिला है जिसमें उन्होंने गलतियों के लिए क्षमा मांगी है और यह आश्वासन भी दिया है कि इन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को घाटा

393. **श्री सुखदेव पासवान :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों से निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ है; और

(ग) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को एक रुग्ण इकाई घोषित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उपगत शुद्ध हानि निम्न प्रकार थे :

वर्ष	करोड़/रुपए
1989-90	42.74
1990-91	88.26
1991-92 (अस्थायी)	112.38

(ग) जी, हां। सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार बीमार औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (0) के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा आई०डी०पी०एल० को बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित की गई है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

394. **प्रो० रासा सिंह रावत :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुख्य मन्त्रियों और खाद्य मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या सुधार किया गया है; और

(ख) 31 अक्टूबर, 1992 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें चल रही थीं और गत तीन महीनो के दौरान इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य-वार कौन-कौन सी वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में आबंटित तथा वितरित की गई हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की 13 वीं बैठक अगस्त, 1991 में हुई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों के साथ, जो परामर्शदात्री परिषद के सदस्य हैं, इस बैठक में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था। इस बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर, प्रधान मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अभिज्ञात लगभग 1700 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट करने की एक योजना 1 जनवरी, 1992 को प्रारम्भ की थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार के उपाय शुरू किए थे, जिनमें अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलना, समस्त आबादी को राशनकार्ड जारी करना, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाना किराए पर लेना, उचित दर दुकानों के द्वार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को पहुंचाने की व्यवस्था करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा वितरण पर नजर रखने हेतु लाभ-ग्राहियों की ग्राम/दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करना तथा अभिज्ञात ब्लाकों में चाय, आयोडीनयुक्त नमक, दालों तथा साबुन का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में समग्रत: महत्वपूर्ण प्रगति होने की सूचना दी है। केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जा रहे सामान्य आबंटनों के अलावा अभिज्ञात ब्लाकों को आबंटित करने के लिए 20 लाख मी० टन खाद्यान्न निर्धारित किया है। केन्द्र सरकार ने 1 जून, 1992 से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में वितरण के लिए चावल और गेहूं घटे हुए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रुपये प्रति क्विंटल कम हैं, जारी करने का निर्णय किया है, जिसके साथ यह शर्त है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में अन्तिम खुदरा मूल्य चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 25 पैसे प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

(ख) एक विवरण-I संलग्न है, जिसमें 31-3-1992 को ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की राज्यवार संख्या दी गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और साफ्ट कोक का आबंटन किया जाता है। कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दालों, चाय, आयोडीन युक्त नमक और साबुन जैसी वस्तुएं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों द्वारा बेची जा रही हैं। एक विवरण II संलग्न है, जिसमें अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1992 माहों के लिए गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आबंटन और उनकी उठाई गई मात्रा दर्शायी गयी है।

विवरण I

31-3-92 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30310

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश*	529
3.	असम	23880
4.	बिहार	35023
5.	गोवा	431
6.	गुजरात	9693
7.	हरियाणा	4760
8.	हिमाचल प्रदेश	3083
9.	जम्मू व कश्मीर**	2077
10.	कर्नाटक**	12815
11.	केरल***	
12.	मध्य प्रदेश	14409
13.	महाराष्ट्र	25527
14.	मणिपुर	1593
15.	मेघालय	2902
16.	मिजोरम	668
17.	नागालैंड**	202
18.	उड़ीसा	19589
19.	पंजाब	8162
20.	राजस्थान	11714
21.	सिक्किम	809
22.	तमिलनाडु	16865
23.	त्रिपुरा	1115
24.	उत्तर प्रदेश	63162
25.	पश्चिम बंगाल	15343
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	243

1	2	3
27.	चंडीगढ़	51
28.	दादरा व नगर हवेली	59
29.	दमन व दीव	20
30.	दिल्ली	279
31.	लक्षद्वीप**	19
32.	पांडिचेरी	167
	योग :	305499

* मार्च, 1991 से संबंधित

** दिसम्बर, 1991 से संबंधित

*** केरल ने सभी 13050 उचित दर दुकानें शहरी श्रेणी में बताई हैं।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित जुलाई, 92—सितम्बर, 92 के लिए गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आवंटन/उनकी उठाई गई मात्रा

आंकड़े हजार मी० टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		लेवी चीनी		आयातित खाद्य तेल		मिट्टी का तेल	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	33.9	29.2	504.8	470.6	83.4	0.0	2.1	0.0	146.4	147.4
अरुणाचल प्रदेश	2.1	1.9	24.0	24.4	1.0	0.0	0.1	0.0	2.3	2.4
असम	60.0	56.5	125.3	112.7	30.8	0.0	0.1	0.0	61.7	61.7
बिहार	154.7	142.7	73.7	43.2	105.4	0.0	0.0	0.0	117.9	117.2
गोआ	9.3	5.8	13.6	12.1	1.7	0.0	0.6	0.3	6.8	6.6
गुजरात	195.0	176.9	84.0	79.8	53.9	0.0	2.7	1.0	182.4	183.5
हरियाणा	30.8	28.0	9.0	6.2	20.1	0.0	0.0	0.2	37.2	37.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश	30.0	29.7	19.5	20.1	6.4	0.0	0.5	0.4	9.1	8.7
जम्मू व कश्मीर	60.0	29.2	108.5	48.0	9.2	0.0	0.5	0.0	15.2	15.6
कर्नाटक	75.0	73.1	205.5	194.3	56.0	0.0	0.0	0.0	110.9	111.7
केरल	75.0	68.4	470.0	517.1	41.3	0.0	4.0	1.6	66.3	65.8
मध्य प्रदेश	138.0	139.5	122.8	108.1	78.8	0.0	0.0	0.0	88.5	89.7
महाराष्ट्र	306.0	302.9	186.0	181.7	98.3	0.0	2.0	1.0	366.2	366.0
मणिपुर	9.0	7.0	23.0	16.9	2.2	0.0	0.2	0.1	5.2	5.0
मेघालय	6.0	4.4	28.5	21.7	2.1	0.0	0.3	0.0	3.7	3.7
मिजोरम	3.3	2.6	26.5	26.2	0.8	0.0	0.3	0.1	1.5	1.5
नागालैंड	4.0	2.8	18.0	16.4	1.4	0.0	0.2	0.0	2.5	2.5
उड़ीसा	60.0	57.9	116.3	76.6	41.0	0.0	0.0	0.0	38.9	39.0
पंजाब	15.0	7.3	4.5	2.1	25.0	0.0	0.0	0.0	81.8	81.4
राजस्थान	304.5	274.2	12.0	6.2	55.8	0.0	0.0	0.0	63.4	63.1
सिक्किम	1.8	0.5	13.5	10.8	0.5	0.0	0.0	0.1	1.9	1.9
तमिलनाडु	60.0	43.6	212.5	191.2	71.0	0.0	0.0	0.0	163.8	163.2
त्रिपुरा	6.0	3.5	48.0	37.1	3.3	0.0	0.1	0.0	5.2	5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर प्रदेश	173.5	180.7	113.5	107.9	174.7	0.0	0.0	0.0	229.3	228.2
पश्चिम बंगाल	240 0	177.0	241.7	131.4	81.5	0.0	0.0	0.0	183.4	183.6
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.1	6.0	4.5	11.6	0.3	0.0	0.1	0.1	0.9	0.9
चंडीगढ़	5.4	3.9	0.9	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8
दादरा व नगर हवेली	0.6	0.2	1.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0 8	0.8
दमण व दीव	0.5	0.2	1.5	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7
दिल्ली	216.0	181.3	60.0	45.2	28.6	0.0	0.6	0.7	56.3	56.1
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
पाण्डिचेरी	2.3	0.1	6.0	1.1	1.3	0.0	0.0	0.1	3.6	3.5
योग :	2279.8	2037.0	2879.1	2521.8	1078.0	0.0	14.5	5.9	2059.2	2058.6

लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

आ० = आवंटन

उ० = उठाई गई मात्रा

गुजरात में साधन विहीन समस्या ग्राम

395. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गुजरात में पता लगाए गए साधन विहीन समस्या ग्रामों की संख्या एवं उनका विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने ग्रामों को इस मिशन का लाभ दिया गया था; और

(ग) शेष ग्रामों को इस मिशन का लाभ कब तक दिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण बस्तियों में जल सप्लाई की स्थिति का पता लगाने के लिए नए सिरे से किए गए सर्वेक्षण के ब्यौरों का संकलन किया जा रहा है। 1985 में किए गए सर्वेक्षण से पता लगाए गए "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों में से 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार बिना जल स्रोत वाले 28 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल मुहैया कराया जाना रहता था।

(ख) 1991-92 के दौरान "बिना जल स्रोत" वाले 24 समस्याग्रस्त गावों को पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं। 1992-93 में अब तक "बिना जल स्रोत" वाले 3 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधाओं के तहत कवर किया गया है।

(ग) "बिना जल स्रोत" वाले 25 समस्याग्रस्त गांवों में मार्च 1993 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है।

परिवहन क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण

396. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन क्षेत्र के गैर-सरकारीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए योजना आयोग ने सभी राज्य चालित परिवहन निगमों को वित्तीय वर्ष 1993-94 से निगमों को अपने बेड़े की विस्तार योजनाओं को समाप्त करने, घाटे वाले मार्गों पर बसें न चलाने तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित उद्देश्यों के अनुसार योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि 1993-94 की वार्षिक योजना बनाते समय वे निम्नलिखित के बारे में कार्रवाई करें :

(i) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एस०आर०टी०यू०) की क्षमता में सुधार करने।

(ii) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के उन मामलों को छोड़कर जहां निजी क्षेत्रक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना कम है, यात्री परिवहन के इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रक के लिए धीरे-धीरे स्थान बनाना चाहिए; तथा

(iii) अत: राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए योजना आयोग ने अतिरिक्त स्टाफ की छंटनी करने के लिए राज्य सरकारों से नहीं कहा है इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से योजना आयोग को कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

आर्थिक उदारीकरण

397. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सुधारों को विशेष रूप से औद्योगिक उदारीकरण तथा विनियमों से मुक्त करने के संबंध में, विलंबित गति से लागू किया जा रहा है, जैसाकि 6 अगस्त, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नीति को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (i) घरेलू तथा विदेशी दोनों उद्यमियों की सहायता करने के लिए उद्योग मंत्रालय में एक सहायता कक्ष का गठन किया गया है।

(ii) नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कारगर तंत्र तैयार करने हेतु 16-10-1992 को नई दिल्ली में राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पड़े शीर्षस्थ पद

398. श्री राम बदन :

श्री सुब्रत मुखर्जी :

श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आज तक कितने शीर्षस्थ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे कितने पदों को भरे जाने की सम्भावना है और किन-किन उपक्रमों में ये पद भरे जाएंगे; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में ये शीर्षस्थ पद वर्ष 1991-92 के दौरान भरे गए थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) 1-11-1992 को उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारियों (अंशकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक) के 28 शीर्ष पद रिक्त हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1-11-1992 से 31-3-1993 की अवधि के दौरान शीर्ष पदों को भरे जाने की सम्भावना है, उनके नामों की एक सूची विवरण-I पर संलग्न है।

(ग) 1-4-1991 से 31-3-92 की अवधि के दौरान सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारियों के 61 शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का अनुमोदन किया था। इनके नाम तथा पदों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण-II पर संलग्न है।

विवरण-I

क्रम सं०	पदनाम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम
1	2
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश) लि०
2.	प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लि०
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल निगम
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (अपक्रम) लि०
6.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०
7.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०

1	2
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि०
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम।
10.	प्रबन्ध निदेशक, उड़ीसा ड्रग्स तथा रसायन लि०
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मद्रास उर्वरक लि०
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बंगाल इम्युनिटी लि०
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय जूट मैनुफैक्चरिंग निगम
14.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय परियोजनाएं तथा उपकरण निगम लि०
15.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मणिपुर राज्य ड्रग्स तथा फार्मेस्युटिकल्स लि०
16.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय टेलीफोन उद्योग
17.	प्रबन्धक निदेशक, नागालैंड पल्प तथा पेपर क० लि०
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि०
19.	प्रबन्ध निदेशक, बिक्को लारी लि०
20.	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट फार्मेस निगम लि०
21.	अध्यक्ष, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

1	2
22.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग क० लि०
23.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय ड्रेजिंग निगम लि०
24.	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय होटल निगम
25.	प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय उर्वरक लि०
26.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर निगम लि०
27.	प्रबन्ध निदेशक, भारत लेदर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०
28.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
29.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स लि०
30.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय मिनरल विकास निगम
31.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पैकेजिंग लिमिटेड
32.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लि०
33.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०
34.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राइटस-रेल इण्डिया तकनीकी तथा आर्थिक सेवाएं लि०
35.	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय चाय व्यापार निगम

1	2
36.	प्रबन्ध निदेशक भारत पम्प तथा कम्प्रेशर लि०
37.	प्रबन्ध निदेशक, भारत वैगन इंजीनियरिंग क० लि०
38.	प्रबन्ध निदेशक, पारादीप फास्फेट्स लि०
39.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नाथपा झाखड़ी ऊर्जा निगम लि०
40.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, लुब्रीजोल इण्डिया लि०

विवरण-2

क्रम सं०	पदनाम	सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के नाम
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स लि०
2.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान पेपर निगम
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (होल्डिंग कम्पनी) लि०
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उ० प्र०) लि०
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (म० प्र०) लि०
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी० एण्ड ओ०)
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	कोचीन शिपयार्ड लि०
8	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि०
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सेमी कण्डक्टर कम्प्लेक्स लि०
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन
11.	प्रबन्ध निदेशक	इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स लि०

1	2	3
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
13.	प्रबन्ध निदेशक	पारादीप फास्फेट लि०
14.	अध्यक्ष	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०
15.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	नेशनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन
16.	प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
17.	प्रबन्ध निदेशक	तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लि०
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	कोचीन रिफाइनरीज लि०
19.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०
20.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि०
21.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	मारुति उद्योग लि०
22.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
23.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	मेटल्स स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन
24	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०
25.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन
26.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	भारत अलुमिनियम कम्पनी लि०
27.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	भारतीय दूर संचार लि०
28.	प्रबन्ध निदेशक	बामर लारी एण्ड कम्पनी लि०
29.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०
30.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	कुद्रेमुख आयरन ओर लि०
31	प्रबन्ध निदेशक	भिलाई स्टील प्लांट
32.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	भारतीय जूट निगम लि०
33.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
34.	प्रबन्ध निदेशक	ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी लि०

1	2	3
	35. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	कोल इण्डिया लि०
	36. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	इंजीनियर्स लि०
	37. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान साल्ट लि०
	38. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	एयर इंडिया
	39. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान केबल लि०
	40. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइडस लि०
	41. प्रबन्ध निदेशक	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०
	42. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	नार्थर्न कोलफील्डस लि०
	43. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	इस्टर्न कोलफील्डस लि०
	44. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	वायुदूत लि०
	45. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	सेन्ट्रल कोलफील्डस लि०
	46. प्रबन्ध निदेशक	एजुकेशन कनसल्टेंटस इंडिया लि०
	47. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	भारत अर्थ मूवर्स लि०
	48. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	फाईराइटस फोसफेट एण्ड केमिकल्स लि०
	49. प्रबन्ध निदेशक	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
	50. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि०
	51. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान मशीनस टूल्स लि०
	52. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	मिटको-मिका ट्रेडिंग कार्पोरेशन
	53. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स लि०
	54. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	बैंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०
	55. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	तानरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन लि०
	56. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
	57. प्रबन्ध निदेशक	उत्तर प्रदेश, ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

1	2	3
58.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	हाऊसिंग अर्बन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन
59.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि॰
60.	प्रबन्ध निदेशक	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि॰
61.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	मैंगनिज ओर इण्डिया लि॰

[अनुवाद]

ग्रामीण कारीगरों को औजार प्रदान करना

399. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री बलराज पासी :
श्रीमती वीनिका एच॰ टोपीवाला :
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ जिलों में सभी पारम्परिक ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजार उपलब्ध कराने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को देश के अन्य जिलों में भी शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस योजना से प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति लाभान्वित होने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक भाग है तथा इसका उद्देश्य पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों द्वारा अपने शिल्प में हाथ के आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादन और आय में वृद्धि करना है। इससे काम की नीरसता में भी कमी आएगी। इससे ग्रामीण कारीगरों के शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी। प्रत्येक औजार-किट की औसत लागत 2000/- रुपए अनुमानित की गई है, जिसमें 90 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत योगदान कारीगर का होगा।

(ग) और (घ) 1992-93 के दौरान पहले चरण में देश के 57 जिलों को कवर किया जा रहा है। तथापि, 1993-94 के दौरान दूसरे चरण में 50 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है। धीरे-धीरे योजना को शेष जिलों में भी लागू किया जाएगा।

(ङ) इस कार्यक्रम के लिए समग्र रूप से 18.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं तथा 1992-93 के दौरान योजना के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या एक लाख है।

यूनियन कार्बाइड के पूर्व चेयरमैन का प्रत्यावर्तन

400. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री शरद दिघे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भोपाल गैस त्रासदी की जांच के सम्बन्ध में यूनियन कारबाइड (इंडिया लिमिटेड) के पूर्व चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के प्रत्यावर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) यूनियन कार्बाइड कोरपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष को वापस भेजने की आवश्यक प्रक्रिया पर विचार हो रहा है।

(ख) और (ग) अन्वेषक अधिकारी का एक विस्तृत शपथपत्र उपलब्ध प्रमाणों के साथ राजनयिक स्रोत के माध्यम से प्रत्यर्पण के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा जा रहा है। केन्द्रीय अन्वेषक ब्यूरो (सी०बी०आई०) के अधीन इन दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा है।

विदेशी नेताओं की भारत यात्रा

401. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन माह के दौरान कई विदेशी नेताओं/प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के साथ हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी तथा कोचीन में चाय की नीलामी

402. **श्री शरद यादव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी तथा कोचीन में हाल ही में हुई चाय की नीलामी में रूस के खरीदारों ने भाग नहीं लिया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चाय उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के निर्यात पर इसका कुल मिला कर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) सरकार द्वारा देश में चाय उद्योग को मन्दी से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) चालू वर्ष के दौरान रूसी क्रेता भारत में चाय के नीलामी केन्द्रों में उतनी सक्रियता से भाग नहीं ले रहे हैं जितनी सक्रियता से वे पहले लिया करते थे ।

(ख) इसके मुख्य कारण भूतपूर्व यू० एस० एस० आर० का विघटन होना भारत और कुछेक सी० आई० एस० देशों के बीच हस्ताक्षरित संलेखों में रुपये से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन तथा कुछेक सी० आई० एस० देशों के सामने आ रही विदेशी मुद्रा की समस्याएं आदि हैं ।

(ग) रूसी संघ और अन्य सी० आई० एस० देशों द्वारा कम खरीद करने के परिणाम स्वरूप चालू वर्ष के दौरान भारत से चाय के निर्यातों में कमी आई है ।

(घ) सरकार विभिन्न देशों को उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजकर चाय निर्यात के विविधीकरण को प्रोत्साहित करती रही है । रूस सहित कुछ सी० आई० एस० देशों के साथ व्यापार संलेख भी किए गए हैं । अन्य देशों की तुलना में भारतीय चाय की कम कीमत और उसकी गुणवत्ता बतलाते हुए अन्य देशों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारतीय चाय की अधिक मात्रा में खरीददारी करें ।

[हिन्दी]

मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति

403. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैडिकल शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार का इन सिफारिशों के बारे में क्या कारंवाई करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रोनिक ध्वनि प्रणाली उद्योग का विकास

404. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि प्रणाली उद्योग के नवीकरण और विकास में कोई कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के अग्रेसर विकास और इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि प्रणाली के निर्यात की संभावना के भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं । उदार औद्योगिक तथा व्यापार नीति के फलस्वरूप, स्वदेशी तथा निर्यात दोनों ही बाजारों में इस उद्योग का विकास हो रहा है । इसका निर्यात तेज करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत मूल्य पर आधारित मानक इनपुट-आउटपुट मानदण्डों को संशोधित किया गया है । औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, ये इकाइयां विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए स्वत: अनुमोदन प्राप्त करने के पात्र हैं, जिससे इस उद्योग को अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता मिलेगी ।

[हिन्दी]

यूरिया का उत्पादन

405. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने यूरिया की मांग में वृद्धि को देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार इसकी मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) यूरिया की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये है । अमोनिया-यूरिया पर आधारित तीन नए संयंत्र बबराला (उ० प्र०), शाहजहांपुर (उ० प्र०) और गाडेपन

(राजस्थान) प्रत्येक में एक-एक निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन के अधीन हैं तथा उनके लिए गैस का आवंटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आंवला (उ० प्र०) में इफको के अमोनियम यूरिया संयंत्र, विजयपुर (म० प्र०) में एन० एफ० एल० के अमोनिया-यूरिया संयंत्र के विस्तार के लिए एवं कृष्णा-गोदावरी बेसिन (आं० प्र०) में एक मध्यम आकार के अमोनिया यूरिया संयंत्र के लिए गैस के आवंटन का संकेत दिया जा चुका है।

यूरिया क्षमता का इससे अधिक सृजन अधिकांशत: प्राकृतिक गैस तथा अन्य पैट्रोलियम फीडस्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) 31 अक्तूबर, 1992 को यूरिया की मांग एवं पूर्ति की स्थिति इस प्रकार थी—

(लाख टनों में)

1992-93 रबी के दौरान ई० सी० ए० आबटन (1-10-92 से 31-3-93)	31-10-1992 को उपलब्धता	31-10-92 तक बिक्री
88.01	23.55	9.00

महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकास कार्य

406. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू किये गये प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में किसी नये उपक्रम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर विकास कार्य किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं उनमें से प्रत्येक में विगत दो वर्ष के दौरान विस्तार, विकास तथा प्रतिस्थापन पर किए गए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थापना अथवा मौजूदा

परियोजनाओं के विस्तार आदि का निर्णय परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ राष्ट्र के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1990-91	1989-90
1	2	3	4
1.	एयर इंडिया	11307	9623
2.	एयर इंडिया चार्टर्स लि०	2	1
3.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	19881	20217
4.	भारतीय कपास निगम लि०	14	66
5.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि०	3878	57
6.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	2078	574
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	1702	1576
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	21448	18229
9.	भारतीय होटल निगम लि०	225	121
10.	इंडियन ऑयल ब्लैंडिंग लि०	361	684
11.	इंडियन रेअर आयल कारपोरेशन लि०	59886	46404
12.	इण्डियन रेअर अर्थस लि०	1146	958
13.	इण्डो होक्के होटल लि०	1	0
14.	लुब्रिजोल इंडिया लि०	1526	905
15.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा० लि०	6	8
16.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०	102	111
17.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०	643	442
18.	मझगांव डाक लि०	411	676
19.	खनिज गवेषण निगम लि०	1017	909

1	2	3	4
20.	भारतीय राष्ट्रीय साईकिल निगम लि०	—2	2
21.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	23	31
22.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	16	—15
23.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	0	18
24.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	4307	4751
25.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	268	261
26.	भारतीय नौवहन निगम लि०	22501	13753
27.	विदेश संचार निगम लि०	5124	3440
28.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	15336	14870

[अनुवाद]

सिन्दरी उर्वरक एकक के रक्षित विद्युत संयंत्र

407 श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के रक्षित विद्युत संयंत्र के तुरन्त नवीकरण की आवश्यकता है ताकि इस कारखाने की विद्युत आवश्यकता को पूरा किया जा सके;

(ख) क्या सिन्दरी में रक्षित विद्युत संयंत्रों की सभी नवीकरण योजनाओं को धन की कमी के कारण स्थगित कर रखा है; और

(ग) यदि हां, तो नवीकरण हेतु सिन्दरी एकक के लिए कब तक धनराशि जारी किये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ० सी० आई०) 16.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जिसमें उनके कैपटिव पावर सयंत्र के पुनरुद्धार के लिए 10.78 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है, अपने सिन्दरी एकक का पुनरुद्धार कर रहा है। अब तक कम्पनी ने इस स्कीम पर 3.30 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और आगे का कार्य निधियों के अभाव में रुका पड़ा है।

समग्र निधि बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में निधियां जारी करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

उपभोक्ता उत्पादों में संलग्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

408. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता उत्पादों में लाभ अर्जित करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता उत्पादों में संलग्न भारतीय कम्पनियां अपने बाजार तैयार करने और अपनी बिक्री को बढ़ाने में असफल हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बड़ी संख्या में भारतीय कम्पनियां जिसमें विदेशी इक्विटी भागीदारी शामिल है, उपभोक्ता उत्पादों में संलग्न हैं और भारतीय और बाजार में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं। अनेक भारतीय कम्पनियां बिना विदेशी इक्विटी भागीदारी के सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं तथा भारतीय बाजार में मुनाफा कमा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्रों का विकास

409. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे विकास केन्द्रों की स्थापना में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने की सम्भावनाओं का पता लगाएं। यह सुझाव संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में आने वाली समग्र बाधा की स्थिति को ध्यान में रखकर दिया गया है। इससे विकास केन्द्रों को बाजार से संसाधन जुटाने में अधिक आसानी भी होगी।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जकार्ता

410. **डा० वेंकटेश्वर राव** :
श्री बिलास मुत्तेमवार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जकार्ता, इन्डोनेशिया में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में किन-किन मुद्दों को उठाया गया और किन-किन मुद्दों पर सहमति हुई निर्णय लिया गया;

(ख) इस शिखर सम्मेलन में भारत ने क्या भूमिका निभायी और क्या उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ग) इस शिखर सम्मेलन में किए गए निर्णयों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है/करने का विचार है;

(घ) क्या शिखर सम्मेलन में हाल ही में बोसनिया-हर्जेगोविना में घट रही घटनाओं के मुद्दे को भी उठाया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जकार्ता में हाल में सम्पन्न हुए गुट निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में विकासशील देशों के विशिष्ट हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इन मुद्दों में निरस्त्रीकरण, विकास, उपनिवेशवाद हटाना, मानवाधिकार, पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र की पुनः संरचना और उसे पुनः सक्रिय बनाने, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां और अन्य मुद्दे शामिल हैं। शिखर-सम्मेलन ने इन मुद्दों पर अनेक निर्णय लिए और इसके साथ ही आन्दोलन की सतत् संगतता की पुनः पुष्टि की इसकी भावी भूमिका का उल्लेख किया तथा इसकी चिन्ताओं को कम किया। जकार्ता विज्ञप्ति और जकार्ता घोषणा में इन्हें प्रतिबिम्बित किया गया है।

(ख) भारत ने इन बातचीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सतत् संगतता और साथ ही उसकी भावी कार्य-सूची सहित अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर सामन्जस्य पैदा करने में मदद की।

(ग) शिखर-सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही का समन्वय न्यूयार्क आस्थानी गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है जिसका भारत एक सदस्य है।

(घ) जी, हां।

(ङ) काफी वाद-विवाद के बाद शिखर-सम्मेलन ने बोसनिया-हर्जेगोविना पर एक पैराग्राफ पारित किया जिसमें "आक्रामक कार्यवाइयों" को समाप्त करने तथा साथ ही अत्याचारों को विशेष रूप से "जातीय संहार" समाप्त करने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय समुदाय शान्ति पहल-कदमियों को भी समर्थन दिया गया।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस लिमिटेड को घाटा

411. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को वर्ष 1988-89 से लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लगातार होने वाले इस घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क)और (ख) ई०पी०आई० 1984-85 से प्रचालन लाभ (ब्याज और मूल्यह्रास से पहले) अर्जित कर रही है। तथापि, इसे निवल घाटा, ब्याज और मूल्य ह्रास के पश्चात् हो रहा है। इस घाटे का कारण सरकार से लिए गए ऋणों पर तथा शुरू के वर्षों में बैंकों से लिए गए ऋणों पर भारी ब्याज है।

(ग) और (घ) ई० पी० आई० को हुए घाटे की जांच के लिए श्री बी० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो परीक्षणाधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक परियोजनाएं

412. **श्री राजेंद्र अग्निहोत्री** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991 और 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश की स्वीकृत की गई औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वीकृत की गई परियोजनाओं में किसी परियोजना की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1991 तथा 1992 में अब तक के दौरान संघ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्रक औद्योगिक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुमोदित प्रमुख केन्द्रीय परियोजनाओं के ब्यौरे

परियोजना	क्षमता	अनुमानित लागत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1. पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत पैट्रोरसायन इकाई (मथुरा तेल शोधक कारखाने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की प्रोपिलीन रिकवरी यूनिट)	24 हजार टी पी ए	47.53 करोड़ रु०	
2. भारत इम्यूनलोलॉजिक्स एंड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लि० (बुलन्दशहर)	ओरल पोलियो वैक्सीन की प्रतिवर्ष 100 मिलियन डोज	37.70 करोड़ रु०	
3. मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० का यूपी पैट्रोरसायन काम्पलैक्स (पटना, औरैया)	एलएलडीपीई 1.6 लाख टीपीए एचडीपीई 1 लाख टीपीए, स्टाइरिल 80वां टीपीए, पॉलीस्टिरीन 40 पीटीए	2941.48 करोड़ रु०	
4. इफको के उर्वरक संयंत्र का विस्तार, आंवला	यूरिया का 7.26 लाख टन	1146.00 करोड़ रु०	प्रथम चरण क्लीयरेंस (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी)

रासायनिक संयंत्रों में सुरक्षा उपाय

413. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रामसिंह काश्वी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पानीपत स्थित एन०एफ०एल० प्लांट में अमोनिया गैस रिसने की घटना को ध्यान में रखकर रासायनिक संयंत्रों में आधुनिक सुरक्षा उपाय शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) *: (क) और (ख) रासायनिक संयंत्रों में सुरक्षा उपाय कारखाना अधिनियम के उपबन्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य सबंधित नियमों के द्वारा अभिशासित होता है । विद्यमान सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।*

[हिन्दी]

पूर्वी दिल्ली में अवैध कारखाने

414. **श्री गोबिन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में आई०एस०आई० के फर्जी ट्रेड मार्क का प्रयोग करने वाले कुछ अवैध कारखाने चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में रोजगार के अवसर

415. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु बिहार के लिए कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारत सरकार के दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार सहित सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन की निगरानी सहायता प्राप्त परिवारों के रूप में की जाती है जबकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निगरानी सृजित रोजगार के श्रमदिनों के रूप में की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के संबंध में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियां, निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त हुई उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी है :—

वर्ष	जवाहर रोजगार योजना			समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
	राज्य के अंश सहित आबंटित निधियां (लाख रु० में)	रोजगार सृजन का लक्ष्य (लाख श्रमदिन)	उपलब्धि	राज्य के अंश सहित आबंटित निधियां (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य (सहायता किए गए परिवारों की संख्या)	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1989-90	38711.91	944.19	907.31	11025.89	429239	449033
1990-91	38466.78	1125.86	1130.05	11025.89	350469	415814
1991-92	38466.78	893.77	836.73	10361.80	331578	336972

[अनुवाद]

राज्यों की वार्षिक योजनाओं में विद्युत और सिंचाई क्षेत्रों को प्राथमिकता

416. **श्री आर्त्त फर्नान्डीज :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी राज्यों से उनकी 1993-94 हेतु वार्षिक योजनाओं में विद्युत तथा सिंचाई क्षेत्रों को प्राथमिकता देते रहने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 के लिए अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय विकास प्रक्रिया को सतत रूप में बनाए रखने के लिए राज्यों को अन्य बातों के साथ आधारभूत संरचना सुविधाओं अर्थात ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। विगत में विशेष रूप में सिंचाई तथा विद्युत की परियोजनाओं के अपर्याप्त वित्त पोषण पर भी चिंता व्यक्त की गई। राज्यों से नई परियोजनाओं को शुरू करने में तब तक संयम तथा ध्यान बरतने का अनुरोध किया गया है जब तक कि पहले की चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो जाती। चालू परियोजनाओं को पूर्णत: वित्त पोषित करने के लिए अनुरोध किया गया।

कम्प्यूटर संस्थानों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को रोकना

417. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने पूरे देश में ऐसे कम्प्यूटर संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां, ऐसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को रोकने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिकी विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिये एक योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट क्वालिटी तथा सेवा मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को "ओ" (आरम्भिक), "क" (उन्नत डिप्लोमा) "ख" (स्नातक) तथा "ग" (स्नातकोत्तर) स्तर के विशिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। यह योजना दो व्यवसायिक निकायों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है—कम्प्यूटर सोसायटी आफ इण्डिया तथा इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियर संस्थान (आई०ई०टी०ई०)। ये व्यवसायिक निकाय विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं तथा सफल उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन

418. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं और उसके लिए, राज्यवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (घ) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी०पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०), के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिए गए हैं।

छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान और 90-91 और 91-92 में निर्धारित लक्ष्यों तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के बारे में प्रगति के ब्यौरे नीचे दर्शाये गए हैं :—

	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या लाख में)			जवाहर रोजगार योजना (मिलियन श्रम दिन)		
योजनाएं/वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियों का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
छठी योजना	151.02	165.62	110	2093.88	2037.99	97.3
सातवीं योजना	160.38	181.77	113	3056.06	3496.31	114.4
1990-91	23.71	28.98	122	929.10	874.56	94.1
1991-92	22.52	25.37	113	735.44	808.10	109.9

(घ) आठवीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 180 लाख परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 1992-93 के लिए 18.75 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आठवीं योजना के लिए राज्यवार लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सम्बन्ध है, वर्ष 1992-93 तथा आठवीं योजना अवधि के लिए राज्यवार लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर आठवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार के लगभग 1000 मिलियन श्रमदिन सृजित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत
1992-93 के दौरान आवंटन तथा भौतिक लक्ष्य (अनन्तिम)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल आवंटन	भौतिक लक्ष्य (संख्या)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2440.00	2440.00	4880.00	138079
अरुणाचल प्रदेश	208.00	208.00	416.00	12519
असम	666.00	666.00	1332.00	37711
बिहार	4889.00	4889.00	9778.00	276337
गोआ	43.00	43.00	86.00	2608
गुजरात	1005.00	1005.00	2010.00	56861
हरियाणा	240.00	240.00	480.00	13606
हिमाचल प्रदेश	86.00	86.00	172.00	4871
जम्मू व कश्मीर	120.00	120.00	240.00	6803
कर्नाटक	1527.00	1527.00	3054.00	86425
केरल	830.00	830.00	1660.00	46950
मध्य प्रदेश	3236.00	3236.00	6472.00	183097
महाराष्ट्र	2614.00	2614.00	5228.00	147906
मणिपुर	19.00	19.00	38.00	1092
मेघालय	58.00	58.00	116.00	3275
मिजोरम	87.00	87.00	174.00	5216
नागालैंड	91.00	91.00	182.00	5477
उड़ीसा	1599.00	1599.00	3198.00	90457
पंजाब	203.00	203.00	406.00	11507

1	2	3	4	5
राजस्थान	1559.00	1559.00	3318.00	88189
सिक्किम	17.00	17.00	34.00	1043
तमिलनाडु	2191.00	2191.00	4382.00	123969
त्रिपुरा	68.00	68.00	136.00	6863
उत्तर प्रदेश	6531.00	6531.00	13062.00	369554
पश्चिम बंगाल	2730.00	2730.00	5460.00	154457
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.00	—	43.00	1304
दादरा और नगर हवेली	9.00	—	9.00	261
दमन और दीव	17.00	—	17.00	522
लक्षद्वीप	4.00	—	4.00	133
पांडिचेरी	35.00	—	35.00	1043
अखिल भारत	33165.00	33057.00	66222.00	1875135

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे की धनराशि

419. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मुआवजे की कितनी वास्तविक धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) सरकार ने इन पीड़ितों को अक्टूबर, 1992 तक कितनी धनराशि का भुगतान किया है और वह कितने लाभार्थियों को मिली है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) उच्चतम न्यायालय ने 14/15-2-1989 के अपने आदेश में यूनियन कारबाइड कारपोरेशन (यू० सी० सी०) और यूनियन कारबाइड इंडिया लि० (यू० सी० आई० एल०) को 470 मिलियन अमेरिकी डालर का मुआवजा अदा करने का निदेश दिया था ।

(ख) कल्याण आयुक्त द्वारा कुल 514 मामलों पर निर्णय किये गये हैं । कल्याण आयुक्त द्वारा

तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार संवितरण किए जाने से पहले 60 दिन की अवधि समाप्त होनी चाहिए। दिए गए मुआवजे की राशि 2.18 करोड़ रु० है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में पाक द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना

420. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सितम्बर, 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी इसका ब्यौरा क्या है और इस पर भारतीय शिष्टमण्डल की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें अधिवेशन में 22 सितम्बर, 1992 को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने अपने वक्तव्य में जम्मू व कश्मीर की स्थिति का जिक्र किया तथा इस सन्दर्भ में भारत के खिलाफ कई आरोप लगाए। भारतीय प्रतिनिधि ने सभी आरोपों का प्रभावी रूप से खण्डन किया और इस बात को भी उजागर किया कि पाकिस्तान भारत के आन्तरिक मसलों में खुल्लम-खुल्ला हस्तक्षेप कर रहा है और जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दे रहा है।

सीमेंट एककों का दर्जा बढ़ाया जाना

421. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :
श्री धर्म भिक्षक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ सीमेंट इकाइयों/एककों का कुछ दर्जा बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन सीमेंट एककों की पहचान की गई है;

(ग) इन एककों के विस्तार के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी धनराशि मिल जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) सरकार प्रिकेल्सिनेटरों के साथ अथवा इनके बिना तरल प्रक्रिया संयत्रों को अर्ध-शुष्क शुष्क संयंत्रों परिवर्तित करने, ऊर्जा संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसे आधुनिकीकरण कार्यों के लिए सीमेंट उद्योग को पूरी सहायता देती रही है। विश्व बैंक सीमेंट उद्योग के पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए क्रमश: 200 मिलियन तथा 300 मिलियन अमरीकी डालर के दो ऋण पहले ही दे चुका है। 200 मिलियन

डालर के ऋण से ए० सी० सी०, बिड़ला जूट, के० सी० पी०, इंडिया सीमेंट्स, हीरा सीमेंट्स, कल्याणपुर सीमेंट्स तथा सैंचुरी सीमेंट्स को लाभ प्राप्त हुआ है। 300 मिलियन अमरीकी डालर के दूसरे ऋण से टिस्को, ए० सी० सी०, सेंचुरी सीमेंट्स, गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स तथा लक्ष्मी सीमेंट्स को ऋण दिए गए हैं।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में उठाना

422. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इस्लामी देशों के संगठन की समन्वय समिति द्वारा हाल ही में जारी की गई विज्ञप्ति में कश्मीर का उल्लेख करने संबंधी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले पर इस्लामी देशों के संगठन से बातचीत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) ओ०आई०सी० ने जो नीति अपनाई उसके सम्बन्ध में 29 सितम्बर, 1992 को जारी एक सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि वह "एकतरफा, अस्वीकार्य, पक्षपातपूर्ण तथा अप्रासंगिक" है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के विचारों से बैठक के सभी सहभागियों को तथा ओ०आई०सी० के सचिवालय को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

विशेष आयात लाइसेंस योजना

423. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
डा० रमेशचन्द तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) किन-किन उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त योजना से व्यापारियों के किस वर्ग के लाभान्वित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) विशेष आयात लाइसेंस जारी करने की व्यापक योजना को दिनांक 21 अक्टूबर, 1992 की सार्वजनिक सूचना सं०64/(पी०एन०)/92-97 द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसकी प्रति संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

उर्वरक नीति

424. **श्री के० प्रधानी :**
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों पर एक नई नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी;

(ग) क्या उर्वरक उद्योग को स्वायत्ता देने का विचार है; और

(घ) नई उर्वरक नीति में क्या-क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) जहां तक उर्वरक उद्योग के लिए स्वायत्ता का संबध है उद्योग को पहले से ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और उद्योग का दायित्व मुख्य रूप से गुणवत्ता अनुरक्षण तथा पर्यावरण मानदण्डों का अनुपालन है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को पहले ही अनियन्त्रित किया जा चुका है जबकि नाइट्रोजनी उर्वरक अभी मूल्य और संचालन नियन्त्रण के अध्यधीन है। इस समय कोई अन्य नीतिगत परिवर्तन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भूमि का वितरण

425. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वितरित भूमि का कितना प्रतिशत मूल स्वामियों के पास पहुंच गया है, यह जानने के लिए क्या राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं के कारण क्या हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने यह जानने के लिए कि देश में पुन: वितरित भूमि का कितना प्रतिशत मूल स्वामियों को वापस मिल गया है, कोई सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया है। तथापि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा किए गए आनुमविक अध्ययन से यह पता चला है कि देश में आवंटित भूमि का औसतन 90.3% आवंटितियों के कब्जे में है। अध्ययन के राज्यवार निष्कर्ष विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) उल्लिखित अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि ऐसे मामलों के मुख्य कारण हैं, मूल भू-स्वामी द्वारा आवंटित की जबरन बेदखली, आवंटित भूमि का मुकदमेबाजी में फंस जाना, आवंटितियों के पास कृषि का कोई साधन न होने के कारण भूमि को बेच देना, आवंटित भूमि का कृषि के लिए अनुपयुक्त होने के कारण उसका भौतिक कब्जा नहीं लिया गया और पलायन अथवा किसी अन्य गांव में रहने के कारण आवंटितियों द्वारा भूमि को बेच देना।

(घ) समय-समय पर आयोजित किए गए मुख्य मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि मौके पर जांच द्वारा यह पता लगाया जाए कि क्या लाभार्थी की भूमि अभी तक उसके कब्जे में है। यदि आवंटितियों को बेदखल कर दिया गया है, उन्हें कब्जा दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और आवंटितियों की बेदखली में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिन व्यक्तियों के पास भौतिक कब्जा है, उनका प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	87.64
2.	असम	61.44
3.	बिहार	95.21
4.	गुजरात	95.89
5.	हरियाणा	69.23
6.	हिमाचल प्रदेश	×
7.	जम्मू व कश्मीर	100.00
8.	कर्नाटक	98.35
9.	केरल	99.83

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	92.68
11.	महाराष्ट्र	96.24
12.	मणिपुर	×
13.	उड़ीसा	96.97
14.	पंजाब	62.50
15.	राजस्थान	32.79
16.	तमिलनाडु	87.79
17.	त्रिपुरा	83.78
18.	उत्तर प्रदेश	95.33
19.	पश्चिम बंगाल	96.82
20.	दादरा और नगर हवेली	×
21.	दिल्ली	×
22.	पांडिचेरी	×
	योग :	90.30

स्रोत : देश में लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा भूमि सुधार के किए गए आनुभविक अध्ययन (1988-91)

× अध्ययन में शामिल नहीं किया गया।

महासागरीय संसाधनों का उपयोग करने हेतु कार्यक्रम

426. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासागरीय संसाधनों का दोहन करने और उनका उपयोग करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) महासागरीय संसाधनों का दोहन करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय कितना था और इस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) दोहन हेतु किन-किन महासागरीय संसाधनों/खनिजों को चुना गया है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महासागरीय संसाधनों का दोहन करने के लिए यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) महासागर विकास विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं मध्य हिन्द महासागर में सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन, तरग ऊर्जा संभावना, समुद्र से समुद्री रसायनों एवं औषधियों का मूल्यांकन सम्मिलित था।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के अन्तर्गत आबंटित 39 करोड़ रुपए में से 20.51 करोड़ रुपए एवं गैर-योजना के अन्तर्गत आबंटित 32.11 करोड़ रुपयों में से 26.20 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(ग) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पश्चिम तट (केरल एवं महाराष्ट्र) एवं पूर्व तट (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा) पर भूमि निक्षेपों एवं मध्य हिन्द महासागर में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के निक्षेपों का पता लगाया गया है। बहुधात्विक पिण्डिकाओं मैंगनीज के अतिरिक्त लोहा, निकल, तांबा एवं कोबाल्ट पाया जाता है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को तेज करने, बहुधात्विक पिण्डिकाओं के निष्कर्षण धातुकर्म के लिए प्रायोगिक संयंत्रों को चलाने एवं खनन परीक्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास करने का प्रस्ताव है। केरल में थंगासेरी एवं कार-निकोबार द्वीपों में मस प्वाइंट पर दो और तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तटीय समुद्री संसाधनों को काम में लाने के लिए प्रौद्योगिकीय सहायता के विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

इक्विटी की बिक्री से विशेष निधि की स्थापना

427. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन से एक विशेष निधि बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने दिनांक 19-8-1991 को निदेशक मंडल स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया था और उसमें यह सुझाव दिया था कि सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचकर प्राप्त की जाने वाली धनराशि का उपयोग विशेष रूप से सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों के नवीकरण, समुन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए किया जाना चाहिए न कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) का यह सुझाव नोट कर लिया है। वित्त मंत्री के वर्ष 1992-93 के बजट-भाषण की घोषणा के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी उपक्रमों के और अधिक शेयर बेचकर प्राप्त किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय नवीकरण कोष को दिए जाने का प्रस्ताव है जिसका उपयोग आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिक पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले कामगारों के पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्नियोजन, पुनर्वास आदि के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

मिलियन वेल योजना

428. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार राज्य सरकारें "मिलियन वेल योजना" को क्रियान्वित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इन निदेशों की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जी हां, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना मैन्युअल में निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार दस लाख कुओं की योजना को कार्यान्वित करना होता है। दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन के लिए जवाहर रोजगार योजना के मैन्युअल में निर्धारित मार्गदर्शिकाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के उल्लिखित उद्देश्यों के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं/संगठनों की मार्फत इस योजना का अब समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया है। समवर्ती मूल्यांकन, जोकि पहले ही शुरू हो चुका है, में सृजित की गई परिसम्पत्तियों, जिनमें दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निर्मित कुएं भी शामिल हैं; के स्वरूप पर कार्यक्रम का प्रभाव, सामान्य तौर पर समाज में और विशेष रूप से समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए इसकी लाभप्रदता और गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के कल्याण में जवाहर रोजगार योजना का योगदान मूल्यांकन के मुख्य बिन्दु हैं।

यदि समवर्ती मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर आवश्यक हुआ है तो सरकार कार्यक्रम का पुनर्गठन करेगी।

विवरण

दस लाख कुओं की योजना

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के गरीब, छोटे तथा

सीमांत किसानों को नि:शुल्क खुले सिंचाई कुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में शुरू की गई दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित 20% संसाधनों मे जारी रखा जाएगा। राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा असिंचित भूमि की कुओं द्वारा सिंचाई की संभावनाओं के संदर्भ में जिलों को दस लाख कुओं की योजना के लिए निधियों का आवटन करेंगी। इस खुले आबंटन का आशय केवल कुओं से ही है तथा ट्यूबवैलों तथा बोर वैलों को इस व्यवस्था में नहीं रखा गया है। जहां पर भूमि की आकृति के कारण कुएं खोदना संभव नहीं है, वहां पर दस लाख कुओं की योजना के तहत आवंटित धनराशि का इस्तेमाल दूसरी लघु सिंचाई योजनाओं जैसे सिंचाई तालाबों, जलाशयों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवंटित भूमि जिसमें अधिकतम सीमा से फालतू तथा भूदान भूमि आदि शामिल है, के विकास के लिए किया जा सकता है। इस धनराशि को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के अलावा न तो अन्य वर्ग के लिए और न ही अन्य योजना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. जहां भू-भौतकीय कारणों से एक खुले कुएं को कुछ गहराई तक खोदने के बाद ठोस पत्थर अथवा चट्टान आ जाने पर विस्फोट करना आवश्यक होता है और उसके बाद सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की पर्याप्त मात्रा लेने के लिए एक छोटे बोर की ड्रिलिंग करनी अपेक्षित है, समस्त कार्य के लिए वित्त पोषण योजना में से किया जा सकता है, बशर्ते कि दस लाख कुओं की योजना की निधियों के आबंटन में मजदूरी और सामग्री में 60=40 के अनुपात को बनाए रखा गया हो। इससे अधिक सामग्री लागतों की किसी अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्रोत से पूर्ति किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. जहां किसी वित्तीय वर्ष विशेष में दस लाख कुओं की योजना पर निर्धारित आवंटन की 80% राशि खर्च की जा सकती हो तो राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ताकि उस वर्ष विशेष में आवंटित निधियों का शत-प्रतिशत उपयोग संभव हो सके और अधूरे कामों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान लेकिन प्रत्येक कार्य के आरम्भ होने से 12 महीने की कुल अवधि में पूरा कर लिया जाय।

3.1 कार्यों के लिए लागत/क्षेत्र के मानदंड :

3.2 दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत कार्यों के बारे लागत/क्षेत्र के मानदंडों का निर्णय एक समिति द्वारा लिया जायेगा जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (योजना), सचिव (सिंचाई) और लघु सिंचाई के मुख्य अभियन्ता शामिल होंगे।

4. कुओं/सिंचाई के साधनों का पंजीकरण

4.1 योजना के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक कुआं/सिंचाई का साधन लाभार्थी के खेत में होना चाहिए और इसका ब्यौरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

5. दस लाख कुओं की योजना के तहत सहायता के लिए अपात्र श्रेणी

5.1 आई०आर०डी०पी० के तहत जिन लाभार्थियों को लघु सिंचाई के लिए पहले ही सहायता

दी जा चुकी है, उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु जिन आई०आर० डी०पी० लाभार्थियों को लघु सिंचाई के लिए सहायता नहीं दी गई है, उन्हें सहायता देने पर कोई रोक नहीं है।

6. कार्यान्वयन एजेंसी :

6.1 लाभार्थियों को अपने श्रम अथवा स्थानीय श्रम, जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा, से कुएं खोदने के लिए कहा जाएगा। किसी भी हालत में परियोजना अधिकारियों द्वारा ठेके पर काम नहीं दिया जाएगा।

7. असफल कुओं के बारे में व्यवस्था

7.1 असफल कुएं की परिभाषा :

खराब किस्म के पानी की वजह से असफल कुएं सहित विभिन्न प्रकार के भू-जल ढांचों की असफलता निर्धारित मानदंड और असफल कुओं के लिए सहायता की मात्रा नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी :

कम पानी देने के कारण असफलता :

(क) यदि कोई कुआं न्यूनतम 2 मीटर के व्यास में खोदा गया है और उसकी कम से कम गहराई 10 मीटर है तो "रबी" में 24 घंटे में से कम से कम दो घंटे की अवधि के दौरान उससे निकलने वाले पानी की मात्रा प्रति सैकेंड 2 लीटर से कम है (24 घंटे की अवधि में पुनः सम्पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए) तो यह समझा जाएगा कि कुआं एक असफल कुआं है।

पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण कुओं की असफलता :

(ख) किसी कुएं को पानी की क्वालिटी की वजह से तभी असफल समझा जा सकता है जब पानी की क्वालिटी ऐसी हो जिसमें तीनों या तीनों में से कोई मापदंड अर्थात् इलेक्ट्रिकल कण्डक्टीविटी, रेजिड्युअल सोडियम कार्बोनेट अथवा बोरोन की मात्रा नीचे दर्शायी गई मात्रा से अधिक हो :—

क्रमांक	भूमि की बनावट	इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (माइक्रो एम०एम० ओ०सी०एम)	रेसिड्युअल सोडियम कार्बोनेट (पी०पी०एम०)	बोरोन (पी०पी०एम०)
1	2	3	4	5
1.	मिट्टी	2,000	5	2
2.	चिकनी दुमट	3,000	5	2
3.	दुमट	4,000	5	2

1	2	3	4	5
	4. रेतीली मिट्टी	6,000	5	2
	5. रेतीली मिट्टी	8,000	5	2

कुओं की ढांचा संबंधी असफलता :

(ग) ढांचा संबंधी असफलता के कारण खोदे जाने वाले कुओं को असफल समझा जा सकता है यदि खुदाई के समय पता न लगने वाली उप सतह पर खाली जगह आ जाने से साथ की दीवार इतनी गिर जाए कि कुए को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दोबारा खुदाई आवश्यक हो अथवा खुदाई के समय कोई चट्टान अथवा तली में चट्टान आ जाए जिसे इक्वीयर के न होने के कारण आगे खोदना सम्भव न हो।

प्रमाणीकरण एजेंसी :

7.2 प्रत्येक राज्य सरकार असफल कुओं को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में एक जिला अथवा ब्लॉक आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन करेगी। ऐसे प्रत्येक दल में कम से कम एक तकनीकी व्यक्ति अर्थात भू-जल वैज्ञानिक अथवा कृषि अभियन्ता ब्लाक विकास कार्यालय अथवा कृषि विभाग या लघु सिंचाई कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य किसी विभाग में एक सरकारी अधिकारी होना चाहिए।

कुओं की असफलता और सहायता की मात्रा के बारे में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की संतुष्टि

7.3 यदि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई कुआं असफल हो गया है तो वह उपरोक्त धारा (2) में परिभाषित प्रमाणीकरण एजेंसी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी। यदि ऊपर बताए गए मानदंड के आधार पर प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा कुए की असफलता को प्रमाणित कर दिया जाता है तो कुआं खोदने के लिए किसान द्वारा किए गए खर्च का 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।

8. जल उठान के साधनों की व्यवस्था :

8.1 लाभार्थियों की सूची डी०आर०डी०ए० के परियोजना निदेशकों को दी जाएगी जिससे जो लोग जल उठान के साधन लगवाना चाहते हैं, उन्हें आई०आर०डी०पी० के तहत प्राथमिकता दी जा सके।

9. भूमि विकास के लिए व्यवस्था :

9.1 भूमि विकास के बारे में पैरा 19.5 से लेकर 19.9 मे निहित प्रावधान, दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत भी लागू होंगे।

10. निगरानी तथा पर्यवेक्षण :

10.1 जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक के साथ कलेक्टर, जिले में कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षक के प्रभारी होंगे। वे लेखाओं के रखने और ऐसे कदम उठाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे जो परियोजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो। राज्य स्तर की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य के परियोजना अनुमोदन बोर्ड का होगा। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग का सचिव योजना के नोडल कार्यों को पूरा करेगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाना

429. **श्री अन्ना जोशी :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान कश्मीर मुद्दे को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारतीय शिष्टमंडल की प्रतिक्रिया क्या थी; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग किया और इस बात पर बल दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और सदैव रहेगा। शिमला समझौता ऐसे किसी भी सम्बन्धित मसले के लिए आधार प्रदान करता है जिस पर पाकिस्तान, भारत के साथ बातचीत करना चाहता हो। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान ने ऐसे मंच पर द्विपक्षीय मसला उठाकर गुट-निरपेक्ष आंदोलन की परम्पराओं का उल्लंघन किया है जहां परम्परागत रूप से केवल उन्हीं मसलों पर विचार-विमर्श किया जाता है जो आन्दोलन को संगठित करते हैं।

(ग) पाकिस्तान द्वारा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मसला उठाए जाने पर भारत सरकार उसका प्रतिरोध करने के लिए कदम उठाती रही है और उठाती रहेगी।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन

430. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशेष प्रावधान किए हैं;

(ख) क्या लघु उद्योगों को करों में छूट, वित्त पर ब्याज में छूट और विपणन जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उत्पादन शुल्क में छूट, 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज की रियायती दर, एन० एस० आई० सी० तथा

एस०एस०आई०डी०सी० के माध्यम से उनके उत्पादों के लिए विपणन की सुविधा, विशेष विनिर्माण के लिए मदों का आरक्षण, लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद पर मूल्य अधिमान इत्यादि जैसे कई अनुदानों तथा रियायतों की घोषणा की है।

जमाखोरी विरोधी कानून

431. श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी उत्पादकों द्वारा जमाखोरी विरोधी कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 को अक्तूबर, 1982 में संशोधित किया गया था ताकि सरकार प्रतिपाटन शुल्क लगाकर डम्प हुए आयात के खिलाफ उपाय कर सके। इस अधिनियम से सरकार को उन मामलों में प्रतिपाटन शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाता है जहां यह पाया जाए कि डम्प हुए आयात से घरेलू उद्योग को वास्तव में नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार के शुल्क लगाने से पहले सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एवं प्राधिकारी के पाटन और नुकसान के बारे में पता लगाना होगा। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य तौर पर प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही जांच शुरू करेगा।

सरकार ने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित किया है जिसके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है ताकि घरेलू उद्योग डम्प आयात के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सके।

[हिन्दी]

लोहे-तांबे आदि के सामान का निर्यात

432. श्री सुरेन्द्र पाठक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने लोहे तांबे आदि के सामान के (हार्डवेयर) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना सरकार के पास विचारार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) लोहे-तांबे आदि के सामान सम्बन्धी (हार्डवेयर) उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) सरकार को सूचना तकनालाजी उद्योगों से विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं और उन सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाता है। तथापि, हार्डवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सूचना तकनालाजी उद्योग ने हाल ही में ऐसी कोई स्कीम नहीं दी है।

सरकार ने हार्डवेअर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में जो मुख्य उपाय किया है वह है कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई० एच० टी० पी०) की व्यापक योजना की शुरुआत। यह योजना निर्यात संसाधन जोनों या 100% निर्यातोन्मुख इकाइकों पर लागू प्रणाली के अनुसार बनाई गई है। ई०एच०टी०पी० योजना में कोई मूल्यवर्द्धन की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है और उच्च मूल्य-वर्द्धन पर घरेलू टैरिफ एरिया में अधिक बिक्री की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

433. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आयोगों तथा न्यायाधिकरणों अथवा किसी अन्य स्थान पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इन नियुक्तियों को रोकने का विचार है;

(ग) क्या विधि आयोग ने भी न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति को रोकने की सिफारिश की है; और

(घ) इस समय भारत के उच्चतम न्यायालय में तथा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई, 1992 को उच्च न्यायालयों में 13 न्यायाधीश अनुसूचित जाति के और 7 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति के थे। भारत के उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति का एक न्यायाधीश है।

उड़ीसा में "मिलियन वेल योजना"

434. **श्री के०पी० सिंह देव** :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में "मिलियन वेल योजना" के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) 1992-93 के दौरान कुओं की खुदाई के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ तथा अब तक कितने कुएं खोदे गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री जी० वें० टस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उड़ीसा में मिलियन वेल योजना (एम०डब्लू०एस०) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1992-93 में 2554.35 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है ।

(घ) मिलियन वेल योजना के अन्तर्गत कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि मिलियन वेल योजना कार्यक्रमों का एक पैकेज है जिसमें लघु सिंचाई योजनाएं जैसे सिंचाई टैंक, जल एकत्रीकरण ढांचे तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि का विकास भी अनुमेय है, यदि भूवैज्ञानिक कारणों से कुएं खोदना व्यवहार्य न हों । सूचित किया गया है कि राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान अब तक 15574 कुएं खोदे गए हैं ।

गोबर गैस संयंत्र

435. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने गोबर गैस संयंत्र लगाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए दी रही सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गत तीन वर्षों 1989-90 से 1991-92 के दौरान उड़ीसा राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना तथा सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः कुल 38,590 से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र (गोबर गैस संयंत्र) तथा छः सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

(ख) जी, हां।

(ग) बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा राज्य को मिलाकर विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। वर्ष 1992-93 के लिए राज्य नोडल एजेंसी हेतु 11,000 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र एवं एक सामुदायिक अथवा संस्थागत या विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग आयोग भी राज्य में बायोगैस संयंत्र लगा रहा है।

(घ) अप्रैल से अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्य नोडल विभागों अथवा एजेंसियों पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र तथा सामुदायिक संस्थागत एवं विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने हेतु स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

बायोगैस विकास हेतु राष्ट्रीय परियोजना तथा सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल से अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय सहायता पर राज्यवार सूचना

स्वीकृत राशि (लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बायोगैस विकास हेतु राष्ट्रीय परियोजना	सामदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयन्त्र कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	300.08	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	—
3.	असम	20.00	—
4.	बिहार	58.92	2.25
5.	गोआ	2.71	—
6.	गुजरात	621.40	2.02
7.	हरियाणा	31.92	0.75
8.	हिमाचल प्रदेश	75.30	—
9.	जम्मू और कश्मीर	1.75	—
10.	कर्नाटक	107.46	2.50

1	2	3	4
11.	केरल	49.34	0.50
12.	मध्य प्रदेश	86.90	—
13.	महाराष्ट्र	175.36	—
14.	मणिपुर	2.96	—
15.	मेघालय	2.25	—
16.	मिजोरम	3 60	—
17.	नागालैंड	3.00	—
18.	उड़ीसा	158.14	0.50
19.	पंजाब	39.42	1.90
20	राजस्थान	95.22	—
21.	सिक्किम	2.76	0.75
22.	तमिलनाडु	158.49	2.56
23.	त्रिपुरा	2 75	—
24.	उत्तर प्रदेश	220.95	—
25.	पश्चिम बंगाल	35.09	0.75
26.	चंडीगढ़	0.05	—
27.	दिल्ली	0.17	—
28.	पांडिचेरी	3.33	—
	जोड़ :	2256.87	14.38

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत केरल को सहायता

436. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत 15 योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन देने का अनुरोध किया है।

(ख) 15 योजनाओं में से नीदरलैंड सरकार की सहायता हेतु 2 योजनाओं की संशोधित लागत अनुमोदित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत कोजीनजपारा और आस-पास के गांवों के लिए 73.75 लाख रुपए की लागत वाली एक योजना अनुमोदित की गई है। शेष 12 योजनाओं, जिनमें डच सरकार से द्विपक्षीय सहायता हेतु कुन्द्रा और इसके पास की पंचायत की एक पेयजल सप्लाई योजना भी शामिल है, की तकनीकी जांच की जा रही है।

"स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड" में कथित अनियमिततायें

437. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में प्रबन्धन की ओर से बरती गई लापरवाही के कारण सैकड़ों पंखों को अस्वीकृत कर दिया गया था जैसा कि 30 अगस्त, 1992 को हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय सहारा में जानकारी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के निर्यात के लिए रूस को तकनीकी ऋण

438. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तम्बाकू का निर्यात के लिए रूस को तकनीकी ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के भारत-रूसी व्यापार संलेख में ऐसी परिकल्पना है कि भारत द्वारा रूस को 285 मिलियन अमरीकी डालर तक तकनीकी ऋण दिया जाएगा। इसमें से 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण भारत से तम्बाकू सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए दिया गया है। अब रूस ने तम्बाकू सहित विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए 75 मिलियन अमरीकी डालर का एक और तकनीकी ऋण मांगा है।

[हिन्दी]

नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

439. श्री गोविन्द राव निकाम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से नई औद्योगिक नीति का पिछड़े राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 16 अक्तूबर, 1992 को नई दिल्ली मे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय असन्तुलन और आधारभूत सुविधाओं के अभाव पर चिन्ता व्यक्त की थी। औद्योगिक उद्यमियों द्वारा अब तक पेश किये गये ज्ञापनों के रुख से यह स्पष्ट है कि उद्यमी लोग पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि ले रहे हैं। अगस्त 1991 से अगस्त 1992 की अवधि में औद्योगिक उद्यमियों द्वारा दिए गए 6581 ज्ञापनों में 38.5 प्रतिशत औद्योगिक उद्यमियों के ज्ञापन पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार की विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है।

भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार परिषद

440. श्री एन० जे० राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार परिषद की पांचवीं बैठक की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा किन-किन क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता दी जाएगी; और

(घ) जिन क्षेत्रों में व्यापार किए जाने की सम्भावना है उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार परिषद की पांचवीं बैठक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) कुछ सिफारिशें ये हैं :—

1. कुछ अभिज्ञात क्षेत्रों में नीदरलैंड को भारत के निर्यात के लिए और अधिक संभाव्यता उपलब्ध है।

2. भारत में कुछ क्षेत्रों में नीदरलैंड का निवेश बढ़ाने की गुंजाइश है।

3. नीदरलैंड मध्य में स्थित है इसलिए वह यूरोपीय व्यापार में माल तथा सेवाओं की गतिविधि के लिए प्रवेश द्वार हो सकता है।

(ग) दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की एक महत्वपूर्ण शुरुआत यह है कि भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ तथा हालैंड की सी० बी० आई० के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रोटेर-डम में एक व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका सामान्य उद्देश्य भारतीय निर्यातों को बढ़ाना है।

(घ) हालांकि भावी निर्यात प्रवृत्तियों को सही प्रकार से नहीं आंका जा सकता, तथापि चालू वर्ष में नीदरलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात में वस्त्र, परिधान, फैब्रिक्स, यार्न, फल तथा नट्स, चाय, काफी, तम्बाकू, बासमती चावल, जूते तथा गैर-धात्विक खनिक निर्मित माल जैसी मदें शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारत-वियतनाम संबंध

441. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वियतनाम के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में वियतनाम से कोई विशेष प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के जरिए वियतनाम के साथ संबंध मजबूत किए गए हैं सितम्बर, 1992 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव महामान्य दो मुओई की यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम तेल खनन, खनिज, कृषि होटल उद्योग और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों पर बल देते हुए सहयोग के क्षेत्र बढ़ाने पर सहमत हुए। बाद में वियतनाम के साथ कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने वियतनाम के विशिष्ट प्रस्तावों की जांच की है। इसके प्रत्युत्तर में वियतनाम के अधिकारियों को दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध एक मसौदा भेजा गया है। जहाजरानी से सम्बन्धित प्रस्तावित करार पर वियतनाम से और जानकारी मांगी गई है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसधान प्रयोगशालाएं

442. प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान-परिषद के अन्तर्गत कितनी अनुसंधान प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं द्वारा कितने आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) विकसित किए गए; और

(ग) इन प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के अधीन 40 प्रयोगशालाएं/संस्थान कार्यरत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रक्रमो सहित 160 आदिप्ररूप (प्रोटोटाइप) विकसित किए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं (मुख्यालय सहित) पर कुल 763.34 करोड़ रुपए व्यय किए गए है। इसमें वेतन, पेंशन, जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ०, अग्रिम, आकस्मिकताएं, रखरखाव, स्टाफ क्वार्टर (उनका निर्माण और रखरखाव) और अन्य विविध मदों के साथ कुल व्यय का लगभग 66 प्रतिशत व्यय शामिल है।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पद

443. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन निगम, रांची में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के अन्तर्गत तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्गों मे स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) उपर्युक्त संवर्गों में वर्तमान स्वीकृत पदों पर सामान्य वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है; और

(घ) रिक्त आरक्षित पदों का ब्यौरा क्या है और इन्हें, श्रेणी-वार, कब तक भरा जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुन्गन) : (क) एच०ई०सी० में श्रेणी 1, 2, 3, और 4 के अधीन तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	स्वीकृत पद	
	तकनीकी	गैर-तकनीकी
1.	2,761	962
2.	1,486	705
3.	6,683	1372
4.	—	2099

(ख) यह समय-समय पर कुल भरती किए जाने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, नियमों के अन्तर्गत नियत की गई निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार हैं।

(ग) उपर्युक्त संवर्गों में विद्यमान स्वीकृत पदों पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नियुक्त अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1.	3532	60	131
2.	1924	25	242
3.	5871	475	1709
4	117	263	1719

(घ) रिक्त आरक्षित पदों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1.	94	25
2.	—	—
3.	216	—
4.	51	—

एच०ई० सी० ने सूचित किया है कि कारपोरेशन की जन शक्ति को निदेशक मंडल द्वारा

1-11-1980 की स्थिति के अनुसार स्थिर कर दिया गया था। वर्तमान में, एच० ई० सी० में किसी श्रेणी में कोई वास्तविक रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बकाया आरक्षित पदों को भरने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुफ्त कानूनी सहायता

444. श्री कालका दास : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों द्वारा उन व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपए है, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 12000 रुपए करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। किन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों, यायावर जनजातियों के व्यक्तियों को तथा स्त्रियों और बालकों के मामलों में आय की वर्तमान अधिकतम सीमा लागू नहीं होती है।

(ख) और (ग) आय की सीमा बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिवर्ष करने या ऐसी अन्य रकम तक करने का प्रस्ताव है जो संबद्ध राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा विहित की जाए।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए लक्ष्य

445. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रदेश-वार और मद-वार क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92, अप्रैल-सितम्बर, 1992 की संगत उपलब्धि तथा इस कार्यक्रम के आरम्भ से इसकी संचित उपलब्धि क्या रही है;

(ग) 1991-92 और 1992-93 के लिए इस कार्यक्रम पर स्वीकृत वास्तविक व्यय कितना हुआ; और

(घ) इस कार्यक्रम के आरम्भ से 1991-92 तक इस पर मद-वार, राज्यवार संचित व्यय कितना किया गया था ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु आयोग की स्थापना

446. **श्री राम सागर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को समविष्ट करके एक आयोग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने, बढ़ावा देने और उपयोग करने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में अब तक लागू किए गए विभिन्न नीति परिवर्तनों और उपलब्ध प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति और वैज्ञानिक कार्मिकों के लिए कार्य संबधी वातावरण में तेजी लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

गुजरात में चल-वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

447. **श्री महेश कनोडिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गुजरात में सुदूर क्षेत्रों में जाने के लिए चल-वाहनों को खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) गुजरात सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान कितने चल-वाहन खरीदे; और

(ग) गुजरात सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए चल-वाहनों की खरीद हेतु कितनी धनराशि की मांग की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को 1991-92 के दौरान मोबाइल वैनों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता लेने हेतु गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का कोटा

448. **श्री राम विलास पासवान :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया

पदों को भरने के लिए 1989, 1990 तथा 1991 में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं साथ ही साथ इसी प्रकार के विशेष भर्ती अभियान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा निगमों में भी चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ व्यापार संबंध

449. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलादेश के साथ व्यापार सम्बन्धों को और बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं :—जहां तक संभव हो, सीमा-शुल्क में रियायत, व्यापार मेलों में भागदीरी, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान तथा सरकारी एवं व्यापारिक स्तरों पर वार्तालाप।

निम्नांकित व्यापार आंकड़ों से इन उपायों का प्रभाव स्पष्ट होगा :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	कुल व्यापार
1987-88	201.60
1988-89	276.47
1989-90	477.63
1990-91	578.73
1991-92	823.60

पामोलीन का आयात

450. श्री पाला के० एम० मेथ्यू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम ने जनवरी, 1992 से कितनी मात्रा में पामोलीन/पाम आयल का आयात किया?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने माह जनवरी, 1992 से लेकर अब तक लगभग 71126 मी० टन आर०बी०डी० पामोलीन का आयात किया है।

[हिन्दी]

असम में मोबाइल वैनों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता

451. **श्री प्रबीन डेका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने के लिए मोबाइल वैनों की खरीद हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) असम सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सहायता से कितनी मोबाइल वैनें खरीदी हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान मोबाइल वैनों की खरीद हेतु कितनी राशि की मांग की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान असम सरकार को मोबाइल वैनों की खरीद के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ऋण लाइसेंस

452. **श्री राजेश कुमार** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०डी०पी०एल० द्वारा दवाएं तैयार करने हेतु प्रतिवर्ष प्राप्त किए गए ऋण लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तैयार किए गए उत्पादों के नाम क्या हैं तथा प्रति पैकेट भुगतान दर कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०डी०पी०एल० द्वारा लागत मानकों की तुलना में प्रति वर्ष कुल कितनी बचत की गई; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जैसाकि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई है, ऋण लाइसेंस के आधार पर कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी सूत्रयोग का निर्माण नहीं किया।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का विकास

453. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास हेतु कोई धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस धनराशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

454. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण विकास तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

(ख) इनके लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है तथा उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) ऐसे कार्यक्रमों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या ऐसे सभी विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण और पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) तथा सम्बद्ध कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०)। राज्य योजना क्षेत्रक में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय तथा आई०आर०डी०पी०, जे०आर०वाई० तथा डी०पी०ए०पी० के सम्बन्ध में किए गए आवंटन इस प्रकार थे :—

वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय	आवंटन (लाख रु० में)
1989-90	8295.00	4533.17
1990-91	5915.00	4575.38
1991-92	6545.81	4471.47

राज्य योजना क्षेत्रक आवंटन के अलावा केन्द्र ने उपरोक्त कार्यक्रमों तथा डी०डी०पी० के लिए भी निम्नलिखित राशियां प्रदान की हैं (जोकि पूर्णतया केन्द्र द्वारा वित्त पोषित की जाती है) :—

वर्ष	आवंटन (लाख रु० में)
1989-90	15889.71
1990-91	16058.54
1991-92	15954.63

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुल व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय (लाख रु० में)
1989-90	18210.11
1990-91	25986.51
1991-92	21420.69

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता दिए गए व्यक्तियों/परिवारों की संख्या तथा आई० आर० डी० पी० तथा जे० आर० वाई० के तहत सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	स्कीम/यूनिट	वर्ष		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
I.	आई०आर०डी०पी० तथा संबद्ध कार्यक्रम			
	आई०आर०डी०पी०	159039	135604	131986

1	2	3	4	5
	(सहायता दिए गए व्यक्तियों की संख्या)			
II.	जे०आर०वाई० (मानव दिवस लाख में सृजित रोजगार)	443.77	506.01	387.63

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं। व्यक्तियों के लाभ की निगरानी इन कार्यक्रमों के तहत नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) आई०आर०डी०पी० के समवर्ती मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की गई है जिसके तहत प्रतिदर्श आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए आंकड़े स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अद्यतन समवर्ती मूल्यांकन की जानकारियों से यह पता चलता है कि आई०आर०डी०पी० कुल मिला कर गरीब परिवारों को वर्धनकारी आय प्रदान करने में सफल रहा है। तथापि गरीबी की रेखा को पार करने में सक्षम परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है।

[अनुवाद]

गुजरात सरकार द्वारा एथिलीन रसायनों की मांग

455. श्री हरिसिंह चावड़ा :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने प्रस्तावित गन्धार परियोजना से कितनी मात्रा में एथिलीन रसायनों की मांग की है;

(ख) क्या राज्य सरकार का विचार एथिलीन प्राप्त करके बड़े पैमाने पर अनुप्रवाही उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) क्लोर अलकली सहित वी०सी०एम, पी०वी०सी० के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए आई०पी०सी०एल० के गंधार कांपलेक्स से इथाईलीन की सप्लाई के लिए गुजरात सरकार ने कहा था। पी०वी०सी० और वी०सी०एम०की निर्माण के लिए प्रस्तावित मात्रा क्रमशः 1,50,000 टन प्रति वर्ष और 1,70,000 टन प्रतिवर्ष थी।

वर्ष 1993-94 के लिए राज्य योजना

456. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
डा० सी० सिलवेरा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य योजना 1993-94 का आकार निर्धारित करने हेतु राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ हाल ही में बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या योजना आयोग ने योजना की व्यापक पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) 1993-94 की वार्षिक योजना बनाने के लिए कार्य के एक भाग के रूप में, उपाध्यक्ष की मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों/उप राज्यपालों के साथ 2 नवम्बर, 1992 से बैठक आरम्भ हो गई है। 21 नवम्बर, 1992 तक 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है और योजना का आकार तय कर लिया गया है। इन बैठकों के बाद अधिकारी स्तर पर वर्किंग ग्रुप के विचार-विमर्श होंगे। राज्य योजनाओं की समीक्षा राज्य योजना का अभिन्न अंग है। समीक्षा उपाध्यक्ष तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर की जाती है। वर्किंग ग्रुप का विचार-विमर्श 21 नवम्बर, 1992 को ही आरम्भ हुआ है।

[हिन्दी]

भारत और बंगलादेश के बीच अन्त: क्षेत्र

457. श्री रामबदन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश सरकार से दोनों के बीच स्थित अन्त: क्षेत्रों के आदान-प्रदान के बारे में कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलादेश के साथ कितने अन्त: क्षेत्रों के बारे में बातचीत चल रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। यह मुद्दा बंगलादेश के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा (26-28 मई, 1992) और विदेश सचिव की ढाका यात्रा (21-23 अगस्त, 1992) के दौरान हुई बातचीतों में उठा था। दोनों पक्ष इस पर सहमत थे कि अब जबकि तीन बीघा को पट्टे पर दे दिया गया है, उपयुक्त समय आ गया है कि भारत-बंगला देश भू-सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी बकाया मसलों को निपटाने की दिशा में कार्यवाही की जाए।

(ग) एन्क्लेवों के आदान-प्रदान से सम्बद्ध प्रस्ताव नीचे दिए अनुसार हैं :—

एन्क्लेव	संख्या	क्षेत्र
बंगलादेश में भारतीय एन्क्लेव :		
आदान-प्रदान योग्य एन्क्लेव	119	17,157.72 एकड़
आदान-प्रदान के अयोग्य एन्क्लेव	11	3,799.35 एकड़
भारत में बंगलादेश के एन्क्लेव :		
आदान-प्रदान योग्य एन्क्लेव	72	7,160.85 एकड़
आदान-प्रदान के अयोग्य एन्क्लेव	23	5,128.52 एकड़

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

458. श्री कालका दास :

श्री धर्म भिक्षम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1992 और नवम्बर, 1992 के बीच चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों के मूल्यों में किस दर से बढ़ोत्तरी हुई;

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) चावल, गेहूं, चीनी तथा खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांकों में जुलाई, 1992 के अंतिम सप्ताह (25-7-92) तथा नवम्बर 1992 (7-11-1992 नवीनतम उपलब्ध) के बीच प्रतिशत उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है :

वस्तु	थोक मूल्य सूचक मे प्रतिशत उतार-चढ़ाव 7-11-92/25-7-92
चावल	+1.5
गेहूं	—4.6
चीनी	+0.1
खाद्य तेल	—1.0

(ख) सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तरों पर नियन्त्रित रखने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। इसके लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एक मूल्य सम्बन्धी मन्त्रिमंडल समिति कार्य कर रही है तथा यह समिति स्थिति की समीक्षा करने और देश में मूल्य स्थिति पर काबू रखने के लिए समुचित कदम उठाने हेतु नियमित अंतरालों में बैठकें करती है। इसी प्रयोजनार्थ, मूल्यों को परिवीक्षा सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष कार्रवाई समिति भी कार्य कर रही है। जनता के अति जरूरतमद वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ पहुंचाने के लिए इसे मजबूत तथा सुप्रवाही बनाया जा रहा है। जमाखोरी, काला बाजारी आदि सहित समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को दंड देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य नियामक कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। दालों, गेहूं, चावल, खाद्य तेलों आदि जैसी कमी वाली वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, ताकि वे बाजार में आसानी से मिल सकें। खरीफ फसलों की उपज अधिक हुई है तथा खाद्य तिलहनों का भी लगभग रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इन सभी उपायों के फलस्वरूप, थोक मूल्य सूचकांकों के रूप मे मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 25-7-92 के 10.4% से घटकर 7-11-92 को 9.1% पर आ गई है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसे सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1-1-1992 से संपुष्ट किया है ताकि यह योजना दूरस्थ आदिवासी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर तरीके से पहुंच सके और इसके लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित हेतु तैयार कार्ययोजना में, शिनाख्त शुदा क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलना अतिरिक्त राशनकार्ड जारी करना, उचित दर दुकान के द्वार तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं पहुंचाना, ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करना, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाना, इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त वस्तुएं देना आदि शामिल है।

सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जा रहे खाद्यान्नों के सामान्य आबंटन के अलावा, सरकार ने इन अभिज्ञात क्षेत्रों में वितरण के लिए 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

उर्वरक एककों की निवल सम्पत्ति पर लाभ

459. श्री नीतीश कुमार :

डा० महावीपक सिंह शाक्य :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों का उत्पादन करने वाले नए औद्योगिक एककों की निवल सम्पत्ति पर आपकी वर्तमान 12% की दर को बढ़ाकर 16% करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक उत्पादक एककों पर समान रूप से इस मानदण्ड को लागू करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की उत्पादन लागत बढ़ने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को सस्ते दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई०डी०पी०एल० के कमीशन एजेंट

460. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०पी०एल० केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के लिए संस्थानिक बिक्री हेतु कमीशन एजेंट नियुक्त करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आई०डी०पी०एल० द्वारा कुल कितनी बिक्री की गई और इन एजेंटों को कितना कमीशन दिया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989 90 से 1991-92 के दौरान संस्थागत बिक्री और इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा अदा किए गए कमीशन के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

(रु०/लाख)

वर्ष	संस्थागत बिक्री	संस्थागत एजेंटों को दिया गया कमीशन
1989-90	4834	93.82
1990-91	4881	93.25
1991-92 (अस्थाई)	34.80	89.50*

* इसमें 1990-91 से संबंधित 26.94 लाख रुपए शामिल हैं।

12.00 मध्याह्न

सरकार की नई आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों के विरोध में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए औद्योगिक और खेतिहर मजदूरों द्वारा बोट क्लब पर प्रदर्शन किए जाने के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : प्रदर्शन में भाग लेने वालों में श्रीमती गीता मुखर्जी भी एक हैं। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं आपके समक्ष यह बात रखना चाहती हूं कि सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करने के लिए लाखों लोग यहां आये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमने स्थगन नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप जानते हैं कि हम सदस्यों को सदन में अपने विचार प्रकट करने हेतु बुलाते रहे हैं। एक के बाद दूसरे को हम बुला सकते हैं। लेकिन आप सब अगर इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे तो नाम पुकारना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैंने श्री बसुदेव आचार्य का नाम पुकारा था लेकिन किसी ने नहीं सुना। अतः एक के बाद एक बोलिए। मैं श्री पाठक को भी अनुमति दे रहा हूं। लेकिन हर समय यह कहना जरूरी नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं। हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बाद अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हमने स्थगन नोटिस दिया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव की सूचना का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप बैठ जायें। अगर आप अपने आप सहायता करें तो यह अच्छा रहेगा। आप लोग बारी-बारी से बोल सकते हैं। अगर आप अपनी मदद नहीं करना चाहते तो आप सब खड़े हो जाएं। प्रश्न काल के तुरन्त बाद एक घंटे के लिए होने वाली बहस के सम्बन्ध में मैं बहस कराने को तैयार हूं। इसे हम कल या परसों किस प्रकार करें यह देखना है।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, हम यह पूछ रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना का क्या हुआ

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं। यह जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं तब ही आप बैठें। वैसे भी आपको अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए। आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बारी-बारी से बोल सकते हैं। लेकिन आप सब अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो यह मुश्किल है। कृपया अपनी, मेरी मुझे और सदन की सहायता करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज देश भर से दस लाख लोग से ज्यादा बोट क्लब पर इकट्ठा हुए हैं। वे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं।

महोदय, कामगार, पूरे देश के लोग और हम संसद सदस्य भी इस सदन में यह बात उठाते रहे हैं कि सरकार ने यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय निगमो के निर्देश पर अपनायी है। वे हमारे देश की आधारभूत नीति को बदल रहे हैं। रुग्ण उद्योग अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रुग्ण घोषित किया जा चुका है। उन 58 उपक्रमों को बोर्ड आफ इण्डस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकन्सट्रक्शन के हवाले कर दिया गया है।

इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को इस वर्ष सरकार ने वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है, जो कि इन्हें पिछले वर्ष भी मिला था।

प्रधानमन्त्री कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, जो कि अर्थतन्त्र के शीर्ष पर थीं, की स्थिति अब वह नहीं रहेगी। वे धीरे-धीरे उन्हें निजी बना रहे हैं। उन्होंने हमारे देश का दरवाजा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए खोल दिया है।

बी०आई०एफ०आर० के हवाले की गई उन 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द कर दिया जाता है और इन इकाइयों को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष अगर वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, तो इन इकाइयों का क्या होगा (व्यवधान) उन्हें सरकार से इस वर्ष एक भी पैसा नहीं मिला है। चार लाख कामगारों का रोजगार छिन गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सरकार का ध्यान आकर्षित करना है नियमित भाषण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस पर एक नियमित बहस चाहते हैं तो आप एक नियमित नोटिस दें। हम इसे देखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : कांग्रेस (आई०) के चुनाव घोषणा पत्र में क्या था? उन्होंने चुनाव में क्या घोषणा की थी? उनके चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि दस मिलियन बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह उनका आश्वासन था, उनके चुनाव घोषणा पत्र में यह बात थी। दस मिलियन बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के स्थान पर वे चार लाख कामगारों को नौकरी से बाहर करने की योजना बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं हो सकता है। श्री बसुदेव आचार्य कृपया पहले मेरी बात सुनें। आप जानते हैं कि यहां अन्य सदस्य भी हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। अगर आप भारत सरकार की व्यापक नीतियों पर एक नियमित भाषण दे रहे हैं···

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कोई लम्बा नियमित भाषण नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मैं जो कह रहा हूं उसे कृपया पहले सुन लें। मैं जो कह रहा हूं उसे भी सुनने का आप में धैर्य नहीं है। मैं दूसरे सदस्यों को भी मौका देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप भारत सरकार की सारी नीतियों पर लम्बा भाषण देते हैं तो इस प्रकार की बहस में सरकार का जवाब नहीं मिलेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब वे लोग हमारे देश की स्वाधीनता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हाथों बेच रहे हैं। हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता खतरे में है; हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता भी खतरे में है। हमारी स्वतन्त्रता और संप्रभुता भी अब खतरे में है।

हमारे देश के कामगार और किसान संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की जन विरोधी और कामगार वर्ग विरोधी नीति के विरुद्ध हमारे देश के लोग दो-दो बार हड़ताल और बन्द का आयोजन कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उन्हें सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देश पर अपनायी गई नीति के बारे में बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोद : अब वह जो भी बोल रहे हैं, रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दे रहा हूं और वह आप सब की ओर से बोलेंगे। यहां अन्य सदस्य भी हैं। मैं उन्हें भी मौका देना चाहता हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री यहां मौजूद हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं भी एक मिनट लेना चाहूंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 18 महीनों से यह सरकार अपनी नीतियों—नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति, व्यापार नीति को लागू कर रही है।

मेरा माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि वह यह बताएं कि क्यों पूरे भारत से लाखों कामगार बोट क्लब पर आये हुए हैं। वे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वे लोग इन नीतियों के विरोध में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। इन नीतियों से इस देश के लोगों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोगों को बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां अभूतपूर्व मूल्य-वृद्धि हुई है, उद्योग और खेती स्थिर हो गए हैं। कामगारों की नौकरी छिन रही है। इन कामगारों की धमकी के माध्यम से वी०आर०एस० को पीछे धकेला जा रहा है। कहीं भी नये रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। हमारी आर्थिक नीतियों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। इस सम्बन्ध में अब कुछ भी छिपा नहीं रह गया है।

छंटनी नीति लागू करने की धमकी दी जा रही है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि रोजगार छीनने के लिए किया जा रहा है। कोई भी नीति और योजना कहीं नहीं है उन्होंने प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की बात जो कही है, उसे हमने सुना भर है, दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। इसलिए, इस नीति का परिणाम इस देश के लिए घातक रहा है।

देश पीछे जा रहा है। विशेषज्ञ विलीन हो रहे हैं। बाहर से उधार लेकर विदेशी मुद्रा भंडार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है। इसलिए देश की आर्थिक स्थिति नाजुक है। कामगार पहले से ही पीड़ित हैं और वही इस नीति के शिकार भी होंगे। इसलिए मेरा प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि वह इसे कम करके नहीं आंके, देश भर के उन लाखों कामगारों की भावनाओं की अवहेलना न करें जो सरकार के समक्ष अपनी यह मांग रखने आये हुए हैं कि इन नीतियों को बदला जाये।

महोदय, इस सदन में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम यह मांग करते हैं कि सरकार सर्वप्रथम इस जन-विरोधी और कामकाजी वर्ग विरोधी नीति को बदलने पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और इस सम्बन्ध में समुचित सलाह और बहस करे। हमारी राष्ट्रीय सिद्धांत, नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप एक नई नीति अपनाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप दूसरे मुद्दे पर बोलेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : नहीं, उसी मुद्दे पर।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लाखों की संख्या में पूरे देश से मेहनतकश वर्ग आया हुआ है, जो

देश को संवारता है और इस देश की दौलत को बनाता है। माननीय प्रधानमन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं। जो नयी आर्थिक नीतियां आयी हैं उनके तहत करोड़ों की संख्या में मेहनतकश वर्ग आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि राजधानी आ कर अपनी बात कहने के लिए मजबूर हुआ है।

मैं आज आश्वासन चाहूंगा प्रधानमन्त्री जी से कि इस मेहनतकश वर्ग का मन न तोड़े और आज आश्वस्त करें, डेढ़ साल हो गया, जबकि हम आई०एम०एफ० वर्ल्ड बैंक के तमाम एक्सपर्ट्स से नित्यप्रति सलाह लेते रहे हैं, तत्काल आज ही आश्वस्त करें कि जो प्रतिनिधि आए हैं ट्रेड यूनियन्स के उनको बुला कर आर्थिक नीतियों पर कल ही बात करने का काम करेंगे। ताकि वहां जाकर घोषणा हो सके कि प्रधानमंत्री जी का यहां के मेहनतकश वर्ग पर विश्वास है, भरोसा है। अभी तक जो नीतियां रही उनसे यह सन्देश गया है कि न ही उन पर भरोसा है और न ही उनकी परवाह है। अन्य चीजें तो दूर रही, लेकिन प्रधानमन्त्री जी के पद से विश्वास और परवाह का सन्देश जाना चाहिए और आज यह घोषणा उनको करनी चाहिए कि कल, सारे ट्रेड यूनियन्स के लीडर्स जो इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ बैठ कर नयी आर्थिक नीतियों के बारे में हम बात करेंगे, जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं।

आज यह भी स्पष्ट करें कि री-हैबिलिटेशन रिनुअल फण्ड की घोषणा हुई है, अभी तक यह न आया किस चीज में ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होकर जैसे नौकरियां इन्तजार कर रही हैं कि जिनको ट्रेनिंग देंगे, उनके लिए वे सारी खाली पड़ी हुई हैं। पूंजी की मोबिलिटी की बात कहते हैं, वे बैंक से ट्रांसफर हो सकता है, एक परिवार जिसकी रोजी चली गई, वह बैंक से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जो अभी री-हैबिलिटेशन स्कीम लगायी है, सिवाए कागजों के उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसका भी विश्वास दिलाएं कि कैसे वह करने जा रहे हैं।

निजीकरण का जो सिलसिला चला है, मान्यवर, निजीकरण की जगह श्रमिककरण करें। निजीकरण से पार नहीं पायेंगे। कमानी ट्यूब्स को आप देख रहे हैं। जहां पर आप घाटे पर थे, उसका आपने श्रमिककरण किया और मजदूर वर्ग ने चला कर दिखा दिया किस सिक इन्डस्टरी कैसे मुनाफे में जा रही है।...(व्यवधान) हम लम्बी स्पीच नहीं देते हैं। रेलवे में टिकट बेचने का काम और आप लोग कह रहे हैं कि गुड्स ट्रेन भी निजीकरण होने जा रही है शौचालय निजीकरण हो गए हैं। एक रुपया शौच करने का भी इस देश में लगने लगा है जबकि भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन उसके लिए टैक्स लगने लगा है।...(व्यवधान) यहां श्रमीकरण की घोषणा करें।

अगली हमारी मांग है कि अगर दौलत बनाने में पैसे की भागीदारी है तो पसीने की भी है। इसलिए प्रबन्ध में जैसे की भागीदारी है वैसे ही प्रबन्ध में पसीने की होनी चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार यह घोषणा करने से जिसमे की घ० की यह घोषणा की थी हमारा बिल मौजूद है और लाखों मजदूरों और किसानों को यह संदेश जा सके कि लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का बिल हम लोग सबकी सहमति से लाए थे और इसमें भारतीय दल का बहुत बड़ा समर्थन था। इस बिल को इस सत्र में पास करने का काम करें। अगर यह घोषणा नहीं होगी तो मान्यवर, हम आपसे बहुत नम्र निवेदन करेंगे मेहनतकश और बहुत दृढ़ता से निवेदन करेंगे कि हम लोग इस मांग को पुनः उठाएंगे और आपके सामने फिर पेश करेंगे। आज इसकी घोषणा अवश्य होनी चाहिए। आज हर कमेरे वर्ग की पालिसी हो गई है और हमारे उद्योग को भी हो गई और मजदूर तथा किसान को भी हो गई है। हम नहीं समझते

कि कैसे उद्योग की पालिसी है जिसमें स्माल सैक्टर वगैरह है तो इसकी बहुत प्रशंसा की गई। आडवाणी जी मोहित हो गए थे। अब तो मोह भंग हो रहा है। अमेरिका वगैरह जगह पर जाकर कह दिया··· (व्यवधान) ऐसी इंडस्ट्रीज पालिसी बनाए कि इंडस्ट्री के लोग भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया स्लाटर हाउस है या बड़ा हाई टैक स्लाटर हाउस है। यह भी नहीं चाहते तो यह आपके लिए बना हुआ है। स्माल स्केल वगैरह साफ होने वाला है। स्पष्ट रूप से ऐसा करें कि हमने श्रमिक वर्ग की जो मांग की है, यह घोषणा करें कि इसको नया भारत बनाने में विश्वास में लेने का काम प्रयत्न करें। (धन्यवाद)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मेरे कुछ सहयोगियों ने पहले से ही उन मूल मुद्दों का जिक्र किया है जिन पर यह प्रदर्शन हो रहा है। मैं सीधा लाल किले से बोट क्लब मार्च कर रही हूं और रैली यहां पर आ गयी है। मैंने इसमें लाखों लोगों को देखा है, जिनकी आंखों में क्रोध, मन में नौकरी गंवाने और हमारे देश को पूर्णतः ऋण में दबाये जाने का दुःख है।

इसलिए, मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री इनकी तरफ देखें, न सिर्फ उनको यहां बुला कर चर्चा ही करे, बल्कि, उनकी तरफ देखें और फिर यह निर्णय लें, कि अगर वह इन आने वाले मजदूरों, किसानों, और खेत मजदूरों को शांत करना चाहते हैं तो इस नीति को बदल दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल आप एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी। हमने उस महत्वपूर्ण मुद्दे को चर्चा के लिए लिया है, और अब आप इस विषय पर एक नियमित चर्चा करवाना चाहती हैं, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। और भी कुछ मामले हैं, जिनको मुझे अनुमति देनी है। मैं श्री हरिन पाठक को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने नोटिस दिए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह स्थान नौकरशाही के निर्णयों को लागू करने के लिए नहीं है (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : प्रधानमन्त्री को इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहिए, ताकि उनका संदेश इस देश के कामगारों तक पहुंचे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सब बैठ जाए, तो मैं आपको मदद कर सकता हूं। कृपया पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : हाकर्स यूनियन वाले धरना पर बैठे हुए हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार मत चिल्लाइए। क्या आप चाहते हैं कि सभा स्थगित हो ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है। प्रधानमन्त्री को इसका उत्तर देना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, नेतागण सुनिश्चित करें कि उनके सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे सभा को चलाने दें।···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव, आप अपने स्थान पर वापस जाएं। आप अपने स्थान पर वापस जाएं। यह ठीक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं प्रधानमन्त्री को इस पर कुछ कहने के लिए निवेदन कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी मदद कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव, आप कृपया बैठ जाइये। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे

हैं। अगर आप अपने स्थान पर वापस नहीं गए तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। हाकर्स यूनियन के लोग धरने पर बैठे हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे एक नियमित नोटिस दें तो प्रत्येक सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि जो मामला आपने कल उठाया था उस पर सदन में चर्चा हो अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी नोटिस दिया है। हमें बोलने दीजिए···

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव, आप चुप नहीं हो रहे। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसको मैंने देखा है। अगर आपने मुझे नोटिस दिया था और अगर आप चाहते हैं कि आप जिस मुद्दे पर आप चर्चा चाहते थे व न हो तो मैं यह मामला उठा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव ले सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, आप हमें भी बोलने दीजिए, हमने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव आप चुप रहें। मैंने बगैर समझे जो कुछ कर रहे हैं उसे

मैंने नोट कर लिया है। कल आप चाहते थे कि सभा में एक मुद्दे पर चर्चा हो और मैंने उस मुद्दे को आज चर्चा के लिए रखा है। क्या आप उस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह 2 म०न० पर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो, आप इस मामले पर आज चर्चा चाहते हैं। अगर आप इस मामले पर चर्चा चाहते हैं, कृपा कर मुझे एक नोटिस दीजिए जैसाकि श्री वी०पी० सिंह ने कहा है और फिर मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने दीजिए। पहले अंग्रेजी में कहा, अब हिंदी में आपके सामने रखूंगा। आपने ही कल एक महत्व के विषय पर चर्चा मांगी थी। मैंने आपकी सूचना को मान्य कर चर्चा रखी है।

आप फिर आज नोटिस दे रहे हैं कि हाउस एडजर्न हो जाए। अगर आप कल क्या बोले हैं, उसे भूलकर आज दूसरा नोटिस देने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा ? आप कल के लिए, परसों के लिए अब के लिए भी नोटिस देना है, दे दीजिए। उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यहां दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आप यहां दो बजे तक जो मजदूरों वाली समस्या है उसको सुन लें। बाद में दूसरा विषय ले लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी एक सम्माननीय सदस्य के ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने उसके फोटोग्राफ मुझे दिए हैं और वह फोटोग्राफ मेरे पास हैं। आपके पास वह कागज नहीं आए हैं लेकिन मेरे पास वह कागज आए हैं। उस पर भी ध्यान देना है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप इसे प्रिविलेज कमेटी में भेज दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं वहीं काम कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे वह बात सुनने तो दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपमें से प्रत्येक से बात नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

देखिए, यह मामला आपके सामने नहीं है, यह मामला मेरे सामने है। मुझे हर बात को ध्यान में रखते हुए उसके लिए टाइम देना जरूरी है। आप उन सदस्य के प्रति भी न्याय कीजिए। अगर उन्होंने मेरे पास फोटो भेजी है किसी के द्वारा उनको मामले हुए, तो वह मैं देखूंगा। आपको वह बात मालूम नहीं है इसीलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों ने देख लिया है कि यह गंभीर मामला है। आप उसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दीजिए। माननीय सदस्य को इसके लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री बोलें। वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रधानमन्त्री उत्तर दें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। आप उनको कुछ बोलने के लिए कहेंगे तो वह बोलेंगे। मगर आप कुछ ऐसा माहौल तो पैदा करें कि वह बोल सकें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : वे देश के श्रमजीवी वर्ग की परवाह नहीं करते।

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : प्रधान मन्त्री को उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप हमेशा इस प्रकार से चिल्लाते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रधान मन्त्री को उत्तर देना चाहिए। जैसाकि श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह ने सुझाव दिया है। आप कृपया स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें। यही उपाय हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो या तीन सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा। फिर हम अगले विषय को लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन रायचौधरी : यह एक बहुत गंभीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन की इच्छा है कि हम इस मुद्दे को कुछ समय तक और जारी रखें और फिर श्री हरिन पाठक को बोलने के लिये बुलाया जाए ? लोकनाथ जी, आप बोलिए। सब लोग बैठ जाइए। लोकनाथ जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : पाठक जी ने नोटिस दिया है। इन्हें पहले बोलने दिया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, प्रधान मन्त्री को उत्तर देना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आपको अपने सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधान मन्त्री को उत्तर देना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और आप इन्हें सदन के पटल पर वैध रूप में उठा रहे हैं। केवल इतना है कि आप यह प्रक्रिया के अन्तर्गत करें तो इससे आपकी भी मदद होगी। अगर हर समय, सभी लोग खड़े होकर बोलें तो हम नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आपकी पार्टी की क्या मांग है, कृपया आप मुझे बताएं। मैं सबको नहीं सुन सकता। मैं आपकी बात सुनता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने एक निवेदन किया था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मुझे लगता है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कभी नहीं । तभी तो प्रधानमन्त्री यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इतने सारे कामगार अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं। वे कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं । इसी वजह से हम आशा रखते हैं कि जब प्रधानमन्त्री यहां पर हैं, इस बारे में कुछ उत्तर दिया जाए कि क्या इस बारे में सरकार का कोई दृष्टिकोण भी है अथवा क्या इन कामगारों को इस भावना से वापस जाना पड़ेगा कि वे दिल्ली आये हैं और सरकार पूर्णतया असंवेदनशील है और वे भाग्य पर निर्भर हैं और उन्हें सड़कों पर ही समाधान खोजना होगा । क्या इस सरकार का निर्णय यही है या ये लोग किस भावना के साथ वापस आएंगे ? इसलिए मैं समझता हूं कि जब माननीय प्रधानमन्त्री यहां हैं तब वह 12 बजे के बाद भी यहां पर मौजूद हैं तो उन्हें इस पर उत्तर देना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं आपकी बात समझ गया हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपने मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि हम उनके विरुद्ध नहीं हैं । हम इस मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को भेजने का समर्थन करेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा ? ऐसा किया जाय और प्रधान मन्त्री इसका उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इसका मतलब हुआ कि आप हमारे मेंबर को टाइम नहीं दे रहे हैं बोलने का ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दे रहा हूं, आप सुनिए ।

[अनुवाद]

सोमनाथ जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं । क्या आप यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तुरन्त उत्तर दें । या यह चाहते हैं कि आपके कुछ सदस्य बोलें ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ सदस्य बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कितने सदस्य ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से श्री लोकनाथ चौधरी बोलना चाहते हैं, श्री चित्त बसु, श्री सैकिया, श्रीमती सुशीला गोपालन भी हैं। महोदय, चार या पांच सदस्य बोलेंगे···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं, आप ठहरिए ।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : इस तरह सारा टाइम खत्म हो जाएगा, कैसे काम चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री मदन लाल खुराना : आपने एक बार नाम लिया है, फिर उन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप भी मेरी मदद कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में बोलने के लिए अनेक दलों के प्रतिनिधियों को पहले ही अनुमति दी है...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मैं आपसे बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, सब लोगों के साथ, मैं कैसे बात करूं। आपके लिए मैं कह रहा हूं। हम लोग तो बोलते नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम लोग भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम लोग विभाजित नहीं होने जा रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि इस मामले में सदस्य का अधिकार शामिल है। इसे शीघ्र ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री पाठक के मामले को पहले लिया जाना चाहिए। मुझे इससे

खुशी होगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, अगर आप चाहें तो श्री पाठक के मामले को पहले ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा नहीं है। आप अलग रवैया अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पहले आप इनका इश्यू डिसपोज ऑफ कर दीजिए, फिर इनका इश्यू ले लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आप एक बहुत ही वरिष्ठ और परिपक्व सदस्य हैं। आप सभी बहुत अच्छे सांसद हैं। क्या आप यह भूल गए हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो तीन और सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा और फिर उसके बाद अगर सरकार चाहे तो उस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है। यह सरकार पर निर्भर है। श्री पाठक, जब तक मैं आपकी बात सुन नहीं लेता और उसे समुचित तरीके से निपटा नहीं लेता, सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

सभा में प्रत्येक दिन इन चीजों को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को इस सम्बन्ध में निश्चित होना चाहिए। अब श्री लोकनाथ चौधरी बोलेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमन्त्री को कहना चाहता हूं कि आज देश भर से लाखों कामगार दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमन्त्री ने नयी आर्थिक नीति अपनाई है। इसे अपनाए हुए डेढ़ वर्ष हो चुके हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में इस आर्थिक नीति से जो मुसीबत पैदा हुई है, उसे बाहर के लोगों की अभिव्यक्ति के आधार पर महसूस किया जा सकता है। हम अस्थायी और अनुत्पादक ऋण ला रहे हैं। संरचनात्मक समायोजन कितना होना चाहिए और इसे किस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए। कामगारों को अपनी छंटनी का भय हो रहा है। कुछ लोगों की पहले ही छंटनी हो चुकी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक रुपये की चीज अब बाजार में पांच रुपए में मिल रही है। प्रधानमन्त्री को यह जानना चाहिए। यह आर्थिक नीति का परिणाम है।

प्रधानमन्त्री को इस पर विचार करना चाहिए और उसी नीति पर चलना चाहिए जिसे महात्मा गांधी और पंडित जी ने प्रतिपादित किया था। यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने नेहरू मॉडल का त्याग किया है। वे लोग पंडित नेहरू का नाम ले रहे हैं जिन्होंने इस देश को बचाया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं माननीय प्रधानमन्त्री को कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब बहुत सारी सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। कामगार लोगों के बीच असंतोष पनपना अच्छी बात नहीं है। इससे उन ताकतों को देश को तोड़ने का अवसर मिलता है। इसलिए, आज देश के प्रधानमन्त्री की यह जिम्मेदारी है कि वह देश में एकता बनाये रखे और उसे उसी रास्ते पर लाये जिस पर वह चल रहा था। इसलिए समय आ गया है कि प्रधानमन्त्री नीति की समीक्षा करें। उन्हें कामगारों की मांग सुननी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उनकी नीति से इस देश में क्या विपत्ति आ गई है।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, पाठक जी को भी बुलवाइए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोल दिया है। मैं उनको भी सुनूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में समुचित कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि पाठक जी भी सुनेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री लोकनाथ चौधरी जी के बाद आप इनको भी सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आप कृपया बैठ जाएं। मैंने उनसे कह दिया है, मैं उनको भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि वह वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों के विरुद्ध अपना गंभीर असंतोष जताने जो लाखों औद्योगिक और कृषिक मजदूर दिल्ली आए हुए हैं, उनकी भावनाओं को समझें।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमन्त्री से सरकार की वर्तमान नीतियों में व्यापक परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूं। कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार अब तक सौतेला बरताव करती रही है। अत: कृषि क्षेत्र के प्रति उपेक्षा के कारण सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त अब इस सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और करोड़पतियों के

लिए द्वार खुल रहे हैं लेकिन छोटे उद्योग बन्द हो रहे हैं और भविष्य में भी बन्द होने जा रहे हैं, जिसके जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग रोजगार से वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार से रोजगार कार्यालयों में जो करोड़ों व्यक्तियों का नाम दर्ज है, उनकी सख्या में और वृद्धि हो जाएगी। जब तक श्रमोन्मुखी नीतियां नहीं अपनायी जायेगी, तब तक यह देश विपत्ति से उलझता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अत: मेरा प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि वह इन सारी बातों पर ध्यान दें और सरकार की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वारस) : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक नीति आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बनायी जाती है। लेकिन सरकार की आर्थिक नीति से आम जनता विशेषकर कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। आज सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जितना भी रुपया-पैसा आज हमारे देश में है, उसको लूटा जा रहा है। अब रूलिंग पार्टी नहीं रह गई है और वह लूटिंग पार्टी हो गई है। इस नीति को बदलना आवश्यक है। हमारे प्रधानमन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। वह देशवासियों के सामने जो आर्थिक नीति लाये हैं, उससे अगर वह यह सोचते हैं कि देशवासियों को लाभ पहुंचेगा तो अभी उठ कर बोलें कि आर्थिक नीति से हमारी गरीब जनता और आम जनता को लाभ पहुंचेगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आर्थिक नीति जीरो आवर में डिसकस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक नीति जीरो आवर में डिसकस करना अच्छा नहीं है।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान के मजदूर और खास कर रेलवे मजदूर यहां आए हुए हैं। 24 तारीख से रेलवे के सारे पदाधिकारी, गार्ड कौंसिल यूनियन, रनिंग स्टाफ और हॉकर्स यूनियन धरने पर बैठी हुई है। आज से एक महीना पूर्व हमने रेल मन्त्री को एक मांग पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज रेल विभाग में बहुत विषमताएं हैं, वहां छटनी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आपकी जो इस सम्बन्ध में नीति बनी हुई है और उनकी ड्यूटी में जिस प्रकार मे अदल-बदल की जाती है, उससे सारे मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की औद्योगिक नीति मजदूर विरोधी है। सरकार इस पर तुरन्त ध्यान देकर कोई कार्रवाई करे और प्रधान मन्त्री इस पर अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जो मैम्बर्स यहां शोर करते हैं, उनको तो आप बोलने का समय देते हैं। यह ठीक नहीं है। आपने कहा था कि हमारे पार्टी विहप को बोलने का समय देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित माननीय प्रधान मन्त्री से इस

बारे में अपना विचार प्रकट करने का विनम्र अनुरोध करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था इसलिए हम उनके विचार जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रिस्पांस हो गया है, सब ने मांगा। अब आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदय, सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों से बेरोजगारी, मंहगाई, निजीकरण बढ़ा है और देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता बिकी है। हमारी मांग यह है कि सरकार को सारी नीतियों को पूर्णरूप से बदलने की दिशा में कार्य करना चाहिए और देश को विपत्ति से बचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहती है।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार कामकाजी वर्ग की समस्याओं के प्रति पूर्णतया चौकस और संवेदनशील है। सरकार के विरुद्ध लगी सारे आरोपों का मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में खंडन करना चाहूंगा। अगर माननीय सदस्य इच्छुक हों तो मैं इस पर बहस के लिए तैयार हूं। हमें एक व्यापक बहस करनी चाहिए, जिसके अन्तर्गत हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियों पर और सुधार कार्यक्रमों पर फिर से प्रकाश डाला जा सके। उस बारे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि उन लोगों के नाम पर जिनसे हमारी पूरी सहानुभूति है, एक के बाद एक आरोप लगाते रहना उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से किसी कामगार की वास्तव में छंटनी हुई है। मैं उनसे मिलना चाहूंगा···

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जी हां, महोदय। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया सुनें। अगर वास्तव में समुचित कारणों के बगैर कुछ कामगारों की छंटनी की गई है, तो मैं उन मामलों को जरूर देखूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप इसे विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें कोई विशिष्टता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक जी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जब निजीकरण होगा तो रिजर्वेशन का क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : तब आपने बजट का समर्थन क्यों रोक दिया है ?

12.45 म० प०

[हिन्दी]

विशेषाधिकार का प्रश्न

23 नवम्बर, 1992 को श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित आक्रमण

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमन्त्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बहनों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसके लिए आप कृपया दो मिनट रुकें।

अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि किसी एक सांसद को चौराहे पर खड़ा करके, जनता के सामने उसको तमाचे मार-मार कर मारा जाए और वह सांसद मैं हूं यह प्रश्न नहीं है···(व्यवधान) मैं अपनी घटना कहता हूं। सवाल यह नहीं है, प्रधान मन्त्री जी, कि एक सांसद को खड़ा करके जब वह अपने सांसद का कर्तव्य निभाता है, उस वक्त उसको तमाचे मार-मार कर, उसके गाल पर, पुलिस अधिकारी उसके साथ यह बर्ताव करता है, यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि कमनसीबी से वह सांसद मैं हूं, मगर इस संसद में मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, दीन दुखियों की रक्षा करने की, बहनों की रक्षा करने की, मैं वह कर्तव्य निभा रहा था।

23 तारीख को पांच बजे अहमदाबाद में महिलाएं कुछ कार्यक्रम कर रही थीं, हाथ में हाथ रखकर, ह्यूमन चेन बनाकर वह नेहरू ब्रिज पर खड़ी थीं। रात की फ्लाइट से मुझे लोक सभा अटैंड करने के लिए आना था। जनप्रतिनिधि के नाते मैं वहां खड़ा था। मैं देर से पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा, अध्यक्ष जी, कि महिलाओं के साथ वहां खड़े पुलिस अधिकारी और कुछ कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं। 20-25 महिलाएं थीं और 50 लड़के थे। लड़कों को तो उन्होंने वेन में डाल दिया था। एक भी महिला पुलिस नहीं। बहनों के ब्लाउज फाड़ दिए गए थे···(व्यवधान)···पुलिस उनको घसीट रही थी। पुलिस उनको घसीट कर पुलिस वेन में ले जा रही थी। मैं कैसे मूक साक्षी बनकर देख सकता था, मेरे क्षेत्र में, मैं तुरन्त वहां कूद पड़ा, क्योंकि, मुझे तो रात की फ्लाइट से आना था। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप महिला पुलिस क्यों नहीं लाए, यह पुरुष पुलिस जो व्यवहार करती है, यह सुभद्रा बहन का ब्लाउज फट गया है। उनको खींचकर पुलिस वेन में ले जा रहे हो, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं तुरन्त पुलिस वेन के पास बैठ गया। मैंने कहा कि ऐसा देश में नहीं चलेगा। आप महिला पुलिस को बुलाओ और इन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो आप कानूनी कार्रवाई करो, उनको पुलिस वेन में बिठा दो। किसी ने नहीं मानी। जैसे ही मैं पुलिस वैन के पास बैठ गया, मैंने कहा महिलाओं के साथ अन्याय मैं नहीं देख सकता। तुरन्त वहां पर एक एस०पी०मि० देसाई थे, उसने तुरन्त मुझ पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। महिलाएं इधर-उधर भागने लगीं, मुझे बचाने के लिए तुरन्त दो चार महिलाएं आ गयीं, उनको चोट लगी।

इतने में दूसरे सज्जन पुलिस कमिश्नर थे। डिप्टी कमिश्नर मि० पटेल, वह तुरन्त दौड़कर आये, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं खड़ा हो गया, तुरन्त मैंने उनसे कहा, सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ

यह चाहिए कि महिला पुलिस को बुलाओ और महिलाओं की रक्षा करो। अगर यह नहीं करोगे तो मैं कल लोक सभा में जाकर पूरी घटना लोक सभा अध्यक्ष को बताऊंगा। अभी मैंने यह वाक्य पूरा किया है, वह अमलदार, जिसने यह सारा सब कुछ किया था, देसाई, उसने कहा—कैटेगोरीकली आई कोट सर, "तेरी लोक सभा की ऐसी-तैसी" सटासट-सटासट। मुझको इतने जोर से मारा, वहां पत्रकार मौजूद थे, प्रैस पूरी मौजूद थी, सारे अखबारों ने लिखा है, पत्रकार जो फोटोग्राफर थे, जो मेरे तमाचे मारते-रहते हैं...

अध्यक्ष जी, मैं सदन में पूछना चाहता हूं कि क्या बहनों की यह स्थिति होगी और मैंने खुद यह कहा है कि अगर मैंने कानून का उल्लघन किया है तो तुम मुझे गोली मारो (व्यवधान) मगर इन लोगों के सामने आप मुझे चांटा मारते हो और "तेरी लोकसभा की ऐसी-तैसी", यह बोलते हो, मुझे उससे भी कोई चिन्ता नहीं है लेकिन मैं इस तरह से संसद सदस्य बनकर नहीं रह सकता। मेरे सामने यदि इस तरह से होता रहे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं मैंने कहा कि आप इसको निलम्बित करो। प्रधान मन्त्री जी, मैं आपके सामने यह फोटोग्राफ्स भी रख देता हू। पहले तो उसको निलम्बित किया जाए और यह घटना पहली बार नहीं हुई आज से पहले भी एक अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को मारा है वह लाठी नहीं मारता है उसका अपमान करता है, सबको तमांचे मारता है। मैं महिलाओं पर अत्याचारों के लिए न्याय चाहता हूं अब यह हाउस निश्चित करे कि क्या करना है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, मुझे स्मरण है कि एक पुलिस अधिकारी को एक बार पहले इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उसने सांसद का अपमान किया था। मुझे स्मरण नहीं कि वह सांसद क्या कार्य कर रहे थे लेकिन उस पर चर्चा यह हुई थी कि वह सांसद अपना कार्य तो नहीं कर रहा था, अपना संसदीय दायित्व तो नहीं निभा रहा था और इस कारण से यह कुछ ज्यादती है ऐसी चर्चा प्रीविलेज के बारे में जितने केसिस होते हैं उनमें होती हैं, लेकिन अहमदाबाद के हमारे सांसद श्री हरिन पाठक ने जिस घटना का आज उल्लेख किया है उसमें सीधे तौर पर सांसद अपना कर्त्तव्य निभा रहा था, अपने क्षेत्र में, फिर संसद का अपमान करके अपमानजनक भाषा में उस पुलिस अधिकारी ने जो कुछ कहा है स्पष्ट रूप से वह संसद की अवमानना है और माननीय सदस्य की भी अवमानना है, दोनों की अवमानना एक साथ है। इस लिए मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हरिन पाठक ने कहा है उसका समर्थन सदन के सब तरफ से होगा और आपको अधिकार देते हैं मेरा प्रस्ताव है कि आपका जो कार्य है कि सुओ-मोटु इस प्रकार के केसेज संसद की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने का और उसके बारे में जांच करके आवश्यक कार्यवाही करें और अगर संसद की अवमानना हुई है इस निष्कर्ष पर बात पहुंचती है तो उनको उसके लिए समुचित दंड दें।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, यह विषय गंभीर है इसको सीधे प्रीविलेज कमेटी में भेज दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं और किसी भी माननीय सदस्य का अपने कर्त्तव्य के पालन में यदि कहीं उसको अपमानित किया जाता है और यहां पर तो सांसद को चपत मारा गया है इससे ज्यादा और कुछ अपमान नहीं हो सकता है इसलिए यहां किसी के गवाही की भी आवश्यकता नही है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसको सीधे प्रीविलेज कमेटी में भेज दीजिए और तुरन्त सरकार को यहां से निर्देश दिया जाए कि ऐसे पुलिस अधिकारी के

खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें जिससे कोई दूसरा अधिकारी फिर इस तरह से किसी संसद सदस्य को अपमानित करने की हिम्मत न करे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस बारे में कहा जा चुका है। हम कल ही इस बारे में सुन चुके थे। हम इसके बारे में आज के अखबार में पढ़ चुके हैं। हम माननीय सदस्य की आप-बीती आज सुन चुके हैं। उन्होंने जो भी कहा है उससे हम सब स्वभाविक तौर पर बहुत ही चिन्तित हैं। हमें यहां कार्य करना है। हमें लोगों के विचार, उनकी समस्याओं आदि का प्रतिनिधित्व करना है। अतः, यह एक उचित मामला है जिसे बिना किसी संदेह के आप अपने विवेक से शीघ्र ही विशेषाधिकार समिति को सौंपेंगे।

लेकिन साथ ही मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि श्रीमती सुशीला गोपालन का एक मामला आपके समक्ष पहले भी विचाराधीन है जिसे यथाशीघ्र निपटाया जाए।

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : हम लोग इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने से पूर्णतया सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, हमें बहुत ही दुःख है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य के साथ घटी इस प्रकार की घटना हमें इस सभा में सुननी पड़ी है। सभा इस बात पर एकमत है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा विचार यह भी है कि इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे मामलों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं इन सारे मामलों को देखूंगा। इन मामलों से किस प्रकार निपटा जाए, मैं इस पर निर्णय लूंगा। अगर श्री हरिन पाठक से कुछ और सूचना लेने की जरूरत पड़ी तो यह मैं उनसे प्राप्त कर लूंगा। मैं इस पर समुचित निर्णय लूंगा। लेकिन आप सब आश्वस्त रहें कि हमारे समक्ष जो भी तथ्य मौजूद हैं, उसके आधार पर ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे यह संदेश मिल सके कि इस तरह की घटना फिर से किसी सदस्य के साथ न घटे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, जिसका विवरण अखबारों में छपा है और बताया गया है कि माननीय सदस्य को मारा गया है, हमारी मांग है कि एवी-डेंस शुरू होने से पहले ही उस एस०पी० को सस्पेंड किया जाए। (व्यवधान)

12.56 म० प०

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने समुचित रूप से विचार व्यक्त नहीं किया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय समर्थन

क्यों नहीं दे रही है। सरकार ने बजटरी समर्थन वापिस क्यों ले लिया है? कामगारों को वेतन नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राम विलास पासवान का अनुमति दूंगा। श्री राम विलास पासवान, आप अलग मुद्दे पर बोलेंगे, उसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप भी उसी मुद्दे पर बोलेंगे तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। अतः, आप अलग मुद्दे पर बोलें। अन्यथा, मैं दूसरे को बोलने के लिए बुला लूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर तो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अन्दर इस रिजर्वेशन का क्या होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब चर्चा होगी तब बताएंगे। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दो नवम्बर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में पुलिस द्वारा लोगों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही किसी को कंपंसेशन दिया गया है।

(व्यवधान)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

12.57 म० प०

श्री वसुदेव आचार्य : हजारों कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। प्रधानमन्त्री ने ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया है। सरकार ने बजट प्रावधान बन्द कर दिया है। (व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : क्या सरकार की इस श्रमजीवी वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति है।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : प्रधान मन्त्री ने लापरवाह ढंग से उत्तर दिया है। इस पूरी नीति को तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए।

12.58 म० प०

इस समय श्री सुदर्शन रायचौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन रायचौधरी : इससे कामगारों में बहुत असंतोष पैदा हो गया है। प्रधानमन्त्री ने ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में हम चुप नहीं रह सकते। जब तक यह नीति वापस नहीं

की जाती तब तक हम इस सभा को इस तरह कार्य नहीं करने देंगे। कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। स्थगन प्रस्ताव को तुरन्त लिया जाना चाहिए। हम सरकार की इस नीति को वापस लेने की मांग करते हैं।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल खत्म हो गया है। हम सभा पटल पर रखे गए पत्र ले सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1 04 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक
के लिए स्थगित हुई

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड (आवेदनों तथा याचिकाओं पर शुल्क) (संशोधन) नियम, 1992, जो 29 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 787(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2704/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : महोदय, मैं श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा

6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डार नियन्त्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1992, जो 10 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 612(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भंडार नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1992, जो 1 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 730(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2705/92]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2706/92]

नेशनल फैसिलिटी फार एनिमल टिसूज एण्ड सेल कल्चर, पुणे का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और लेखा परीक्षित लेखे आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल फैसिलिटी फार अनिमल टिसूज एंड सैल कल्चर, पुणे के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल फैसिलिटी फार अनिमल टिसूज एंड सैल कल्चर, पुणे के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2701/92]

(3) आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :—

(एक) विवरण संख्या 31—नौवां सत्र, 1987
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2708/92]
(दो) विवरण संख्या 30—दसवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2709/92]
(तीन) विवरण संख्या 26—ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2710/92]
(चार) विवरण संख्या 23—बारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2711/92]
(पांच) विवरण संख्या 23—तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2712/92]
(छह) विवरण संख्या 19—चौदहवां सत्र, 1989
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2713/92]

} आठवीं लोक सभा

(सात) विवरण संख्या 16—पहला सत्र, 1989
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2714/92]
(आठ) विवरण संख्या 17—दूसरा सत्र, 1990
[ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 2715/92]
(नौ) विवरण संख्या 13—तीसरा सत्र, 1990
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2716/92]
(दस) विवरण संख्या 11—छठा सत्र, 1990
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2717/92]
(ग्यारह) विवरण संख्या 10—सातवां सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2718/92]

} नौवीं लोक सभा

(बारह) विवरण संख्या 9—पहला सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2719/92]
(तेरह) विवरण संख्या 6—दूसरा सत्र, 1991
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2720/92]
(चौदह) विवरण संख्या 4—तीसरा सत्र, 1992
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2721/92]
(पन्द्रह) विवरण संख्या 2—चौथा सत्र, 1992
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2722/92]

} दसवीं लोक सभा

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड बड़ोदरा आदि का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और लेखापरीक्षित लेखे आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, वडोदरा के वर्ष 1991-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, वडोदरा का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 2723/92]

(2) (एक) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 2724/92]

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कृषक भारती कोओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये सं० एल० टी० 2725/92] .

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक —संघ सरकार— (1991 का संख्या 15)(वाणिज्यिक) भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड का अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार—(1991 का संख्या 15) (वाणिज्यिक)—भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2726/92]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलैक्ट्रॉनिकी तथा

महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री सलमान खुर्शीद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 2727/92]

———

2.07 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 20 अगस्त, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त आठ विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1992

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1992

(3) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1992

(4) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1992

(5) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1992

(6) भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक, 1992

(7) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992

(8) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1992

2. महोदय, 20 अगस्त, 1992 को सभा को सूचित करने पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक राज्य सभा के महासचिव

द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

(2) संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

(3) जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992

(4) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992

(5) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1992

(6) भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) संशोधन विधेयक, 1992

(7) राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक 1992

(8) पूंजी निर्गमन (नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 1992

(9) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक, 1992

(10) सेना (संशोधन) विधेयक, 1992

———

2.08 म० प०

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरणों का समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव .

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1993 के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1993 के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

2.08½ म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी। श्री गोपीनाथ गजपति।

2.09-1/2 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में सिमिलिपाल वन्य जीवन अभयारण्य के भीतर खनन कार्यों को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, वन-संरक्षण और वन्य जीव परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उड़ीसा के समूचे सिमिलिपाल अभयारण्य में, स्थित सोपस्टोन खानों में खनन से प्रसिद्ध पार्क के प्राणि जगत तथा वनस्पति को खतरा हो गया है वहां लगातार हो रहे खनन कार्य से जगह जगह पर दरारें पड़ गई हैं, खाइयां उत्पन्न हो गई हैं, भूस्खलन हो गया है, तथा जल स्रोतों में गाद भर गई है। सरकार की मंशा इसे कानूनी तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने की है, किन्तु यदि यह खनन कार्य रोका नहीं जायेगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पायेगा और यह अभयारण्य बंजर भूमि में बदल जाएगा तथा उस क्षेत्र का समूचा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। प्रवासी पक्षी काफी संख्या में सिमिलिपाल अभयारण्य में आते हैं क्योंकि उनके लिए यह अभयारण्य एक सुरक्षित स्थान है। अत: यह आवश्यक है कि खनन कार्य को पूरी तरह से रोक दिया जाए। खनन कार्य मितव्ययी नहीं है।

सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा सरकार को सिमिलिपाल वन क्षेत्र के भीतर खनन कार्य रोकने के लिए आदेश जारी करे।

(दो) सिवनी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा बीना होते हुए जबलपुर से नई दिल्ली तक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र सिवनी का हेडक्वार्टर छोटी रेलवे लाइन से जुड़ा है। देश के अन्य भागों की यात्रा के लिए नागपुर (महाराष्ट्र) या जबलपुर (मध्य प्रदेश) के रेलवे स्टेशनों से जाना पड़ता है। सिविनी के रेलवे स्टेशन से ही नागपुर तथा जबलपुर से दिल्ली-बम्बई-कलकत्ता-मद्रास आदि स्थानों को जाने वाली रेलगाड़ियों में सिवनी का कोटा निर्धारित कर सिवनी स्टेशन से ही आरक्षण किया जाए। इस हेतु जनता की मांग काफी समय से उठ रही है। डी० आर०यू०सी०सी० की बैठक में भी सदस्यों ने यह मांग की है। जन प्रतिनिधियों ने भी मन्त्रीजी को लिखा है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। अतः क्षेत्र में बड़ा असंतोष है। इसी तरह जबलपुर से नई दिल्ली वाया बीना नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रारम्भ करने के लिए संसद सदस्यों का डेलिगेशन मन्त्री जी से मिला है। आश्वासन मिलने के बाद भी रेलगाड़ी आज तक प्रारम्भ नहीं हुई है। इससे बड़ा जन असंतोष है। अतः उपर्युक्त दोनों कार्रवाई जनहित में अतिशीघ्र की जाए।

(तीन) बम्बई हाई से उत्तर भारत को गैस भेजने के बारे में महाराष्ट्र राज्य के प्रस्तावों पर विचार किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनंतराव देशमुख (वाशिम) : मैं नियम 377 के अधीन एक मामला उठाना चाहता हूं।

ऐसा मालूम हुआ है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई तथा अन्य पश्चिमी तटदूर क्षेत्रों से अतिरिक्त उपलब्ध गैस को उत्तर भारत में भेजने के लिए हजीरा तक पहुंचाने संबंधी व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इन परिस्थितियों के तहत, मैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार करें।

1. हजीरा को अतिरिक्त गैस ले जाये जाने संबंधी सभी प्रस्तावों पर विचार करना बन्द करें।

2. रायगढ़ जिले (महाराष्ट्र) के उसार नामक स्थान पर दूसरे गैस टर्मिनल की स्थापना के बारे में शीघ्र घोषणा की जाए।

3. महाराष्ट्र सरकार को बम्बई हाई में गैस के निरर्थक जलने में कमी लाने के लिए लाभकर विकल्प प्रस्तुत करने तथा उपलब्ध गैस के अपेक्षाकृत कम समय में प्रभावी उपयोग हेतु उपाय करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

(चार) विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिये आगरा तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन का विस्तार करने तथा आगरा में नए उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के नाम पर पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कोयला पर आधारित उद्योगों पर भारी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है। नए उद्योग लगाना लगभग बन्द है। उसी आधार पर केन्द्र सरकार ने एक भी उद्योग न तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आगरा में लगाया और न लगाया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्र सरकार द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सहमति व्यक्त करने के उपरांत भी प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन आगरा तक न तो प्रदेश सरकार द्वारा और न ही केन्द्र सरकार द्वारा डाली जा रही है ताकि प्राकृतिक गैस से प्रदूषणविहीन ईंधन उपलब्ध हो जाए तथा उद्योग पनप सकें और ताज को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके।

आगरा में कोयला चालित बिजलीघर की अनुमति भी इसी आधार पर नहीं दी जा रही है। गैस आधारित बिजलीघर बिना प्राकृतिक गैस उपलब्धि के सम्भव नहीं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में आगरा व ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्य जिलों को विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करें। इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए समूचे क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण करें। वर्तमान उद्योगों को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में विद्युत उपलब्ध कराएं तथा नए उद्योग लगाने को भी ऊर्जा के रूप में विद्युत प्रदान करें। विद्युत के प्रेषण व वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाए तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस क्षेत्र के लिए प्रेषित एवं केन्द्र में लम्बित विद्युत परियोजनाओं को अविलम्ब स्वीकृत करे ताकि उनके कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

(पांच) उत्तर प्रदेश के आंवला, शाहजहांपुर और जगदीशपुर में गैस पर आधारित विद्युत संयत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, आंवला स्थित इफको में प्राकृतिक गैस की एच० बी०जे० पाइप लाइन है जिससे फैक्टरी संचालित होती है। उक्त फैक्ट्री के संचालन हेतु जितनी गैस आती है इसका उपयोग इसमें नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप गुजरात में गैस बेकार जलाई जाती है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एच०बी०जे० पाइप लाइन के पास गैस आधारित बिजलीघर बनाने की अनुमति दिए जाने से आंवला (बरेली), शाहजहांपुर और जगदीशपुर में चल रहे कांच, सिरामिक्स, फाउंड्री तथा खाद्य उद्योगों को नया जीवन मिल सकेगा। वर्तमान में बरेली जनपद पिछड़े जिला में से एक है और नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पुराने औद्योगिक जिला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने का विचार भी किया गया है। इसके बनने से विद्युत संकट से मुक्ति मिलेगी और आंवला (बरेली) में स्थापित इकाइयां पुनर्जीवित होने के साथ-साथ प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगी।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि आंवला (बरेली), शाहजहांपुर और जगदीशपुर में एक-एक प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत-गृह की स्थापना शीघ्र कराई जाए।

(छ) बिहार के सहरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में बहुत ही बेरोजगारी है। चूंकि इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी उद्योग नहीं लगे हुए हैं, इस कारण यहां की गरीब जनता को अपने जीवन यापन के लिए सहरसा से बाहर जाकर कहीं पर मजदूरी करनी पड़ती है।

सहरसा में उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में, मैंने पूर्व में भी कई बार संसद में प्रश्न उठाया है परन्तु अभी तक इस मामले में कोई योजना नहीं बनाई है जिससे वहां वह दिनों-दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह क्षेत्र वैसे भी एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह सहरसा में जल्द से जल्द उद्योग लगाए जाने के संबंध में योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करे जिससे मेरे क्षेत्र को इस बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिल सके।

(सात) पश्चिम बंगाल में डिवीजनल जिला कस्बे जलपाईगुड़ी में रसोई गैस की और अधिक गैस एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मण्डल/जिला शहर में रसोई गैस कनेक्शनों की भारी किल्लत की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1987 से अब तक गैस के इच्छुक लोगों के 10,000 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। वहां पर केवल एक डीलर अस्थाई आधार पर काम कर रहा है जिसकी वजह से जनता अत्यन्त क्षुब्ध है। जिला प्रशासन ने इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से भी बात की है। डीलरशिप के बहुत से आवेदन पत्र पड़े हैं जिसमें से थोक उपभोक्ता कोपरेटिव सोसाइटी ने केवल एक की सिफारिश की है। इन परिस्थितियों में, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री जी से इस क्षेत्र में कम से कम एक और डीलर नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि इस ज्वलन्त समस्या का समाधान हो सके।

(आठ) नरमा कपास के खरीद मूल्य में वृद्धि घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल नरमा कपास का भाव 1450 रु० प्रति क्विंटल तक बिका था, जबकि इस साल नरमा का भाव 1075 से 1125 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि खादों और पेस्टीसाइड्स के दामों में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले साल के अनुपात में पेस्टीसाइड्स के दामों में भी 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

डीजल, मजदूरी, स्प्रे आदि की दरों में भी वृद्धि हुई है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नरमे का भाव कम से कम 2000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब होना चाहिए। धन्यवाद।

2.19 म० प०

नियम 193 के अधीन मामले

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करेगी।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों विषय आपस में कुछ हद तक एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। लेकिन प्रत्येक अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मुद्दे गेहूं का आयात तथा उर्वरकों की सब्सिडी में कटौती से सम्बन्धित सरकारी नीति से जुड़े हुए हैं।

जिस सरकार ने सदा यही आश्वासन दिया है कि वह किसानों और उनकी खेती के बारे में सब से पहले विचार करती है और किसानों के प्रतिकूल वह कुछ भी नहीं करेगी, जब उसी सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया तो पूरे देश का आंदोलित हो जाना स्वाभाविक ही था। महोदय, इस देश के नागरिकों के रूप में, पिछले कुछ वर्षों से हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुए हैं और एक समय था कि जब हम विदेशों से खाद्यान्न विशेषतया गेहूं आयात करते थे। हमें वह दिन याद है जब हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं खरीदने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च किया करते थे। वह समय अब बीत गया है। वह एक दुःस्वप्न था। अब हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। हमें अपने किसानों तथा अन्य लोगों का, उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाने हेतु उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के वास्ते धन्यवाद देना चाहिए। हम इस स्तर पर पहुंच गये हैं कि अब भारत को आयात पर ज्यादा समय तक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। अब अचानक मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह निर्णय अचानक लिया गया है कि हमें गेहूं का काफी मात्रा में आयात करना होगा। यह आयात शुरू में दस लाख टन था लेकिन अब अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से 25 लाख टन गेहूं का आयात करने का प्रस्ताव है। संयुक्त आंकड़े 25 लाख टन है। महोदय, मैं चाहता हूं कि डा० मनमोहन सिंह यहां उपस्थित होते, क्योंकि मुझे लगता है कि तथाकथित विश्व स्तरीय मुक्त व्यापार के डा० मनमोहन सिंह समर्थक हैं और पश्चिमी देशों, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मूल नीति है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्वस्तरीय अर्थव्यवस्था तथा विश्वस्तरीय मुक्त व्यापार से जोड़ना चाहिये जिससे हम अलग नहीं हो सकते। हम विलासिता की वस्तुओं को वहन नहीं कर सकते क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ये सब पुराने विचार तथा सिद्धांत हैं हमारे इस विश्वस्तरीय मुक्त व्यापार से सम्बन्ध जोड़ना चाहिए।

अब यहां क्या हो रहा है? गेहूं की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें विकट समस्या

का सामना करना पड़ रहा है और इसको कोई बहुत बड़ी समस्या भी कह सकता है। उत्पादन कम है, खरीद कम है, बफर स्टाक कम है। मुझे यहां आंकड़े स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है। प्रश्न यह है कि इतना कम उत्पादन कैसे हुआ। हमने पूर्ववर्ती वर्षों में कोई सूखे या अन्य किसी आपदा का सामना नहीं किया है। हमारा मानसून अच्छा था। पिछले वर्ष हमारी बम्पर फसल हुई थी। कम से कम, यह दावा किया गया है कि बम्पर फसल मैं नहीं जानता इसके बावजूद उत्पादन स्थिर रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह तेजी से कम हुआ है, लेकिन यह स्थिर रहा है। उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। इसके फलस्वरूप खरीद भी कम हो गई है और बफर स्टाक भी कम हो गया है। मेरे विचार से कल माननीय मन्त्री कह रहे थे हम आयातकर रहे हैं। स्वदेशी बाजार में गेहूं के ऊंचे मूल्यों के कारण तथा उनसे उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए गेहूं का आयात किया जाना जरूरी है, ताकि कीमतें कम की जा सकें। प्रैस-रिपोर्टों के अनुसार जब सरकार ने पहली बार अमरीका से गेहूं आयात करना शुरू किया था और शायद कुछ संधिवार्ताएं चल रही थीं तो उन्हें आशा थी कि अमरीका हमें रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराएगा। विश्व में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। शक्ति-संतुलन बदल गया है। अमरीका इन दिनों रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के मूड में नहीं है, जिन्हें वह अपने विश्व ढांचे का आवश्यक अंग नहीं मानता है।

इसका परिणाम यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका से 163 डालर और 205 डालर लागत, बीमा, भाड़ा की दर से गेहूं आयात की जा रही है।

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : वह सही नहीं हैं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यदि यह बात सही नहीं है तो सही बात बताइये। उसकी आंकी गई लागत काफी अधिक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उसकी लागत 424 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है और कुछ कहते हैं कि इसकी लागत 526 रुपए प्रति क्विंटल होगी। मन्त्री महोदय ही वास्तविक आंकड़े तथा गणनाएं बता सकते हैं। वास्तविकता यह है कि यह कीमतें इतनी ऊंची हैं कि यह उन कीमतों से भी अधिक है जिस पर हम अपने देश में किसानों से बाजार में गेहूं बेचने के लिए अथवा सरकारी खरीद के लिए कहते हैं।

कुछ माह पहले यह अफवाह थी कि संयुक्त राज्य अमरीका का कठोर रवैया था क्योंकि वह भारत सरकार के क्यूबा को चावल बेचने सम्बन्धी निर्णय अथवा समझौते से असन्तुष्ट है। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसके विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका गत वर्षों से व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा रहा है और किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की क्यूबा को आपूर्ति रोकना चाहता है। यह एक राजनीतिक प्रश्न है। बाद में यह बात स्पष्ट की गई थी कि भारत सरकार क्यूबा को चावल नहीं बेच रहा है।

मन्त्रिमण्डल ने इस वर्ष 15 जनवरी को चार वर्षों में पहली बार यह निर्णय लिया था कि एक मिलियन टन गेहूं आयात किया जाएगा। चार वर्षों में पहली बार यह निर्णय लिया गया था। ऐसा निर्णय पहले 1988 में लिया गया था। पिछले चार वर्षों में हमने बाहर से गेहूं आयात नहीं किया था। अब अचानक ही मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय ले लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाद में अधिक दाम मिलने की संभावना से बाजार में गेहूं बेचने के लिए रोक दी गई। व्यापारियों दूसरे शब्दों में जमाखोरों तथा देश के समृद्ध क्षेत्र (जहां भण्डार करने की क्षमता मौजूद थी) के किसानों ने गेहूं जमा करके रख लिया। इस बारे में कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें बाद

में अधिक कीमत मिलेगी। इसी कारण उन्होंने इसे जमा कर लिया। मेरे विचार से सरकार जमा भण्डार को निकालने के बारे में गम्भीर नहीं है। कुछ राज्यों में जमाखोरी के विरुद्ध नाममात्र की कार्यवाहियां की गयीं। इस जमाखोरी के परिणामस्वरूप कीमतों में जो वृद्धि हुई है उस ओर कभी गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने इसके लिए कुछ उदार उपाय अपनाए। जमाखोरों के साथ कड़ाई से निपटना होगा। हमें आयात के लिए ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि इसे कम किया जा सके क्योंकि हमें इसके लिए उस समय बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देनी पड़ रही है जब हमारा व्यापार संतुलन घाटे में चल रहा है तथा हमारे वित्त मन्त्री प्रतिदिन हमें विदेशी मुद्रा घाटे के बारे में याद दिलाते रहते हैं। उन्होंने व्यापार संतुलन में घाटा होने के बावजूद गेहूं आयात करने के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा का भुगतान करने का निर्णय क्यों लिया और इस वर्ष अच्छा मानसून होने से गेहूं की अच्छी फसल हुई है।

वर्ष 1991-92 में 7.7 मिलियन टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई थी अर्थात यह 1990-91 की तुलना में 3 मिलियन टन कम था। मैं यह पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ? यह इतना कम क्यों था? 3 मिलियन टन कम मात्रा की अधिप्राप्ति हुई! इसके लिए कोई स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इस वर्ष 1 जनवरी को हमारे बफर स्टाक में 5.27 मिलियन टन गेहूं था। जबकि गत वर्ष इसी दिनांक को यह 9.20 मिलियन टन था। इस प्रकार बफर स्टाक कम होता जा रहा है। पूर्वानुमान तथा जमाखोरी के कारण ऐसा हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न ले जाने के कारण चाहे इसे आप तस्करी कहें या न कहें, मैं नहीं समझता, परन्तु इन सबने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा की। साथ ही साथ सरकार ने यह घोषणा की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जाएगा और उसे सुदृढ़ किया जाए तथा विभिन्न राज्यों में अनेक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खोली जाएंगी जिनके लिए अतिरिक्त 4 मिलियन टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने तथा उसे बढ़ाने के लिए शायद 4 मिलियन टन गेहूं की नहीं बल्कि सभी खाद्यान्नों की आवश्यकता है। साथ ही पिछले वर्ष कुछ अफ्रीकी तथा अन्य देशों को 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 6.5 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया था। इसीलिए महोदय; मेरा यही कहना है कि पूरी नीति विरोधात्मक प्रतीत होती है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के विभिन्न विभाग तथा शाखाएं एक दूसरे का विरोध कर रही हैं।

समाचारपत्र में यह मुख्य समाचार था कि माननीय कृषि और खाद्य मन्त्री ने इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं के आयात का विरोध किया था और मेरी जानकारी के अनुसार मन्त्री महोदय ने इसका खण्डन भी नहीं किया है। वह यहां उपस्थित हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हरित क्रांति के क्या परिणाम रहे। क्या यह दूसरी हरित क्रांति का समय है? यदि हां, तो आप इस के लिए क्या कर रहे हैं? वास्तविकता यह है कि उत्पादन कम हो रहा है। 1988 से अब तक गेहूं का उत्पादन 54 मिलियन टन से 56 मिलियन टन तक रहा। सरकार ने घबराहट में उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस उपाय नहीं किए थे। वह उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उर्वरक की कीमतें बढ़ा दी हैं और उससे किसान प्रभावित हुए हैं। निश्चित रूप से यह दोनों परस्पर सम्बन्धित विषय हैं। इस उर्वरक नीति से न केवल गेहूं का उत्पादन भी प्रभावित हुआ बल्कि अन्य अनेक फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ। अतः दो वर्ष के भीतर हम निर्यातक से आयातक बन गए। मेरे विचार से यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। इससे यदि गम्भीर संकट उत्पन्न नहीं हुआ है तो और क्या हुआ है।

मैं समझता हूं कि किसानों तथा उपभोक्ताओं, जो समाज के निम्न वर्ग के हैं तथा जिनके लिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य करती है, को संतुष्ट करना अत्यन्त कठिन है। सार्वजनिक वितरण की दुकानों में भी दाम बढ़ा दिए गए हैं, मेरे विचार से पिछले कुछ सालों में यह तीन बार बढ़ाए गए हैं। राशन कार्ड से मिलने वाले गेहूं तथा चावल के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? मेरे विचार से उन्होंने इसका कारण यह बताया है कि "हम किसानों को ऊंचे अधिप्राप्ति दाम दे रहे हैं।" लेकिन यह ऊंचे अधिप्राप्ति मूल्य देने से भी किसान अधिक खाद्यान्न नहीं देंगे। वह अपने पास भंडार रख लेंगे क्योंकि मूल्य नीति ठीक नहीं है। एक किसान आपको एक निश्चित कीमत पर अनाज नहीं देगा क्योंकि वह जानता है कि भविष्य में इसकी कीमतें बढ़ेंगी। सरकार अमरीकी अनाज कम्पनियों से इतने ऊंचे दामों पर गेहूं खरीद रही है। मेरे विचार से इस नीति से न तो भारतीय कृषि को लाभ होगा और न ही भारतीय कृषक को लाभ होगा बल्कि आयात व्यापार में शामिल आयातकों, निर्यातकों नौवहन कम्पनियों बीमा, कमीशन एजेंटों तथा दलालों को लाभ होगा। इस प्रकार हमारे किसानों को नहीं बल्कि उन्हें लाभ होगा। किसानों का बहुत नुकसान होगा। इससे भारतीय कृषि बहुत प्रभावित होगी क्योंकि आपने ऐसे किन्हीं उपायों के बारे में नहीं बताया है जिससे आप अगले कुछ वर्षों में उत्पादन बढ़ा सकेंगे अथवा अधिप्राप्ति तन्त्र को सुदृढ़ कर सकें।

अतः महोदय, जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है मैं सरकार की इस नीति की निंदा करता हूं जिसने उस मार्ग को बदल दिया है जिसका हम पिछले कई वर्षों से पालन कर रहे थे। संपूर्ण कृषक समुदाय इसका विरोध कर रहा है और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है उसके बारे में हमें यह बताया गया कि अनियन्त्रण की नीति कृषि मन्त्रालय तथा उर्वरक विभाग के परामर्श के विरुद्ध थी। इसके परिणामस्वरूप फासफेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जब सदन में इस बारे में घोषणा की गई थी तो इसका आम विरोध हुआ था। यह आश्वासन दिया गया था कि जहां तक गरीब और सीमांत किसानों का सम्बन्ध है उन्हें उर्वरक पूर्व कीमतों पर ही मिलता रहेगा और राज सहायता वापस लेने से नए मूल्यों का छोटे और सीमांत किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में सभी स्थानों से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि यह निर्णय केवल कागजों पर ही है और वास्तव में लघु तथा सीमांत किसानों को भी नए तथा बढ़े हुए दामों पर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। वैसा तंत्र प्रचलन में नहीं है। यह निर्णय क्रियान्वित नहीं हुआ है और आप इस प्रकार निर्णय को लागू नहीं कर सकते हैं। आप कालाबाजार से खरीदें अथवा मूल कीमत पर खरीदें लेकिन आपको नयी बढ़ी हुई कीमतों पर नहीं खरीदना है।

अब मैं यह महसूस करता हूं कि आंशिक राजसहायता समाप्त करने के बावजूद भी कुछ राजसहायता दी जाती है और घाटा अभी भी है तथा उर्वरक का स्वदेशी उत्पादन करने से यह जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियां बन्द होने वाली हैं। श्री संगमा आपके पीछे बैठे हुए हैं और जहां तक इससे सम्बन्धित श्रम की समस्या है वह उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक उपक्रम चाहे वह सिंदरी, गोरखपुर, दुर्गापुर, बरौनी अथवा फेक्ट, केरल में ट्रावनकोर हो, जिसमें 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, बन्द होने वाले हैं। वह बन्द होने के अन्तिम चरण में हैं। यहां तक कि इन कंपनियों के लिए जो बजटीय आवंटन किया गया है या तो उसे वापस ले लिया गया है अथवा वह दिया ही नहीं गया है। अतः इन फैक्ट्रियों का जीवन समाप्त हो रहा है। कच्चा माल तथा अन्य सामग्री खरीदने की बात तो दूर रही कभी-कभी उनके पास प्रति माह वेतन देने के लिए पैसा नहीं होता है।

यह सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के प्रति एक सुनियोजित नीति है। निसंदेह इससे निजी क्षेत्र अर्थात् श्री बिरला तथा अन्य उद्योगपतियों जिनकी अपनी निजी उर्वरक कम्पनी है उन्हें ही फायदा होगा। मेरे विचार से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की उर्वरक उप-समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कुछ असहमति टिप्पण भी थे। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हू कि समिति के सदस्यों पर विभिन्न प्रकार से दबाव डाला गया कि इस नीति का पालन किया जाए जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के एकक बन्द हो रहे हैं।

उनमें से हजारों श्रमिक इस समय बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी नौकरियां दांव पर लगी हैं। उनकी नौकरी को कोई सुरक्षा नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि कब तक उनके कारखानों को चलते रहने की अनुमति दी जाएगी।

निश्चय ही निजी क्षेत्र के कारखानों को लाभ होगा। लेकिन उर्वरक बाजार की वास्तविक स्थिति क्या है? इसलिए मेरा तर्क यह है कि जो राजसहायता पिछले वर्ष समाप्त कर दी गई थी, उसे बहाल किया जाए। आखिरकार, यह राजसहायता स्थायी नहीं है, ये अस्थायी चीजें हैं, कभी यह बढ़ा दी जाती है, कभी कम कर दी जाती है, कभी-कभी यह समाप्त की जा सकती है और कभी-कभी उसे दुबारा लागू किया जा सकता है। लेकिन, इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है है उसे देखते हुए मैं इस राज सहायता को बहाल लागू करने की अपील करता हूं जिसे पिछले वर्ष उर्वरकों पर समाप्त कर दिया गया था।

यह सब चीजें एक साथ मत कीजिए। इससे इस देश की कृषि को भारी नुकसान होगा। इस सहायता को समाप्त कर देने से तथा गेहूं के आयात से हमारे देश की कृषि तथा किसान अशक्त हो जाएंगे। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, यह हम नहीं जानते हैं। उदारीकरण तथा विश्व व्यापी खुले बाजार की नीति के कारण यह सब कुछ हो रहा है। अन्यथा, यह बात अचानक कैसे हुई? इस आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने से इस तथ्य को कोई नही छिपा सकता कि यह बहुत बडी सहायता है और यह भी कि यह सहायता विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है। कुछ दिन पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष यहीं आए हुए थे। वे बार-बार दोहरा रहे हैं कि राज सहायता में कटौती किए बिना आप हमसे सहायता नहीं ले सकते हैं। अब यह कहां समाप्त होगी यह हम नहीं जानते।

अब यह बात उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में है। अब खाद्यान्नों पर भी विभिन्न चरणों में राज सहायता में कटौती करना आरम्भ कर दिया है जिससे सार्वजनिक वितरण-प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा जोकि मुझे विश्वास है कि निर्धन वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है न कि इस सभा में बैठे हुए लोगों के लिए। आप और हम खुले बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। हमें राशनकार्ड पकड़ कर लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समुदाय के अन्य वर्ग का क्या होगा जिनको गेहूं, चीनी, चावल, खाद्य तेलों आदि की कीमतों के बढ़ने से हानि होने वाली है। इसलिए इन दो मामलों को एक ही मानना चाहिए क्योंकि हमारी कृषि प्रणाली के यह दो मुख्य तत्व हैं। एक उर्वरक है जिसके बिना हरित क्रांति नहीं आ सकती है। मैं जानता हूं कि यह केवल उर्वरकों के द्वारा ही नहीं होता है बल्कि यह उर्वरक, अच्छे बीज और सिंचाई इत्यादि का मिश्रण होता है। लेकिन उर्वरक इसका आवश्यक अंग है और आप इसे समाप्त कर रहे हैं और प्रत्येक औसत किसान की पहुंच से दूर कर रहे हैं। दूसरा, इन कीमतों पर गेहूं का आयात करके, आप इन कीमतों का आधा भी अपने कृषकों को देने के लिए तैयार

नहीं हैं, मैं यह नहीं जानता कि हम यह धन, यह विदेशी मुद्रा इन बड़ी-बड़ी अमरीका खाद्यान्न कम्पनियों को क्यों दें।

हम स्वयं अपने लिए उत्पादन कर सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है। यहां तक कि दो वर्ष पहले आयात के बारे में सोचना आवश्यक नहीं था। हम अपने लोगों को खिला सकते थे। यह एक भिन्न मामला है कि हमारी जनता का एक बड़ा हिस्सा इतनी कम कीमतों पर भी खाद्यान्नों को खरीदने की क्षमता नहीं रखता है। यह एक सत्य है। वे सब लोग, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं और ऐसे और लोग भी। लेकिन यह एक दूसरी समस्या है और हमें इससे अलग तरीका से निपटना है कि उन लोगों की क्रयशक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन तथ्य यह है कि जो कुछ भी कुल खरीद है वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे आन्तरिक उत्पादन से ही हो रही है और यह कहते रहना आवश्यक नहीं है कि यहां खाद्यान्न की कमी है। इसलिए हमें बाहर से आयात करना होगा।

इसलिए मैं सरकार की इस नीति की कड़ी भर्तसना करता हूं। मैं दो चीजों की मांग करता हूं कि उर्वरकों पर राजसहायता पुनः दी जानी चाहिए और उर्वरक उत्पादन में कमी नहीं होने देनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को बन्द नहीं होने देना चाहिए और जो प्रबन्धक तथा कर्मचारी अपना सहयोग देने को तैयार हैं, उनकी सहायता से उनका पुनरुत्थान किया जाना चाहिए।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह समझौता भी इसका एक पहलू है यह पहला समझौता नहीं है, जिस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इस समझौते की समीक्षा की जानी चाहिए और इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि श्री बलराम आखड़ जैसे एक वरिष्ठ और अनुभवी कृषक स्वयं यह कहते हैं कि वे एक अनुभवी कृषक है। मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह इस बात के विरुद्ध जाता है कि आत्मनिर्भरता की स्थितिक तक पहुंचने के बाद इस सरकार को अमरीका से उनकी शर्तों पर खाद्यान्न मांगना पड़ रहा है। ये वे शर्तें हैं जिनका आदेश देने की स्थिति में वे हैं। यह हमारी बिल्कुल गलत नीति है, पूर्णतः हमारी भारतीय कृषि तथा भारतीय कृषकों के हित के विरुद्ध है और इस पूरे मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री, खाद्य मन्त्री तथा अन्य लोग, जो कि हमेशा यह दावा करते हैं कि उन्हें अपने आपको आत्म-निर्भर बनाना है. अपने आपको सभी बंधनों से मुक्त करना है, अपने देश के हित में ऐसा अवश्य करेंगे। अन्यथा हमारे लिए बहुत कठिन समय आ जाएगा और इस देश की कृषि तथा किसान बिना किसी अपनी गलती के इसे भुगतेंगे। हो सकता है यहां की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा हो जिनका आदेश विदेशी एजेंसियों द्वारा प्राप्त है और यह ऐसा मुद्दा नहीं हैं जिसमें हम स्वयं ही सुधार कर सकते हों।

इस देश की आर्थिक नीति हमारे अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न देश द्वारा हमारी अपनी स्वतन्त्र सरकार द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्धारित की जानी चाहिए न कि विदेशी एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

यही कुछ मुझे कहना है। मुझे उम्मीद है कि सभा सरकार द्वारा लागू की गई अनर्थकारी नीतियों को बदलने के मेरे विचारों का समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं महोदय, कम से कम दस घंटे।

श्री श्रीकांत जेना : यह एक गम्भीर विषय है और इसे जारी रखना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 घण्टे तक बहस इस पर कराइए। पूरे देश के ग्रामीण अंचल में हलचल मची हुई है। इस पर लोग निगाहें लगाए बैठे हैं। इस मुद्दे पर कम से कम 2 दिन या 10 घण्टे चर्चा कराइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अनेक माननीय सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए वे सदस्य जिनको पहले अवसर मिल गया है यदि वे अपने वक्तव्य को थोड़ा छोटा कर दें तो अधिक सदस्य भाग ले सकते हैं क्योंकि एक गम्भीर और अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा है।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समय के लिए उस सरकार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका समर्थन इन्द्रजीत गुप्त जी करते थे और माननीय खुराना जी भी करते थे। मैं उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और करीब 11 महीने तक रहा। फिर खुराना जी की मेहरबानी से उस सरकार का खातमा हुआ। ये जो सारी परिस्थितियां बनी हैं, मेरा जो कुछ भी कृषि के बारे में इस देश का तजुर्बा है, क्योंकि कृषि आयोग की रिपोर्ट जो मैंने लिखी वह आने वाले 100 साल तक रेलेवेंट रहेगी। जो कुछ इन्द्रजीत गुप्त जी ने इसके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि सरकार की पालिसी गलत है। सरकार के सोचने के नजरिए और विरोधी पक्ष के सोचने के नजरिए में हमेशा फर्क रहता है और रहेगा। विरोध पक्ष में बैठ हॉट एण्ड कोल्ड दोनों एक साथ सिम्पैथी करते हैं। जिनको काम करना है

[अनुवाद]

वे एक ही समय में पक्ष तथा विपक्ष की बात नहीं कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप इस नीति का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री नाथू राम मिर्धा : जी, हां, मैं बहुत विवेकपूर्ण कारणों से इसका समर्थन कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए आप भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप जो करें वैसे ही मैं करूं यह जरूरी नहीं है। ···(व्यवधान)···

मैं आपसे कह रहा था कि पिछले चार-पांच सालों से, जैसे इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा, प्रोडक्शन कम हो गया है, एक साल कम हुआ बाकी करीब-करीब स्टेग्नेट है, 54-55 मिलियन टन के आसपास व्हीट का उत्पादन है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं पूरी स्थिति की व्याख्या करूंगा कि क्या गलत है और इसे किस तरह से ठीक करना है। यदि आप मुझे सुनें तो मैं प्रत्येक चीज की व्याख्या करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : टू-इन-वन की तरह बोलिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नाथू राम मिर्धा : जो कुछ भी आपने कहा है, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : हमारा मतलब है कि आप गलत जगह पर सही व्यक्ति हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं जानता हूं मुझे कहां होना चाहिए क्योंकि मैं 13 वर्ष वहां रहा हूं जहां कि मैंने दावा किया था कि मैं वहां कुछ कर सकता हूं लेकिन जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं कुछ कर नहीं सका तो मुझे वापस आना पड़ा। मैंने श्री चरण सिंह के साथ, आपके साथ तथा प्रत्येक के साथ कुछ कार्य करने चाहे। हमने अस्थायी रूप से कुछ कार्य किए लेकिन हम स्थायी रूप से सफलता हासिल नहीं कर सके क्योंकि यहां कुछ विषम तत्व विद्यमान हैं जैसे श्री खुराना। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने इसे कब समझा ?

श्री नाथू राम मिर्धा : मैंने उन्हें तब समझा जब वे हमें छोड़कर चले गए।

[हिन्दी]

बी०जे०पी० के दो मैम्बर थे, फिर 36 हो गए और आज 117 हो गए हैं। यह कितनी बड़ी बीमारी हमने पाली है। इस बीमारी को काटने के लिए मैं यहां पर हूं। यह बात तो पोलिटिक्स की हो गई है।···(व्यवधान) अगर आपका एक भी मैंबर जीतकर आएगा तो मेरा नाम बदल देना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आपस में बातचीत करें। उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप कहते थे कि बी०जे०पी० का एक भी मैंबर नहीं जीतेगा, आज हमारे यहां से बारह जीते हैं···(व्यवधान)

श्री नाथू राम मिर्धा : अब मैं पिछले चार साल के प्रोक्युरमेंट आफ प्रोडक्शन के आंकड़े देना चाहता हूं। 1988-89 में 169.9 मिलियन टन था, 1989-90 में 172.1 मिलियन टन था, 1990-91 में 176.1 मिलियन टन था और 1991-92 में 167.2 मिलियन टन था। जब मैं मिनिस्टर था तो

उस समय जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वह 169 मिलियन टन था। उस समय हमने प्रोक्युरमेंट किया और व्हीट का प्रोडक्शन 54 मिलियन टन का हुआ और ग्यारह मिलियन टन का प्रोक्युरमेंट हुआ —जबकि दस मिलियन टन लक्ष्य रखा था, 1.6 मिलियन टन आगे किया। ...(व्यवधान) पहले मेरी बात सुन लीजिए। लक्ष्य से ज्यादा प्रोक्यूरमेंट किया। उसके बाद चावल का प्रोक्युरमेंट साढ़े ग्यारह मिलियन टन का किया जबकि दस का ही करना था। मेरे टाईम में मैक्सीमम प्रोक्युरमेंट था और मैक्सीमम स्टोर था। मेरे टाईम पर मैंने फड ग्रेन जब किसी भी मुख्य मन्त्री ने चाहे, वह किसी भी पार्टी का था, जितना उन्होंने मांगा उतना उनकी नीड्स के लिए दिया।

यह रिकार्ड है। अगर आप इस सरकार को नहीं गिराते तो इस देश को निहाल कर देते। मैं कह रहा था कि फूड सप्लाई में तेल और शुगर भी आया। देश में सुगर का मैक्सिमम प्रोडक्शन 90 लाख टन था लेकिन जब मैं मिनिस्टर हुआ तो 103 लाख टन हो गया और आज यह 130 लाख टन होने जा रहा है। अब आप मुझसे कहने लगे हैं कि यह कंट्राडिक्शन समझाइए कि आपने एक्सपोर्ट क्यों किया? मेरे सामने सवाल यह है कि उस समय तेल कम था, पॉम ऑयल हमारे पास था लेकिन फारेन एक्सचेंज नहीं था जो बाद में जाकर कम्पलीट ड्राई हो गया। उस समय फारेन एक्सचेंज कैसे कमाएं, तब यह सोचा कि चावल, गेहूं बाहर भेजा जाए और उस फारेन एक्सचेंज से तेल बाहर से मंगाये। चूंकि उस समय कांटैक्ट करके गेहूं और चावल बाहर भेजा और उस फारेन एक्सचेंज से तेल मंगाया। उस समय तेल की बहुत कमी थी। आपने देखा होगा कि किसान बड़ा होशियार है। वह अपनी एकनामिक्स जानता है। तेल, सरसों, तोरई का कल्टिवेशन बढ़ गया। आप कहते हैं कि यह स्टेगनेशन कैसे रह गया। इसका कारण यह है

[अनुवाद]

गेहूं की जगह तिलहन की खेती करना। हमें इसी से ही सम्बन्ध रखना है। यह एक अन्य दार्शनिकता है।

[हिन्दी]

अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय एक्सपोर्ट किया। उस समय श्री खुराना जी तमाशा करते रहे कि व्हीट में न मालूम क्या गड़बड़ हो गयी है। उस समय एक्सपोर्ट किया गया। उस समय खुराना जी नाटक करते रहे मुझे यह सब मालूम है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं यों ही कह रहा था कि गेहूं बाहर भेजना ठीक समझा। अब चीनी का उत्पादन 130 लाख टन हो गया है, इसकी चिन्ता नहीं है। बाहर एक्सपोर्ट की बात भी नहीं है। तेल करीब-करीब ठीक लेवल पर है, दाल, गेहूं, चावल का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन पापुलेशन बढ़ रही है तो इन सब चीजों का उत्पादन भी ज्यादा बढ़ाना है। आपको याद होगा पिछले साल क्या हालात खड़े हो गए थे। जेठ, आसाढ़ सूखे रह गए जो कभी नहीं हुआ करते थे। सावन में बरसात हुई। बहुत लेट हुई। सरकार को चिन्ता थी। स्टाक डिपलिटिड हो गए थे। हमारे प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तगड़ा करने की बात कहते हैं। ज्यादा धान रिलीज हो गया, स्टाक कम हो गए। स्टाक कम होने के कारण इन्होंने सोचा कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। यदि इम्पोर्ट नहीं करेंगे और जैसा आपने कहा कि इतने दाम देकर बाहर से क्यों किया? अगर यहां ही खरीद शुरू की होती तो जितना धान यहां था उनकी कीमतें ऊंची होंगी। इसलिए सरकार

ज्यादा व्हीट को खरीदा तो जो भाव था, उसके हिसाब से आया, इसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पहले एक मिलियन टन और फिर सोचकर तीन मिलियन टन की बात हुई और अब यह 2.8 मिलियन टन की हुई है। यह सोचना जरूरी था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू रखी जा सके और मोर फूड ग्रेन्स अवेलेबल करने के लिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब इम्पोर्ट में कंट्रीज से कोई प्राईवेट सौदा नहीं हुआ। यह तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा हुआ है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका की गवर्नमेंट से हुआ है। इसलिए उस समय दुनिया में जो भाव थे, उस भाव से गेहूं खरीदना पड़ा।

एक माननीय सदस्य: आपने प्राईवेट कम्पनियों से सौदा किया।

श्री नाथू राम मिर्धा: नहीं, आपका ख्याल गलत है।

3.00 म० प०

मुझे सब मालूम है। सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदा है और गवर्नमेंट में अमेरिका की गवर्नमेंट ने जो कंसेशन दिए हैं वह हमसे कम दाम लेते हैं और वहां उनको ज्यादा दाम देते हैं।

श्री नीतीश कुमार: सब घपला होता है।

श्री नाथू राम मिर्धा: आपका ख्याल गलत है। मैं आपकी हर बात से ऐग्री नहीं करूंगा। वह माल जो सरकार ने खरीदा है वह सही दाम में लिया है और उसमें कोई घपला नहीं है और अगर 3 लाख मिलियन टन गेहूं नहीं आता तो आज गेहूं और महंगा हो जाता। अब आप बताइए कि यह सौदा सही किया या नहीं। मेरी इनसे बातें हुई हैं और अब यह सरकार और गेहूं इम्पोर्ट नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूं कि इस बार क्या प्रोडक्शन है जो कभी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

मुझे आज इस वर्ष लगभग 183 अथवा 184 मिलियन टन खाद्यान्नों, खरीफ और रबी के उत्पादन की उम्मीद है।

[हिन्दी]

मेरी बात सुन लो। ब्रह्मा जी का वाक्य है। आप देख लेना 184 मिलियन टन उत्पादन होगा। मैं यह जानता हूं। मेरा तजुर्बा है। आप देख लेना अब हमारी खरीफ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। बांध अच्छे भरे हैं, नदियों का पानी काफी इकट्ठा हुआ है और ज्यादा इर्रीगेशन होगा, सिवाय कुछ इलाकों में जहां ड्राउट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस साल का प्रोडक्शन अच्छा होगा। बाजार में गेहूं ज्यादा आएगा। आप और हम इस सरकार पर जोर दें कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस अच्छा रखना चाहिए।

फर्टिलाइजर की बात भी इसमें बहुत जरूरी है। मैं इस पर भी दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार: असली बात पर आप अब आए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमें बोलने दीजिए ।

[अनुवाद]

उर्वरक खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक है ।

[हिन्दी]

नेशनल कमीशन की रिकमंडेशन है कि इस सातवीं योजना के अंत तक 180 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना चाहिए था और उसके लिए 14 हजार मिलियन टन फर्टिलाइजर का कोटा रिलीज होना था । वह नहीं हुआ इसीलिए प्रोडक्शन कम हुआ ।

3.02 म० प०

[प्रो० मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

फर्टिलाइजर के दाम ऊंचे हुए हैं क्योंकि फास्फेट और पोटाश के दाम ऊंचे हुए हैं । और फास्फेट और पोटाश बाहर से इम्पोर्ट होते रहे हैं और आगे भी इम्पोर्ट होते रहेंगे । इस देश में फास्फेटिक, पोटाश फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन का पोटेंशियल नहीं है इसलिए वह बाहर से आएगा । बाहर से आएगा तो उसके लिए फारेन एक्सचेंज चाहिए । उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर होगा तो कितने हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का सरकार इन्तजाम कर सकती है । सरकार कोई बहुत लम्बा चौड़ा इन्तजाम नहीं कर सकती है इसलिए दुनिया में खाते रहते हुए किसान को दाम चुकाने पड़ेंगे । कुल मिलाकर इस देश में सबसे बड़ी कमजोरी पेट्रोलियम उत्पादन की है । इस देश में 50 मिलियन टन का कंजम्पशन है और हर साल दो मिलियन टन की खपत बढ़ जाती है । एक बार तीन साल पहले हमने इसका उत्पादन 35 मिलियन टन तक पहुंचा दिया था पर आज 25 मिलियन टन पर आ गए हैं । इसके लिए जितना जोर लगाया जा सकता है वह लगा रहे हैं । यह फर्टिलाइजर्स के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी गम्भीर चीज है । इसलिए जब हम बाहर से इम्पोर्ट करके मंगाते हैं तो वह भी महंगा होता है । जहां तक नेप्था और नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर के उत्पादन का सवाल है, उसके दाम 10 परसेंट घटाए गए हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए । इसलिए यह कहना कि हर चीज सस्ती ही रहे, कितने दिन तक आप उसे सस्ता ले जा सकते हैं । आपकी सरकार होगी तो आप इतना भी नहीं दे सकोगे, यह भी मुझे मालूम है । मेरे कहने का मतलब है कि रियेलिटी से हमें सम्बन्ध रखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप सभापति को सम्बोधित करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो सब कुछ समझती हैं, इसलिए आपको क्या समझाना, लेकिन ये नहीं समझते हैं । आप सब कुछ जानती हैं, बड़ी होशियार पार्लियामेंटेरियन हैं । खैर, अब मैं आपकी तरफ देखकर ही बोलूंगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में प्रोब्लम बहुत भयंकर है । (व्यवधान)

इनके साथ मेरी पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये मेरी बात समझते थे और मैं इनकी बात समझता था, इसलिए हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था। किसी खुलासे की यहां अब जरूरत ही नहीं है। जो कुछ मेरे अन्दर है, वही बाहर है। हमारे बीच में किसी तरह की गड़बड़ नहीं है। वे भी मुझे खूब समझते हैं, मैं भी उन्हें खूब समझता हूं। अटल जी को भी मैं खूब समझता हूं लेकिन खुराना जी और अटल जी के बीच में बहुत फर्क है।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि फर्टिलाइजर के मामले में, सरकार ने जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर के दाम दुगने किए, उसके लिए यह उपयुक्त समय नहीं था। अगर ये नहीं करते तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इस फसल के बाद कर सकते थे, जब डी०ए०पी० का यूज हो जाता तो उससे जो लोग बीच में, मिडिलमैन बनकर पैसा खा गए, उसकी किसान को भी तकलीफ है और नाथू राम को भी तकलीफ है। आप लोग इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, इसलिए किसान को ज्यादा दाम चुकाने पड़े। यदि आप इस सारे मामले को उपयुक्त समय पर करते, फसल बो जाने के बाद, डी०ए०पी० के यूज के बाद इस काम को करते तो कोई गड़बड़ नहीं होती। अगली दफा किसान समझ जाता कि इस बार इस भाव से फर्टिलाइज़र आयेगा। फिर बीच में घपला करने वाले लोग कोई घपला नहीं कर सकते थे।

इसलिए फर्टिलाइजर के दामों में सबसिडी देकर, इस देश के किसान के जरिए उत्पादन को बढ़ाना, एक गलत नीति होगी। फर्टिलाइजर के वाजिब दाम, कौस्ट आफ प्रोडक्शन के हिसाब से, किसान को चुकाना चाहिए और हमेशा सबसिडी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि किसान को दाम ऊंचे मिलने चाहिए, उसका कारण यह है कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, खाद आदि सब चीजें महंगी हैं और महंगी होती जा रही हैं। इस बात को शुरू से ही मैंने कहा है, फिर कहता हूं कि अब सरकार को सोचने का वक्त है क्योंकि वह शीघ्र ही प्राइसेस की घोषणा करने जा रही है। वह घोषणा करने से पहले, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, पिछली दफा आपने सभी कुछ जोड़ने के बाद गेहूं के दाम 280 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किये थे, लेकिन अब 280 रुपये से काम नहीं चलेगा। पिछली दफा 50 रुपये सबसे ज्यादा आपने दाम बढ़ाए, यह बात सही है, परन्तु इस दफा और तेजी से पैसा बढ़ाना पड़ेगा। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि गलत समय पर फैसला होने से, इस देश के किसान की थोड़ी लुटाई हुई। हजार रुपए पर कुछ सबसिडी बाद में इन्होंने दी, कुछ और फैसला भी लिया, लेकिन उसका फायदा गांव के किसान को नहीं मिला, कुछ को-आपरेटिव वाले खा गए, कुछ दूसरे लोग खा गए या कुछ बीच के लोग फायदा उठा गए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वह फैसला ठीक समय पर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ।

अब मैं किसानों से रोज यही कहता हूं, समझाता हूं कि उन्हें सबसिडी पर ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ आपको भी देखना चाहिए, अभी वक्त है क्योंकि हर चीज के दाम ऊंचे हो गए हैं, देश की इकोनोमिक व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि, उद्योगों में पैदा होने वाली चीजें, उन सब के दाम ऊंचे हैं, उनकी तुलना में यदि आप सस्ते गेहूं, सस्ता बाजरा या दूसरी हर चीज सस्ती चाहोगे तो सस्ती कितनी चाहोगे, यह न्यायोचित नहीं है। किसानों के उत्पाद के दाम आजकल जिस तरह यहां एअर-कंडीशन्ड कमरों में बैठकर तय किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पोलिटिकल डिसीजन लिया जाता है, वह इम्पोर्टेंट है। वह बाद में लिया जाने वाला पोलिटिकल डिसीजन ऐसी हो, जिसमें आपको

कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, उसे कमजोर नहीं रखना चाहिए और गेहूं के दाम अच्छे किसान को देने चाहिए। (व्यवधान)

मैंने काफी समय ले लिया है। अतः और ज्यादा समय नहीं लूंगा। सरकार से विशेष आग्रह और निवेदन है कि वह खेती को और आगे बढ़ाए। हमें तेल बढ़ाना है, दालों का उत्पादन बढ़ाना है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है। वह आगे आने वाले समय में अवश्य ही बढ़ेगा लेकिन इसके साथ ही पापुलेशन को भी कन्ट्रोल में करना आवश्यक है। हम एक आस्ट्रेलिया एक साल में खड़ा कर देते हैं। इसकी चिन्ता आपको और इस सदन को करनी होगी। आज देश काफी परेशानी में है। हमने बहुत सी नीतिया चेंज की हैं। उनमें और बदलाव लाने की आवश्यकता है। सबस बढ़िया सपोर्ट अगर हमे किसी ने दिया है तो ईश्वर ने, खुदा ने दिया है। उसने एग्रीकल्चर का यीअर अच्छा बना दिया। इससे आगे आने वाले समय में स्थिति में सुधार आ जायेगा. ऐसा मेरा विश्वास है···(व्यवधान)···सरकार को साफ तौर पर नुक्ते निगाह से दुनिया के नये हालात समझकर और परिवर्तनों को देखकर अपनी नीति बनानी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी रूस से कैसे हट गई···(व्यवधान)···मुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं। मैं रूस के बारे में काफी कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। ताश के पत्ते वहां उड़ गए···(व्यवधान)···दुनिया बदल गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है। कहती है कि जनता का मैंडेड है इसलिए हम कार सेवा करेंगे, करो कार सेवा।···(व्यवधान)···जिस मुश्किल हालात में आज देश है, उसको ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और जो गलतियां पहले होती रही हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। वी० पी० सिंह जी के समय मे हमने 18 लाख टन पाम आयल मंगाया था। यह बहुत बडी भयंकर भूल हुई थी वरना ऐसी खस्ता हालत आज तेल की न होती। गलतियां इधर से भी हुई हैं और उधर से भी हुई हैं। इसलिए हमे आगे संभल कर चलना है। है। अभी जो नीतियां चल रही हैं. वे मुझे सही लगती हैं। आप चाहें तो कितनी ही गलतियां निकालें, लेकिन वे सब सही नीतियां हैं। इतना ही मुझे कहना था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मिर्धा जी, एक मनोरंजक हस्तक्षेप के लिए आपका धन्यवाद। अब, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदया, हमारी इच्छा थी कि यह चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में हो। अगर उस रूप के चर्चा होती तो मुझे विश्वास है कि सदन का वातावरण अधिक गम्भीर होता। खाद्य मोर्चे पर जैसा संकट हमारे सामने है, उस पर गहराई से और विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

पार्टी की ओर से मेरे मित्र श्री मदन लाल खुराना मुख्य भाषण करेंगे। मैं लघु भाषण करने के लिए खड़ा हुआ हूं। खुराना जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने गेहूं के पहले निर्यात और बाद में आयात का मामला सबसे पहले उठाया। उसकी ओर सारे देश का ध्यान खींचा और आज यह विवाद का विषय बना हुआ है। मैं जानता हूं, इस सम्बन्ध में वह विस्तार से बोलना चाहते हैं।

मेरे सामने एक धर्म संकट है और यह संकट सरकार के सामने भी है और देश के सामने भी है

उपभोक्ता और उत्पादक के उचित हितों में किस तरह से समन्वय बैठाया जाए। उत्पादन आवश्यक है, उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसके लिए किसान के हितों की पूरी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि, किसान अगर फसल का उत्पादक है तो वह उसका उपभोक्ता भी है, कारखानों में बने हुए माल को भी खरीदता है। खेत में पैदा होने वाली फसल की लागत का हिसाब लगाया जाता है, उसको कितना लाभ मिले, इसमें भी सरकार का दखल है, मगर बड़े-बड़े कारखाने दिन-प्रतिदिन की उपभोग की वस्तुएं किस लागत में बनाते हैं और किस मुनाफे में बेचते हैं, इसका अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है।···(व्यवधान)···आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि, सरकार की कोई दाम नीति नहीं है। सचमुच में समानता होनी चाहिए, खेत मे पैदा होने वाली फसल के दाम में और कारखाने में बनने वाले माल की कीमत में।

सरकार को उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है। मंत्री महोदय ने जो बयान दिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अभी तक हमारी खेती मौसम पर निर्भर है। तो सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर हम नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता की जो झलक दिखाई देती है, उसमें इन्द्र देवता की कृपा भी बड़ी मात्रा में शामिल है। अगर देश में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ जाए, देश में अभाव पैदा हो जाए तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो यह कहेंगे कि किसी भी स्थिति में आयात नहीं होना चाहिए लेकिन इस समय जो आयात हुआ है, सरकार को सिद्ध करना होगा, क्या वह आवश्यक था ? क्या इस समय किसान के पास अनाज नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि अगर थोड़ा सा दाम और बढ़ाया जाता तो किसान अपना अनाज बेचने के लिए तैयार था। मेरे पास कल भी किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था उनका कहना है कि हमको बाजार में लागत नहीं मिल रही है, हम अन्य वस्तुओं की महंगाई से दुखी हैं और अब सरकार ने फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा दिया, डीजल की कीमत में वृद्धि हो गई, लागत और भी बढ़ेगी, किसान उसके अनुपात में लाभप्रद मूल्य मांग रहा है। अगर आप लाभप्रद मूल्य नहीं देंगे तो मैं समझता हूं, छोटा किसान तो अपने अनाज को बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रख सकेगा लेकिन जहां हरित क्रांति हुई है, वहां किसानों में अनाज को रोकने की क्षमता है और वह अनाज रोक रहे हैं, आपके सामने कठिनाई पैदा हो रही है।

वितरण व्यवस्था के लिए आपको अनाज चाहिए, उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज जो भारी प्रदर्शन था, वह महंगाई से परेशान लोगों के रोष को वाणी देने वाला प्रदर्शन था। अब आप इस मकड़ में फंसे हुए हैं। नीतियां किस तरह से गलत हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं और विशेष रूप से मैं उसी के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरे मित्र श्री दिग्विजय सिंह जी जानते हैं, मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में सोयाबीन पैदा होता है। इस बार सोयाबीन की कीमत गिर गयी है। पिछले साल अगर एक क्विंटल का दाम 750 – 800 रु० था तो इस बार वह 635 रुपये पर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है ? सरकार ने सोयाबीन का तेल अमेरिका से लिया है। पचास हजार टन अनरिफाइण्ड आयल हमें अमेरिका से मिला है, सहायता के रूप में मिला है लेकिन उसके साथ शर्त लगाई गई है कि इसकी सार्वजनिक नीलामी होनी चाहिए। यह तो मंत्री महोदय बताएं, मेरी जानकारी यह है कि सार्वजनिक नीलामी से जो धन मिलेगा, उसका एक हिस्सा रिन्युअल फण्ड में जाएगा। किस तरह से नीतियां जुड़ी हुई हैं। अब सोयाबीन के दाम कम हो गए, किसान को एक टन पर एक हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। देश में 30 लाख टन सोयाबीन पैदा होता है।

किसान को 300 करोड़ रुपए का घाटा होता है, कुल मिला कर सोयाबीन की फसल पर और यह इसी साल हुआ है। क्या इसी समय 50 हजार टन अनरिफाइण्ड अ यल अमरीका से लाना जरूरी था। क्या इसे रोका नहीं जा सकता था, क्या इसके वितरण की अन्य कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। क्या यह मानना जरूरी था कि उसकी सार्वजनिक नीलामी कर दी जाए ?

म्युचुअल फंड में आपको कुछ धन मिलेगा अगर यह सच है तो क्या इसके लिए किसानों के हितों की बलि चढ़ाई गई। सरकार किस तरह से आचरण करती है। महोदय, एक और छोटी सी घटना है हम मलेशिया से पाम आयल मंगाते हैं, 3 लाख टन पाम आयल मंगाया जा रहा है, वितरण की व्यवस्था के लिए हमें उसकी आवश्यकता है क्योंकि लोगों को तला हुआ खाने की आदत है भले ही हृदय के लिए वह कितना भी विकार पैदा करे, लेकिन क्या इसी समय बाजार में यह खबर लाने की और आने की जरूरत थी कि हम 3 लाख टन पाम आयल मलेशिया से मंगा रहे हैं। क्या इस खबर को रोककर नहीं रखा जा सकता था ? सोयाबीन की फसल बाजार में आ रही है। 3 लाख टन अगर पाम आयल बाहर से आ रहा है, 50 हजार टन अमरीका से आ गया, नीलामी में सस्ता बिक रहा है क्या किसान के सोयाबीन के दाम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे ? क्या सरकार की नीति में कहीं भी इस बारे में गहराई से विचार है ? क्या तात्कालिक फैसले किए जाते हैं, एडहाक फैसले किए जाते हैं ? टुकड़ों में फैसले किए जाते हैं ? मंत्रालयों में समन्वय नहीं है. प्रधान मन्त्री जी की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं है यह संकट और गहराने वाला है। ग्राउंडनट की पैदावार भी आधी है ग्राउंडनट की पैदावार के भी दाम गिरे हैं और किसान कहता है कि बाजार में हमें गत वर्ष जितना दाम मिला था उससे कम दाम तो इस बार मिल रहा है आपने फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा दिया, आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया। चारों ओर से महंगाई बढ़ रही है हम आपके काम से क्या आशा करें।

मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता और उत्पादक के हितों में उचित सामजस्य बैठाना जरूरी है। और आपकी नीतिमत्ता की कसौटी है यह। आप ठीक तरह से खाद्य मोर्चे पर सफल होते हैं या नहीं इसका प्रतीक होगा कि आप उत्पादक और उपभोक्ता के हितों में समन्वय बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं. आज यह समन्वय नहीं है और इसलिए वर्तमान संकट पैदा हुआ है। मंत्रालयों में समन्वय नहीं है इस लिए भी वर्तमान संकट पैदा हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा में, मैं मिर्धा जी का बड़ा आदर करता हूं मगर यह चर्चा इतने हल्के वातावरण में नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) मुझे खेद है, क्योंकि यह मामला बहुत गम्भीर है। किसान अपना अनाज सरकार को न बेचे और सरकार हिन्दुस्तान के किसान को सबक सिखाने के लिए बाहर से अनाज लाने को विवश हो और यह कहने का मौका दिया जाए कि भारत के किसान के हितों की तुलना में उसे अमरीका और कैनेडा के किसान के हितों की ज्यादा चिन्ता है। यह चीज गहराई से कितने हृदयों में प्रवेश कर रही है आप इसका अनुमान लगाएं। आप अगर कोई नीति संबंधी निर्णय लेते हैं तो देश को विश्वास में लेने की आवश्यकता क्यों नहीं समझते। यह रेडियो और टेलीविजन किस लिए हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए नहीं है क्या, इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ? लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह के फैसले ले लो। 50 हजार टन सोयाबीन का तेल बाहर से ले आओ, सोयाबीन के दाम गिरते हैं तो गिरने दो। मध्य प्रदेश का किसान मरेगा तो मरेगा। (व्यवधान) भई, सोयाबीन का नाम लेते ही आप क्यों खड़े हो गए ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : आपने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उपज इस बार अच्छी हुई है, लेकिन उसके जो दाम गिरे हैं, उसका कारण

दूसरा है। सोयाबीन का सिर्फ 18 प्रतिशत आयल निकलता है, प्राइस डिपेंड करता है जो सोयाबीन मिल जाता है उसमे और मध्य प्रदेश में हमारी मांग रही है कि सोयाबीन की खरीद तुरन्त चालू की जाए। तिलहन सघ जो सोयाबीन की खरीद करता है, उसने अभी तक खरीद चालू नहीं की है। आपको पटवा जी ने गलत ब्रीफ किया है। 50 हजार टन तेल आयात करने से फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे माफ करें, मैंने इन्टरवीन किया, लेकिन आपको ब्रीफ गलत किया गया है। हमारा मध्य प्रदेश सरकार पर यह आरोप है कि मिल प्रोसेसर्स से मिल कर उन्होंने सोयाबीन की खरीद चालू नहीं की है और इस वजह से दाम गिरे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे किसी की ब्रीफिंग नहीं हुई है, ये तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं, 50000 टन अन रिफाइंड तेल का आयात किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : लेकिन खरीद चालू न होने की वजह से दाम घटे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यह बताइए कि सोयाबीन का दाम गिरा है या नहीं गिरा है।

श्री दिग्विजय सिंह : दाम गिरा है, लेकिन इस वजह से कि खरीद चालू नहीं की गई है, तिलहन संघ द्वारा खरीद चालू नहीं की गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यह कारण दे रहे हैं, मैं दूसरा कारण दे रहा हूं कि 50000 टन अन रिफाइंड तेल अमरीका से मगाया गया या नहीं मंगाया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : लेकिन इसका असर दामो पर नहीं पड़ता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यह बताइए कि तेल मंगाया गया या नही?

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो सरकार बताएगी। (**व्यवधान**)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : यह बात बिलकुल ठीक है कि किसानों को ज्यादा दाम मिलने चाहिए, हर हालत में मिलने चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने चावल और धान को बाहर लाने-ले-जाने पर जो रोक लगा दी है थोड़े से 120 मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी वजह से किसानों को चावलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। आप पटवा जी से कहकर कृपया यह रोक हटवा दीजिए, ताकि किसानों को उचित-दाम मिल सकें। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, अगर और कोई उधर से बोलना चाहते हों तो उनको भी सुन लीजिए।

सभापति महोदय : नहीं, आप बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जो कह रहा हूं, उसका दूसरा पक्ष है, आप अगर उसका खंडन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

हां, गायलट जी क्यों चुप बैठे हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं इस विषय को पार्टी या प्रदेश का रंग नहीं देना चाहता, लेकिन आप उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। मेरे सामने तथ्य लाये गये हैं, मन्त्री महोदय बैठे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मैं तथ्यों का उत्तर नहीं दे सकता, सरकार उत्तर देगी।

श्री दिग्विजय सिंह : 50000 टन तेल आयात किया गया या नहीं, यह मुझे क्या मालूम।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी आपको नहीं मालूम तो आप धैर्य से सुनिए, जब उत्तर देने का वक्त आए, तब आप कहिए कि 50000 टन तेल आयात करने के कारण भाव नहीं गिरे हैं, मेरा कहना है कि इसके कारण भाव गिरे हैं। इस पर विवाद हो सकता है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : 50000 टन तेल का आयात बेचने के लिए या वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया गया, वह तो राजस्थान कैनाल के मजदूरों के लिए आयात किया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मिर्धाजी, आप बुजुर्ग सांसद हैं, आप कृपया बैठ जाइए। वाजपेयी जी आप बोलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मेरे बोलने में ही कोई दोष है। जैसे बर्र के छत्ते में आग लग जाती है, मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, ऐसा तो मैं नहीं समझता, फिर आप क्यों भड़क रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने मेरा नाम लिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नाम लिया तो भड़केंगे और नाम न लें तो···।

एक माननीय सदस्य : तो तड़पेंगे कि नाम नहीं लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं फिर जहां से मैंने आरम्भ किया था, वहीं समाप्त करना चाहता हू कि आज जिस परिस्थिति का देश सामना कर रहा है, वह परिस्थिति गंभीर है।

यह डिबेटिंग प्वाइंट सिक्योर करने का वक्त नहीं है। अगर सारे देश के लिए एक सामान्य नीति बनती है और आम तौर पर हम प्रतिबन्धों के विरुद्ध रहे हैं, हम लोग व्यापार के प्रवाह को खुला रखने के पक्ष में हैं। यह केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। चन्दू लाल जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होकर इतना भी नहीं जानते···। (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : औरों ने भी किया है तो सब को मिलाकर, बैठाकर कोई नीति नहीं बना सकते ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मध्य प्रदेश सरकार क्यों भागी हो रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, इसलिए भागी होना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं वितरण के संबंध में कोई सार्वदेशिक नीति बनानी चाहिए और वह नीति सहायक होनी चाहिए उपभोक्ता के हित में, किसान को लाभप्रद मूल्य मिले इसके भी हित में और सरकारी भंडार बन सके इसकी भी जरूरत है। हम विदेशी अनाज पर निर्भर नहीं रह सकते, इसके लिए उत्पादन तो बढ़ाना होगा, किसान को लाभप्रद मूल्य तो देना पड़ेगा। लेकिन किसान में आज यह भावना पैदा हो गई है कि उसके हितों के विरुद्ध नीति अपनाई जा रही है। इसलिए नीति में सुधार जरूरी है और स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदया, जो बहस हम लोग यहां पर कर रहे हैं इस बहस को नयी आर्थिक नीति के संदर्भ में ही करना होगा। क्योंकि इस वक्त देश के भीतर किसान को दिए जाने वाले उसके उत्पादन के दाम हों, विदेश से आयात होने वाला अनाज हो या जो फर्टिलाइजर पर और अन्य चीजों पर सब्सिडी को वापस लेने का सरकार का काम हुआ है या सब्सिडी वाला मामला हो, तीनों बातें आपकी नयी आर्थिक नीति की उपज हैं। इसको भले छिपाने की कोशिश आप और कुछ समय के लिए करने में कामयाब हों, लेकिन सरकार के स्तर पर जो समझौते आप लोगों के हुए हैं, जो बातचीत आप लोगों की हुई है अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जो आज इस देश की आर्थिक नीति चला रही हैं, नीति आप नहीं चला रहे हो, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और "गैट" है, ये लोग आज आपकी आर्थिक नीतियों को चलाने का काम कर रहे हैं। यह जो आयात का मामला है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उससे आगे जाकर "गैट" ने भारत के ऊपर यह शर्त लगायी है कि देश में कुल जो अनाज इस्तेमाल होगा, कंज्यूम होगा इसमें से 3 3 प्रतिशत विदेश से मंगाया जाएगा। खाद्य मन्त्री को इसकी कितनी जानकारी है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि "गैट" के साथ जो बातचीत होती है उसकी जानकारी आपको नहीं है। उस बातचीत में आप कहीं भी नहीं हैं। बातचीत करने वाले लोग और हैं। इसका अगर सबूत चाहिए तो यहां फूड मिनिस्टर बैठे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, सबसे पहले 10 लाख टन गेहूं आयात करने का फैसला जनवरी महीने में आप लोगों का हुआ था, उस फैसले के तत्काल बाद आपने इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मीटिंग में न केवल उस फैसले की निंदा की थी बल्कि अति कटु शब्दों में, कैसे देश की खेती को नाश करने का काम चल रहा है, इसकी चर्चा जाखड़ साहब ने की थी।

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि जिन चीजों की जानकारी नहीं है, यहां प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, वाणिज्य मन्त्री मिलकर कोई भी फैसले को करके देश की आर्थिक नीतियों को विदेशों के द्वारा तय कराकर यहां पर लादने का काम करते हैं तो उसका बचाव आप लोग मत करिएगा।

जाखड़ साहब ने मार्च 1992 के महीने में हिम्मत दिखाई थी। उस हिम्मत को दिखाने का काम आगे और मजबूती से करने का काम कीजिए। नीतियों का सवाल है, इसमें और कोई बात है, वह मैं नही मानता। "गैट" ने आपके सामने चार बड़ी शर्तें लगाईं जो इस खेती के मामले से जुड़ी हुई हैं। उनका पहला सुझाव था।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि को विश्व की कृषि प्रणाली का एक भाग बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

हम खाद्य मन्त्री जी से जानना चाहेंगे कि इस बारे में आपकी क्या राय है। क्या हिन्दुस्तान की

खेती विशेष नीतियों को जिस देश में किसान अपना हल लेकर जोतने का काम करता है और जिस जमीन की उत्पादन क्षमता विलायती खेती से एक तिहाई है और कई क्षेत्रों में आधी है। क्या हिन्दुस्तान की खेती, अमेरिका और यूरोप की खेती के साथ जहां पर खेती न करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सबसिडी दी जाती है और हम लोगों को भाषण देकर विदेशी लोग यहां आकर कहेंगे और आप लोग चुप हो जाओगे कि सबसिडी वापिस लो और अनाज पैदा न करने के लिए सबसिडी देते हैं। पैदा हुए अनाज को समुद्र में फेंकने का काम करते हैं और सारी खेत की नीति अमेरिका और यूरोप में सबसिडी के साथ चलायी जाती है। आपको आज कहा जा रहा है कि—

[अनुवाद]

आप अपनी कृषि नीति को विश्व की कृषि प्रणाली के साथ एकीकृत कर दीजिए।

[हिन्दी]

उसका जो भी अर्थ हो, वह जाने जो इस बहस को चला रहे हैं, जो सरकार में हैं, वे जानें। जो मैंने आपसे आयात के सम्बन्ध में कहा, यह लिखा हुआ है, यह बात किसी ने हवा में नहीं कही।

[अनुवाद]

देश की कुल लागत का 3.3 प्रतिशत आयात किया जाएगा।

[हिन्दी]

आज आप कहेंगे कि आयात का फैसला इसके साथ कहां तक जुड़ा है। वित्त मंत्री को यहां बुलाकर कहलवाइए। आप नहीं कह पाएंगे। क्या हो रहा है, यह मालूम नहीं है।

[हिन्दी]

आप उर्वरक राजसहायता, जल राजसहायता, बिजली राजसहायता तथा डीजल राजसहायता को वापस ले लीजिए।

[अनुवाद]

यह चार नाम से कहा गया है कि सबसिडी को विदड्रा कीजिए। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम है। पी०डी०एस० में जो अनाज का वितरण करना है, इसके लिए जो लेवी का काम करके खरीदते हैं, इसको बन्द कीजिए। मार्किट में जो भाव है उस भाव पर खरीदिए चाहे कितने बड़े व्यापारियों द्वारा मेनीपुलेट किया हुआ हो। उसको बाजार दामों पर खरीदिये। पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, आज देश के शहरों के गरीबों के लिए लागू है, उसको बन्द करके अन्तर्राष्ट्रीय चयन, इन्टरनेशनलस्क्रूटनी, के आधार पर आप तय कीजिए कि तमाम लोगों को पी०डी०एस० का अनाज दिया जा सकता है जिस पर सबसिडी होगी। यह शर्तें हैं और दस्तखत आप लोगों ने करने का फैसला किया है, वह आप जानें या वित्त मन्त्री जानें। लेकिन कहीं न कहीं यह जो "गैट" की तरफ से "आई०एम०एफ०" की तरफ से नीतियां बनाने का काम चल रहा है तो सरकार उनको बताना चाहती है एग्रीमेंट करने, या हस्ताक्षर करने के पहले ही हम आपकी बात को मानकर चल रहे है। कल यहां पर अनाज का प्रश्न आया था।

खाद्य मन्त्री जी ने अपना बयान दिया और इस बीच में प्रधानमन्त्री जी ने उठकर कुछ खुलासा करके सफाई देने का काम किया।

यह कल की प्रोसीडिंग है। आपने बताया कि 30 लाख टन आयात था, कुछ फैसला भी हम लोगों का हो चुका है। प्रधानमन्त्री को इसकी जानकारी नहीं थी। उनका यह कहना था कि पिछले साल भर में यानि जून-जुलाई में बारिश की कमी महसूस हुई, जुलाई में ऐसा लगा कि अकाल पड़ने वाला है तो अगस्त और सितम्बर के दरम्यान हम लोगों को कुछ फैसले लेने पड़े।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा, "उस समय एक अथवा दो मिलियन टन, तीन मिलियन टन, इससे अधिक नहीं, आयात के लिए समझौता किया गया था।

[हिन्दी]

फिर बोलते हैं तीन मिलियन टन। हकीकत में आप लोगों का सौदा हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है वह 3.5 मिलियन टन का है। दो किश्तों में आपने आस्ट्रेलिया से तय किया एक मिलियन टन और एक किश्त में आपने कनाडा से 1.05 मिलियन टन तय किया है। अमरीका से जो आपका सौदा हुआ, वह अभी हो गया। प्रधानमन्त्री को जानकारी नहीं थी, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह वे जान बूझकर सदन को गुमराह करना चाहते थे। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर गुमराह करना चाहिए। उनको मालूम नहीं था सौदा या समझौता कब हो गया। अमरीका से आप लोगों ने सौदे की बातचीत छेड़ी थी जनवरी के महीने में। अमरीका ने आपसे दाम के ऊपर बात चलाई तो क्यूबा के लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि हमें कुछ अनाज दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने एक लाख टन मांगा, अन्त में बीस हजार टन चावल देने का फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ही दे दो। इसका अमरीका को पता चला और वहां के खाद्य मन्त्री ने कहा कि आप लोग क्यूबा को अनाज बेचने जा रहे हो इसलिए हमारे यहां से सबसिडाइज्ड दाम पर गेहूं नहीं मिलेगा। गोगोई साहब यहां बैठे हैं, आपका ही बयान था मार्च महीने का जो आपने सदन के बाहर दिया था, मन्त्री लोग बयान देते हैं और भूल जाते हैं, आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। अमरीका ने कहा कि सब्सिडी के साथ हम अनाज नहीं बेचेंगे। तब आप परेशान हो गये और आपने इन्टरनेशनल टेंडर निकाले, वह बात भी वैसे ही रह गई। उसके बाद कनाडा से और फिर आस्ट्रेलिया से सौदा किया। और 6-7 सितम्बर को अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो राष्ट्रपति बुश किसानों का वोट पाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि जो 20 देशों को पहले सबसिडी के माध्यम से अनाज बेचते थे जिसमें सबसे अधिक अनाज रूस को बेचा है उसके अन्तर्गत 50 लाख टन उसको दिया था। इस तरह उन्होंने फैसला किया कि सबसिडी के माध्यम से 20 राष्ट्रों के साथ भारत को भी देंगे और 15 लाख टन अनाज भारत को अमरीका ने उस फैसले के अन्तर्गत देने का ऐलान किया है। उसमें आपने बड़ी मुश्किल से 10 लाख टन का सौदा किया है।

[अनुवाद]

जो कि अभी भी एक मिलियन टन से थोड़ा कम है।

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि वह आधा मिलियन टन या सौदा भी आप करेंगे। कुल मिलाकर 35 लाख टन अनाज आप यहां पर लाएंगे। आपने चावल का भी आयात किया है, हालांकि उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चावल का आयात उस देश से किया है जहां बरसों से लाचारी थी, यानि वियतनाम से ढाई लाख टन चावल का सौदा किया है। आप हिन्दुस्तान में दाम देने को तैयार नहीं हैं उससे अधिक दाम देकर आप विदेशों से आयात करने में आपको कोई परेशानी नही है। प्रधानमन्त्री का कल का बयान है कि हम।

[अनुवाद]

यह एक ऐसा निर्णय था जोकि आवधिक पूर्वानुमान पर आधारित था कि क्या हो सकता है और पूर्वानुमान यह था।

[हिन्दी]

हम लोगों के यहां फैमिन हो सकता है, भारी सूखा है, वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए हमको यह फैसला लेना पड़ा है। फैसले पर मुझे कहना नहीं है। गुस्सा है, वह तो रहेगा लेकिन उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन 6 नवम्बर को आपके जिस दल के प्रधान मन्त्री स्वयं अध्यक्ष हैं, कांग्रेस दल के महामन्त्री श्री विट्ठल गाडगिल महामन्त्री के अलावा स्पोक्समरशन आपकी पार्टी के हैं, उनका बयान है।

[अनुवाद]

> "कांग्रेस सरकार ने केवल उन अनुबन्धों को पूरा किया है जिन पर पिछली सरकार द्वारा 1990 और 1991 में हस्ताक्षर किए गए थे।"

[हिन्दी]

कहां प्रधानमन्त्री का बयान सदन के भीतर, कहां कल का आपका निवेदन कि अनाज कैसे, क्यों हमें लेना पड़ रहा है? और कहां आपके दल के नेता का रिटन स्टेटमेंट है। यह भी नहीं कि कहीं गुस्से से बोल दिया, कहीं मजाक में बोल दिया है। एक लिखित निवेदन हमारे सामने कि कोई उपाय नहीं था। पहले की दो सरकारों ने सही किया था श्री वी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर ने 1990-91 में···

एक माननीय सदस्य : किस अखबार में निकला ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सारे देश के अखबारों में। अखबार और कांग्रेस का क्या मतलब है? अखबार तो सब लोगों ने पढ़े हैं। हमको बहुत गुस्सा आया क्योंकि मालूम नहीं था कि आज यह मौका मिलेगा उन नामों को सदन में लेने का। बाहर तो जो बोलना था, सो बोल दिया।

सभापति जी, हम यह बात जरूर स्पस्ट करना चाहते हैं कि सरकार इस आयात के मामले में बाहर एक सियासी भूमिका लेकर पहले की सरकारें—जो गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं—उनको बदनाम करने की कोशिश करेगी, सदन के भीतर खड़ी होकर अनाज को आयात करना क्यों जरूरी है, चूंकि

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है, बढ़ते दाम हैं, अनाज का जितना हमको प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है—इस प्रकार की गलत बयानी इस सदन में देने का काम करेगी तो मैं बोलता हूं कि अभी श्री नाथूराम मिर्धा बाहर गए हैं। उन्होंने अभी इसी सदन में कहा था कि वर्ष 1992-93 में खरीफ की फसल आ चुकी है, रबी की बुआयी हो चुकी है तो उनका कहना है कि इस साल हम ऐसा रिकार्ड हारवेस्ट पैदा करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 180 से 183 मिलियन टन का उत्पादन होगा। सभापति जी, मैं उनकी इस बात से इसलिए सहमत हूं कि अभी जो खरीफ की फसल आई है :

[अनुवाद]

यह पहले ही 100 मिलियन टन है और यह 100 मिलियन टन की खरीफ की उपज भारत की कृषि के इतिहास में एक रिकार्ड है।

[हिन्दी]

और रबी की फसल के बारे में इस वक्त की प्रडिक्शन्स हैं, उसे देखते हुए ऐसा विश्वास मन में बैठता है कि 183-184 मिलियन टन पर उत्पादन बढ़ाया जाए न जाए लेकिन जहां हम लोगों का सबसे अधिक उत्पादन 176 मिलियन टन था तो वहां 180 मिलियन टन पर हम इस साल जा रहे हैं तो इसके बारे में हमारे मन में कोई शक नहीं है। इसलिए जब अनाज का उत्पादन देश में हो रहा है तो आयात की बात कहां से आ गई ? 3.3 परसेंट कण्डीशनैल्टी जी०ए०टी०टी० का कहना यह आयात करना ही होगा, डुंकल ने तो लिखकर दिया है तो इसका कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है। मैं दूसरा मामला आपके सामने रख रहा हूं। वह यह है कि एक क्षण के लिए मान लें कि आपको सचमुच परेशानी थी जो मुझे नहीं दिख रही है। यदि मान लें फिर भी आपके आंकड़ों के आधार पर नहीं दिख रही है लेकिन यूरोपियन कम्युनिटी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा से या अमेरिका के इर्द-गिर्द घूमने वाले एंगलो-सैक्सन जमाते हैं। इनसे जो आपको खरीदना है वह अधिक दाम देकर खरीदना है। क्यों नहीं उन्हें छोड़कर आप यूरोपियन कम्युनिटी के पास जाते ? वह आपसे बोले कि हमसे खरीद लो। वह भी सब्सिडी से बेचते हैं। उनकी सब्सिडी को जोड़ने के बाद कल मन्त्री जी का बयान है कि 501.74 रुपए प्रति क्विंटल आपकी एवरेज बैठती है। तो यूरोपियन कम्युनिटी से आपको 400 की एवरेज में मिल जाता। उनका यह लिखित बयान है 501.74 रुपए प्रति क्विंटल कैनेडियन, आस्ट्रेलियन और अमेरिकन व्हीट का कुल आयात का एवरेज है तो क्या आपको यूरोपीय कम्युनिटी से 400 रु० के भाव नहीं मिलता ? क्यों नहीं लिया ? इसलिए नहीं लिया कि "गैट" की बात वहां थी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : हमारे उपभोक्ताओं को यह गेहूं स्वीकार्य नहीं थी। हमने इसे 1977 में खरीदा था। इसे बेचना भी बहुत मुश्किल था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह तो आपका तर्क हो गया। यह तर्क मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप लोग यूरोप जाते हैं और सब यूरोप का गेहूं खाकर मस्ती से वापस आते हैं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : यह एक भिन्न किस्म थी। मैं यह किस्म आपको लाकर दिखा सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कोई अलग वेराइटी नहीं है। हम इस बात को नहीं मानते। वह तर्क है लेकिन उस तर्क को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मेरा कहना है कि अमेरिका का इस वक्त हिंदुस्तान पर जिस प्रकार का दबाव है हर मामले को लेकर, उसके अन्तर्गत आपने अमेरिका से गेहूं खरीदने का फैसला किया है।

सभापति जी, हमें एक और चिन्ता है और वह यह है कि जिस प्रकार का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर हमला शुरू हुआ है, चूंकि सब्सिडी का मामला केवल फर्टिलाइजर तक सीमित नहीं है, मैंने बताया कि कैसे बिजली, पानी और डीजल उसमें शामिल हैं और मैं आप को बता दूं और मन्त्री जी यहां पर इस बात को कुबूल करेंगे क्योंकि यह उन्हीं के दिये हुए आंकड़े हैं और ये आंकड़े रखना मैं जरूरी समझता हूं कि इस साल की शुरूआत से यानि जो डंकल वाला मामला शुरू हो गया, वहां से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने का आप लोगों ने उनके कहने पर फैसला कर लिया। यह आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। वे आपको धकेल रहे हैं घाट पर और आप जा रहे हैं। मैं मार्च महीने के आंकड़े आपको दूं। पिछले साल 16 लाख 62 हजार टन अनाज आपने पी० डी० एस० में दिया जबकि इस साल 14 लाख 80 हजार टन दिया है। कल आपने किसी ने कहा कि आबादी बढ़ रही है और बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा अनाज की जरूरत है और यह बात आप क्यों भूल गए और 16 लाख 62 हजार टन से इस साल 14 लाख 80 हजार टन पर आप आ गए। पिछले साल अप्रैल में 15 लाख 19 हजार टन दिया था और इस साल 12 लाख 43 हजार टन दिया है। मई में 14 लाख 69 हजार टन दिया था और इस साल 14 लाख 52 हजार टन दिया है। पिछले साल जून में थोड़ा बहुत बढ़ गया —14 लाख 40 हजार टन था और इस साल 14 लाख 41 हजार टन हो गया। जुलाई में 16 लाख 19 हजार टन पिछले साल था और इस साल घटाकर 15 लाख 62 हजार टन कर दिया। अगस्त में पिछले साल 16 लाख 61 हजार टन था जो इस साल घटकर 15 लाख 87 हजार टन हो गया। सरकार की नीतियां बोल रही हैं कि बात तय हो चुकी है। आई०एम०एफ० और "गैट" तथा अमेरिका हिन्दुस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से मजदूरों की जिंदगी को तबाह करने के काम में लगे हुए हैं, उसी तरह से खेती के क्षेत्र में किसान और उसके साथ जो गरीब उपभोक्ता है, इन दोनों को खत्म करने की दिशा में आपको ये नीतियां आगे बढ़ा रही हैं।

इसलिए सभापति महोदया, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस नीति का और इस बहस का अन्त केवल आज की नियम 193 के अन्तर्गत होने वाली बहस से नहीं होना है। इसका अन्त तभी हो सकता है जब यह सरकार अपनी नीति में बदलाव लाने के लिए कुछ तैयारी दिखाए, उसके लिए जिस पुरुषार्थ की जरूरत है, उस पुरुषार्थ को दिखाए, नई आर्थिक नीति का विरोध आपके दल के भीतर भी कुछ लोग कर रहे हैं अब वे कितनी बड़ी संख्या में हैं, वह मैं नहीं जानता लेकिन खेती से सम्बन्धित, मजदूरों से सम्बन्धित या गरीबों से सम्बन्धित जो लोग हैं, वे आपकी नई आर्थिक नीति का समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इस नीति को आज खत्म करने के लिए, उसे हटाने के लिए, यदि आप कोई कदम

बढ़ाओगे, तभी यह बहस कुछ सार्थक बनेगी। इस नीति को हटाने की बात आप तभी कर सकते हो जब अमेरिका या दूसरी जितनी दबाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय जमातें हैं, उनके साथ सीधे पुरुषार्थ के साथ खड़े रहने की तैयारी आप दिखाएं। माना कि कर्ज है और कर्ज के चलते यह सारी स्थिति बनी है, यह आप लोगों का ही कहना है, तो फिर कह दो हिम्मत करके कि अगले 10 साल तक हम अपना कर्ज वापस देने की स्थिति में नहीं हैं। इस बात को हिम्मत के साथ चौराहे पर खड़े होकर बताने का काम करो कि हम कर्ज वापस नहीं कर सकते। फिर क्या अमेरिका आपके खिलाफ हवाई जहाज भेज देगा जैसे इराक के ऊपर बमबारी करने के लिए उसने भेजे थे, वैसे ही क्या यहां भी आएंगे। साफ कह दो उनको कि हम नहीं दे सकते। किसी ने कर्ज लिया, पता नहीं किस-किस काम के लिए कर्ज आया लेकिन उसके लिए देश के किसान मजदूर आदि को तबाह करने का काम क्या आप करोगे? इसलिए कह दो हिम्मत करके, यह हिम्मत आपको करनी होगी।

तीसरी बात मैं दाम के बारे में कहना चाहता हूं, जिस बात को यहां अटल जी ने छेड़ा था। दामों के बारे में आपको नीति बनानी होगी। कारखानों की पैदावार जो किसान के इस्तेमाल में जाने वाली है, उसके दाम आप एक बार निर्धारित कर दो। मगर इसके साथ-साथ कुल मिलाकर कारखाने की उपज और खेती की उपज दोनों के दामों में सन्तुलन बनाये रखने वाली नीति भी आपको बनानी होगी, कदम उठाने होंगे। इस दिशा में भी आपको कदम बढ़ाने हैं।

हम अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हिन्दुस्तान के मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ है, आपकी नीतियों के खिलाफ, जो हालात आपकी नीतियों के कारण पैदा हुए हैं, अब वक्त आया है कि जहां इस देश का मजदूर आज सड़क पर उतरा है, मजदूरों के हाथों से हाथ और कन्धे से कन्धा मिलाकर, इस देश के किसान को भी मैदान में उतरने का काम करना होगा। जब दोनों एक साथ मिलकर सड़क पर उतने का काम करेंगे तो फिर या तो इन्हें अपनी नीतियां छोड़नी होंगी या खुद इन्हीं को हट जाना होगा, तभी इन नीतियों में बदलाव हो सकेगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत (राजापुर): सभापति महोदया, पिछले एक घण्टे से हम अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग देख रहे थे जिसमें कट्टरता और राजनैतिक खोखलेपन का समावेश था जिसके परिणामस्वरूप देश भी दिवालिएपन की स्थिति में पहुंच गया।

मुझे याद है कि जून, 1991 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें दो वर्षों की अव्यवस्था के कारण यह देश दिवालिए के कगार पर पहुंच गया, जिससे इस देश के किसान और निर्धन वर्ग···(व्यवधान)

[हिन्दी]

वह बोलना पड़ता है क्योंकि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में यह सरकार बनी है, जिस हालात में इलैक्शन हुए थे, उसे हम भूल नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

आर्थिक नीतियां ऐसी होती हैं जिसको प्रभावशाली होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार की नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। हम सरकार से

यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सरकार के पास सभी समस्याओं के समाधान के लिए कोई जादुई छड़ी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष के माननीय नेता अभी भी शीत युद्ध के पूर्व की दुनिया में रह रहे हैं। वे इस बात से बेखबर हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है।

4.00 म० प०

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए]

आज हमको इस बात पर निर्णय लेना है कि क्या हम भारत की तटस्थता को अपने नीति का आधार मानेंगे अथवा क्या हमें शीत युद्ध के बाद की दुनिया की वर्तमान वास्तविकताओं से अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। शीत युद्ध में रहने की वास्तविकता यह थी कि हमारा एक शक्तिशाली मित्र था, जिस पर हम कई बातों के लिए निर्भर कर सकते थे लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में, श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने जो मुद्दे उठाए हैं, वह सच है कि क्या केवल संयुक्त राज्य ही इस दुनिया में अकेली महाशक्ति है। भले ही हमें अच्छा लगे या न लगे, हमें अस्तित्व में रहना होगा। हमें वर्तमान विश्व स्थिति की वास्तविकताओं के बीच अपने आपको बचाकर रखना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है और सब लोग विशेषकर वर्तमान सरकार, यह अच्छी तरह से जानती है कि पूंजीवादी दुनिया जिस तरह से एक दूसरे की बुराई करने में लिप्त है इससे देश पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सार की बात यह है कि हमें अपनी नीति बनानी होगी। दुनिया की आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें इस देश के लिए एक दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। हम यूं सब से कटे हुए नहीं रह सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी कहां से प्राप्त करेंगे? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभापति महोदय को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनकी बातों को मत सुनिए।

श्री सुधीर सावंत : चुनाव में जो कुछ हुआ हो, वे लोग अमरीकी नीति में नाटकीय परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे खेद है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं मूल तथ्य की बात करूंगा।

इस सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य, मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। और यह बात खाद्य के विषय में है जिसमें हम आयात के बारे में सोच रहे हैं। यह आयात क्यों हो रहा है? गेहूं का आयात क्यों हुआ है? (व्यवधान)

मेरे विचार से हर दिन कांग्रेस की पूंजीवादी विचारधारा है। इसी बात का प्रचार तो हम यहां भी कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गेहूं का आयात क्यों किया गया है? इसके तीन कारण हैं। पहला कारण कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होना है। इसके कई कारण हैं। मैं उन कारणों का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन, 1990-91 के 1763 लाख टन से कम होकर 1991-92 में 1670 लाख टन हो गया है, जब वार्षिक मांग में वृद्धि 3% थी। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? इस देश में गेहूं की जो मात्रा मिल रही है वह बढ़ने वाली नहीं थी। अतः यह मूल परिमापी है जिसके अन्तर्गत कार्य किया जाना चाहिए। गेहूं का उत्पादन भी घट गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 90 लाख टन खाद्यान्न की खरीद की जानी थी जबकि 90 लाख टन की

आवश्यकता के मुकाबले केवल 60 लाख टन खाद्यान्न ही खरीदा गया । उसके बाद, हमें सूखे की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इस देश को गेहूं की आवश्यकता थी ।

सूखे की स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए ? सरकार को इस पर सोचना होगा, आगे की सम्भावित स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना होगा । आवश्यकतानुसार निर्णय लिए गए । हम हर समय आगे से नहीं लड़ सकते । सरकार ने उस समय सही निर्णय लिया था कि गेहूं को आयात करने की आवश्यकता थी । यह बात नहीं है कि जी० ए० टी० टी० अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्धन के कारण ऐसा हुआ है । परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए लिया गया यह व्यावहारिक निर्णय था, जिसमें सोमालिया जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी । जब हमारे देश में अन्न नहीं है तब हम गेहूं नहीं खरीद सकते, ना ही हम विश्व के ठेकों के पीछे लगे रह सकते । सरकार को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि किसी विशेष समय, खाद्यान्नों की निरन्तर आपूर्ति होती है और इस भावना से यह मूल कारण था कि गेहूं का आयात हुआ । मुझे यकीन है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा जी० ए० टी० टी० का खाद्यान्नों को 3.3 प्रतिशत रखने सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध अथवा शर्तें नहीं थीं । मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े कहां से प्राप्त हुए ।

दूसरी बात जो कि मैं यहां पर रखना चाहता हूं वह आर्थिक लागत के सम्बन्ध में है । जब सरकार ने गेहूं आयात करने का निर्णय लिया था, तब खरीद मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गयी थी । अत: किसान को यह लाभ मिला लेकिन 275 रुपए पर खरीद करने पर आर्थिक लागत क्या होगी ? तब आर्थिक लागत 455 रुपया प्रति क्विंटल होगी । इसलिए, वे लोग कह रहे हैं कि वे खुले बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं होगा । तब गेहूं की कीमत 275 रुपया प्रति क्विंटल हो सकती है । लेकिन प्रबंध प्रभार, वितरण प्रभारतथा संग्रहण आदि को जोड़ने पर सकल लागत 455 रु० प्रति क्विंटल होगी । जो कुछ आयात किया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमें आर्थिक लागत को देखना होगा । हमने कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य से 10 लाख टन गेहूं आयात किया था और उसकी औसत कीमत 517 रुपए प्रति क्विंटल होगी···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : ये शहर के रहने वाले हैं, इनको क्या मालूम ।

श्री सुधीर सावन्त : शहर के नहीं हैं ।

[अनुवाद]

इसलिए, आर्थिक लागत 517 रुपए है जो कि आयातित गेहूं की कीमत होगी । वे लोग प्रचार कर रहे हैं कि वे खुले बाजार से खरीद करेंगे । यदि मान लो कि हम खुले बाजार से 350 रुपया प्रति क्विंटल के दाम से गेहूं खरीदेंगे, जैसाकि वे प्रचार कर रहे हैं, तब वास्तविक मूल्य क्या होगा ? आर्थिक लागत 545 रुपया प्रति क्विंटल है । इसलिए, वे जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि हम खुले बाजार से खरीद सकते हैं, यह बात गलत है क्योंकि आर्थिक लागत 517 रुपया प्रति क्विंटल है । यदि हम बाजार मूल्य पर खरीदेंगे तो यह भाव 545 रुपया प्रति क्विंटल होगा ।

दूसरी बात यह है कि क्या किसानों को कोई हानि हुई है । मुझे यकीन है कि यह सरकार ऐसा

कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसानों को कुछ हानि पहुंचे। किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि समर्थन मूल्य 275 रुपए होगा। यह किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उस दाम पर सरकार को गेहूं बेचें। यदि किसानों को मूल्य मिल रहा है मान लो 350 अथवा 325 रुपया, तो वे गेहूं बेच सकते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गेहूं के आयात से किसानों को हानि हो रही है। आज भी किसान को आज का वर्तमान बाजार मूल्य मिल रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सही अर्थ में गेहूं के आयात से किसान किस तरह से प्रभावित हुआ है। इसमे कोई प्रभावित नहीं हुआ है।

मार्च 1992 में हम गेहूं का आयात नहीं करना चाहते। कृषि मन्त्री जी स्वयं एक किसान हैं। मार्च 1992 में गेहूं के आयात का एक प्रस्ताव था उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया और सरकार ने गेहूं के आयात का प्रस्ताव त्याग दिया और इस तरह से गेहूं के आयात करने का निर्णय त्याग दिया गया।

हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक बात ध्यान में रखनी होगी। वह है बाजार मूल्य पर गेहूं को खरीदने का प्रभाव। एक ओर हम कीमत और मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? पिछली बार, जब सरकार ने मई से अक्तूबर, 1992 तक गेहूं का आयात नहीं किया, तब खाद्यान्नों का लागत मूल्य 16 प्रतिशत था। मई से अक्तूबर, 1992 तक लागत मूल्य 0.2 प्रतिशत रहा। कोई जादू होने वाला नहीं है क्योंकि इस देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। यदि सरकार बाजार मूल्य पर बाजार से गेहूं खरीदना चाहेगी तो दो बातें होंगी। पहली बात तो यह है कि इससे उन किसानों के प्रति अन्याय होगा। जिन्होंने सरकार को खरीद मूल्य पर गेहूं बेचा है। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार बाजार से गेहूं खरीदना चाहेगी तो गेहूं की कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी। गेहूं की कीमत बढ़ा दी जाएगी और सरकार की ओर से बड़ी मांग है और यदि बाजार मूल्य 350 रुपए है तो वे स्वतः ही 400 रुपए से अधिक होगा जिससे सीमांत किसान और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान प्रभावित होंगे : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गेहू का उत्पादन नहीं होता है। हम गेहू के लिए पंजाब और हरियाणा पर निर्भर हैं। यदि सरकार बाजार मूल्य पर, बाजार से गेहूं खरीदेगी तब उन निर्धन और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों का क्या होगा जो बाजार पर निर्भर हैं? श्री फर्नान्डीज ने कहा था कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को त्याग देना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा किस तरह से होगा। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे जिसका यथार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, आज भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही प्रभावी तथा पूर्ण सामर्थ्य से कार्य कर रही है। केवल कुछ आंकड़े बताकर कोई भी यह आरोप कैसे लगा सकता है कि जी०ए०टी०टी० और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने सरकार पर कुछ प्रतिबन्धताएं लगा दी कि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली त्यागनी चाहिए। यह देखते हुए कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है, जो कि सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है यह आरोप निराधार एवं अनुचित है।

महोदय, अब मैं राज सहायता की बात करूंगा। जहां तक फार्म राज सहायता का प्रश्न है, ऐसा केवल भारत में ही नहीं है। सभी देशों में राज सहायताएं दी जाती हैं। यूरोपीय समुदाय में, प्रतिव्यक्ति फार्म राज सहायता डालर के सन्दर्भ में 238.4 है और यह संयुक्त राज्यों में 148.5 है जबकि भारत में प्रतिव्यक्ति फार्म राजसहायता 4.3 डालर से भी कम है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वही तो हम आपको बताना चाहते हैं।

श्री सुधीर सावत : हम उसी पर बोलेंगे ।

[अनुवाद]

जब हम राजसहायता की बात करते हैं तो राजसहायता देने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक राजसहायता का संबंध है, यह एक विश्वव्यापी प्रथा है क्योंकि कृषि उत्पाद कई कारकों से प्रभावित होते हैं और इसमें राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्य के लिए राजसहायता देने की योजना प्रचलित है।

परन्तु एक ही तथ्य है कि उर्वरकों के लिए यह राजसहायता, जो 1981-82 में लगभग 375 करोड़ रुपए थी, वह 1991 में बढ़कर 6,219 करोड़ हो गई और मार्च 1993 तक यह राशि 9,000 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। मैं जिस तथ्य को उजागर करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक उर्वरकों के उत्पादन का संबंध है हमें किसानों को कम लागत पर आदान सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसे स्वीकार करना चाहिए। परन्तु हम ऐसा कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका राजसहायता का है। दूसरा तरीका उत्पादन लागत में कमी करने का है। उर्वरकों की कीमतें निर्धारित करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति को मैं बधाई देता हूं। क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया और वह ठीक रास्ते पर आगे बढ़े अर्थात उसने उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम किया ताकि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक दिए जा सकें। मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि राजसहायता अन्ततः कोई उत्तर नहीं है। यदि आपको वास्तव में सक्षम और आत्मनिर्भर होना है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाना होगा। इस समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है या नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उर्वरक राजसहायता का प्रभाव ऐसा होगा कि यह 6200 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर के मुकाबले अगले मार्च तक बढ़कर लगभग 9000 करोड़ रुपए हो जाएगी। दुर्भाग्यवश, उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि का कारण यह है कि समिति की सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि गैस की कीमत में 35 प्रतिशत कमी की जाए। इससे 560 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसे लागू नहीं किया गया। वास्तव में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 'नेपथा' एल० पी० एस० की कीमतों को स्थिर किया जाए परन्तु इनकी कीमतें 35 प्रतिशत बढ़ गई हैं।

इसका प्रभाव देखिए, समिति ने सुझाव दिया है कि रेल मालभाड़े में कमी करके 280 करोड़ रुपए की बचत की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा नहीं।

इसी तरह से निर्यात के लिए सरकारी दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जानी थी बाजार दर पर नहीं। इससे 675 करोड़ रुपए की बचत होती। यह सिफारिशें करके समिति ने उत्पादन लागत 2,000 करोड़ रुपये तक घटाने का प्रयास किया है। परन्तु वास्तव में हुआ यह है कि समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और केवल छोटी-मोटी और उपयुक्त सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया गया है।

कीमतों पर नियन्त्रण हटाने से फास्फेटिक उर्वरकों की कीमतें बढ़ गयीं। मेरा अनुरोध है कि जब सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है तो उसे इन सिफारिशों को ईमानदारी से कार्यान्वित करना चाहिए। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए। केवल कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करके सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, पोटाश और फास्फेटिक उर्वरकों का पूर्णतः आयात होता है। क्या ऐसी स्थिति में ज्यादा जी पाएंगे? आज प्रश्न यह नहीं है। राज सहायता से केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान हो सकता है आने वाली समस्याओं का नहीं। 1996-97 तक राजसहायता की राशि 11,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी और यह उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने आयात को सीमित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है कि उर्वरकों की कीमतें न बढ़ें।

रुपए का अवमूल्यन दूसरा कारण है। रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता अचानक ही बढ़ गई है। रुपये में हिसाब लगाकर देखा जाए तो उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय लागत 30 प्रतिशत बढ़ गई है। यदि उर्वरकों की कीमतें बढ़ती हैं तो राजसहायता बढ़ जाएगी। अतः इस संबंध में कुछ ठोस कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हैं तो इसे राज्य सरकारों द्वारा भी पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए डी० ए०पी० की कीमत 4000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 8000 रुपये प्रति टन हो गई है। इसमें अचानक वृद्धि हुई है। सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 1000 रुपये प्रति टन राजसहायता देने की घोषणा की और यह राशि राज्य सरकारों को दे दी। परन्तु राज्य सरकार राजसहायता का समान रूप से संवितरण करने में असफल रही, जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, यह राजसहायता पश्चिमी महाराष्ट्र में दी गई है। यह राजसहायता कोंकण और विदर्भ में संवितरित नहीं की जा सकी क्योंकि इसका संवितरण पहले-आओ पहले-पाओ आधार पर किया गया। इस राजसहायता का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल सका जो तत्काल उर्वरक खरीद सके।

ये कुछ कमियां हैं और राज्य सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी होगी।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना ध्यान अचानक राम से हटाकर उर्वरकों और खाद्य वस्तुओं की ओर लगा दिया है। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया। मुझे यह मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 प्रतिशत बिक्री कर को कम क्यों नहीं करती है और उसने सहकारी समितियों पर कुछ प्रभार क्यों लगाए हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। जब मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाया गया था तो उस समय डी०ए०पी० के एक बोरे की लागत 247 रुपये थी जो बढ़कर 450 रुपये होने वाली थी परन्तु केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से इसे कम करके 350 रुपये तक लाया गया। समिति ने जैसी सिफारिश की थी यदि उत्तर प्रदेश सरकार वैसा कर देती तो डी०ए०पी० उर्वरक की कीमत घटकर 300 रुपये तक आ जाती जोकि वहन करने योग्य है।

अत: इसके लिए पूर्णत: केन्द्रीय सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। एक तथ्य यह है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि उर्वरक उद्योग को खुशहाल होना चाहिए।

हल्दिया में उर्वरक की प्रति टन लागत 20,000 रुपये है। मैं यहां पर उपस्थित अपने मित्रों से यह पूछता हूं कि वह इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि मजदूर की देखभाल की जानी चाहिए परन्तु साथ ही मजदूर उपलब्ध भी करने होंगे। आप काम किए बगैर समयोपरि भत्ते की मांग नहीं कर सकते हैं। हल्दिया में यही सब कुछ हो रहा है। अत: राजसहायता कौन देगा ? श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के यह सब उपक्रम घाटे में चल रहे हैं।···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए, कार्यमंत्रणा समिति ने इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए दो घण्टे का समय दिया है। अब इस मामले के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है, क्या सभा इस बात से सहमत है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए ? यदि हां तो कितने घंटे ?

अनेक माननीय सदस्य : इस चर्चा के लिए सदन का समय तीन घंटे और बढ़ा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं, जितना संभव हो सकेगा हम अपने भाषणों को सीमित रखेंगे। अधिकांश राजनीतिक दलों के नेता इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अन्य छोटे दलों के नेता अभी तक इस पर नहीं बोले हैं। सभापति महोदय, आपको प्रत्येक राजनीतिक दल के कम से कम एक व्यक्ति को बोलने का अवसर देना चाहिए।

सभापति महोदय : सावंत जी आप दो मिनट और बोल सकते हैं। क्या सभा का यह मत है कि सभा का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जब तक कि चर्चा समाप्त नहीं हो जाती ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हमें सभा का समय पहली बार 6 बजे तक बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : इस पर चर्चा कल जारी रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : नहीं। हमारे पास कल चर्चा के लिए दूसरे विषय हैं। हमें यह चर्चा आज ही समाप्त करनी होगी। कृपया सहयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम 6 बजे तक बैठेंगे और उसके बाद कल इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमें 6 बजे के बाद नहीं बैठना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इसे फिर सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या सभा का मत है कि सदन तब तक बैठे जब तक कि इस विषय पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : सभापति जी, फर्टिलाइजर और प्राइस के बारे में जो चर्चा है यह बहुत इम्पार्टेन्ट है। इसलिए इसके लिए समय बढ़ा देना चाहिए।

सभापति महोदय : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें चर्चा आज जारी रखनी चाहिए। हमें इस पर कल चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें इसे आज ही समाप्त करना चाहिए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हुआ यह कि दो विषयों को मिला दिया गया और उन पर चर्चा शुरू कर दी गई।

सभापति महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति ने इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आबंटित करने का निर्णय लिया और सभी नेता इस बात से सहमत हुए थे।

श्री बसुदेव आचार्य : इस विषय के लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया था। अब हमने गेहूं और उर्वरकों के आयात के दो मामलों को जोड़ दिया है। इसलिए हम एक साथ दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। नियम 193 के तहत विषयों पर चर्चा करने के लिए आमतौर पर दो घंटे का समय आबंटित किया जाता है परन्तु कभी भी आबंटित दो घंटे में चर्चा पूरी नहीं हुई है।

अतः मेरा सुझाव है कि हमें इस पर चर्चा के लिए समय 2 घंटे और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि दो विषयों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमें कम से कम दो घंटे का समय चाहिए। आज हम 6 बजे तक बैठेंगे और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या हम इसे कल समाप्त कर सकेंगे।

किसान नेता श्री राजेश पायलट अभी तक नहीं बोले हैं। श्री दिग्विजय सिंह भी बोलेंगे। अतः आपको इस चर्चा के लिए समय बढ़ाना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : इस विषय पर वाद-विवाद के समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हम सहयोग करेंगे। हम सभी सहयोग करेंगे। हम 6 बजे तक चर्चा जारी रखेंगे। इसके बाद पुनः हम इसे जारी रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : आज नहीं।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि हमें चर्चा समाप्त होने तक बैठना चाहिए?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम 6 बजे तक बैठेंगे और फिर कल हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : क्या हमें इस चर्चा को 6 बजे तक जारी रखना चाहिए?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : सिर्फ आज।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि हमें आज इस मुद्दे पर 6 बजे तक चर्चा जारी रखनी चाहिए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां। फिर पुनः कल हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय : सुधीर सावन्त जी, आप इस मुद्दे पर फिर से बोलना आरम्भ कर सकते हैं।

श्री सुधीर सावन्त : मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभ मिले। माननीय कृषि मंत्री जी उत्पादन लागत का हिसाब लगा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जब किसानों को उनके उत्पाद का अन्तिम मूल्य मिलेगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा और आज जो हो रहा है वैसी बात नहीं रहेगी। इसके लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिसके द्वारा हमें शीघ्र ही परिणाम प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस देश की आर्थिक नीति में अभी-अभी और सुधार हुआ है। इसके लिए जोर देने की आवश्यकता होगी। आज यह हो रहा है कि जो मुद्दे वास्तविक नहीं है, वे वास्तविक मुद्दों पर हावी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अयोध्या का मुद्दा तथा अन्य मुद्दे।

जनता के प्रति अपनी प्राथमिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अनाज की निरन्तर आपूर्ति होती रहे, सरकार ने गेहूं का आयात किया। इसके पीछे कोई अन्य इरादा अथवा कोई अन्य समझौता नहीं किया गया है जैसाकि कहा जा रहा है। किसान प्रभावित नहीं हुए हैं। मैं नहीं जानता हूं किस प्रकार किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार उर्वरकों की लागत और उन पर राज सहायता में कमी कर के उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए वचनबद्ध है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि बार-बार इन बातों का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। अचानक ही भाजपा ने अयोध्या मामले से इस राजसहायता के मुद्दे पर अपना रवैया बदल लिया है। मैं नहीं जानता हूं कि कहां से उन्होंने इस पर विचार आरम्भ कर दिया। जन संघ और भाजपा के इतिहास में पहली बार वे किसानों की बात कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा अब अधिक चलने वाला नहीं है और इसलिए लोगों की नजरों में बने रहने के लिए उन्हें कुछ वैकल्पिक मुद्दे ढूंढने चाहिये और आज वे इसी मुद्दे को उठा रहे हैं।

मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि वे कृषि, उद्योग और आर्थिक नीतियों को लागू करने में सरकार के साथ सहयोग करें। माननीय प्रधानमन्त्री जी ने यह कहा है कि दो वर्षों के अन्दर ही वे भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित करेंगे जिससे कि जब देश 21वीं सदी में पहुंचेगा तो यह किसी से भी कम नहीं रहेगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हमारे समक्ष दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा सरकार द्वारा गेहूं के आयात से सम्बन्धित है और इसके द्वारा शुरू से ही विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास किया जा रहा है और आयात पर बहुत ही अधिक नियन्त्रण लगाया गया है। अचानक ही हम यह देखते है कि सरकार गेहूं का आयात कर रही है।

प्रारम्भ में यह कहा गया था कि यह 10 लाख टन गेहूं का आयात करेगी। लेकिन अब ऐसा

प्रतीत होता है कि वे कम से कम 30 लाख टन गेहूं का आयात करेंगे। यह इस मुद्दे का बहुत ही विचित्र पहलू है।

दूसरा मुद्दा उर्वरकों के मूल्य से सम्बन्धित है। उर्वरकों का मूल्य सरकार द्वारा राज सहायता वापस लिए जाने के कारण एक मुद्दा बन चुका है जिस पर भारतीय कृषि कम से कम विगत ग्यारह वर्षों से आधारित है। अचानक इस सरकार ने प्रत्येक बात में, सभी वायदों, आश्वासनों, परम्पराओं, प्रक्रियाओं में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक पहलू में, उस अर्थव्यवस्था में जो इस देश के अस्तित्व का आधार है तथा जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता का आधार है जिसे हमने 60 के दशक में और 70 के दशक के प्रारम्भ में लोगों की सहायता से, विशेषकर किसानों की सहायता से प्राप्त किया था, परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है। अतः इन दोनों मुद्दों को अकारण ही इसलिए आपस में जोड़ दिया गया है कि इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। लेकिन इससे दोनों मुद्दों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि फिर एक पर भी समुचित चर्चा नहीं की जा सकती है।

फिर भी पहले मैं गेहूं के आयात पर चर्चा आरम्भ करता हूं उर्वरक राज सहायता के सम्बन्ध में हम गत वर्ष के प्रारम्भ में तथा इस वर्ष के आरम्भिक सत्रों में भी चर्चा करते रहे हैं। गेहूं निर्यात का मामला ऐसा है जो जनवरी, 1992 के पूर्व भी अनिश्चित था। लेकिन वास्तविक निर्णय मूल्य सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति नामक एक मंत्रिमण्डलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता माननीय वित्त मन्त्री जी ने की थी, के द्वारा 15 जनवरी 1992 के आसपास लिया गया था। निश्चित रूप से माननीय कृषि मन्त्री तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री जी भी इसके सदस्य थे। चूंकि हमें निर्णय की वास्तविकता से कभी अवगत नहीं कराया गया है, अतः अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्णय द्वारा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को 10 लाख टन गेहूं के आयात के लिए औपचारिक प्राधिकार के साथ और यदि आवश्यक हुआ तो अधिक आयात करने का भी प्राधिकार दिया गया है। अब कितना अधिक इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है और अब मुझे बताया गया है कि इस मंत्रालय द्वारा बाद में 35 लाख टन गेहूं के आयात का निर्णय लिया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि यह सही है या नहीं लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में यह स्पष्ट कर देंगे कि वास्तव में क्या निर्णय लिया गया था और कब यह निर्णय मन्त्रालय में लिया गया था।

अब पुनः हमें यह बताया गया है। माननीय प्रधानमन्त्री सहित अन्य कई लोगों ने हमें इस निर्णय को लेने का समय तथा इसकी मजबूरी के सम्बन्ध में कई कारण बताए हैं।

कल इस सम्माननीय सभा में माननीय प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि यह निर्णय जुलाई-अगस्त में किया गया था, क्योंकि उस समय यह शंका थी कि खरीद इतनी कम हुई है कि भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः यह निर्णय किया गया था। यदि ऐसा निर्णय लिया गया था तो इसे कार्यरूप नहीं दिया गया। अब हमसे यह कहा गया है कि यह निर्णय जुलाई-अगस्त में नहीं बल्कि जनवरी में लिया गया था।

मैंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि जुलाई-अगस्त शायद इस प्रकार के निर्णय लेने का उचित समय है। निश्चित रूप से अप्रैल-जून जो गेहूं की खरीद का मौसम है, में खरीद बहुत ही कम की गयी है। यह लक्षित मात्रा से 35 लाख अर्थात 3.5 मिलियन टन कम है। यदि सभी प्रचालन आवश्यकताओं को वास्तव में पूरा कर लिया जाता तो स्वाभाविक है कि प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद

आशंका बनी रहती और सुरक्षित भण्डार बहुत कम हो जाता लेकिन जब यह निर्णय लिया गया था अर्थात 15 जनवरी, 1992 से पन्द्रह दिनों पूर्व सम्बन्धित मन्त्री श्री गगोई जनता के बीच यह भाषण दे रहे थे कि गेहूं का भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर अल्प समय में ही उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का निर्णय लेने का यह उचित समय नहीं था, क्योंकि भंडार स्थिति इतनी खराब नहीं थी। वास्तव में इससे दो-तीन महीने पूर्व सरकार लोगों को गेहूं मुहैया करा रही थी जिसके लिए सरकार ने खरीद नहीं की और भण्डार नहीं बनाया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भण्डार बनाया गया है। पहले जब सरकार के पास अत्यधिक सुरक्षित भण्डार था तब कभी-कभी सरकार ने आटा मिलों तथा लोगों को गेहूं की आपूर्ति की थी। लेकिन जब सरकार पहले ही अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त कर चुकी है और सरकार ने यह कहा कि उस समय हमारे पास गेहूं का भंडार नहीं होगा, उस समय भी सरकार ने आटा खरीदने के लिए आटा मिलों को गेहूं जारी किया और वे सभी बातें सुनिश्चित की जिससे कीमतें न बढ़ें। इस प्रकार से गेहूं का सरकारी भंडार कम हो गया। उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया। वास्तव में सरकार ने इस अवधि के दौरान 80 लाख टन गेहूं का निर्यात किया और 60 लाख टन गेहूं खुले बाजार और आटा मिलों को जारी किया। इस प्रकार से सरकारी गेहूं के भंडार में 14 लाख टन की कमी हो गई जिस कारण सरकार ने 10 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया। सरकार को यह बात स्पष्ट करनी होगी कि जब भंडार और प्रचालन आवश्यकता की स्थिति इतनी बुरी थी तो उसने गेहूं का निर्यात क्यों किया? उसी वर्ष 8 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था और 6 लाख टन गेहूं बाजार में जारी किया गया था। उन्हें इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा था कि वह समय बहुत खराब था, क्योंकि यदि उस दौरान सरकार गेहूं खरीद लेती तो यह ठीक वह समय होता जब भारतीय किसान मंडियों में गेहूं ला रहे होते हैं। मंडियों में गेहूं मार्च के अन्त मे आना शुरू हो जाता है और उक्त निर्णय जनवरी मध्य से लागू हो गया होता। इसके अतिरिक्त उन देशों में, जहां से गेहूं का आयात किया जाना था अथवा आयात किया जा रहा था, इस दौरान गेहूं की कीमतें बहुत अधिक थीं। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री श्री तरुण गगोई इसका उत्तर देंगे कि जब गेहूं के मूल्य इतने अधिक थे तो उस दौरान उन्होंने गेहूं आयात की पेशकश क्यों की। मैं समझता हूं कि उनका विचार था कि उन्हें अमेरिका से गेहूं सस्ते दर पर मिल जाएगा। वास्तव में, अमेरिका कुछ देशों को बड़ी सस्ती दर पर गेहूं देता रहा है। मुझे समाचार पत्रों से पता चला है कि चीन को गत वर्ष अमेरिका ने 80 या 90 डालर प्रतिटन की दर से गेहूं दिया। लेकिन यह पिछले वर्ष की बात है न कि इस वर्ष की। जब तक उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया तब तक गेहूं की कीमतें काफी बढ़ चुकी थीं। सचिव के नेतृत्व में एक दल वहां लम्बे दौरे पर गया था। वह दल अमेरिका से यह समाचार लेकर लौटा कि अमेरिका हमें निर्यात वृद्धि कार्यक्रम राजसहायता का लाभ नहीं दे रहा है। चाहे कुछ भी कारण हो हमने यह स्वीकार नहीं किया। उनके द्वारा दिया गया कारण यह है कि भारत गेहूं की खरीद कभी-कभी करता है। जबकि चीन और रूस नियमित रूप से खरीदते हैं। इसलिए उन्हें रियायत की सुविधा दी जा सकती है और भारत इस सुविधा का पात्र नहीं है। यह तो सरकारी कारण था। लेकिन हम जानते हैं कि कारण कोई दूसरा था हम क्यूबा को चावल या गेहूं का निर्यात करने वाले हैं और वे हमें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं। बस उस समय एक यही कारण था। बाद में जब भारत सरकार ने क्यूबा को चावल का निर्यात नहीं किया जिसका उसने क्यूबा से वायदा भी किया था। उन्होंने गेहूं का मूल्य कम कर दिया। निसंदेह उस समय राष्ट्रपति के तत्कालीन उम्मीदवार श्री बुश की ओर से एक चुनावी दबाव था और इसलिए भी अमेरिका को गेहूं का मूल्य कम करना पड़ा और इस मामले में

राज सहायता देनी पड़ी। लेकिन वे बाजार में गए। उन्होंने गेहूं खरीद का निर्णय गलत समय में लिया जिस समय कि गेहूं के मूल्य अत्यधिक थे। अन्ततः जब अमेरिकी नीति असफल हो गई तो उन्होंने यूरोपीय समुदाय के देशों सहित विभिन्न देशों मे निविदाएं आमन्त्रित कीं। अभी-अभी कुछ ही मिनट पहले श्री गगोई ने कहा कि यूरोप का गेहूं अच्छा नहीं है और इस देश की जनता उस गेहूं को पसन्द नहीं करती लेकिन उन्होंने उन्हीं देशों को बोली के लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? यदि उक्त गेहूं भारतीयों के रूचि के अनुकूल नहीं है तो आपने ऐसा क्यों किया ? इसलिए मैं नहीं समझता यह एक समुचित व्याख्या है। उन्हें कुछ और अधिक समझना चाहिए।

उसके उपरांत यह बात निष्फल हो गई। अब अन्ततोगत्वा उन्होंने पुनः निविदाएं आमन्त्रित की होंगी। मैं नहीं जानता कब क्योंकि इन कागज पत्रों में ऐसा कोई सन्दर्भ नहीं दिया गया है। कल दिए गए उत्तर में भी यह बात स्पष्ट नहीं होती कि उन्होंने निविदाएं कब आमन्त्रित की थीं, उन्होंने सौदे की बातचीत कब की। सौदा करते समय किस महीने की कीमतों को आधार बनाया गया लेकिन अनुबन्ध मूल्य दर्शाते हैं कि उन्हें गेहूं कनाडा से काफी ऊंचे मूल्यों पर प्राप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका से राज सहायता के कारण उन्हें काफी कम मूल्य चुकाना पड़ा। लेकिन अमरीकी मूल्य आस्ट्रेलिया के मूल्यों से इतना अधिक कम नहीं है। इसलिए उन्हें अमरीका की राजसहायता की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और यदि वे चाहें तो वे समूची मात्रा आस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं जिसकी बोली सबसे कम हो सकती है। मैं नहीं जानता कि उन्हें ऐसा करने से किसने रोका। वास्तव में जब मैं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय को यह याद रखना चाहिए कि हमारी मनःस्थिति में बोफोर्स के संस्मरण समाए हुए हैं अर्थात हम सदा ऐसा समझते हैं और कभी-कभी मै एकदम ठीक समझता हूं— कि इस सौदे में कुछ कमीशन संलिप्त हो सकती है। इसलिए प्राप्त हुए पेशकश और अन्तिम रूप से चुनी हुई पेशकश के बारे में पूर्ण ब्यौरा देना बेहतर होगा। इससे हमारे समक्ष वस्तुस्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

किसी भी मामले में समय के अन्तराल के कारण और सरकार द्वारा दिए गए विरोधाभाषी व्याख्याओं के कारण उक्त मामले के प्रति हमारे दिमाग में गम्भीर शंकाएं पैदा हो जाती हैं।

इसके पश्चात् सवाल उठता है कि सरकार जनवरी में गेहूं का आयात करना चाहती थी क्योंकि उसने सोचा कि गेहूं का भण्डार 1 अप्रैल तक बहुत कम हो जाएगा अथवा लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब अप्रैल आ गया और एक खरीदी मौसम भी गुजर गया जिस दौरान कि गेहूं का उत्पादन उतना खराब नहीं था, तो वे बाजार मे गेहूं की आवश्यक मात्रा की खरीद क्यों नहीं कर पाए। इस बात पर पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि वे पिछली श्री चन्द्रशेखर की सरकार पर, जो सरकार अप्रैल-जून, 1991 के दौरान सत्ता में थी, गेहूं की पर्याप्त मात्रा में खरीद में असफल रहने और इस प्रकार गेहूं खरीद में 35 लाख टन की कमी हो जाने के कुछ आरोप मढ़ देंगे, लेकिन 1992 के मौसम में क्या हुआ ? स्पष्ट रूप से तो ऐसा हुआ कि उन्होंने समुचित मूल्य की पेशकश नहीं की। अपने बजट भाषण के दौरान मैंने कहा था कि उस समय सरकार द्वारा घोषित 250 रुपए का मूल्य बहुत कम था। मैं जानता था कि भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही 280 रुपए के मूल्य का सुझाव दिया था...(व्यवधान)

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : हां, उन्हें वह मूल्य भी मिला।

श्री अमल दत्त : उन्हें 280 रुपए का मूल्य काफी बाद में मिला।

श्री तरुण गगोई : पहले हमने 250 रुपए मूल्य का निर्णय लिया और उसके बाद 25 रुपए बोनस की घोषणा की तथा राज्य सरकार ने पांच रुपए देने की घोषणा दी। इस प्रकार 280 रुपए का मूल्य तो काफी पहले से ही हो गया था।

श्री अमल दत्त : ये सभी निर्णय धीरे-धीरे एक-एक करके लिए गए। हां, भारतीय खाद्य निगम ने 280 रुपए मूल्य का सुझाव दिया है। लेकिन किसान संगठनों द्वारा मांगे गए मूल्य क्या थे ?

श्री तरुण गगोई : हमने जो कुछ पेशकश की थी वह मूल्य हमने खरीदी मौसम से पहले की कर दी थी।

श्री अमल दत्त : प्रश्न तो यह है कि आपको उस मूल्य का निर्णय लेना जिस पर आप खरीद सकते हैं, केवल ऐसे मूल्य की पेशकश नहीं करनी जिस पर आप खरीद नहीं सकते। आपने उन्हें उस मूल्य की पेशकश नहीं की। किसी न किसी प्रकार मूल्य अधिक होने चाहिए।

यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप उक्त मूल्य पर किसानों का अपना गेहूं बेचने को आकर्षित नहीं कर पाये या आपके पास खरीदने की क्रियाविधि ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि सही स्थिति क्या है। हो सकता है कि जिस मूल्य की पेशकश आपने की हो उस पर आपकी ओर से मौके पर खरीददार कोई न हो। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। जब आपने पाया कि किसान गेहूं बेचने के अनिच्छुक हैं तो आप गेहूं की खरीद करने में असफल रहे। आपने गेहूं के मूल्य में वृद्धि नहीं की जिससे आप आवश्यक मात्रा में गेहूं की खरीद कर पाते। आप कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत की ही खरीद कर पा रहे हैं। आपको केवल 3 4 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद करनी है। इसके पश्चात आपको विदेशी स्रोत की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा करने में असफल रहे। यह मात्र निधीयन की अव्यवस्था है। वे 3-4 प्रतिशत अतिरिक्त गेहूं की खरीद क्यों नहीं कर पाते ? मेरा यही प्रश्न है। सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन में इतनी अयोग्य है कि खाद्य की खरीद का इतना महत्वपूर्ण मामला, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ है। समुचित ढग से ही नहीं निपटाया जाता।

ऐसी भी शंका है कि इसमें कहीं न कहीं कोई बदनीयती है। किसी भी तरह वे कुछ न कुछ आयात करने में गहन रुचि रखते हैं क्योंकि जब भी कोई आयात का मामला आता है तो इसमें धन की हेराफेरी की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

महोदय अब मैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर चर्चा करूंगा। गेहूं के उत्पादन में ठहराव का एक कारण यह है कि गेहूं की प्रतिहैक्टेयर उत्पादकता में गत पांच वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद गेहूं का उत्पादन लगभग 64 मिलियन टन तक ही सीमित है। इसका कारण यह है कि कृषि योग्य भूमि में गेहूं के बजाय अन्य नकदी फसलें उगाई जाती हैं जिनसे उन्हें अधिक आय प्राप्त हो रही है ? कृषि मन्त्रालय अथवा सम्बद्ध मन्त्रालयों को इसी मामले पर निर्णय करना है कि किसानों को दिया जाने वाला मूल्य लाभकारी मूल्य हो जिस पर कि सरकारी खरीद की जा सके। उन्होंने इस मामले पर पहले कभी गौर नहीं किया पहले किसानों की स्थिति कृषि भूमि पर अन्यत्र उपयोग के विकल्प जैसी बात नहीं थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति है। इसलिए किसानों को दिए जाने वाले लाभकारी मूल्य का निर्धारण करने वालों को मूल्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय मन्त्री श्री तरुण गगोई जी से मेरा निवेदन है कि वे मेरे इन मुद्दों पर गौर करें।

यदि आप इस वर्ष किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तो वे अगले वर्ष अपनी भूमि का उपयोग अन्य नकदी फसलें उगाने के लिए करेंगे। आपको इस प्रवृत्ति से सचेत रहना चाहिए।

महोदय, सरकार ने उर्वरकों के मूल्य बढ़ा दिए थे और हमारे दबाव से पुनः कम कर दिए। मूल्य वृद्धि 40 प्रतिशत की थी जबकि मूल्यों में कमी 10 प्रतिशत की गई। जहां तक यूरिया का संबंध है अब तक इसके मूल्य में वास्तविक रूप से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य उर्वरकों पर राजसहायता दी जा रही है। मूल्य नियन्त्रण की बात थी। यह सब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुरूप हो गया है। जहां तक फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों का संबंध है संयुक्त संसदीय समिति ने पूर्णतया मूल्य नियन्त्रण हटाने की सिफारिश की थी। वास्तव में यह सर्वसम्मत निर्णय था। मुझे इस बात को भी रिकार्ड करना चाहिए कि हमारी पार्टी के एक सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी पोटाश और फास्फेटिक उर्वरकों से मूल्य नियन्त्रण हटाने के संबंध में अपने मतभेद की टिप्पणी दी थी। इसलिए इसे रिकार्ड में रखना चाहिए क्योंकि हमें इस निर्णय या संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश से कोई सरोकार नहीं है। तथापि जब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस तरह की सिफारिश सामने आई तो मन्त्रालय इस पर इतनी तेजी से काम करने लगी कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। महोदय, हम कई समितियों में रहे हैं जिन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। अधिकांश मामलों में मन्त्रालय इन सिफारिशों पर तब तक गौर नहीं करता जब तक उसे समिति को उसकी सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करनी हो और इस प्रक्रिया में मन्त्रालय 6 महीने का समय ले लेता है। इस 6 माह की अवधि की पुनरावृत्ति होती है, मन्त्रालय पुनः 6 महीने का समय लेता है। इस मामले में उन्होंने एक सप्ताह के अन्दर ही काम करना शुरू कर दिया। वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मूल्य नियन्त्रण हटाने की सिफारिशें प्राप्त हों और इसके बाद ही उन्होंने तत्काल मूल्य नियन्त्रण हटा दिया। स्पष्ट रूप से बाहर लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। डी०ए०पी० का नियन्त्रण हटा दिया गया और डी०ए०पी० का सरणीकरण रद्द कर दिया गया। इसके बाद कोई भी व्यापारी डी०ए०पी० का आयात कर सकता है। इस विशेष निर्णय के बारे में भारत में पता चलने से तीन दिन पहले ही अमेरिका के व्यापारिक प्रतिमंडल में, अमेरिका के उर्वरक निर्माताओं को पता चल गया। यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे अपना माल भारत को बेचने को तैयार थे। मूल्य में वृद्धि हुई। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं। यहां मेरे पूर्व वक्ता पहले ही बता चुके हैं कि मूल्य 4000 रुपए से सीधे बढ़कर 8,600 रुपए हो गए। इसके पश्चात सरकार को मूल्यों में गिरावट लाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े।

अतः, ऐसा हो रहा था क्योंकि जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने पहले कहा है, यह इन विदेशी-निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की इच्छा से ही हमें एक विशेष रास्ते पर चलने के लिए राजी किया और डी०ए०पी० एवं पोटाशियम उर्वरकों से नियन्त्रण हटाने का यह रास्ता और साथ-ही-साथ उनका विकेन्द्रीकरण करना, हमारे शासकों को दी गई हिदायतों का एक अंग था···

एक माननीय सदस्य : निर्देश, न कि हिदायतें।

श्री अमल दत्त : हां, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से यही निर्देश मिले हैं। अन्यथा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले वहां निर्णय विदित थे, फिर उन्होंने यहां रजामंदी देखी और उन्होंने जो निर्णय यहां विदित करा दिए गए हैं, उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। यही कारण है, हम कहते हैं कि आज भारत के किसानों का भविष्य और उस मुद्दे पर, भारत

की खाद्यान्न की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हाथों में है। वे इस बात का निर्णय करेंगे कि उर्वरकों पर राजसहायता दी जानी चाहिए अथवा नहीं; उन्होंने फैसला किया है कि कोई राजसहायता उर्वरकों पर नहीं हो सकती अथवा किसी भी प्रकार से राजसहायता इतनी न्यून हैं, बजट-घाटा इतना कम होगा और, इसलिए, हमारी सरकार को राजसहायता को तत्काल समाप्त करना पड़ा। उन्हें बजट का अन्य भाग यानि सार्वजनिक ऋण को अवश्य ही अदा करते रहना चाहिए। लेकिन यह समझे बिना कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वे राजसहायता समाप्त कर सकते हैं। पहले ही भूमि अन्य प्रयोजनों में लगाई जा रही है, भूमि पर कृषि नहीं की जा रही है और जहां तक सीमांत और छोट किसानों का संबंध है, वे उर्वरक खरीदने के योग्य नहीं हो पाए हैं और उनका उत्पादन गिर गया है। मैं यह बात केवल अनुमानित तौर पर कह रहा हूं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? क्या वे हमें बता सकते हैं? क्या वे हमें सूचित कर सकते हैं? क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं है कि जनता को और जनता के प्रतिनिधियों को यह बताएं कि इसका क्या प्रभाव हुआ है? उर्वरक की कीमतें कम-से-कम वर्ष से अधिक पहले बढ़ी हैं और कुछ उर्वरकों की कीमतें पिछले सप्ताह में भी बढ़ी हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमल दत्त : यह सरकार का कर्त्तव्य है कि हमें इस बारे में जानकारी देती रहे क्योंकि हम किसी जांच-पड़ताल अभिकरण को नहीं रख सकते और आपके पास यह अभिकरण हैं। आप इसका पता लगाएंगे और हमें जानकारी देंगे। वह क्या बात है, जिसके लिए हम चिन्तित हैं? वास्तव में हमें इस बात की चिंता है कि निकट भविष्य में कम से कम खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आने वाली है। अगर आखिरकार किसान उर्वरकों का प्रयोग करने जा रहे हैं, वे उनका प्रयोग अन्य उद्देश्यों नकदी फसलों और अन्य फसलों के लिए करने जा रहे हैं। अनेक वस्तुएं उपलब्ध करवानी हैं, कृषि के विकास के लिए। अत: अगर वे ऐसा करेंगे और तो फिर क्या होगा? सम्भवत: इसी वर्ष हमने आयात किया है। यदि आप उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि और आप द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य न देने के अनुपात में इस कार्य प्रणाली को अपनाते हैं, तो फिर उन वर्षों की श्रृंखला की एक शुरुआत ही है, जब हमें खाद्यान्नों की अधिकाधिक मात्रा आयात करते रहना पड़ेगा। आपको इसी बात की जानकारी और इसी बात से चिंतित होना ही चाहिए और हमें भी जानकारी देनी चाहिए। ताकि कम से कम अगर हम आपका समर्थन नहीं करते हैं, तो हम इतने अधिक उग्र तो नहीं होंगे, जितने कि हम आज हैं। आज, हम अंधेरे में हैं और जब आप हमें अंधेरे में रखते हैं, स्वाभाविक ही है हम संदेह करेंगे कि आप परोक्ष में कुछ कर रहे हैं और इसके परिणाम बुरे हैं। हम समझते हैं कि आप अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। यह आप ही को सिद्ध करना है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ही को यह सिद्ध करना है कि उर्वरक की कीमतों में वृद्धि किए जाने से इस देश के खाद्यान्न-उत्पादन कम हो गया है। आपको ही यह प्रमाणित करना है कि किसान अपनी भूमि किन्हीं अन्य उद्देश्यों पर नहीं लगा रहे हैं अथवा अपनी भूमि को खाली रख रहे हैं। अत, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इस क्षेत्र में हुई प्रगति से हमें अवगत कराते रहना चाहिए।

महोदय, अनेकों अन्य कार्य किए जा सकते हैं। यद्यपि, जैव उर्वरकों के लिए कुछ अतिरिक्त राशि का आबंटन स्पष्ट रूप से संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। यह एक अच्छी बात है। जब 'जैव' उर्वरक उपलब्ध है, तो कोई भी अकार्बनिक-उर्वरक के स्थान पर कार्बनिक-उर्वरक को प्रतिस्थापित कर सकता है। केवल एक ही क्षेत्र का संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख

किया गया है कि समुद्री घास-फूंस (शैवाल) से तैयार उर्वरक में, नाइट्रोजन यूरिया के प्रतिस्थापन्न अथवा पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक अन्य चीजें भी हैं, जिनका कि विकास किया जा सकता है। अन्य देश वैसा कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित कुछेक विशेष रास्ते पर कार्य कर रहा है। लेकिन, अनेक अन्य बातें हैं, जोकि आपको करनी हैं, जिन्हें वे आपको नहीं बताएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको ऐसा करने को मजबूर किया जाता है, आपको और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के सभी अधिदेशों की पालना करने पर मजबूर किया जाता है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अनेकों अन्य कार्रवाइयां हैं, जोकि आप को इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के उन कृत्यों के विनाशकारी प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए करना है। आप वह कार्रवाइयां भी नहीं कर रहे हैं। खाद्यान्न-उत्पादन बहुत से अन्य तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप उन्हें नहीं अपना रहे हैं। समस्या यही है। आप तो केवल उन्हीं अधिदेशों की पालना कर रहे हैं, जोकि वे आपको उनके अधिदेशों की उन नुकसानदायक बातों को करने के बाद भी दे रहे हैं और जोकि उन्हीं के हित में है, आप उस रास्ते का अनुसरण बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।

अतः, मैं सरकार को यह चेतावनी देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वे अनजाने में, अज्ञातवश अथवा शायद जान बूझकर भी इस देश को एक विनाशकारी रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन, उन्हें इस देश को, विनाशकारी-प्रभावों के कुछ कार्यों, जोकि उन्होंने हमारे नव अविष्कृत विदेशी मालिकों के कहने पर किए हैं, से बचाने के लिए अनेकों कार्रवाइयां, पूरक कार्रवाइयां तथा कारगर कार्य करने हैं।

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अन्ना-द्रमुक-मुनेत्र-कषगम की ओर से उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि और ऊंची दरों पर गेहूं के आयात पर इस चर्चा में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया।

मूलतः भारत एक कृषि प्रधान देश है और सरकार की नीतियां किसानों और उनके हितों के उन्नमुख होनी ही चाहिए। उर्वरकों पर राजसहायता समाप्त करने से छोटे और सीमांत किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये छोटे और सीमांत किसान केवल खादें ही प्रयोग करते हैं और कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए वे ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। बड़े कृषकों द्वारा उर्वरक मूल्यों में वृद्धि आसानी से वहन कर सकते हैं क्योंकि बड़े स्तर पर कृषि लाभकारी है और अन्यथा भी वे निपुण यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करके मूल्य वृद्धि की भरपाई कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। अतः छोटे और सीमांत किसान उर्वरकों में मूल्य-वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

हमारा संविधान एक समाजवादी संविधान है और जैसे श्रीमती गांधी और राजीव गांधी ने गरीब-से-गरीब व्यक्ति के लिए कार्य किया था, इसी प्रकार इस सरकार को भी गरीबों और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए।

5.00 म० प

मैं चाहता हूं कि उर्वरक-मूल्यों पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर पूरी सभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। समिति के एक सदस्य ने पुरजोर अपनी टिप्पणी अंकित की है कि एस०एस०पी०

और डी०ए०पी० उर्वरकों से नियन्त्रण नहीं हटाया जाना चाहिए। ये गरीब किसानों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला एक सामान्य उर्वरक है। माननीय कृषि मन्त्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में जब यह कहा था कि तकरीबन 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर कृषि उत्पादन अछेदित रहा है, तब उन्होंने यह बिलकुल सही ही कहा था। गेहूं के आयात पर उन्होंने अपना क्षोभ प्रकट किया था। यदि लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की राशि का कृषि उत्पादन अछेदित हो जाता है, तो फिर उर्वरकों से नियन्त्रण हटाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंकड़े यह उद्घाटित करते हैं कि देश में कृषि उत्पादन आत्म निर्भरता के स्तर तक केवल उर्वरकों की खपत में व्यापक वृद्धि के कारण ही बढ़ पाया है। बड़े पैमाने पर यह खपत नियन्त्रण हटा लिए जाने के कारण ही संभव हो पाई थी। अगर उर्वरक मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है, तो फिर खपत कम हो जाएगी और इसके साथ ही कृषि उत्पादन भी कम हो जाएगा। फिर, हमें आयात का सहारा लेना पड़ेगा। हम गेहूं का आयात 400-450 रुपए प्रति क्विंटल की बहुत ऊंची कीमत पर कर रहे हैं, जबकि हम अपने किसानों को केवल 250 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनेकों ऐसे मौके सृजित किए जाएंगे अगर सरकार उर्वरकों के मूल्यों में इसी प्रकार वृद्धि करना जारी रहती है। सरकार को उर्वरकों को विनियन्त्रित करने, छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने, उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और ब्याज-रहित ऋण प्रदान करने की ओर पुनः तुरन्त अभिमुख होना चाहिए. महात्मा गांधी की इस भूमि में केवल भारतीय हैं, भारतीयों के हित निहित हैं और न कि बहुराष्ट्रों के हित-निहित हैं। यही समय है जब सरकार समाजवादी-रास्ते चुनने के बारे में पुनः सोच सकती है, जिस पर यह इन सभी वर्षों से सोच-समझ कर चलती रही है। लेकिन वर्तमान सरकार ने किसान-विरोधी और गरीब-विरोधी रास्ता चुना है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित यह सरकार विदेशी कम्पनी, फर्म और निर्यातक का पक्ष लेती है, लेकिन अपने ही किसानों का पक्ष नहीं लेती। यह एक अति निंदनीय बात है। इस प्रकार के कदम के पीछे तर्क क्या है?

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार मुख्य मन्त्रियों से सलाह-मशिवरा करने के पश्चात् दो दिन बाद उर्वरक-मूल्यों और पैट्रोल मूल्यों में वृद्धि कर देती है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह अनिवार्य वस्तुओं, पेट्रोल और अहम वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने के बारे में हमारी माननीय संसद और मुख्य मन्त्रियों से विचार विमर्श किए बिना एकपक्षीय निर्णय न ले।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : धन्यवाद। यह एक संक्षिप्त और मधुर भाषण है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं पहले व्हिट के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मामला लूंगा जिसको कि मैं मार्च से उठाता आ रहा हूं। मै केवल बाहर से कोई ऐसे आंकड़े पेश कर दूं जोकि ठीक हैं या नही हैं मैं केवल पांच डाकूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब आप और यह सदन इसमें फैसला करें कि यह स्कैंडल्स तरीके से सारा मामला हुआ है या नहीं हुआ है।

सभापति जी, जिस समय मैंने मार्च के महीने में यह इश्यू उठाया उस समय मिनिस्टर साहब का

यह वक्तव्य, जो मैं पढ़ रहा हूं इसके अन्दर मैं केवल दो बातें पढ़ूंगा। मिनिस्टर साहब ने लोक सभा में 9 मार्च को यह वक्तव्य दिया जिसकी कापी मेरे पास है। इन्होंने दो बातें कहीं — एक कहा कि नई सरकार ने, मैं व्हिट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद गेहूं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई, यह विदित हुआ कि अप्रैल, जून, 91 के दौरान गेहूं वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 35 लाख मीट्रिक टन कम हुई, गिरावट आई यह पहला सवाल है।

जैसा आपने कहा, अक्तूबर, 1991 में यह अनुमान लगाया गया था कि खरीफ और मोटे अनाज के उत्पादन में 5 लाख मी० टन की गिरावट होगी, ये आपने अपने 17 अगस्त के वक्तव्य में दो बातें कहीं। आपने जब यह कहा कि प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, खरीफ का उत्पादन कम हुआ है, उसके बाद आप आयात करते तो समझ में आता कि आपने आयात ठीक किया। मेरे पास आपका एक जनवरी की प्रेस कान्फ्रेंस का फोटोस्टेट है, आप कह रहे हैं सितम्बर-अक्तूबर के महीने में फसल कम हुई है, एक जनवरी की प्रेस कांफ्रेंस की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, उसमें से दो सेंटेंस कोट कर रहा हूं —

[अनुवाद]

"क्रम 1. केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक-स्थिति बहुत सुखद है और यह दस मिलियन टन से अधिक होने वाली है।

2. हमने पहली बार भारतीय खाद्य निगम को लगभग 8 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है।"

[हिन्दी]

आप यह कह रहे हैं कि अक्तूबर महीने में आपका प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, पैदावार कम हुई है और फर्स्ट जनवरी को आप यह कह रहे हैं कि हमारे यहां खाद्यान्न की स्थिति बहुत अच्छी है और पहली बार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि यह डिसीजन चन्द्रशेखर गवर्नमेंट का है और क्रेडिट आप ले रहे हैं, पहली बार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यह फैसला आप करिए...।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : फैसला जनता करेगी।

श्री मदन लाल खुराना : मैं तथ्य रख रहा हूं, आपका जो स्टेटमेंट है, वही बता रहा हूं। आप बता रहे हैं कि हमारा पहले उत्पादन कम हुआ, प्रोक्योरमेंट कम हुआ, लेकिन एक जनवरी को आप कहते हैं कि काफी अनाज है और पहली बार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 15 दिन बाद 15 जनवरी को आपका फैसला छपता है कि 10 लाख टन गेहूं का आयात होगा। 15 दिन में क्या हो गया, पहले आप कहते थे कि हमारे पास अनाज बहुत है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 15 दिन बाद आप यह कहते हैं कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, 15 दिन में क्या हो गया ?

अगर प्रोक्योरमेंट खराब था तो आपने एक्सपोर्ट क्यों किया और दूसरा जैसा अभी अमल दत्ता जी ने जिक्र किया और आपने माना है कि 6 लाख टन अनाज आपने देश के फ्लोर मिल्स को रियायती मूल्यों पर, जिस मूल्य पर किसान से खरीदा गया था, उसी मूल्य पर खुले बाजार में बेचने के लिए दे दिया और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। अक्तूबर, 1991 से लेकर जनवरी, 1992 तक एक तरफ

तो आप यह कह रहे हैं कि अनाज कम है, आपने बयान दिया है और दूसरी तरफ फ्लोर मिलों को रियायती मूल्यों गेहूं दे रहे हैं फेयर प्राइस शाप्स वाले मूल्यों पर पर देते तब भी समझ में आता, लेकिन आपने तो ढाई रुपए क्विंटल की दर से दिया।

5.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

फ्लोर मिल्स को ढाई सौ रुपए क्विंटल की दर से गेहूं दिया गया और 5-6 रुपए किलो खुले बाजार में बेचने की उनको इजाजत दी गई, क्या यह स्कैंडल नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर देश में अनाज कम था, जो आपका मार्च का स्टेटमेंट था तो उन दिनों आपने फ्लोर मिल्स को 6 लाख टन गेहूं क्यों दिया, यह देश की जनता और यह सदन जानना चाहता है।

सभापति महोदय, इसके बाद मार्च के महीने में अखबार में आया कि टेंडर फ्लोटेड फार व्हीट इंपोर्ट, आपके सेक्रेटरी पी० त्रिपाठी को अमरीका भेजा गया, कई दिनों रहे, कई लाख रुपय खर्च किया, वे खाली हाथ वापस आए। टेंडर फ्लोट किए, उस समय इन्टरनेशनल मार्किट का जो रेट था वह 130 डालर से 168 डालर के बीच था। इतना ही नहीं अखबार में यह खबर भी छपी कि :

[अनुवाद]

"यद्यपि भारतीय-दल और संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के कर्मियों के बीच बातचीत चल रही है, लास ऐंजलस स्थिति एक अनिवासी भारतीय ने लगभग दो मिलियन टन गेहूं, जिसे कि 'क' श्रेणी की गुणवत्ता वाली कहा गया है, अमेरिका बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने का प्रस्ताव रखा है···।"

[हिन्दी]

मैं जानना हूं कि जो टैंडर आए वे किस रेट पर थे। ग्लोबल टैंडर आपने मंगवाए, प्रायः ऐसा होता है कि टैंडर जो मंगवाए जाते हैं उसी में से किसी एक को आर्डर देते हैं। लेकिन आपने उसमें से किसी को आर्डर नहीं दिया। मैंने आपसे कहा कि जो वर्ल्ड में इन्टरनेशनल मार्किट थी वह 130 से 168 डालर के बीच थी। हाउस के अन्दर जो जवाब दिया गया, 14 जुलाई, 1992 को अन-स्टार्ड क्वेश्चयन नं० 381 का आपने जवाब दिया :

[अनुवाद]

"19 जून, 1992 को सरकार ने कनाडा गेहूं बोर्ड के साथ 10.05 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए एक करार किया है। कनाडा गेहूं का अवतरित लागत का अनुमान 5260 रुपए प्रति मीट्रिक टन लगाया गया है···"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि इन्टरनेशनल मार्किट, जो मैंने रेट बताया, उस रेट पर थी तो आपने

जनवरी के अन्दर एक्सपोर्ट किया 95 डालर के हिसाब से, जो बैठता है लगभग 240 रुपया और इसके बाद जब इन्टरनेशनल मार्किट प्राइस ज्यादा है, आपने टैंडर काल कर दिए। टैंडर के हिसाब से 526 रु० टन आपने इम्पोर्ट किस कारण किया, कैसे किया ?

मैं सदन में मैंबर्स को कहना चाहता हूं कि टैंडर यदि आया है तो उसको नजर-अन्दाज कर के महंगी चीज कोई खरीदते हैं तो वह सकैंडल है या नहीं, यह बताया जाए। सभापति जी, कल जैसे प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि अब हमको जरूरत नहीं है, यह पहली बार नहीं है, मेरे एक और क्वैश्चयन के उत्तर में, इसी सदन में 10 मार्च, 1992 को क्वैश्चयन नम्बर 2330 के उत्तर में आपने दो बातें कहीं :

[अनुवाद]

"सरकार ने वर्ष 1992 के दौरान एक मिलियन टन गेहूं आयात करने का निर्णय किया है..."

दूसरे, यह कहा गया है :

"इन दो वर्षों के दौरान गेहूं का आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।"

[हिन्दी]

पहले कहा गया कि 1992 में केवल 10 लाख टन ही इम्पोर्ट किया जाएगा और दूसरे जवाब में यह कहा गया कि अगले दो वर्षों के अन्दर कोई भी व्हीट इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब सदन में कह दिया और एक बार आप कहते हैं कि बफर स्टाक है और दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा जिन हालात में पहले प्रोडक्शन कम हुआ, आपने एक्सपोर्ट किया, 15 दिन बाद आप कहते हैं कि इम्पोर्ट करना है, इन्टरनेशनल मार्किट रेट 130 से 168 डालर के बीच है, उसके बाद आपने ग्लोबल टैंडर काल किए, उसको नजर अन्दाज करके आपने 526 रुपए टन की दर से, जो लगभग 200 डालर बैठता है, गेहूं की खरीद की। इस सदन में विश्वास दिलाया कि इस साल केवल 10 लाख टन हम इम्पोर्ट करेंगे, अगले दो साल तक कोई इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तब आपने तीस लाख टन कैसे किया। ये कुछ सवाल हैं जिसको यह सदन जानना चाहता है। वे क्या कारण थे जिसके कारण यह सारा मामला हुआ। वे तथ्य आपके सामने रखे हैं, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। आप कहेंगे कि श्री चन्द्रशेखर जी के टाइम पर हुआ। अगर हुआ तो आपने मिल ओनर्स को क्यों दिया। मैंने पांच सवाल किए हैं। इन सवालों का आप उत्तर दें।...(व्यवधान) आपके इम्पोर्ट का असर हुआ है। अमेरिका की एक इन्स्टीच्यूट की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसके कारण जो कर्जा है वह और बढ़ेगा। सत्तर अरब डालर पहले से कर्जा है। उसमें कहा गया है कि और बढ़ जायेगा। 526 रुपए के हिसाब से आप अमेरिका और कनाडा के किसानों को दे सकते हैं और आपको विदेशी मुद्रा के अन्दर व्हीट मंगाना पड़ा जबकि आप इंडियन रुपीज में भारतीय किसानों को दे सकते थे। आपके आंकड़े हैं कि कम्पर प्रोक्युरमेंट हुआ है। आपने प्राइस सिस्टम किया इसलिए हुआ। अगर आप ज्यादा प्राइस दे देते तो आप हिन्दुस्तान से भारतीय अनाज खरीद सकते थे। आपने कनाडा, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के किसानों को ज्यादा पैसा देना मुनासिब समझा और हिन्दुस्तान के किसान को आपने यह आफर नहीं दी। इससे लगता है कि हिन्दुस्तान के किसानों से आपको किकबैक ज्यादा नहीं मिलता जबकि विदेशों से गुंजाइश थी इस लिए वहां से खरीदा है। यह मेरा आरोप है।...(व्यवधान) आपने केवल व्हीट का ही नहीं बल्कि चावल

का भी इम्पोर्ट किया। आपने उसका एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जबकि पहले भेजा करते थे। आप अच्छे बासमती चावल को एक्सपोर्ट किया करते थे। वह अभी तक किया नहीं है। उसी क्वालिटी का आपने इम्पोर्ट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री तरुण गगोई : बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर कोई रेस्ट्रीक्शन नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : उसको अलाऊ कीजिए और इस साल कितना गया।

श्री तरुण गगोई : हम रिकार्ड नहीं रखते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : आपके पास रिकार्ड तो होगा।

श्री तरुण गगोई : बासमती चावल का हमारे पास नहीं है।

[अनुवाद]

हमने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। अन्य किस्म के चावल के निर्यात पर पाबन्दी है और इसके बारे में मेरे पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वाजपेयी जी ने कहा कि आपका तालमेल नहीं है। मेरे पास डेफीनेट इन्फारमेशन है। इस बार अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट नहीं हुई। पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया। इस साल अभी तक निल है। सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि हम अपने घोषणा पत्र में दिए वादे पूरे करेंगे। इसमें आपने यह भी वादा किया है कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे।

[अनुवाद]

"अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने पर रोक लगाएं और विशेषकर कीमतों को जुलाई 1990 के स्तर तक वापिस ला देंगे।"

[हिन्दी]

यह आपने वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले 15 महीनों के अन्दर जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं और जो दवाएं हैं उनकी कीमतें 50 से लेकर 100 फीसदी तक बढ़ी हैं। हालांकि रुपए का अवमूल्यन इसलिए किया कि आयात को रोका जा सके और निर्यात को बढ़ाया जा सके। लेकिन आपका निर्यात 5 फीसदी बढ़ा है चींटी की चाल से और आयात में 22 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमारा विदेशी ऋण 25 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपए 10 साल के अन्दर हो गया, 10 गुना हो गया। वार्षिक ब्याज की दर 4 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 32 हजार करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि कृषि राज्यों का विषय है, तब भी भारत सरकार ने बिना राज्यों की सलाह से किसानों के अहित में अनेक कदम उठाए हैं। फर्टिलाइजर के अनुदान में 4 अरब रुपए की कटौती की है। इससे भारतीय किसानों को और उनकी खेती को नुकसान हो रहा है।

खाद के निर्माण में आने वाले पेट्रोलियम की कीमतों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फर्टिलाइजर की भारी कीमतों के कारण खेती के उत्पादन के ऊपर भारी प्रभाव पड़ेगा। हमारा आरोप है कि बिलियन डालर्स कर्जा लेने के लिए विश्व बैंक और आई०एम०एफ० के दबाव में खाद में अनुदान को हटा लिया।

मैं अन्त में यह मांग करना चाहता हूं कि जिस स्कैंडलिस तरीके से गेहूं का पहले सस्ते मूल्य पर निर्यात किया और बाद में दुगुने से अधिक मूल्य पर आयात किया और अक्तूबर, 1991 से जनवरी, 1992 तक बड़ी-बड़ी फ्लोर मिल्स को गेहूं रियायती मूल्यों पर दिया गया इस सबकी संसद की एक संसदीय कमेटी से जांच करवाई जाए और देश के सामने तथ्य आने चाहिए।

दूसरी मांग है कि खाद और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। खाद पर जो अनुदान खत्म किया गया है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए।

तीसरी मांग यह है कि भारतीय किसान को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर भारतीय किसानों से ही गेहूं खरीदने को प्राथमिकता दी जाए।

आपने बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) महोदय, इस विषय पर उचित समय पर ही चर्चा की गई है जोकि आवश्यक भी है। यह दोनों विषय यद्यपि किसानों से सम्बन्धित हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति की दृष्टि से यह दोनों विषय एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं।

मैं भारतीय जनता पार्टी और श्री मदन लाल खुराना जी की चिन्ता को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। यदि गेहूं का आयात किया गया है तो यह आयात किसके लिए किया गया है? यह उपभोक्ताओं के लिए किया गया है और इसके परिणाम क्या निकले हैं। कीमतें गिर गई हैं। देश के व्यापारी लोग जिन्हें कीमतों में तेजी से वृद्धि की उम्मीद थी, जोकि सूखे की स्थिति में संहारकारी सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें नुकसान हुआ। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की चिन्ता यह है कि उनके अग्रणी समर्थकों ने खुले सामान्य बाजार में संहारकारी स्थिति पैदा नहीं की। हमें उनकी चिन्ता को समझना चाहिए क्योंकि आखिरकार हम सभी यह जानते हैं कि वे कितना समर्थन करते हैं। श्री वी०पी० सिंह किसानों के नये मसीहा हैं। आज तक तो वह दलितों और इस देश के अल्पसंख्यकों के ही मसीहा थे। अब अचानक ही वह किसानों के मसीहा बन गए हैं और वह बोट-क्लब पर अनाज बेचना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : जरा उनके सामने बोलें, उनके पीछे क्यों बोलते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं जानता हूं कि उनके नुमाइन्दे यहां बैठे हुए हैं।...

[अनुवाद]

किसानों को इस मसीहा के कार्यकाल के दौरान समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई थी। 10 रुपया

प्रति क्विंटल की एक अच्छी खासी वृद्धि। और निसंदेह उन्हें अपने कुछ पक्के साथियों का समर्थन मिला, —वे इनके सच्चे मित्र नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : क्या उन्होंने गड़बड़ किया था, क्या इसलिए आपको गड़बड़ करने का अधिकार मिल गया है। उन्होंने महंगाई बढ़ाई थी, तो आप भी महंगाई बढ़ाएंगे? उन्होंने बेईमानी की तो क्या आप भी बेईमानी करेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं कि आपको खुली छूट मिल गई है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं नीयत की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा तो यह कहना है कि कितने बड़े मसीहा हैं कि जब उनका शासन था, जब प्रधानमन्त्री थे, तो बस रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा उन्होंने किया।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 32 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई जिसके कारण वर्ष 1989-90 में रिकार्ड खरीद की गई जोकि 11.06 मीट्रिक टन की खरीद हुई।

जनता दल और श्री वी० पी० सिंह का दृष्टिकोण क्या है? निश्चित तौर पर वे विपक्ष के नेता हैं। वह इस देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री हैं और उनमें राजनीति के मामले में इतनी निपुणता होनी चाहिए कि देश की समस्याओं को सही परिदृश्य में देख सकें और किसी छोटे दलगत नेता की कार्य न करें।

सरकार को सदैव चतुराई से कार्य करना होता है। उसे उत्पादन और उपभोक्ता के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें कृषि उत्पादन के स्थिर हो जाने और खरीददारी की व्यवस्था उचित न होने के कारण, समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की अभूतपूर्व वृद्धि जोकि किसी भी सरकार ने खरीद मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि कभी नहीं की थी—के बावजूद भी कतिपय बाजारी-ताकतों की वजह से खरीददारी केवल 6.4 मिलियन टन तक ही सीमित रही। इस परिस्थिति में यदि सरकार ने गेहूं आयात का निर्णय लिया तो ऐसा निर्णय नेक इरादे के साथ लिया गया था, और कांग्रेस दल की उत्तम परम्पराओं और उसके चुनावी घोषणा-पत्र के अनुसार लिया गया था और जनादेश के कारण ऐसा किया गया।

हमने कहां से और किस दर पर गेहूं खरीदा है। माननीय खुरानाजी ने स्वयं बताया है कि प्रचलित बाजार मूल्य प्रति मीट्रिक टन 168 डालर था परन्तु 137 डालर पर खरीदा गया है। उन्होंने कहा है कि एक अप्रवासी भारतीय से खरीदा गया है जो 2 मिलियन मीट्रिक टन अमरीका में प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर आपूर्ति करना चाहता था। मुझे पता नहीं है कि इन्होंने यह तथ्य कहां से प्राप्त किए हैं। ठीक है, मैं इस पर तर्क-वितर्क नहीं कर रहा हूं। लेकिन तथ्य तो यह है हमने गेहूं 111.83 डालर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से खरीदा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कनाडा से किया, वह बता सकते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : आप यू०एस०ए० की बात कर रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : केनाडा से कितना लिया है? जो मैनिफैस्टो में दिया है···

श्री दिग्विजय सिंह : यहां आकर मिला है। आप अपनी बात थोड़ा समझ बूझ के साथ कहिये। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी गलत बयानी करवा दी है, इसलिए आप भी थोड़ा सोच समझकर कहिये।

[अनुवाद]

महोदय, 1991 में क्या हुआ? इस वर्ष हमने गेहूं का आयात नहीं किया और इसका परिणाम क्या हुआ? गेहूं की कीमत 48 प्रतिशत बढ़ गई। वे भारत बन्द कराने जा रहे हैं। मुझे खेद है कि उन्हें समर्थन नहीं मिला। महोदय, उन्हें कभी भी समर्थन नहीं मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : 119 सदस्य क्या बिना सपोर्ट के हैं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : उनकी कथनी और करनी में भारी अन्तर है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का आचरण रहा है। सच्चाई क्या है? मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। सच्चाई यह है कि जब हम सत्ता में थे तो हमारी सही मूल्य नीतियों के कारण गेहूं की खरीद 1988-89 में 8.94 मिलियन टन की गई; 1989-90 में 11.06 मिलियन टन की गई और तब खुराना जी द्वारा समर्थित सरकार के शासनकाल में अचानक गेहूं की खरीद में गिरावट आयी जोकि 7.7 मिलियन टन ही की जा सकी। यह तथ्य इस सरकार की कार्यकुशलता की कहानी सुनाते हैं जिसे अपना समर्थन देने का सौभाग्य श्री खुराना जी को मिला। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री जार्ज फर्नांडीस ने यह कहा कि उद्योगपतियों के बारे में उनके उत्पादों के मूल्यों को नियन्त्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे इस पर हैरानी हुई। क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो भी हैं। क्या इन्होंने इसके बारे में सुना है? श्री खुराना जी इसे नहीं जानेंगे और मैं इसके लिए उनको कोई दोष नहीं दूंगा। (व्यवधान) खुराना जी छोटे-छोटे व्यापारियों तक ही सीमित हैं और बड़े लोगों के बारे में नहीं जानते। (व्यवधान) बात तो यह है कि बी०आई०सी०पी० पहले से ही विद्यमान है जोकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों पर नियन्त्रण रखता है। (व्यवधान)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनिवार्य है। श्री इंद्रजीत सही बात कहते हैं। एक समाजवादी देश में, जहां पर 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, कुछ···(व्यवधान)। महोदय, कृपया इन्हें शांत हो जाने के लिए कहें। महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनिवार्य है; अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वयं के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति यूनिट कितना गेहूं प्रदान कर रहे हैं। मुझे अन्य राज्यों का तो पता नहीं है, परन्तु मेरे राज्य में हमारे परिवार को प्रतिमाह

प्रति यूनिट एक किलो गेहूं मिल रहा है। यदि परिवार में पांच सदस्य हैं, तो गेहूं अथवा चावल 5 किलो ग्राम ही मिलता है। हम कितनी राजसहायता दे रहे हैं। 10 रुपए अथवा 15 रुपये प्रतिमाह की एक अच्छी खासी सहायता। इसका अपना ही प्रभाव पड़ता है; मैं इससे सहमत हूं कि एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति पर इसका प्रभाव हो सकता है; परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्वलोकन किए जाने की आवश्यकता है। इस सभा में बैठे लोग इसे स्वीकार करेंगे कि हमें रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अति निर्धन परिवारों तक पहुंचाया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। यदि किसी परिवार की मासिक आमदनी 300 रुपए है तो उस परिवार को 25 रुपये की राजसहायता दिया जाना महत्वपूर्ण बात है। परन्तु जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनके परिवारों को 25 रुपए अथवा 30 रुपए की राजसहायता दिए जाने की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वय के ही पुनर्वलोकन की आवश्यकता है।

लेकिन सरकार जो कुछ कहती है, उसके हर कार्य को दुर्भाग्यजनक बताया जाता है। यदि गेहूं का निर्यात किया जाता है, तो कहा जाता है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। यदि हम गेहूं का आयात करते हैं तो कहा जाता है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। यदि हम उर्वरकों से राजसहायता को समाप्त करते हैं, तो कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन 'कार-सेवा' के बारे में स्थिति क्या है। क्या कार सेवा भी ये लोग सीमा के उस पार रहने वाले अपने मित्रों के दबाव में आकर कर रहे हैं? (व्यवधान) श्री मदन लाल खुराना जी कृपया पांच मिनट तक प्रतीक्षा करें।

खुराना जी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने आटा मिलों को रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराया है।

श्री मदन लाल खुराना : अपने उत्पादों को नियन्त्रित क्यों नहीं करते ?

श्री दिग्विजय सिंह : इस बार के लिए तो मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जिन आटा मिलों को रियायती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराया गया, उनके लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने उत्पाद, आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपलब्ध कराएं।

लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, मैं आपको तथ्य से अवगत करा दूं—कि जो आटा नवम्बर, 1991 तक छ: माह के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए था, उसमें से लाखों टन आटा उन आटा-मिलों को दे दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इस राज्य में रहने वाले लोगों से संबंधित थीं। जब हमने उस राज्य में आरोप लगाये, जब हमने जांच के लिए कहा तो उसे अभी तक भी पूरा नहीं किया गया। मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि आपको इन सभी आटा मिलों के खिलाफ जांच करवानी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं सहमत हूं।

[हिन्दी]

दोनों की इन्क्वायरी करवा लीजिए।

श्री रामवीर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० क्या स्टेट का विषय है या केन्द्र का विषय है ।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि इस बात का पता लगाने के लिए एक जांच गठित की जानी चाहिए कि वे कौन लोग थे जिन्होंने आटा मिलों को दिए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं से करोड़ों रुपए का लाभ उठाया है ।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता की बात के बीच में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता । लेकिन कुछेक तथ्य ऐसे हैं जोकि सभा के समक्ष लाए जाने चाहिए । मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन का 85 प्रतिशत उत्पादन करता है । मूल्य में हस्तक्षेप के मामले में मध्य प्रदेश राज्य ने तिलहन संघ शुरू किए ताकि निजी वर्ग बाजार की शक्तियों पर अपना नियन्त्रण न कर सकें । इसलिए तिलहन-संघों की स्थापना हुई; समितियों की स्थापना की गई । लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे इस आशय की निरन्तर मांगों के बावजूद भी कि तिलहन संघों की प्राथमिक समितियों से खरीद की जानी चाहिए—मेरा आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोयाबीन की खरीद तब तक शुरू नहीं की जब तक कि व्यापारी लोगों ने अपने गोदाम नही भर लिए ।

(व्यवधान)

मैंने उस बात का उत्तर न दिया होता । परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रश्न उठाने पर उत्तर दिया गया है । (व्यवधान)

जहां तक गेहूं का संबंध है, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय केवल समय पर ही नहीं लिया गया बल्कि यह आवश्यक भी था । और यह निर्णय इस देश के उपभोक्ताओं के सर्वाधिक हित में भी था । उर्वरकों की राजसहायता कहां जा रही है ? (व्यवधान)

किसानों को जो सहायता दी जा रही है उसका 70 प्रतिशत छ: विकसित राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब को चला जाता है ।

और इसका लाभ उन स्थापित कृषकों को मिल रहा था जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । हम राजसहायता पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं । अगर हमने नियन्त्रण न हटाया होता तो इस साल कुल केन्द्रीय राजसहायता की राशि कम से कम 10,000 करोड़ रुपए हो जाती । नियन्त्रण हटा लेने के पश्चात भी सरकार को 5000 करोड़ से अधिक की राशि उर्वरकों पर राजसहायता के रूप में देनी पड़ती है । उर्वरकों के कुल उपयोग का 67 प्रतिशत, अर्थात यूरिया रियायती दर पर मिल रहा है । आज हम अति गरीब वर्ग के ऊपर कितना व्यय कर रहे हैं ? आज हम गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रमों पर केवल 2600 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं जबकि किसानों को 4000 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रहे हैं । इसका औचित्य क्या है ? आज देश में लक्षित वर्ग की ओर अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है वे अति निर्धन परिवारों के लोग हैं तथा इस कार्यक्रम की समीक्षा तथा अति निर्धन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि वामपंथी दल के हमारे मित्र मेरी बात का समर्थन करेंगे···(व्यवधान) । दुर्भाग्यवश हमारे

मित्रों का दृष्टिकोण वास्तव में कठोर है। ऐसा कहने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। वे उर्वरकों की कीमतों में कटौती की मांग कर रहे हैं तथा वक्तव्य दे रहे हैं और उन्होंने भारत बन्द का आह्वान किया है जैसे कि भारत बन्द करवाने से उर्वरकों तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी···(व्यवधान) नहीं··· जब से मैं पी०सी०सी० का अध्यक्ष बना हूं, हमने बन्द का आह्वान नहीं किया। हम इसमें विश्वास नहीं रखते···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : वे व्यवधान डाल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर वे वास्तव में ऐसा चाहते तथा वे वास्तव में इस देश के किसानों के प्रति चिन्तित हैं तो क्या वे भा०ज०पा० शासित राज्यों में उर्वरकों पर बिक्री कर हटाने पर विचार करेंगे? मैं उनसे यह प्रश्न पूछता हूं। वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। केवल इतना ही नहीं, जैसाकि मेरे मित्र बता रहे थे, उन्होंने तो पिछले वर्ष दी गई राजसहायता भी खर्च नहीं की। माननीय मन्त्रीजी, आपने राजसहायता इसलिए उपलब्ध कराई थी ताकि छोटे तथा सीमांत, हरिजन और आदिवासी किसानों को पुरानी कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करवाए जा सकें। परन्तु मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में एक भी छोटे अथवा सीमांत किसान को रियायती कीमत पर उर्वरक नहीं मिला। इसके अतिरिक्त आपने यह हिदायतें जारी की थी कि जो भण्डार उस दिन उपलब्ध थे उन्हें नियन्त्रण उठा लेने से पहले की कीमतों पर बेचा जायेगा **(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लीजिए। मैं उन्हें कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं करने दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : नाम लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सारे वर्णन को कार्यवाही वृतात से निकाल दिया जाए?

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोठा : महोदय, माननीय सदस्य नाम लेकर दोषारोपण कर रहे हैं। वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम पहले ही कार्यवाही वृतांत से निकाला जा चुका है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उनका नाम नहीं लूंगा। (व्यवधान)***

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, वे इस सदन मध्य प्रदेश विधान सभा जैसा बनाना चाहते हैं? इसके लिए उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह मेरा आरोप है। कृपया इसकी जांच करवाइए। सुपर फास्फेट तथा पोटाश की कीमतों पर 1000 रु० प्रति टन की दर से किसानों के लिए राज्यों को सहायता दी गयी थी? परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि यह राजसहायता उसने अपने कोष से दी है। मैं आपको मध्य प्रदेश सरकार की प्रैस विज्ञप्ति दिखाता हूं। भारत सरकार द्वारा दी गई राजसहायता पर मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना दावा ठोक दिया।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे सुझाव बड़े साधारण हैं। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि विनियन्त्रण के पश्चात उर्वरकों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसे मद्देनजर रखते हुए किसानों को उनके उत्पादन की लाभकारी कीमतें दी जानी चाहिए। तभी आपको किसानों का वास्तविक मित्र माना जाएगा?

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश में अनाज को बेरोक-टोक एक राज्य से दूसरे राज्य मे ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा लागू नियन्त्रण नही होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा लागू नियन्त्रण एक तरह से अनाज के मुक्त आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं। इसलिए अनाज को स्वतन्त्र रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य मे ले जाने के लिए इन नियन्त्रणों को हटाया जाना चाहिए। बाजार मूल्यों में आपको हस्तक्षेप करना होगा। तथा तभी हम समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि संयुक्त संसदीय समिति सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। उन्होंने काफी सोच-विचार के पश्चात ये सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। राज्य सरकारों को उर्वरकों से बिक्री कर हटाने के लिए कहा जाना चाहिए। गैस तथा नेफ्था की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। रेलवे द्वारा ढुलाई की दरों में भी कमी की जानी चाहिए। जब तक आप जे०पी०पी० की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं करते, तब तक किसानों की सहायता नहीं की जा सकती? सिफारिशों के आंशिक क्रियान्वयन से किसानों को न्याय नहीं दिलवाया जा सकता?

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसे गम्भीर विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं, जो कि देश का अहम विषय है। जब-जब किसानों की बात आती है तो मुझे लगता है कि सारे लोग किसानों पर इस तरह से बहस करने लगते हैं जैसे कि किसानों की समस्या आज ही समाप्त हो जाएगी लेकिन सच्चाई यह है कि जितने भी वक्ता यहां पर हैं, वे किसान हैं ही नहीं। जो भी कोई सरकार बनती है, उसमें किसान कोई भी नहीं होता है। हमारी भी सरकार बनी थी। उसने भी किसानों के हित की बात नहीं की। कांग्रेस ने भी 45 वर्षों तक राज करने के बाद किसानों की तरफ ठीक से देखा ही नहीं। वह उनको ठीक से समझ ही नहीं पायी। जब-जब किसानों की बात आई, तो उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने में यह सरकार हमेशा ही हिचकिचाती रही है। आज तक यह सरकार कृषि नीति निर्धारित नहीं कर पायी है जबकि 80 प्रतिशत किसान इस देश में हैं। यही वजह है कि कनाडा, अमरीका, रूस और फ्रांस से हमें गेहूं मंगाना पड़ रहा है। जब

किसानों के अनाज का भाव निर्धारित होने वाला होता है तो उसे डाउन और कंट्रोल करने के लिए यह बाहर से गेहूं मंगा लेते हैं। वह किसान को आंकड़ों में ऐसे उलझा देते हैं कि वह बेचारा उसको समझ नहीं पाता। आंकड़ा क्या हैं, कितने मिलियन टन आया है, इन सब को वह कुछ नहीं जानता है। जब आप गेहूं बाहर से मंगाते हैं तो सभी दल और हमारा दल भी उसका विरोध करता है, लेकिन मैं उसका स्वागत करूंगा अगर आप उसी रेट पर उसे मंगायें जिस रेट पर किसानों का गेहूं लिया है। किसान का गेहूं भी आप उसी मूल्य पर खरीदें। आप आज जवाब देंगे, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब आपको देना चाहिए। किसान को आपसे कोई आपत्ति नहीं है, किसान की एक ही मांग है कि अमेरिका से आया गेहूं 500 रुपये क्विंटल है तो मेरे गेहूं की कीमत भी 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, हम आपको गेहूं देने के लिए तैयार हैं।

दूसरी बात खाद की कीमत के बारे में है। मन्त्री जी आप इसके गवाह हैं, मैं ज्यादा आपके सामने कुछ नहीं कहूंगा। प्रधान मन्त्री जी के यहां हम लोग गये थे, किसानों का एक प्रतिनिधिमण्डल मिलने गया था और उन्होंने उसको आपके पास भेजा था और हम लोगों ने आपसे यही कहा था कि खाद की दोरंगी नीति को आप समाप्त कर दें। बड़े किसान कौन होते हैं ? जाखड़ साहब सच्चाई यह है कि आप किसान हैं, लेकिन आप इतने बड़े किसान हैं, आप हृदय से कहिए, क्या आपने एक बोरा खाद भी मार्केट से खरीदा है, क्योंकि आपकी जमींदारी भी बंटाईदार ही करता होगा, गरीब लोग ही उस खेत की जुताई और गुड़ाई करता होगा। लघु किसान और सीमान्त किसान ही बड़ी खेती वाले जमींदार के खेत को जोतने का काम करता है तो सारे किसान गरीब हैं। तीस बीघा, चालीस बीघा जमीन जोतने वाले किसान के घर अगर एक आदमी सर्विस में नहीं है तो आज उसके पास खेती करने लायक अनाज भी नहीं है।

एक बात मैं दिग्विजय जी की मैं मानता हूं, भाजपा ने जो आरोप लगाया है या मदन लाल जी खुराना बोल रहे थे कि गेहूं का आयात होने से गड़बड़ी हुई है तो इसको मैं ज्यादा नहीं मानता। जैसा दिग्विजय बाबू बोल रहे थे कि बड़े बिजनेसमैन के यहां भी, बड़े-बड़े व्यापारियों के यहां साधारण रेट पर किसान के गेहूं की खरीद की गई और अब वह मंहगे रेट पर न बेचें इसलिए आपने यह मगाया है, यह अच्छा है, यह बुरी चीज नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन इसी मूल्य पर आपको भारत के किसान का गेहूं खरीदना होगा और खाद के मामले में जो दोरंगी नीति आपने अपनाई है, जिसमें एक किसान को आप देंगे इस भाव पर और दूसरे को दूसरे भाव पर यह ठीक नहीं है। सब्सिडी को भी आपने समाप्त करने का काम किया है।

एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, आपका जूट कार्पोरेशन आफ इण्डिया है, जो किसानों से जूट खरीदता है और हम लोगों का जूट का एरिया है। जब दो दिन पहले मैं अपने क्षेत्र से आ रहा था तो बिहार के पूर्णिया जिले, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले के एक-एक हजार दो-दो हजार किसान वहां नम्बर लगाये हुए थे, वह अपना जूट बेचने के लिए, पास बेचने के लिए बैठे थे। आपका कारपोरेशन उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। पांच-पांच, सात-सात दिन से वह किसान वहां मौजूद थे कि हम इस पास को बेचकर खाद को खरीदकर अपनी खेती में उपयोग करेंगे लेकिन उस का उपयोग नहीं हो रहा था। जब मेरी गाड़ी वहां पहुंची तो लोगों ने मुझे घेरा। मैं जब वहां गया तो मैंने जे० सी० आई० के पदाधिकारियों से पूछा कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो तो उन्होंने कहा कि हमारी

इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो किसान धान की खेती करते हैं, आपने उस का सरकारी रेट निर्धारित किया है, क्या उस रेट पर आप उसे नहीं ले सकते हैं और आपका पदाधिकारी औपनली कहता है, डिक्लेयर करके कहता है कि मुझे खरीदने की उतनी हैसियत नहीं है तो बताइए ऐसी बात हो सकती है ? फिर आप किसान की बात करते हैं, गांव की बात आप करते हैं। सारी चीजों को आपने बर्बाद करने का काम किया है।

मैं ज्यादा न बोलते हुए मांग करता हूं कि जे० सी० आई० किसानों की फसल नहीं ले रहा है इसलिए अतिशीघ्र आप उसे खरीदवाने का काम करें और खाद जो मंहगे रेट पर आप किसानों को दे रहे हैं, बड़े किसान 100 में से मुश्किल से सात हो सकते हैं बाकी सीमांत और लघु किसान हैं, उन्हें आप सस्ते रेट पर खाद देने का काम करें।

पूरे बिहार में सुखाड़ की स्थिति है और वहां का किसान गेहूं की खेती में एक बार बोरिंग से, पम्प से पटाने का काम करता है, खेत को, फिर उसकी जुताई करेगा, बुवाई करेगा, महंगे रेट पर उसको बीज मिल रहा है, खाद की उपलब्धता नहीं है···

मार्केट में जो खाद मिल रहा है वह मिलावटी खाद है। इसलिए जाखड़ साहब, आप किसान हैं, और अगर आपको हमदर्दी है तो अभी भी समय है कि आप सतर्क हो करके इस काम को देखें और हर जगह आप इसकी व्यवस्था करें। इसी शब्द के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं सरकार से और इस सदन से आग्रह करता हूं कि गेहूं का रेट हो या किसान की फसल का रेट हो आप बाहर से जो रेट मंगाते हैं आप किसानों के लिए भी वैसा ही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

3 57 म० प०

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मैं जरा एक मीटिंग छोड़ कर आया हूं। मैंने यही कहा है कि या तो मुझे इस समय बोलने का मौका दें नहीं तो आप मुझे बाद में बोलने का मौका दें। अब जैसा आप कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप इनको बोलने दें, आपको बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन निर्णयों के परिणामों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पिछले वर्ष तथा उससे पहले हम चावल का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में होते हुए या इस वर्ष हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्च करके 30 लाख टन गेहूं का आयात करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हम सैकड़ों करोड़ रुपया चावल के आयात पर खर्च करने जा रहे हैं जिसका उल्लेख मेरे सहयोगी पहले ही कर चुके हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह स्पष्ट तौर पर इस प्रकार की किसान विरोधी नीति है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे कृषि मन्त्री डा० बलराम जाखड़ जी का मैं काफी सम्मान करता हूं और उन्हें प्यार करता हूं। मुझे उनकी निष्ठा और किसानों के लिए स्नेह पर कोई शंका नहीं है। क्या यह सरकार किसानों के अतिरिक्त लोगों के

किसी अन्य वर्ग के साथ ऐसा अन्याय करने का साहस कर सकती है। केवल एक वर्ष पहले आपने उर्वरकों के मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि की थी और अब मानसून के एकदम बाद उर्वरकों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। उसके तुरन्त बाद सरकार फास्फेट तथा पोटेशियम उर्वरकों के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाने के निर्णय की घोषणा कर दी गई। क्या वास्तविकता यह नहीं है कि हमारे वित्त मन्त्री विस्तार निधि सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की तीसरी किश्त प्राप्त करने जा रहे हैं तथा अपने विदेशी ऋणदाताओं को राजी करने के लिए सरकार यह दिखाने के लिए कि उनकी शर्तों के पूरा करने के प्रति तथा इससे सम्बद्ध वादों और शर्तों को पूरा करने के प्रति यह कितनी वचनबद्ध है, क्या इसीलिए यह निर्णय लिया गया है? अन्यथा इसका और क्या कारण है? एक विशेष समय पर ही सरकार ने ये निर्णय क्यों लिए हैं? यूरेट पोटाश के मूल्य 88 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिए गए हैं। डी० ए० पी० के मूल्य 230 रुपए से बढ़कर 440 रुपए हो गए हैं।

मेरे सहयोगी श्री सावन्त तथा श्री दिग्विजय सिंह ने उर्वरकों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है। हम इसकी सराहना करते हैं। परन्तु सरकार ने अभी तक उन पर कोई विचार क्यों नहीं किया तथा सरकार संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करने में असफल क्यों रही है?

6.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे जी, कृपया एक मिनट ठहरिए। इस समय सायं के 6.00 बज चुके हैं। इस चर्चा को जारी रखने के सम्बन्ध में सदन का क्या विचार है।

अनेक माननीय सदस्य : इस पर कल चर्चा की जाए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कई माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपका क्या विचार है?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : आज खत्म तो हो नहीं सकता। फिर कल ही कर लेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल ही चर्चा करेंगे। श्री राव के भाषण के पश्चात सभा स्थगित कर दी जाएगी। अब आप अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जबकि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं किया, इसने जल्दी में उर्वरकों से नियन्त्रण हटा दिया जिसके परिणामस्वरूप किसान उर्वरकों के अधिक मूल्य देने के लिए बाध्य हो गए हैं।

उसके पश्चात कुछ और निर्णय लिए गए हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। यहां तक कि सुपर फास्फेट तथा अन्य फास्फेट उर्वरकों पर 1000 रुपए प्रति टन राज सहायता देने के

आपके निर्णय से भी व्यापारियों तथा प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को ही लाभ हुआ है, सभी किसानों को नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बारे में कुछ कहा है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश की सरकार भी पीछे नहीं है। पिछले वर्ष जब केन्द्रीय सरकार ने 69 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया था तो एक भी छोटे या सीमांत किसान को एक रुपया भी नहीं मिला। अब भी सरकार ने सद्भावना प्रकट करते हुए 1000 रुपए प्रति टन की दर से राज सहायता दी है। परन्तु अगर यह निर्णय उर्वरकों पर नियन्त्रण समाप्त करने से पहले लिया जाता तो अधिकतर किसानों को लाभ पहुंचता। अगर सरकार ने नियन्त्रण समाप्त करने के गंभीर परिणामों पर विचार किया होता। यहां तक कि नियन्त्रण समाप्त करने से पहले, उर्वरकों की कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि से पहले भी किसानों को लाभ पहुंचता। उस समय भी हमारे देश में उर्वरकों की कीमतें पाकिस्तान तथा बंगलादेश जैसे हमारे पड़ौसी देशों से अधिक थीं।

हमारे देश में एक किसान को 3 किलोग्राम धान अथवा गेहूं के बदले एक किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है, जबकि पाकिस्तान में एक किसान दो किलोग्राम धान बेचकर एक किलोग्राम नाइट्रोजन खरीद सकता है। कोरिया में एक किसान को एक किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए केवल .8 किलोग्राम धान बेचना पड़ता है। जापान में एक किसान को एक किलो नाइट्रोजन के लिए .3 किलोग्राम धान बेचना पड़ता है।

इस समय हमारी उर्वरकों की खपत बहुत कम है। मुश्किल से हमारे यह उर्वरकों की खपत 73 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। पाकिस्तान में यह खपत 82 किलोग्राम है। पिछले वर्ष अपनी गलत नीति के कारण 90 लाख टन कम अनाज का उत्पादन हुआ, जैसाकि आप जानते हैं। इसके लिए सम्पूर्ण रूप से नहीं सही परन्तु इसका मुख्य कारण उर्वरकों की कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि रही। अद्यतन अनुमानों के अनुसार इस वर्ष भी स्थिति कुछ बेहतर ही रहेगी। दक्षिण में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों में मानसून के आने में देरी तथा चक्रवात आने के कारण स्थिति इतनी उत्साहजनक नहीं है।

इन सब बातों के बावजूद, हमें वर्ष 2000 तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 240 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ेगा। अगर आप उर्वरकों की खपत नहीं बढ़ाएंगे तो इतना उत्पादन कैसे करेंगे? आप उर्वरक खात बढ़ाए बगैर प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ा सकते।

सातवीं योजना के दौरान भी सिंचाई पर 8000 करोड़ रुपए व्यय किए गए लेकिन केवल चार लाख हैक्टेयर पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसलिए हम भरसक प्रयासों के बावजूद सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रति एकड़ उपज तथा कुल उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र विकल्प उर्वरक उपयोग को बढ़ाना है। नियन्त्रण हटाने और मूल्य बढ़ाने का आपका निर्णय काफी हद तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा बनेगा।

अब भी, अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। यह सही नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि इस देश में प्रत्येक तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है क्योंकि उसके पास पर्याप्त क्रय-क्षमता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं। यह स्थिति है।

अगर हम वास्तव में हर वर्ष प्रति व्यक्ति 181 किलोग्राम सप्लाई करें जोकि सिफारिश के अनुसार न्यूनतम पोषक आवश्यकता है तब हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। कैलोरी के तहत भी प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत भी केवल 2,200 है जब यह 2600 होनी चाहिए। इन बातों के बावजूद यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की त्रुटिपूर्ण और गलत सलाह पर क्यों चल रही है।

मेरे मित्र श्री सावन्त ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में प्रति व्यक्ति राजसहायता 200 डालर है। इसे गलत लिया गया है क्योंकि यह सही स्थिति नहीं दर्शाती। भारत में 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर निर्भर है और यदि हम प्रति व्यक्ति राजसहायता की गणना करें तो भारतीय किसान को उपलब्ध यह कीमत राजसहायता लगभग 6 डालर प्रति व्यक्ति है। जबकि अमेरिका में केवल 2 प्रतिशत लोग ही कृषि पर निर्भर हैं। वहां पर यह 22,000 डालर प्रति अमरीकी किसान है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में यह 16,000 डालर प्रति किसान है। जो लोग प्रति किसान 22,000 डालर दे रहे हैं वे ही भारत सरकार को किसानों को इस तुच्छ राशि को न देने की सलाह दे रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या आप इसके वास्तविक परिणामों, दीर्घकालिक परिणामों पर गौर कर रहे हैं? हम केवल अब आयात नहीं कर रहे बल्कि भविष्य में भी हमें इन देशों से अनिवार्य रूप से खाद्यान्न आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप एक डाक्टर हैं और अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं मुझे बताइए कि आप क्या महसूस करते हैं। राज सहायता से आपका क्या अभिप्राय है? अब आप अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक मूल्य दें तो इसे राजसहायता कहा जा सकता है लेकिन भारत में किसान को राजसहायता नहीं दी जाती बल्कि उसका शोषण हो रहा है। किसान को दी गई सुरक्षा का अन्तर गुणांक 0.8 था जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह 1.4 है। इसका मतलब है कि भारतीय किसान के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने से कम मूल्य मिल रहा है। जब यह स्थिति है और यह पता है कि पिछली सरकार उर्वरक कम मूल्य पर देने की नीति जारी रखे हुए थी तब इस देश का किसान भिखारी नहीं है। वह आत्म-सम्मान वाला व्यक्ति है। हम सरकार से किसी धमार्थ कार्य की अपेक्षा नहीं रखते

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं आपको भिखारी नहीं रहने दूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : लेकिन, वृद्धि उचित होनी चाहिए। यह इतनी हो कि किसान वहन कर सके। निःसंदेह आपने समर्थन मूल्य बढ़ाकर इस असंतुलन को कुछ हद तक सही करने का कार्य किया है। लेकिन अधिक उर्वरक मूल्य के लिए कितने किसानों की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, केवल ऐसे किसानों को जो अपने बिक्री योग्य अतिरिक्त उत्पाद को भारतीय खाद्य निगम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना या खुले बाजार में भेजते हैं। 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमान्त किसान हैं। वे अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन कर लेते हैं उनके पास बाजार में बेचने के लिए मुश्किल से चार या पांच क्विंटल होता है। ऐसे किसानों के लिए आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके मदद नहीं कर रहे।

इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि कृपया इस पर विचार करें। आप जानते हैं कि आपने जो कुछ किया है वह गलत है लेकिन यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण उनके दबाव के आगे झुक गई है और उन्होंने इस देश के किसानों के प्रति यह अत्यधिक अन्याय किया है।

कृपया इस पर पुनर्विचार करें और वृद्धि से पूर्व का स्तर पुनः कायम करें और आप इसमें 10

प्रतिशत या कुछ अधिक वृद्धि कर सकते हैं लेकिन 100 प्रतिशत या 90 नहीं क्योंकि दीर्घ अवधि में न सिर्फ देश के किसान बल्कि देश को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा।

मेरा सुझाव है कि धान और अन्य कृषि उत्पादों के आवागमन पर सभी नियन्त्रण और पाबंदियां हटा दें, आपने पिछले दिनों हैदराबाद में भी यह कहा था कि सरकार ऐसा करना चाहती है। लेकिन अभी तक यह प्रथा और नियम हैं कि किसान अपने धान या गेहूं को एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते। व्यापारी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और वे बहुत कम मूल्य पर किसानों से धान या गेहूं खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिसमें किसान खुश रहे। अगर सरकार उर्वरकों के मूल्य कम नहीं करती तो वह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों को धान या गेहूं निर्यात करने से कैसे रोक सकती है? सरकार उन्हें अत्यन्त सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जब सरकार उदारता, आर्थिक नीति और बड़ी-बड़ी बातें कह रही है तब केवल किसान ही इसका मूल्य नहीं चुका सकता। मेरी सरकार से यही मांग है।

सी०ए०सी०पी० की गणनाओं में भी वास्तव में उर्वरकों के संबंध में आप उर्वरक उत्पादकों को कर उपरांत 12 प्रतिशत का लाभ दे रहे हैं जबकि वास्तव में उन्होंने उत्पादन नहीं किया है और उन्होंने अधिक राजसहायता लेने के लिए आपको गलत आंकड़े दिखलाए हैं। लेकिन किसान को लाभ का कोई प्रतिशत सुनिश्चित नहीं किया गया है और मुझे विश्वास है कि कम से कम 12 प्रतिशत लाभ किसानों को दिया जाए।

यह सबको पता है कि सी०ए०सी०पी० की गणना पांच या छः वर्ष पूर्व दिए गए आंकड़ों पर आधारित है नवीनतम आंकड़ों पर नहीं। कृषि श्रम मजदूरी और अन्य कृषि आदान में अनेक बदलाव हुए हैं। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि 1970-71 को आधार वर्ष मानकर बराबर मूल्य देने के लिए धान, गेहूं और अन्य कृषि मदों के मूल्य पुनः निर्धारित करें। तब ही किसान के साथ कुछ न्याय किया जा सकता है और वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपना उत्पादन देने के लिए सरकार से सहयोग कर सकता है।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम इस चर्चा को कल 4 बजे म० प० पर पुनः शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अन्य कार्य भी हैं।

6.12 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 26 नवम्बर, 1992/4 अग्रहायण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, दिल्ली।